ISBN: 978-93-92568-06-0

छत्तीसगढ़ शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन

लेखिका
डॉ. पदमा सोमनाथे

Aditi Publication

छत्तीसगढ़ शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन

लेखक
डॉ. पद्मा सोमनाथे
छत्तीसगढ़, भारत

Publisher
Aditi Publication, Raipur, Chhattisgarh, INDIA

छत्तीसगढ़ शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन

2021
Edition - **01**
Date of Publication : 04/10/2021

लेखक
डॉ. पद्मा सोमनाथे
छत्तीसगढ़, भारत

ISBN : **978-93-92568-06-0**

Copyright© All Rights Reserved
No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of original publisher.

Price : Rs. **350/-**

Printed by
Yash Offest,
Lily Chowk, Purani Basti Raipur
Tahasil & District Raipur Chhattisgarh, India

Publisher :
Aditi Publication,
Near Ice factory, Opp Sakti Sound Service Gali, Kushalpur,
Raipur, Chhattisgarh, INDIA
+91 9425210308

विषयानुक्रमणिका

अध्याय	रूपरेखा	पृष्ठ क्र.
01.	**प्रस्तावना शोध प्रविधि, परिकल्पना**	01–19
	1.1 विषय का महत्व तथा वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य	
	1.2 शोध साहित्य का पुनरावलोकन	
	1.3 शोध विषय का चयन	
	1.4 शोध परिकल्पना	
	1.5 शोध प्रविधि	
	1.6 शोध अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमायें	
	1.7 शोध अध्ययन की संक्षिप्त रूपरेखा	
02.	**स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं का परिचय एवं क्रमिक विकास**	20–56
	2.1 भूमिका	
	2.2 भारत में महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनायें	
	2.3 छत्तीसगढ़ राज्य में स्वरोजगारउन्मुखी योजनायें	
	2.3.1 सामान्य स्वरोजगारउन्मुखी योजनायें	
	2.3.2 महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनायें	
	2.4 छत्तीसगढ़ राज्य में महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	
	2.5 विभिन्न पंचवर्षीय योजनायें एवं महिला स्वरोजगार में प्रगति	
	2.6 योजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था तथा क्रियान्वयन	
	2.7 योजनाओं के अपेक्षित लाभ एवं संभावनायें	

03. छत्तीसगढ़ में महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं का स्वरूप एवं क्रियान्वयन **57–122**

3.1 छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार– आवश्यकता एवं महत्व

3.2 महिला स्वरोजगार योजनाओं के विभिन्न स्वरूप

3.3 महिला स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

3.4 छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में महिला स्वरोजगार योजनाओं की स्थिति

04. छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार स्थापना हेतु मार्ग दर्शिका **123–164**

4.1 सफल महिला व्यवसायी के आवश्यक गुण

4.2 महिला स्वरोजगार हेतु उपलब्ध विकल्पों की सूची

4.3 स्वरोजगार स्थापना व विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

4.4 स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित होने की प्रक्रिया

4.4.1 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से

4.4.2 सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाये एवं सहायताओं के माध्यम से

4.5 स्वरोजगार में संलग्न महिलाओं हेतु विकास परामर्श

05. छत्तीसगढ़ राज्य में महिला स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों का आर्थिक मूल्यांकन **165–193**

5.1 उद्यमों के उत्पादन का कार्यक्षेत्र
5.2 कच्चा माल संबंधी विवरण
5.3 सेविवर्गीय प्रबंध का विश्लेषण
5.4 विक्रय क्षेत्र एवं विपणन व्यवस्था
5.5 वित्त एवं ऋण का विश्लेषणात्मक अध्ययन
5.6 सफल महिला उद्यमियों का साक्षात्कार

06. महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन **194–232**

6.1 स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन
6.1.1 स्वयं के दृष्टिकोण से
6.1.2 राज्य के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से
6.2 महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं की सामाजिक प्रगति का अध्ययन
6.3 महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियों का मूल्यांकन

07. महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं की समस्यायें, सुझाव एवं निराकरण **233–264**

7.1 निष्कर्ष
7.2 समस्यायें एवं बाधायें
7.3 सुझाव
7.4 संभावनायें
7.5 शोध कार्य से मिलने वाले अपेक्षित निर्गम

उपसंहार 265–266
संदर्भ ग्रंथ सूची 267–271
प्रश्नावली 272–275

अध्याय 01 | प्रस्तावना, शोध प्रविधि, परिकल्पना

1.1 विषय का महत्व एवं वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य

स्वरोजगार किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की प्रगति एवं संपन्नता का प्रमुख आधार भी है। स्वरोजगार आर्थिक विकास की व्यापक प्रक्रिया का ऐसा कारक है जिसके फलस्वरूप उत्पादन के संसाधनों का उचित विदोहन एवं जन जीवन के स्वर को ऊंचा उठाया जा सकता है। स्वरोजगार के माध्यम से देश की संपूर्ण आर्थिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

देश की आर्थिक प्रगति में उद्यमीय प्रवृत्तियो का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्यमिता के परिणाम स्वरूप ही देश में नये उद्योग, रोजगार एवं आय का निर्माण संभव है।

वर्तमान के प्रतिस्पर्धात्मक युग में आर्थिक गतिविधियों में पुरूष के साथ–साथ महिलायें भी स्वरोजगार आधारित क्षेत्रों में जुड़कर आर्थिक स्थायित्व, औद्योगिक विकास एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

छ.ग. राज्य ने भी विकास की राह पर बढ़ने हेतु स्वरोजगार को अपना प्रमुख कारक माना है। छ.ग. की कुल जनसंख्या 25545198 (2.56 करोड़) है जिनमें महिलाओं की संख्या 12712303 जो 49.76% है।

अतः यदि महिलायें उद्यमिता एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रवेश करें तो स्वावलंबी बनेंगी तथा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सामाजिक व आर्थिक प्रगति में बराबर सहभागिता प्रदान करेंगी।

विगत कुछ वर्षो में छ.ग. राज्य में महिलाओं में स्वरोजगार संबंधी जागरूकता बढ़ी है और अधिकाधिक महिलाओं ने शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुये स्वरोजगार प्रारंभ किया है।

महिलाओं को पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ–साथ

आत्मनिर्भर बनानें की दिशा में छ.ग. शासन का महिला स्वरोजगार आधारित योजनाओं नें विशिष्ट विकास विधि, अनुदान, सूक्ष्म वित्त, आसान शर्तो पर साख सुविधा, प्रशिक्षण एवं उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आदि के माध्यम से महिलाओं के लिये अपार रोजगार के अवसरों का सृजन किया है ताकि महिलाये स्वरोजगार स्थापित कर सशक्त बनकर स्वयं से संबंधित निर्णय लेने में स्वतंत्र होकर सफलता प्राप्त कर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें।

प्रस्तुत शोध कार्य में उपरोक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुयें निम्नांकित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया हैं:

(1) छ.ग. राज्य के आर्थिक, सामाजिक परिवेश में स्वरोजगार में संलग्न महिला उद्यमियो की आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।

(2) उन कारणों का अध्ययन करना जो महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रवेश हेतु प्रेरित करते है।

(3) महिला स्वरोजगार हेतु शासन की नीतियों का अध्ययन।

(4) राज्य शासन द्वारा महिला स्वरोजगार हेतु उपलब्ध सहायता एवं सुविधाओं का अध्ययन।

(5) महिलाओं द्वारा संचालित विभिन्न उद्यमों में लाभ, कर्मचारियों के संतुष्टीकरण के स्तर, विपणन एवं अन्य तथ्यों का अध्ययन करना।

(6) छ.ग. राज्य शासन द्वारा महिला स्वरोजगार हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति एवं उनका मूल्यांकन।

(7) महिलाओं द्वारा स्वरोजगार संचालन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन करना।

(8) महिला स्वरोजगार की समस्याओं एवं विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन।

(9) विगत वर्षों में शासन द्वारा संचालित महिला स्वरोजगार महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन।

(10) योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाये कि

अधिकाधिक महिलायें लाभान्वित हो सके, इस हेतु शासन के प्रयासों का अध्ययन।

छ.ग. के पांरपरिक महिला स्वरोजगार के उद्यमों उनमें अवसर, चुनौतियाँ, समस्यायें, समकालीन परिवर्तन तथा छ.ग. शासन द्वारा संचालित महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन को इस शोध अध्ययन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

शोध अध्ययन द्वारा महिला स्वरोजगार के वर्तमान परिदृश्य का एवं शासन की योजनाओं से महिला स्वरोजगार के विकास के स्तर में परिवर्तन तथा महिलाओं के उद्यमीय कौशल में वृद्धि का वर्णन किया गया है। एवं यह शोध निश्चित तौर पर महिलाओं को स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने में सहायक सिद्ध होगा।

1.2 शोध साहित्य का पुनरावलोकन

प्रस्तुत शोध महिला स्वरोजगार हेतु छ.ग. शासन की योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन पर आधारित है। परंतु शोध पुनरावलोकन के अंर्तगत महिला उद्यमिता, स्व सहायता समूहों की क्रियाओं व स्वरोजगार से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला स्वरोजगार पर प्रकाशित किये अध्ययनों को शामिल किया गया है।

1. ''महिलायें एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम'' : 2013 गुप्ता मीनाक्षी

सारांश : ग्वालियर संभाग में शासन तथा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रम से महिला उद्यमियों की प्रस्थिति में सुधार हो रहा है। अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश महिला उद्यमी इस बात से सहमत दिखाई दी कि उद्योगो की सफलता नें उनके जीवन स्तर में वृद्धि की है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की संचालित योजनाओं महिला उद्यमिता को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हुई है।

अध्ययन क्षेत्र में ग्वालियर संभाग में महिला उद्यमियो ने लघु कुटीर व ग्रामीण उद्योगो का जाल बिछा दिया है, जिससे हजारो लोगो को रोजगार प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में महिला उद्यमियो के समक्ष अनेक चुनौतियां एवं कठिनाईयां उत्पन्न हुई जिनमें से कुछ स्वयं द्वारा निर्मित है एवं कुछ स्थायीन प्रशासन एवं सरकार से संबंधित है। अपनी इन समस्याओं को दूर करने में महिला उद्यमियों में जागरूकता देखी गई तथा साथ–साथ उनके समाधान के कारकों को भी स्पष्ट किया गया है। यदि इन पर अमल किया जाये तो निश्चित तौर पर महिला उद्यमियों के उद्योग आर्दश उद्योग बनकर सामने आयेंगे और वे अपना पृथक अस्तित्व बनाने में कामयाब हो सकेगी।

2. रायगढ़ जिले मे पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत महिला विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं उपलब्धियां : 2006, पटेल बसंत

सारांशः इस अध्ययन के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के विकास हेतु किये गये प्रावधानों का क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया व उनमें किस हद तक सफलता प्राप्त की गई, इसमें शासन द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के विषय में बताया गया।

3. भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मूल्यांकनः अवस्थी दिनेश एवं संबास्टीन जोस

सारांशः अध्ययन में यह पाया कि विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के दौरान गैर प्रशिक्षित उद्यमियों की तुलना में प्रशिक्षित उद्यमियों के शुद्ध लाभ, व उत्पादकता में अधिक वृद्धि रही तथा कार्यक्रमों द्वारा समाज व उद्यमी दोनों लाभान्वित हुये है।

4. ''उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा उद्यमिता के विकास'' : चावला एवं मंजीत सिंह

सारांशः पंजाब की 156 प्रशिक्षित उद्यमियों का अध्ययन किया गया, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी में कितने ने उधम की स्थापना की, एवं रोजगार के सृजन में कार्यक्रमों का क्या योगदान रहा इसका अध्ययन करना था। अध्ययन में पाया कि 55.57 प्रतिशत उद्यम स्थापित करने में सफल रहें।

5. **"Development of Women Entrepreneur through self help groups": A Study in thoothukudi district (Tamil Nadu) - 2014, Rathinam M.C.:**

सारांशः पूर्णतः प्राथमिक समंको पर आधारित इस अध्ययन में लेखक ने Thoothukadi जिले के 12 ब्लाक के 1012 महिला स्वसहायता समूह को लिया जिसमें पाया कि स्वसहायता समूह द्वारा महिला स्वरोजगार, आय उपार्जन, उद्यम कौशल व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, जिसे अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ऋण सुविधाओं की सही जानकारी, विपणन के अवसर, सलाहकार सेवा द्वारा और अधिक सफल बनाया जा सकता है। SHG में बढ़ते सदस्यों की संख्या महिला स्वरोजगार के प्रति उनके योगदान को प्रदर्शित करते है। अध्ययन का उद्देश्य यह देखना था कि महिलाओं की आय उपार्जन की क्रिया व उनकी आर्थिक निर्भरता, उनमें उद्यम योग्यता का बढ़ाने में SHG में अपना योगदान दिया है।

6. **"Women and Employment:- Abreu Nirmala de**

सारांशः गोवा के चुने हुये औद्योगिक क्षेत्रों के अध्ययन पर आधारित शोध में लेखक ने पाया कि इन क्षेत्रो में कार्यरत महिलायें अधिकांशतः अल्पशिक्षित पिछड़े तथा कार्य अनुभव में कम है। जिसके कारण उनमें गतिशीलता तथा प्रगति दोनों का अभाव है। एवं शिक्षा की कमी के कारण उन्हें अल्प वेतन व कम सुविधायें दी जाती है।

इनके बावजूद भी यह देखा गया है कि वे अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है। गोवा सरकार ने महिला रोजगार में वृद्धि हेतु अनेक नीतियाँ एवं प्रावधान बनाये है।

7. **"Self Employment of Women":- (2012) Roy Mithu**

सारांशः असम के बारपेटा जिले के अध्ययन पर आधारित शोध में सरकार द्वारा महिला स्वरोजगार हेतु बनायी गई नीतियां तथा महिला स्वरोजगार में आने वाली बाधाओं का अध्ययन किया गया।

लेखक ने पाया की जिले में 66 प्रतिशत महिलाएं स्वरोजगार में

संलग्न है, जिनमें 48 प्रतिशत कृषि तथा उत्पादन आदि में 44 प्रतिशत से अधिक है। महिलायें अधिकांशतः लघु, सुक्ष्म एवं मध्यम आकार के उद्योगों से जुड़ी है। 37 प्रतिशत महिलाएं SHG, 30.5 प्रतिशत साझेदारी फर्म, 19 प्रतिशत सहकारी समिति तथा 13.5 प्रतिशत एकल व्यवसाय का संचालन कर आय उपार्जन कर रही है। यहाँ भी स्वसहायता समूह की अवधारणा ने महिला स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है तथा सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम में भी सफलता प्राप्त हुई।

8. **Women's move from Employment to self employment: Understanding the Transition Author: Coher Laorie University: Sheffield Hallum Universiity Date: (1997)**

लेखक नें निम्न पांच प्रश्नों को शोध का बिंदू बनाया हैः

(1) महिलायें रोजगार से स्व रोजगार की ओर क्यों जाना चाहती है, और अपने कैरियर में उक्त परिवर्तन की ओर कितनी महिलायें जाना चाहती हैं।

(2) महिलाओं को रोजगार छोड़कर स्वरोजगार अपनाने के निर्णय को सैधांतिक रूप से कैसे समझेगें।

(3) स्वरोजगार का निर्णय महिलायें किन आशाओं को लेकर करती है।

(4) कौन से तत्व महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करती है।

(5) महिलायें सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाकर अन्य लोगो के लिये प्रेरणास्रोत बनकर कैसे महसूस करती है।

विश्लेषण के दौरान लेखक ने पाया कि महिलाओं के उक्त 5 प्रश्नों के निम्न उत्तर होगेंः

(1) महिलाओं के उक्त निर्णय लेने के प्रति वे अनेक उतार चढ़ाव के बीच संतुलन बनाते हुये अपने कैरियर में परिवर्तन करती है इस तथ्य का विश्लेषण अध्ययन के दौरान महिलाओं की संपूर्ण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये किया गया।

(2) महिलाओं के रोजगार छोड़ने का निर्णय संगठन एवं घरेलू परिस्थितियों के अनुसार लेती है। महिलायें घर की जवाबदेही अपनी भूमिका एवं अन्य परिस्थितियों से ग्रसित होकर ही रोजगार से स्वरोजगार की ओर जाती है।

(3) महिलाये स्वरोजगार का चयन परिवार को अधिक समय, अधिक आत्मनिर्भरता अन्य के नियंत्रण से परे एवं अन्य लोगो को भी रोजगार प्रदान करने की आशा के साथ करती है।

(4) महिलाओं के स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने उनके स्वयं स्वरोजगार के प्रति पूर्णज्ञान, परिवार के सदस्यों का सहयोग, पहचान की भावना उनके व्यवसायिक छमजूवता आदि तत्व सहयोगी है।

(5) महिलायें स्वरोजगार स्थापित कर स्वयं के उद्यम एवं परिवार के मध्य दोहरी भूमिका निर्वाह करती है, जो निश्चित तौर पर उन्हें अपनी पहचान बनाने का मार्ग प्रदान करती है।

9. **"Entrepreneurship and Women": E. Bendixen Aarhus School of Business April 2006:**

शोध अध्ययन के दौरान लेखक ने 4 मापदंडों को आधारित करते हुये शोध कार्य किया:

1. **व्यक्तिगत विश्लेषण:** महिलायें अपनें व्यावसायिक कार्य को घरेलू कार्य की अपेक्षा कम महत्व देती है तथा कार्य के प्रति हमारे प्रयास ही हमें लाभ प्रदान करते हैं एवं विवाहित महिलाओं में अभिप्रेरण का अभाव उनके कार्य के प्रति समर्पण में कमी करता है। Less commitment = lower earning धारणा को लेखक ने सत्य पाया।
2. **संगठनात्मक विश्लेषण:** उद्यम का आकार लिंग आधारित प्रभाव से ग्रसित होने के कारण महिलाओं द्वार संचालित उद्यमों में विक्रय मात्रा अल्प पाई गई तथा महिलाओं के पास शिक्षा एवं उद्यमीय अनुभव के दृष्टिकोण से मानवीय पूंजी की कमी उनके सफल उद्यम संचालन में बाधक है।

3. **Network पर प्रमुखताः** अन्य सभी की तरह महिलायें उद्यम की सफलता हेतु Network पर निर्भर रहती है एवं बाह्य समर्थन से वे पुरूष के बराबर सफलता प्राप्त करती है।

4. **पर्यावरणात्मक तत्व :–** इस में लेखक ने ऐसे पर्यावरणात्मक तत्वों पर प्रकाश डाला जो महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों की सफलता हेतु जवाबदेह हैं जैसे महिलाओं की परिवार के प्रति जवाबदेही, कार्य व परिवार के मध्य संतुलन, पूंजी विनियोजन, आदि। लेखक के अनुसार महिला स्वरोजगार सफलता में उक्त तत्वों का अत्यंत महत्व है।

10. **"A Study of Women Entrepreneur's Engaged in Food processing":- Veena S. Samani, Saorashrtra Universiity Rajkot (2008)**

अध्ययन में लेखक ने राजकोट शहर के 300 महिलाओं को न्यादर्श के रूप में लिया एवं उनके खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्वरोजगार को 5 श्रेणी में विभाजित किया तथा यह निष्कर्ष निकाला की जो महिलायें उद्यम संचालन कर रही है उनमें 65 प्रतिशत एकाकी परिवार से है तथा उनके पति के सहयोग से ही यह संभव हो सका, खाद्य प्रसंस्करण को स्वरोजगार का जरिया बनानें में उन्हें बहुत ही अल्प पूंजी विनियोजन, अल्प ऋण, तथा बिना प्रशिक्षण लिये भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई लेखक का अध्ययन महिलाओं को उद्यम संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी तथा शासन एवं अन्य संस्थान महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने की दिशा में भी कार्य करेगी।

11. **"Studie's on Importance of Women Entrepreneurship" Singh (1992):**

सिंग ने उक्त अध्ययन में उद्यमिता को PADOL पर आधारित किया है अर्थात् Performance, Ability & Motivation स्वरोजगार सफलता का आधार है। सिंग ने अध्ययन में Internation Labour Organisation (ILO) के सर्वे में पाया कि विकासशील देशों में महिलायें घरेलू आर्थिक क्रियाओं

से 25.39 प्रतिशत देश की ळक्च में सहयोग प्रदान करती हैं। एवं परिवार की आय में 42 प्रतिशत सहयोग देती है।

नवीन उद्यम स्थापना में महिलाओं को तकनीकी ज्ञान, वित्तीय सहायता के प्रति जागरूक ना होना, मार्गदर्शन का अभाव मुख्य समस्या रही है।

12. ''महिला उद्यमियों के सामाजिक–व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन'':Rao-(2002)

अध्ययन में लेखक ने चेन्नई शहर में महिला उद्यमियों की सामाजिक व्यक्तिगत समस्याओं पर प्रकाश डाला जिसमें 70 प्रतिशत महिलायें पारिवारिक व समाज के सहयोग का अभाव 60 प्रतिशत महिलायें प्रबंधकीय अनुभव का अभाव उत्पादन समस्या, पूंजी–भवन आदि के अभाव की समस्या, 70 प्रतिशत ज्ञान का अभाव, 76 प्रतिशत उत्पाद विपणन, 74 प्रतिशत वित्तीय सहयोग, सरकारी अनुदान में असहयोगात्मक रवैया जैसी समस्या देखी। जिसमें स्वयं एवं शासकीय सहयोग दोनों में आपसी समन्वय द्वारा कम किया जा सकता है।

13. "Studie's on Motivation of Women Entrepreneurs"- Jaiswal (2004)

लेखक ने उक्त अध्ययन को वरोड़रा शहर के 113 महिला उद्यमियों के व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं Showball samping पर आधारित किया जिसमें पाया कि महिला स्वरोजगार हेतु आर्थिक स्वतंत्रता उनके उद्यम स्थापना हेतु प्रथम अभिप्रेरक तत्व है, अन्य तत्वों में कौशल का सही उपयोग, नवीन क्रियाशीलता, जीवन में सफलता, स्वतंत्रता, लार्भाजन जैसे उच्च प्रेरक तत्व को प्राथमिक आधार बनाते हुये उद्यम स्थापित करते है।

14. "An Analysis of Women Entrepreneurship Development programme's in the state of Kerala"- Vinisha Bose

अध्ययन को लेखक ने 50 ऐसी महिलाओं पर केंद्रित किया जिन्होंने

शासन द्वारा संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग लिया, EDP ऐसी महिलाओं को सफलतापूर्वक ढंग से उद्यम संचालन हेतु प्रशिक्षण आदि सुविधा देते हैं, शुरूवात शासन नें जब EDP प्रारंभ किया तो उतनी सफलता नहीं मिली परंतु बाद में कुछ प्रशिक्षकों ने जागरूकता दिखाते हुये कार्यक्रम संचालन जारी रखा ऐसे ऊर्जावान एवं सार्मथ्यवान महिला उद्यमियों की चयनित कर प्रशिक्षण दिया और अंततः EDP कार्यक्रम आज महिला उद्यमियों के लिये मील का पत्थर साबित हो रहा है। लेखक ने अध्ययन में EDP को और अधिक सफल बनाने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किये।

15. **"Women Entrepreneurs**

Perceptions, Attitude's and Opinions"- Dharmaja, Bhatia and Saini (1999)**:** नें अपने अध्ययन में 26 से 35 वर्ष की महिलाओं का सर्वे किया जिसमें पाया कि यह उम्र वर्ग महिलाओं के स्व–रोजगार हेतु उपयुक्त रहा, इनमें अधिकतम को कोई पूर्व व्यावसायिक अनुभव, पूंजी का अभाव ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र का होना, शासकीय योजनाओं एवं सूचनाओं तक पहुंच ना होना जैसे समस्याओं के बावजूद भी उद्यम स्थापित कर उनका सफलता पूर्वक संचालन कर रही है, क्योंकि इस उम्र समूह में ऊर्जा, क्रियात्मकता, सृजनशीलता एवं लगन तथा अपने आप को साबित करने की ललक अधिक होती है।

16 **"The Impact of SHGs on Women Empowerment"- Polani (2008)**

2008 नें तमिलनाडू के Tirunelveli जिले की 72 महिला समूहों को 12 जिलों से न्यादर्श के रूप में चयनित किया एवं यह पाया कि स्वसहायता समूह महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में बहुत सहायक सिद्ध हुये, सरकार कई प्रकार की योजनायें SHG की सहायता हेतु संचालित कर रही है, SHG एक ऐसी अवधारणा सिद्ध हुई है जो महिलाओं की स्वावलंबन क्षमता व उनकी उत्पादक गतिविधियों को सही दिशा प्रदान करने में सहायक हुई। SHG महिलाओं को संगठित कर आय

उर्पाजक गतिविधियों से जोड़ रही है।

17. **"Motive's and Characteristic's of Successful Women Entrepreneurs"- Paramjeet Dhillon (1993)**

40 महिला उद्यमियों का न्यादर्श लेते हुये अपने अध्ययन में लेखक ने पाया कि महिलाओं के स्वरोजगार में सफल होने के पीछे एक ही सफल मूलमंत्र होता है वह है ''कार्य के प्रति प्रतिबद्धता'' महिलाओं में उच्च व्यक्तिगत जोखिम, निर्णयन की क्षमता, भविष्य का नियोजन, समय प्रंबधन, जैसे गुण पुरूषों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। एवं यही कारण है कि आज वे एक सफल उद्यमी साबित हो रही है।

18. **"A Story on a Women entrepreneur's Managing Petty Business"- B. Sushma 2003, "A Study from the Motivational perspective"**

अध्ययन में आंध्र प्रदेश के 30 महिला उद्यमियों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया जो सब्जी विक्रेता, फल–फूल विक्रय, कृषि क्रिया झाड़ू–टोकरी निर्माण, अगरबत्ती निर्माण आदि क्रियाओं में कार्यरत् है, जो न्यूनतम तकनीकि ज्ञान, पूंजी एवं अल्प मानवीय संसाधनों की सहायता से उघम संचालित कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। इस प्रकार के उद्यम संचालन से महिलायें ना केवल स्वयं आय कमा रही है वरन् अन्य को भी रोजगार प्रदान कर स्वावलंबी बना रही है।

19. **"Women Entreprenevrship in Kerala" - A Comparative Study with Tamil nadu: - Santha. S (2007)**

महिला उद्यमियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति व उनकी समस्या, उनमें शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, वित्तीय संस्थानों की भूमिका का अध्ययन किया गया, लेखक ने प्राथमिक समंक में 487 महिला उद्यमियों को न्यादर्श लिया (327 केरल व 160 तमिलनाडू से), 379 नियमित कर्मचारी (307 केरल व 72 तमिलनाडू से), 25 शासकीय संस्थान (15 केरल व 10 तमिलनाडू से), 32 वित्तीय संस्थान (16 केरल व 16 तमिलनाडू से) वहीं द्वितीयक समंक में विभिन्न शासकीय संस्थानों के

प्रकाशित आंकड़े लिये। अध्ययन में पाया कि दोनों ही स्थानों पर महिला उद्यमियों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति, शासन के एजेंसियों के प्रयास, निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, विभिन्न वित्तीय संस्थानों की महिला उद्यमियों के विकास में योगदान आदि में विशेष अंतर नहीं है।

20. **"The Role of NGOS in Promoting Women Entrepreneurship in India" - Kumari Namita (2013)**

स्वरोजगार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का आधार है। वर्तमान में महिलायें अधिकांशतः लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम का संचालन कर रही हैं। उन्हें उद्यम संचालन में कई प्रकार की समस्यायें जैसे– जागरूकता का अभाव, सूचनाओं की कमी, वित्त प्राप्ति में कठिनाई उद्यमीय प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंच, उत्पाद, विपणन में असुविधा, आत्मविश्वास व कौशल की कमी, आदि होती हैं। भारत शासन इस हेतु अनेक योजनायें संचालित कर रही हैं, जो महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहायता प्रदान कर रही हैं, परंतु आज भी इन सुविधाओं तक महिला उद्यमियों की पहुंच नहीं है क्योंकि अफसरों की नौकरशाही प्रवृति, प्रशिक्षण संस्थानों की दूरी, दूरवर्त्ती एवं पिछड़े क्षेत्रों में यातायात सुविधा का अभाव जैसे तत्व शासन की सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच में बाधक बन रही है। इसी के लिये NGO शासन एवं महिला उद्यमियों के मध्य मध्यस्थता करता है, The AWAKE, The ICELD, The FIWE ये तीन ऐसे NGO है जो 15 से भी अधिक वर्षो से अपनी सेवायें प्रदान कर रहे है और कई ऐसे NGO को भी जोड़ रहे है जो अपने कार्य एवं विचारों द्वारा महिला उद्यमियों को विकास की दिशा में कार्यरत, है। लेखक का शोध कार्य इन्हीं NGO द्वारा प्रदत्त कार्य एवं सेवा आधारित है जो महिला, उद्यमियों की गतिविधियों को दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनका अध्ययन NGO की भी विभिन्न समस्याओं पर आधारित है एवं यह अध्ययन निश्चित तौर पर और नये NGO को महिला स्वरोजगार विकास की दिशा में कार्य करने प्रेरित करेगी।

21. **"Studies on Problem's of Women Entrepreneurs"**

पुरोहित (1996) ने अपने अध्ययन में 400 महिला का न्यादर्श लिया एवं उनकी अनेक उद्यमीय समस्याओं पर अपना अध्ययन केंद्रित किया जिसमें पायाः

(1) शहरी क्षेत्रों में कार्य बल में 15.2 प्रतिशत ही महिलायें है।

(2) 2.3 प्रतिशत महिलायें तकनीकी व पेशेवर उद्यम में, 0.1 प्रतिशत अकादमिक व प्रबंधकीय उद्यम में संलग्न है।

(3) 50 प्रतिशत सरकारी क्षेत्रों में व 39 प्रतिशत प्राइवेट में कार्यरत है।

(4) 19.7 प्रतिशत पेशेवर, 65.15 प्रतिशत सेवा, 9.09 प्रतिशत व्यावसायिक उद्यम व 6.06 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र कार्यरत है।

(5) 36.36 प्रतिशत स्वनिर्णय से स्वरोजगार चुनते है व 3.03 प्रतिशत सामाजिक आर्थिक कारणों से प्रभावित होकर तथा 37.88 प्रतिशत बेहतर भविष्य के सपनों को लेकर व 31.82 प्रतिशत चुनौतियों को लेकर।

(6) 56.06 प्रतिशत स्वयं से अभिप्रेरित है, 40.91 प्रतिशत अभिभावकों से व शेष जीवनसाथी के अभिप्रेरण से उद्यम संचालित कर रहे है। सभी परिस्थितियों में महिला उद्यमियों की समस्यायें समान देखी गई।

''छत्तीसगढ़ शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन'' उपरोक्त विषय पर किसी शोधार्थी को पी–एच.डी. उपाधी प्रदान नहीं की गई है, यह शोध का मौलिक एवं नवीनतम विषय है।

1.3 शोध विषय का चयन

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का चहुंमुखी विकास उससे संबंधित प्रत्येक क्षेत्र व वर्ग से है। चूंकि महिलायें अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यक कड़ी है, अतः उनके विकास के बिना देश के आर्थिक विकास की कल्पना अधूरी है। महिलायें विश्व की लगभग आधी जनसंख्या तथा

1/3 श्रम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुरूष वर्ग की श्रम में भागीदारी महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा रही है, केवल 14 प्रतिशत शहरी महिलायें आर्थिक क्रिया में संलग्न है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 प्रतिशत के लगभग है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिला स्वरोजगार में वृद्धि हेतु शासन द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये गये ताकि महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से एक ऐसा मंच प्रदान हो सके जिससे उनमें स्वविवेक से निर्णय लेने, अपनी महत्वकांक्षा के अनुरूप आय अर्जन कर सके एवं उद्यमिता विकास हो सके।

स्पष्ट है कि महिलाओं को स्वरोजगार हेतु मंच प्रदान करने से देश में महिला सशक्तिकरण व आर्थिक विकास दोनो संभव होगा।

अतः प्रस्तुत अध्ययन के चयन किये जानें का कारण इस तथ्य का विश्लेषण करना है कि महिला स्वरोजगार के नये अवसर निर्मित करने में शासकीय नीतियां किस हद तक सफल हो पाई है, शासन की योजनाओं की वास्तविकता का मूल्यांकन करना तथा इन योजनाओं को लागू करने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना है।

शोध विषय का चयन शोध शास्त्र के सैधांतिक एवं व्यावहारिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये विवेक एवं सर्तकता के साथ किया गया है। शोध का चयन, शोध की नवीनता, शोध शीर्षक की सार्थकता, समस्या का स्वभाव, वांछनीय शोध सामग्री एवं सूचनाओं की उपलब्धता, शोध पद्धतियों का उपयोग, शोध की उपादेयता एवं व्यक्तिगत सीमाओं जैसी अनेक तथ्यों को ध्यान में रखकर विषय का चयन किया गया है।

1.4 शोध परिकल्पना

शोध परिकल्पना एक कच्चा सिद्धांत होती है, जिसकी जाँच वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा की जाती है कि वह सही है अथवा गलत, परिकल्पना शोध कार्य को दिशा प्रदान करती है एवं शोध के क्षेत्र का निर्धारण भी

करती है। परिकल्पना के अभाव में अध्ययन में क्रमबधता एवं व्यवस्था संभव नहीं है।

शोध कार्य शोध प्रविधि की धुरी पर केंद्रित होती है, जब कोई शोध कार्य प्रारंभ होता है तो उसके पीछे शोधकर्त्ता की कुछ मानसिक जिज्ञासा होती है, जो उसके अनुभव, अध्ययन व वातावरण से संबंधित होती है, जो कि उसे उस क्षेत्र में शोध हेतु प्रेरित करती है। प्रस्तुत शोध विषय के संबंध में शोधार्थी की कुछ अपनी परिकल्पनायें है, जो निम्नलिखित हैः

(1) अंचल में उद्यमिता विकास के लिये महिलाओं का विकास व सशक्तिकरण आवश्यक है।

(2) आज महिला उच्च शिक्षित होने के कारण महत्वाकांक्षी है, और स्वयं को सशक्त बनाने स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रवेश कर रहीं है।

(3) पूर्व की अपेक्षा आज महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।

(4) शिक्षित महिलाओं के अतिरिक्त अब अशिक्षित महिलायें भी आत्मनिर्भरता हेतु स्वरोजगार से जुड़ी है।

(5) छ.ग. शासन द्वारा संचालित महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं से अनेक महिलायें स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रवेश कर लक्ष्य प्राप्ति हेतु अग्रसर हो रहीं है।

(6) छ.ग. शासन द्वारा महिला स्वरोजगार विकास कार्यक्रमों से महिला उद्यमियों को संपति सृजन करने में, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा वृद्धि में सहायता मिली।

(7) परिवार के आर्थिक सहयोग के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती ये महिलायें आज राज्य सरकार के स्वरोजगार विकास कार्यक्रम की सफलता एवं प्रगति में योगदान दे रही है।

(8) शासन की योजनाओं को और सशक्त एवं प्रभावी बनाकर आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का एक कारगर साधन बनाया जा सकता है।

(9) शासन की स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं ने महिलाओं में उद्यमीय गतिविधियों का विकास किया है।

1.5 शोध प्रविधि

शोध कार्य के अंतर्गत छ.ग. शासन द्वारा महिला स्वरोजगार हेतु उपलब्ध योजनाओं से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको द्वारा संकलित, एकत्रित एवं लिपिबद्ध कर इनका सारणीयन, वर्गीकरण विश्लेषण व इनकी प्रगति का मूल्यांकन किया गया है।

महिला स्वरोजगार में संलग्न महिला उद्यमियों की जानकारी समाचार पत्र–पत्रिकाओं, सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त की गई है जो इस तथ्य को दर्शाते है कि पूर्व तक महिलायें ग्रामीण क्षेत्रो में मजदूरी, उत्पादन, कृषि कार्य में संलग्न रही तथा शहरी क्षेत्रों में सिलाई, ब्यूटी पार्लर, अचार–पापड़ आदि परंपरागत कार्य करती थी, परंतु बदलते वर्तमान परिदृश्य में छ.ग. शासन की इन स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाते हुये महिलायें लघु–कुटीर एवं मध्यम आकार के उद्योगों, नवीन तकनीकी पर आधारित निगमीय ;ब्वतचवतंजमद्ध क्षेत्रों में भी प्रवेशित होकर शासन की योजनाओं की प्रगति को दर्शा रही हैं।

शोध प्रविधि पर ही संपूर्ण शोध प्रबंध का कार्य आधारित होता है। यह निश्चित करना कि शोध हेतु किन पद्धतियों का प्रयोग किया जायेगा यह शोध की प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य व शोधार्थी की योग्यता पर आधारित होता है। सामान्यतया शोध कार्य हेतु ऐसी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है कि कम से कम प्रयासों व समय में पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाओं का संकलन हो सही शोध प्रविधि ही शोध हेतु संकलित सूचनाओं की शुद्धता, निष्पक्षता व विश्वसनीयता का आधार होती है।

अध्ययन की सुविधा हेतु निम्न शोध प्रविधि का उपयोग किया गया हैः

(1) महिला उद्यमियो की व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक पृष्ठभूमि की जानकारी व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा प्राप्त की गई है।

(2) अन्य विषय जैसे शासन द्वारा प्राप्त सुविधायें, ऋण प्रक्रिया, लाभ,

कर्मचारी संतुष्टीकरण स्तर, विपणन, प्रशिक्षण आदि हेतु प्रश्नावली, अनुसूची, निरीक्षण प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है।

(3) शासन द्वारा संचालित महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं से संबंधित संस्थानो जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, सांख्यिकी संचालनालय रायपुर, उद्यमिता विकास विभाग, जनसंर्पक विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग आदि के उपलब्ध अभिलेखों, वार्षिक प्रतिवेदनों, प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं तथा छ.ग. शासन की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से एकत्रित किये गये है।

(4) समंको के संग्रहण हेतु बनाई गयी प्रश्नावली के निर्माण में शिक्षाविद् एवं विशेषज्ञों से विचार–विमर्श व परामर्श किया गया है।

(5) 500 महिला हितग्राहियों के न्यादर्श को विश्लेषित कर परिणाम का निर्वचन किया गया है।

उक्त सभी स्रोतों से प्राप्त समंको के संकलन के पश्चात् समंको की प्रवृति के अनुसार विश्लेषण की सुस्पष्टता एवं सुविधाजनक प्रर्दशन हेतु विभिन्न सांख्यकीय प्रविधियों, ग्राफ सारणीयन, बिंदू रेखीय प्रर्दशन किया गया है। तथा लेखांकन तकनीक के अंर्तगत प्रतिशत व अनुपात विधियों का भी उपयोग किया गया है।

1.6 शोध अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमायें

शोध कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शोधकर्ता को शोध क्षेत्र का सुनियोजित तरीके से निर्धारण अनिवार्य होता है क्योंकि क्षेत्र निर्धारण से समंक संकलन में सुविधा होती है तथा शोध कार्य निश्चित समय में पूर्ण करने में सहायक भी है।

छ.ग. राज्य का क्षेत्र व्यावसायिक दृष्टि से इतना विशाल है कि व्यक्ति की क्षमता में संपूर्ण अध्ययन संभव नहीं है, फिर भी प्रत्येक बिंदू पर रक्षा करते हुये शोधकार्य की वैज्ञानिकता व उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

इस शोध कार्य की निम्नांकित सीमायें हैः

(1) प्रस्तुत शोध का कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य तक सीमित है।

(2) प्रस्तुत शोध योजनाओं के प्रारंभ तिथि से 2015 तक के समंको पर आधारित है।

(3) शासकीय विभागो से प्राप्त आंकड़ो को विश्लेषण का आधार माना गया है।

(4) आवश्यकतानुसार महिला उद्यमियों के साक्षात्कार व प्रश्नावली से एकत्रित सूचनाओं को आधार मानकर परिणाम का विश्लेषण किया गया है।

छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं नें छ.ग. राज्य की महिलाओं की औद्योगिक क्षेत्र में भागीदारी किस प्रकार बढ़ाई है तथा जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के सामाजिक उन्नयन में किस प्रकार वृद्धि हुई, इन पहलुओं पर शोध विश्लेषण में सम्यक ढंग से विचार किया गया है।

1.7 शोध अध्ययन की संक्षिप्त रूपरेखा

अध्याय प्रथम : प्रथम अध्याय में शोध विषय का महत्व, वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य, शोध विषय का चयन क्यों किया गया, शोध की क्या परिकल्पनायें एवं प्रविधि है। शोध अध्ययन का क्या क्षेत्र एवं सीमायें है, तथा शोध साहित्य का पुनरावलोकन शामिल किया गया है।

अध्याय द्वितीय : द्वितीय अध्याय में स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं का परिचय एवं क्रमिक विकास में भारत में महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं का अध्ययन, छत्तीसगढ़ राज्य में सामान्य एवं महिलाओं से संबंधित स्वरोजगार योजनाओं का अध्ययन, छ.ग. राज्य में महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान महिला स्वरोजगार में हुई प्रगति, योजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था तथा उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं अंत में इन योजनाओं के अपेक्षित लाभ एवं संभावनाओं का अध्ययन शामिल किया है।

अध्याय तृतीय : तृतीय अध्ययन में छत्तीसगढ़ में महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं का स्वरूप एवं क्रियान्वयन के अंर्तगत छ.ग. में स्वरोजगार की आवश्यकता क्यों है तथा स्वरोजगार का महत्व, महिला स्वरोजगार योजनाओं के विभिन्न स्वरूप एवं उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं छ.ग. के विभिन्न जिलों में महिला स्वरोजगार योजनाओं की स्थिति का अध्ययन है।

अध्याय चतुर्थ : चतुर्थ अध्याय में छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार स्थापना हेतु मार्ग दर्शिका में सफल महिला व्यवसायी के आवश्यकगुण, महिला स्वरोजगार हेतु उपलब्ध विकल्पों की सूची उनके स्वरोजगार स्थापना एवं विस्तार संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित होने की प्रक्रिया (प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं व सहायता के माध्यम से) तथा स्वरोजगार में संलग्न महिलाओं हेतु विकास परामर्श शामिल है।

अध्याय पंचम : पंचम अध्याय में छ.ग. में महिला स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों का आर्थिक मूल्यांकन के अंर्तगत महिला उद्यमों के उत्पादन का कार्य क्षेत्र, कच्चा माल संबंधी विवरण, सेविवर्गीय प्रबंध, विक्रय एवं विपणन व्यवस्था वित्त एवं ऋण का विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं अंत में सफल महिला उद्यमियों के साक्षात्कार को शामिल किया गया है।

अध्याय षष्ठम : षष्ठम् अध्याय में महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन में स्वरोजगार योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन स्वयं एवं राज्य के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, योजनाओं की सामाजिक प्रगति एवं प्रमुख उपलब्धियों का मूल्यांकन शामिल है।

अध्याय सप्तम् : सप्तम् एवं अंतिम अध्याय में महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की समस्यायें, एवं बाधायें, उन्हें दूर करने हेतु सुझाव, भविष्य की संभावनाये तथा शोध कार्य से मिलने वाले अपेक्षित निर्गम निष्कर्ष का अध्ययन शामिल है।

अध्याय 02 स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं का परिचय एवं क्रमिक विकास

2.1 भूमिका

मानवीय संसाधन देश की अमूल्य संपति है किंतु यदि उनकी क्षमताओं का उपयोग उत्पादक कार्य क्षेत्र में किया जाना अनिवार्य है यदि उनके उर्जस्विता एवं उद्यमवृति का सृजनात्मक उपयोग ना हो तो यह स्थिति न केवल संपूर्ण राष्ट्र के लिये वरन् युवा पीढ़ी के लिये भी घातक है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों का जितना महत्व है उतना ही मानवीय संसाधनों का है, प्राकृतिक संसाधन वह निर्जिव आधार है जिस पर मानवीय संसाधनों द्वारा उनकी कार्यकुशलता एवं योग्यता का उपयोग कर उत्पादक कार्य किये जा सकते हैं। इसलिये दोनों संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण है। वर्तमान प्रगतिशील युग में कुछ विद्वान मानवीय संसाधनों को अधिक महत्वपूर्ण मानते है, परंतु रोजगार सृजन के विकल्प कम होने से मानवीय संसाधन का उपयोग सही दिशा में नहीं हो पा रहा है जो शासन एवं आर्थिक योजनाकारों के लिये चिंतनीय विषय है।

किसी भी राष्ट्र के तीव्र आर्थिक विकास का एकमात्र माध्यम उद्यमिता है क्योंकि साहसिकता का विकास, सामाजिक नवप्रर्वतन, निर्णयन क्षमता, जोखिम वहन करनें, आदि की योग्यता उद्यमिता से ही प्राप्त होती है, उद्यमिता द्वारा ही संसाधनों को उत्पादकता का स्वरूप प्राप्त होता है।

जहां तक महिला उद्यमियों का प्रश्न है पूर्व में महिलायें सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रसित मजदूरी में स्वरोजगार स्वीकार करती थी, परंतु अब देश में यह पक्ष भी विकसित हो रहा है तथा अब महिलायें स्वरूचि एवं आर्थिक स्वतंत्रता की विचारधारा को अपनाते हुये इस क्षेत्र में प्रवेशित हो रही हैं। अपने अनुभव व्यवस्थापन गुण, व्यवहार कुशलता एवं

सृजनशीलता जैसे गुणों से उद्यमिता का नया आयाम लिख रही है।

शासन ने महिलाओं की इसी योग्यता को मद्दे नजर रखते हुये एवं राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान स्वीकारते हुये स्वरोजगार आधारित योजनायें क्रियान्वित की जिनके काफी सार्थक परिणाम नजर आये, तथा इन योजनाओं ने नये महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं नई दिशा भी प्रदान की। देश भर में व्यावहारिक आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम लघु उद्योगों को लक्षित करते हुये का संचालन महिलाओं को इनमें अवसर प्रदान करनें शासन ने महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं का लक्ष्य रखा।

2.2 भारत में महिला स्वरोजगार योजनायें

देश के विकास एवं महिला स्वरोजगार का गहरा संबंध है। जिसकी महत्ता को सर्वोपरि समझते हुये केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा महिला स्वरोजगार के विकास हेतु पिछले कुछ दशकों से अथक प्रयत्न किये जा रहे है। इससे निश्चित ही महिला स्वरोजगार में भागीदार बढ़ी एवं वे आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सर्वप्रथम सन् 1954 में सरकार नें महिला स्वरोजगार कार्यक्रमों की शुरूआत की, लेकिन महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सन् 1974 से प्रारंभ हुई। महिलाओं की व्यवहारिकता एवं उद्यमशीलता को प्रदर्शित करने के लिये महिला स्वरोजगार कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।

महिला स्वरोजगार योजनाओं के प्रसार से महिलाओं की समाज के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ी। भारत में पिछले तीन दशको से महिलाओं की कार्य सहभागिता का प्रतिशत निरंतर बढ़ रहा है। जैसा कि सन् 1995 में मानव विकास रिर्पोट में बताया गया है कि भारतीय श्रम में महिलाओं का योगदान 1/3 है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत महिलाये सुसंगठित क्षेत्र में कार्यरत है।

भारत सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार में भागीदारी बढ़ाने के लिये समय समय पर नीतियों का निर्माण किया है। भारत में विकास,

रोजगार संर्वधन, व विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को हल करनें कई प्रकार के स्वरोजगार कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है, जिनमें से कुछ विशेष कार्यक्रम निम्न है :–

डावाकार योजना (Development of Women & Children in Rural Area) ग्रामीण क्षेत्रो में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम :

ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में सफल बनाने के उद्देश्य से 01.09.1982 में केन्द्र सरकार द्वारा योजना को प्रारंभ किया गया। प्रायोगिक तौर पर 50 जिलों में योजना प्रारंभ की गई थी परंतु बाद में देश के सभी जिलो में इसे लागू कर दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन व उन्हें स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान कराते हुये उनके उद्यमीय कौशल में वृद्धि करना था।

कार्यक्रम के अंर्तगत् 10 से 15 ग्रामीण महिलाओं का एक समूह बना दिया जाता है जो आमदनी जुटाने वाले कार्य करती है।

सन् 1994–95 तक प्रत्येक समूह को 1500रू. की एकमुश्त राशि दी जाती थी जिसे बाद में बढ़ाकर 25000 रू. कर दिया गया। जिसे केंद्र, राज्य सरकार व यूनीसेफ 40:.40:20 प्रतिशत की दर से वहन करती है। छठवीं पंचवर्षीय योजना में ड्वाकारा की प्रगति मंथर गति की थी, परंतु अगले वर्षों में इसमें उल्लेखनीय प्रगति आयी, 1989–90 में 3551 समूह बनें जिसमें कुल 90714 महिला सदस्य थें। सातवीं योजना में 28000 से भी अधिक समूह निर्मित हुये जिनमें कुल 4.69 लाख महिला सदस्य संख्या थी। आठवीं योजना में 59355 समूह में 959821 सदस्य रहें।

बाद में 1999–2000 में इस योजना को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया।

न्यू मॉडल चरखी योजनाः ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं में आर्थिक जागरूकता हेतु सहायता, प्रशिक्षण एवं सब्सिडी की व्यवस्था के लिये 1987 में न्यू मॉडल चरखी योजना का निर्माण केंद्र शासन द्वारा किया

गया।

प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आर्थिक क्रियाकलापों की ओर मोड़ना योजना का मुख्य उद्देश्य था।

नौराड़ प्रशिक्षण योजनाः नौर्वियन डेवलपमेंट ऐजेंसी 1989 में भारत शासन द्वारा योजना का निर्माण महिलाओं को स्वरोजगार में सफलता प्रदान करने हेतु किया गया। प्रशिक्षण योजना के अंर्तगत महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु दरी, कालीन, चिकन, ब्लॉक प्रिटिंग जैसे प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाता है। इसी दौरान दो नई योजनायें सर्पोट दू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एवं निर्धन व ग्रामीण महिलाओं हेतु जागरूकता निर्माण कार्यक्रम (ए.जी.पी.) शुरू की गई।

महिला सामाख्या योजनाः ''महिला सामाख्या'' भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बताया जा रहा एक कार्यक्रम है, जिसकी अवधारणा 1986 की नई शिक्षा प्रणाली से उभरी है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान कर सशक्त बनाना है।

यह केन्द्रशासित कार्यक्रम वर्तमान में देश के 10 राज्यों जैसे आंध्र–प्रदेश, असम, बिहार छ.ग., झारखंड, कर्नाटक, केरल, उ.प्र., गुजरात और उतराखंड के 112 जिलों (542 ब्लाक) में चलाया जा रहा है।

इसके अलावा 94 महिला शिक्षण केंद्र भी कार्यरत है, जो महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे है। यह केंद्र महिलाओं के सर्वांगिण विकास को ध्यान में रखते हुये सृजनात्मक गतिविधियों के साथ–साथ उन्हें पंचायत, पर्यावरण, स्वास्थ्य, जैविक खेती, महिला कानून तथा प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी भी दी जाती है। तकनीकी प्रशिक्षण के अंर्तगत बिजली उपकरणो की मरम्मत, गैस स्टोव व प्रेशर कुकर मरम्मत, सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, मोमबती व अगरबत्ती निर्माण आदि से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे भविष्य में व्यावसायिक रूप में परिवर्तित कर सकती है।

उत्तराखंड राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया है। 2007–08 के आकड़ों से स्पष्ट हुआ कि जहां वर्ष 2003–04 में 12 विकासखंडों में कार्यक्रम संचालित होता था। वहीं 2007–08 तक यह 21 विकासखंडों तक विस्तारित हुआ है। 2003–04 में 710 की तुलना में 2007–08 तक कुल 2229 महिला संघ कार्य करने लगे थे।

महिला समस्या योजनाः समानता, सजगता व ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था एवं उद्यमिता संबंधी समस्याओं को हल करने हेतु 1989 में महिला समस्या योजना बनाई गई।

महिला समृद्धि योजनाः स्वरोजगार हेतु ऋण की आवश्यकता को पूरा करते हुये महिलाओं में बचत की आदतो को बढ़ावा देने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम कर उस बचत से पूंजी निर्माण कर उद्यम में विनियोजित करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि योजना केंद्र शासन द्वारा 1993 प्रारंभ में की गई।

राष्ट्रीय महिला कोषः राष्ट्रीय महिला कोष एवं उनसे संबंधित अन्य योजनायें जैसे–ऋण योजना, ऋण प्रोत्साहन योजना, स्वसहायता समूह, विपणन वित्त योजना का निर्माण केंद्र शासन द्वारा 1993 किया गया, जो महिलाओं को आर्थिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर कर सके। उद्यम संबंधी कार्यो हेतु ऋण सुविधायें उपलब्ध कराकर उनकी उद्यमीय गतिविधि को प्रोत्सहित करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रहा।

इस कोष द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें जैसे–ऋण संवर्धन योजना, चक्रीपन निधि योजना, गोल्ड क्रेडिट पास बुक योजना, फ्रेन्चाइजी योजना, मुख्य ऋण योजना, पुर्नवित्त पोषण योजना संचालित की जा रही है।

कोष सुविधा सहकारी समितियों महिला विकास निगमों, स्वशासी संगठनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, इनमें गैर सरकारी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार राष्ट्रीय महिला कोष सफल ऋण प्रदायी मॉडल के रूप में महिलाओं के उद्यम स्थापना के लिये सफल

योजना सिद्ध हुई।

इंदिरा महिला योजनाः 2 अगस्त 1995 को देश के 200 विकासखंडों में योजना का शुभारंभ केन्द्र शासन द्वारा किया। इस योजना के अंर्तगत महिलाओं की उद्यम क्षमता में वृद्धि, महिला जागरूकता तथा उनकी आय के साधनो के विकास को प्राथमिकता दी गई। योजना का उद्देश्य कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में मजबूती लाना एवं उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना था।

ग्रामीण महिला विकास परियोजनाः स्वरोजगार में पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह परियोजना 1996 में प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य स्वरोजगार के माध्यम से उनमें जागरूकता लाना था।

डबाकुआ योजनाः 1997 में शासन द्वारा शहरी क्षेत्रों की निर्धन महिलाओं को उद्यमीय क्षमता के विकास के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गयी।

महिला स्वशक्ति योजनाः अक्टूबर 1998 में महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिये स्व सहायता समूहों को माध्यम बनाकर योजना प्रारंभ की गई। केन्द्रीय प्रायोजित स्वशक्ति परियोजना को बिहार, गुजरात, म.प्र., हरियाणा, कर्नाटक के 35 जिलों में क्रियान्वित किया गया।

यह योजना पूर्व में ग्रामीण महिला विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना के नाम से संचालित थी। विश्व बैंक एवं अंर्तराष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहायता प्राप्त इस परियोजना को 186 करोड़ की लागत से 5 वर्ष की अवधि हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान किया गया।

परियोजना अंर्तगत आय उत्पादक गतिविधियों हेतु दक्षता प्रदान कर महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने 16000 स्व सहायता समूह

निर्माण का लक्ष्य रखा गया परंतु उसकी तुलना में 17647 स्व सहायता समूह गठित हुये।

इस परियोजना में 5 करोड़ रू. की एक अतिरिक्त राशि लाभग्राही समूहों को स्व सहायता समूह के निर्माण के दौरान ब्याज मुक्त देने हेतु आवर्ती निधियों की स्थापना भी की गई। समूह गठन द्वारा महिला स्वरोजगार हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित किया गया।

महिलाओं के लिये रोजगार सह आयोत्पादक एकक कार्यक्रम

कार्यक्रम अंर्तगत ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हेतु उन्हें पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे इलेक्ट्रानिक्स, घड़ियाँ, रेडिमेड गारमेंट्स, कशीदाकारी, कम्प्यूटर आदि प्रदान किया गया। उसके अतिरिक्त स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

योजना सार्वजनिक उपक्रमों, महिला विकास केंद्रों, विश्वविद्यालय व निगम के माध्यम से क्रियान्वित की गई। शासन की यह योजना महिलाओं को प्रशिक्षित करने के साथ–साथ स्वरोजगार स्थापना में सहायक सिद्ध हुई।

महिला स्वाधार योजना

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वाधार योजना 15 जुलाई 2001 को प्रारंभ की गई, योजना अंर्तगत निराश्रित, तलाकशुदा, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देते हुये पूरे देश में कई चरणों में त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम में प्रारंभ की गई।

केन्द्र व राज्य सरकारों के आपसी समन्वय से योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया ताकि महिलाओं की स्वरोजगार दिशा में पहुंच बढ़ सके।

महिला उद्यमियों के लिये बैंक ऋणों में आरक्षण योजना

15 अगस्त 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस योजना के

अंर्तगत महिला उद्यमियों को योजनाअंर्तगत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अगले 5 वर्षो तक अपनी कुल ऋण राशि का 5 प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों को 17 हजार करोड़ रू. का ऋण उपलब्ध कराया गया। योजना संचालन से महिलाओं को स्वरोजगार हेतु विशेष प्रोत्साहन मिला तथा महिला सशक्तिकरण वर्ष के अंर्तगत ही योजना प्रारंभ की गई।

महिला स्वयं सिद्ध योजना

महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में केन्द्रीय परामर्श समिति की बैठक में 12 जुलाई को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा स्वयं सिद्ध योजना की घोषणा की गई।

महिला स्वयं सिद्ध योजना पूर्व में संचालित इंदिरा महिला योजना एवं महिला समृद्धि योजना के स्थान पर संचालित करनें के लिये प्रारंभ की गई। यह दोनो योजनायें कुछ निहित कमियों के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई, इस नई योजना को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के गठन के माध्यम से संचालित किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है।

पूरे देश में प्रारंभ की गई यह योजना प्रथम चरण के 652 विकासखंडो में 117 करोड़ रू. के व्यय के साथ संचालित की गई जिसमें 52000 स्व सहायता समूह (930000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया)

अल्प ऋणों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने, सेवाओं को दायरे में लाने व स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिला स्वरोजगार विकास हेतु एक समन्वित परियोजना महिला स्वयं सिद्ध योजना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

बिहान (NRLM)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुर्नगठन कर (जो 1999 से संचालित थी) 24 जून 2010 से NRLM को पूरे प्रदेश भर में लागू

किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिये स्वरोजगार के अवसरों को उपलब्ध करना है। योजनांर्तगत वित्त पूर्ति अनुपात केन्द्र व राज्य शासन के मध्य 75:25 है।

NRLM का मुख्य उद्देश्य महिला स्वरोजगार में सहायता पहुंचाने हेतु महिला स्व सहायता समूहों को बैंको से जोड़ना है। इसके अंर्तगत महिला स्व सहायता समूहों को आगामी 6–7 वर्षों तक Repet Loan के माध्यम से उन्हे ऋण सुविधा मुहैया करना है।

योजनांर्तगत कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान ना होने के कारण राज्य शासन नें निर्णय लिया कि महिला स्वसहायता समूहों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। महिला स्वरोजगार हेतु NRML की इस पहल ने महिलाओं को वित्त सुविधा के द्वारा स्वरोजगार स्थापना में सहायक सिद्ध हुई।

योजनांर्तगत 2012–13 में केन्द्र शासन द्वारा राज्य के लिये क्रेडिट मोबिलाइजेशन का वित्तीय ऋण 140 करोड़ रू. निर्धारित किया गया जिसके विरूद्ध 148.93 करोड़ की वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गई जो निर्धारित लक्ष्य का 106 प्रतिशत रहा। समूह के स्वरोजगारियों की स्थिति 2012–13 में निम्न रहीः

अनु.जाति	अनु.जनजाति	अन्य	कुल	महिलायें
7333	21411	19947	48691	31003
15%	44%	41%	100%	64%

(स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण 2013–14)

छ.ग. राज्य में भी ग्रामीण आजीविका मिशन योजना 16 विकासखंड़ो में चल रही है, परंतु वित्तीय वर्ष 2014–15 से इसका विस्तार प्रदेश के 29 और नये विकासखंडो में हो गया। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड की अध यक्षता में विगत 13 अगस्त 2014 को मंत्रालय (महानदी भवन) में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंर्तगत गठित छ.ग. ग्रामीण आजीविका संर्वधन समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस विस्तार निर्णयन

का अनुमोदन किया गया। 29 विकासखंडों को मिलाकर प्रदेश में कुल 45 विकासखंडों में इस योजना के तहत कार्य होने लगा।

किशोरी शक्ति योजना (2000)

किशोरी बालिकाओं को स्वास्थय, शिक्षा, प्रशिक्षण के द्वारा भविष्य में स्वरोजगार से लाभान्वित करने के उद्देश्य से देश भर के 507 विकास खंडो में प्रारंभ की गई योजना समन्वित बाल विकास परियोजना अंर्तगत आती है।

योजनांर्तगत ऐसे परिवार की बालिकाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित कर सक्षम बनाने का उद्देश्य रखा गया जिन परिवारों की वार्षिक आमदनी 6500 रू. से कम है।

महिलाओं के प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (STEP)

ग्रामीण निर्धन महिलाओ के आर्थिक स्तर में अभिवृद्धि हेतु परंपरागत आठ क्षेत्रो में कृषि, पशुपालन हस्तशिल्प, हथकरघा, डेयरी, मछली पालन, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम कीट क्षेत्र में दक्षता व कौशल उन्नयन उपलब्ध कराने हेतु योजना केन्द्र शासन द्वारा प्रारंभ की गई। वर्ष 2003–04 के दौरान 11 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली जिनमें 16350 महिलायें लाभान्वित हुई, 2005–06 तक 19200 महिलाओं के लाभान्वित होने का अनुमान है। योजना स्वैच्छिक संगठन, शासकीय संगठन, सहकारी संस्थाओं एवं राज्य निगमों के माध्यम से क्रियान्वित हो रही है, योजना से ग्रामीण महिलाओं की आय एवं उत्पादकता में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है।

स्वावलंबन योजना

महिलाओं को स्थायी स्वरोजगार प्रदान करने में सहायक स्ववालंबन योजना केंद्र शासन द्वारा 2003–04 से प्रारंभ की गई, जिसके अंर्तगत कसीदाकारी, रेडियो, टीवी. मरम्मत, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रानिक, वस्त्र निर्माण आदि पर व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2003–04 में 463 प्रस्तावों के अनुमोदन द्वारा 71240 महिलाओं को लाभान्वित करने का

लक्ष्य रखा गया था।

महिला डेयरी योजना

केन्द्र शासन के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना 2004 में प्रारंभ की गई, जिसके तहत देश में महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया जिनके माध्यम से ग्रामीण महिलायें उत्पादक गतिविधियां जैसे – डेयरी समिति का गठन, संचालन, आधुनिक तकनीको द्वारा दुग्ध परीक्षण व संकलन कार्य कर स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हुई।

इस प्रकार सहकारिता सिधांत आधारित इस परियोजना से वर्ष 2004 में लगभग 900 महिला दुग्ध समितियों के निर्माण द्वारा 360 लाख महिलायें लाभान्वित हुई जो स्वरोजगार की दिशा में वरदान सिद्ध हुई।

स्वर्णिम योजना

पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिये योजना प्रारंभ की गई योजना के अंर्तगत अल्प ब्याज दर पर 50 हजार रू. तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उत्पादक एवं सार्थक उपयोग हेतु देने का प्रावधान रखा गया एवं ऋण वापसी की 12 वर्ष की लंबी अवधि की सुविधा भी दी गई।

रोशनी योजना

नक्सली हिंसा से ग्रसित जिलों में रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण योजना 18–35 वर्ष के युवाओं हेतु 8 जून 2013 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री जयराम नरेश द्वारा नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। नक्सल प्रभावित 24 जिलों में 3 वर्ष हेतु लागू इस योजना के तहत 50 हजार युवाओं को कौशल दक्षता प्रदान कर स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने का लक्ष्य रखा गया। योजना कार्यान्वयन हेतु चुनिंदा 24 जिलो में 6–6 जिले ओडिसा–झारखंड के, 5 जिले छ.ग. के, 2 बिहार के जबकि आंध्र–प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उ.प्र., महाराष्ट्र व म.प्र. के एक–एक जिले को चुना गया। व्यय वहन का अनुपात केन्द्र व राज्य शासन के बीच

75:25 का होगा तथा योजना अंर्तगत कम से कम 50 प्रतिशत महिला पक्ष को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया।

''रोशनी योजना'' का मुख्य उद्देश्य नक्सली गतिविधियों से दूरी बनाकर स्वरोजगार हेतु युवाओं को अग्रसर करना है।

DWCU योजनाः योजना में महिला उद्यमी एक समूह बनाकर स्वरोजगार स्थापित कर सकते है, समूह में कम से कम दस शहरी गरीब महिलायें होना अनिवार्य है, शासन समूह की परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत या 125000 रू. इनमें से जो भी कम है के बराबर सब्सिडी देती है। निःसंदेह शासन की योजना ने गरीब महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सहायता उपलब्ध कराई।

Standup / Stent up योजनाः पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री बाबू जगजीवन राम की जयंती (समता दिवस) पर दलित, आदिवासियों एवं महिला उद्यमियों के लाभ हेतु 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा योजना की घोषणा की गई। योजना के तहत् यह कहा गया कि देश भर में 1.25 लाख बैंक शाखाओं में प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्र में 1 दलित और 1 महिला उद्यमी को उद्यम परियोजना हेतु ऋण उपलब्ध करायेंगे। जिससे देश भर में 2.5 लाख नवीन लघु परियोजनाओं की स्थापना होगी। यह ऋण राशि अल्प औपचारिकताओं के साथ 10 लाख से 1 करोड़ के मध्य प्रदान की जायेगी।

योजना की प्रमुख बाते :

- ऋण विशेषतः महिला एवं दलित उद्यमियों हेतु है।
- ऋण गारंटी हेतु 5000 करोड़ रू. से कोष का NCNTL के माध्यम से निर्माण।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से 10 हजार करोड़ से कोष पुनः वित्त हेतु निर्मित।
- कार्यशील पूंजी आहरण हेतु Debit Card सुविधा।
- ऋण प्राप्तकर्ता का संपूर्ण ऋण इतिहास तैयार किया जायेगा।

- पंजीकरण सुविधा online होना, एवं अन्य सेवाओं हेतु वेब पोर्टल सुविधा।
- योजना का समग्र उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्रों में SC/ST महिला उद्यमियों द्वारा बैंक ऋण सुविधा का लाभ उठाते हुये नवीन उद्यमों की स्थापना है।
- शासन के इस पहल से अन्य विभागों की योजनाओं के साथ समन्वय करते हुये संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उद्यमी उठा सकेंगे।
- योजना के संपर्क केन्द्र के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) को नामित किया जायेगा।
- आगामी 2016–18 के मध्य 2.5 लाख नवीन उद्यमी परियोजनायें 1 लाख से अधिक क्षेत्रों में प्रारंभ होगी।
- प्रशिक्षण आवश्यकताओं, Factoring, विपणन आदि के लिये सहायता के साथ ऋण प्राप्त करने वाले को व्यापक समर्थन दिया जायेगा।

उक्त सुविधाओं से युक्त इस नवीन योजना का शुभारंभ 16 जनवरी 2016 से होने की संभावना है। जो निश्चित तौर पर अनु. जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के उद्यमियों के लिये नया आयाम होगा तथा ऋण सुविधाओं से संबंधित योजनाओं में यह पहली ऐसी योजना होगी जो अधिकतम ऋण राशि एवं सुविधाओं से युक्त होगी।

उम्मीद योजनाः केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से वर्ष 2013 में उम्मीद योजना जम्मू कश्मीर की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन हेतु संचालित की गई। जिसमें महिला आत्मनिर्भरता समूह के माध्यम से लक्षित की गई। अगले 5 वर्षों में 90,000 स्व सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया। उम्मीद योजना नें निश्चित तौर पर जम्मू क्षेत्र में महिलाओं के समूह रूप में स्वरोजगार की दिशा में अच्छा कार्य किया।

भारत में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, श्रम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिये अनेक उपयोगी योजनायें क्रियान्वित की।

1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंर्तगत महिला एवं बाल विकास विभाग एवं 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने के पश्चात महिला वर्ग के स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया एवं प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के विकास एवं भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनेक नीतियों एवं विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया जिसके लिये राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठनों का सहयोग सक्रिय रूप से मिला।

महिला स्वरोजगार हेतु शासन के प्रयासो ने यह परिलक्षित किया कि सही मायने में महिलाओं के विकास हेतु उनका आर्थिक रूप से सशक्त होना अनिवार्य है।

2.3 छ.ग. राज्य में स्वरोजगार उन्मुखी योजनायें

2.3.2 महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनायें

छ.ग. महिला कोष

परिचयः महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी गतिविधियों को गति देने, महिला सशक्तिकरण के लिये आवश्यक उपाय करनें, महिला स्व सहायता समूहों के गठन सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु वित्तीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छ.ग. सोसायटीज रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1973 के तहत् दिनांक 02.02.2002 को छ.ग. महिला कोष का गठन किया गया।

छ.ग. महिला कोष के प्रमुख उद्देश्य

- ऐसी गतिविधियां जो महिला उद्यमियों के स्वरोजगार को गति प्रदान करे जैसे महिला उद्यमियों को ऋण, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना।

- महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु निम्न प्रयोजन करना जैसेः

1. वित्त संबंधी परिपोषण।
2. स्वरोजगार हेतु उचित वातावरण निर्मित करना।
3. महिलाओं को स्वरोजगार पर बनाये रखना एवं उनके उद्यम विकास को गतिशीलता प्रदान करना।
4. महिला स्वरोजगार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करनें में शासन, ऋण प्रदायित करने वाले गैर शासकीय संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के मध्य समन्वय एवं सांमजस्य की स्थापना।

छ.ग. महिला कोष द्वारा संचालित महिला स्वरोजगार हेतु योजनायें

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये ऋण योजनाः प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक–सामाजिक स्थिति को देखते हुये उनके सशक्तिकरण हेतु उन्हें समूह के रूप में संगठित करना ताकि वे समूह में स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बने एवं उनके लिये आर्थिक सहायता की आवश्यकता को पूरा करने छ.ग. महिला कोष की ओर से स्वयं सहायता समूह एवं उनके सदस्यों के लिये ऋण योजना दिनांक 15.08.03 से प्रारंभ की गई।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला स्व सहायता समूहो को स्वरोजगार वित्त सुविधा से लाभान्वित करना।
- महिला स्व सहायता समूहों तथा संगठन से जुड़े अन्य संस्थानों की मध्यस्थता से स्व सहायता समूहो को मुख्यतः स्वरोजगार क्रियाओं हेतु वित्त उपलब्ध कराते हुये स्वैच्छिक संगठनों को सहायता व सुविधा प्रदान करना।
- महिला एवं सहायता समूहो को व्यावसायिक गतिविधियों से अवगत कराना तथा बैंकिंग, सहकारी संस्थायें, अन्य ऋण संस्थाओं एवं विभागो में समन्वय बनाने हेतु उन्हें विभागो से सहायता प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रेरित करना तथा विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं

से लाभान्वित होकर अपने स्वरोजगार के विकास हेतु उन्हें प्रेरित करना।

योजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लिये पात्रता

1. योजना अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह ऋण के लिये पात्र होगें। शासन की मंशा है कि जहां एक ओर बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को ऋण योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाये वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवार की महिला, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता, सुखद सहारा योजना की लाभार्थी महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध किया जायेगा व सहायता पहुचाई जायेगी।
2. ऋण आवेदन हेतु स्व–सहायता समूह अपने गठन के एक वर्ष बाद पात्र माने जायेगे।
3. स्वयं सहायता समूह पूर्व में प्राप्त ऋण की पूर्ण अदायगी के एक माह पश्चात पुनः कोष से ऋण आवेदन हेतु पात्र होंगे। जिस हेतु उनका पूर्व में दी गई ऋण राशि की सभी किश्तो की वापसी सही समय में होना अनिवार्य है।
4. महिला स्व–सहायता समूहो की शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्रियाओं में भागीदारी के आधार पर ऋण स्वीकृति होगी।

योजना अंर्तगत स्वैच्छिक संगठनों के लिये पात्रता

1. फर्म्स एवं सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हुये तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद ही स्वैच्छिक संगठन पात्र माने जायेगें।
2. महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन ही पात्र होगें।
3. महिला स्वयं सहायता समूह गठन एवं उनके विकास कार्य में संलग्न तथा इस क्षेत्र मे कार्य का अनुभव रखने वाले स्वैच्छिक

संगठन जो कम से कम 25 नवीन स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं सशक्तिकरण का अनुभव रखते हो एवं पुराने कम से कम 25 स्व –सहायता समूहों को नये सिरे से संगठित करने व एक वर्ष तक संचालन करने में सहायता उपलब्ध कराने वाले स्वैच्छिक संगठन भी पात्र होगें।

4. स्वयं सहायता समूह योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड को पूर्ण करते हो ऐसे संगठन पात्र होगें।
5. ऋण योजना में उल्लेखित नियमों शर्तो एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिये सहमत स्वैच्छिक संगठन हो तथा इस विषय का अनुबंध करने को तैयार हो।
6. एकमुश्त 5 स्व सहायता समूहो हेतु स्वैच्छिक संगठन ऋण आवेदन प्रस्तुत कर सकेगे। यदि उक्त में से कोई भी समूह ऋण वापसी समय पर पूर्ण कर पाती है तो वे पुनः 5 समूहो की निर्धारित सीमा के अंदर आवेदन कर सकेंगे। यदि कोई स्वैच्छिक संगठन 5 से अधिक स्वयं सहायता समूहो के लिये ऋण आवेदन प्रस्तुत करता है तो, पात्रता संबधी सभी शर्ते पूर्ण होने की स्थिति में जिला ऋण समिति अनुशंसा सहित ऐसे आवेदन स्वीकृत संबंधी कार्यवाही हेतु छ.ग. महिला कोष के शासी बोर्ड को प्रेषित करेगी जो इन पर निर्णय देने मे सक्षम होगी।

सक्षम योजना

परिचय :– विपरीत परिस्थितियों में जीवन व्यापन कर रही महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर ऋण सुविधा उपलब्ध कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने एवं जीवन के उचित अवसर उपलब्ध करानें के उद्देश्य से शासन द्वारा वर्ष 2009–10 से सक्षम योजना प्रारंभ की। योजना अंर्तगत स्वरोजगार हेतु अल्प ब्याज दर पर वित्त सुविधा प्रदान की जाती है एवं ऋण वापसी हेतु 5 वर्ष की अवधि भी प्रदान की जाती है।

योजना अंर्तगत हितग्राही की पात्रता

योजना के अंतर्गत हितग्राही की पात्रता निम्नानुसार होगीः

1. ऐसी महिलाएं, जो गरीबी रेखा के अंर्तगत आती है एवं जिनके जीवनसाथी की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की ऐसी महिलायें जो कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलायें अथवा अविवाहित हो।
2. गरीबी रेखा के अंर्तगत ना होने पर निम्न मध्यमवर्गीय आय की ऐसे हितग्राहियों को भी लाभांवित किया जा सकेगा, जिनकी पारिवारिक सालाना आय 48 हजार रूपये प्रतिवर्ष से कम हो।
3. कानूनी रूप से तलाकशुदा होने की दशा में या जीवनसाथी की मृत्यु होने पर हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
4. हितग्राही छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी हो।
5. पुर्नविवाह करने वाली महिलाओं को योजना के अंतर्गत पात्रता नहीं होगी।
6. योजनान्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जाति, जनजाति की महलाओं को दी जावेगी। प्रथम प्राथमिकता के लिए अधिक हितग्राही होने पर प्राथमिकता उनमें से न्यूनतम आयु सीमा के आधार पर दी जावेगी।

स्वावलंबन योजना

महिलाओं को स्वरोजगार में दक्ष बनानें, उनके स्वावलंबन का आधार तैयार कर उन्हें उद्यमीय गतिविधियों से जोड़ने प्रशिक्षण आधारित इस योजना को छ.ग. शासन द्वारा 2009–10 में प्रारंभ की गई, योजना अंर्तगत 5000 रू. तक का निःशुल्क प्रशिक्षण सौंदर्य सज्जा, कम्प्यूटर, टैली एकाऊंटिग, खाद्य व्यंजन, सिलाई आदि विषय पर प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलंबी बनाया जाता है।

योजना अंतर्गत हितग्राही की पात्रता

योजना के अंतर्गत हितग्राही की पात्रता निम्नानुसार होगीः

1. गरीबी रेखा के अंर्तगत जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं, जिनके जीवनसाथी की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की ऐसी महिलायें जो कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलायें अथवा अविवाहित हो।
2. गरीबी रेखा के अंर्तगत यापन करने वाला परिवार न होने पर ऐसे मध्यमवर्गीय हितग्राहियों को भी लाभांवित किया जा सकेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रूपये प्रतिवर्ष से कम हो।
3. जीवनसाथी की मृत्यु होने अथवा कानूनी रूप से तलाकशुदा होने की दशा में हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
4. हितग्राही छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी हो।

कौशल उन्नयन योजना

आर्थिक गतिविधिओं में संलग्न महिलाओं को उद्यमिता कौशल में और अधिक बेहतर बनानें प्रशिक्षण के माध्यम बनाने के उद्देश्य से 2007–08 में छ.ग. शासन द्वारा कौशल उन्नयन योजना का प्रारंभ की गई।

योजनाअंतर्गत स्व सहायता समूह के सदस्य की अधिकतम 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण छ.ग. है।

योजना अंतर्गत हितग्राही महिला की पात्रता

- महिला स्व सहायता समूह की सदस्य महिला जोकि किसी उद्यमिय गतिविधि में संलग्न हो।
- 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पात्रता दी जायेगी।

महिलाओं के लिये उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम

परिचयः स्व रोजगार एवं उद्यमिता के प्रति महिलाओं में रूचि एवं जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 2007–08 में शासन द्वारा उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार क्रियाओं के प्रति महिलाओं को जागरूक एवं प्रेरित करना है। उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर विकसित करने स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करना है।

योजना अंर्तगत हितग्राही हेतु पात्रता

1. प्रतिभागियों की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. कार्यक्रम में गरीब, विधवा, परित्यक्तता, विकलांग महिलाओं को महत्व दिया जावेगा।

महिला मड़ई योजना

परिचयः महिला स्व सहायता समूहों की महिला संगठनों तथा अन्य महिला उद्यमियों के उत्पादों के विपणन को एक मंच प्रदान करनें के उद्देश्य से महिला मड़ई योजना का आयोजन छ.ग. शासन द्वारा किया गया। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु योजना में निर्धारित शुल्क पर उत्पाद विक्रय सुविधा का प्रावधान है।

जिला प्रबंधक में माध्यम से मड़ई का आयोजन होता है जिसमें प्रदेश के सभी जिलों की भागीदारी होता है इससे संबंधित क्षेत्र के लोगों को महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्री की जानकारी प्राप्त हो सकेगी एवं उत्पादित वस्तु को विपणन हेतु आधार प्राप्त होगा यह योजना संपूर्ण छ. ग. में संचालित है।

शक्ति स्वरूपा योजना

2009–10 में छ.ग. शासन के 6 पिछड़े क्षेत्रों जैसे जिलों में बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव तथा बीजापुर में प्रारंभ की गई, योजना तीन भागों में विभाजित हैः

- स्वयं के उद्यम प्रारंभ करने हेतु अनुदान सुविधा बैंको के द्वारा करना।
- व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध करना जिससे महिलाओं को उघम संचालन में सहायता हो।
- व्यावसायिक उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सुविधा उपलब्ध करना।

उपरोक्त आधारभूत सुविधा प्रदान कर योजना ने महिलाओं को स्वरोजगार हेतु अवसर प्रदान किया।

महिला समृद्धि बाजार योजना

छ.ग. की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को स्वावलंबन योजना के अंग के रूप में उद्यम स्थापित करनें अल्प दर पर, सुरक्षित व मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध करानें हेतु महिला समृद्धि बाजार योजना प्रदेश के 50000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में प्रथम चरण में प्रारंभ की गई है।

योजनांर्तगत अभी तक 778 दुकानों के निर्माण हेतु 194.50 लाख स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 515 दुकानें पूर्ण हो चुकी है एवं 263 दुकानो का निर्माण प्रगति पर है।

उत्पादित वस्तु के विपणन हेतु स्थान सुविधा प्रदान करनें के एवं महिलाओं का अपना पृथक बाजार हो इस उद्देश्य से छ.ग. शासन द्वारा योजना प्रारंभ की गई।

2.4 छ.ग. राज्य में महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

देश के संपूर्ण विकास के लिये महिला एवं पुरूष दोनों का समान व निर्वाध गति से उन्नति की ओर अग्रसर होना जरूरी है। इसी क्रम में देश की 50 प्रतिशत आबादी महिला पक्ष की स्थिति में सुधार लानें अनेक विधायी, कल्याणकारी योजनायें, उपाय एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हुआ, हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39 में स्पष्ट उल्लेख भी किया

गया है कि ''राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरूष और स्त्री सभी नागरिको को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।''

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने केंद्र शासन नें वर्ष 1975 को अंर्तराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप घोषित किया, 1985 में महिला एवं बाल वकास विभाग का गठन महिला कल्याण हेतु हुआ, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन ने महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान केद्रिंत किया, 1991 में 73 वे संशोधित संविधान द्वारा देश में राजनैतिक क्षेत्र मे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। निःसंदेह महिलाओं के अधिकार संपूर्णता हेतु यह क्रांतिकारी कदम रहा। इसी दिशा में सरकार ने वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित कर उनके चहुंमुखी विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण घोषणा साबित हुई। इसी क्रम में राष्ट्रीय महिला समृद्धि योजना, स्टेप, नौराड योजना, महिला आर्थिक विकास निगम की कई योजना, समाज कल्याण मंत्रालय भारत शासन द्वारा स्त्री विकास ब्यूरो की स्थापना महिलाओं को स्वरोजगार द्वारा आर्थिक रूप से सफल बनानें का महत्वपूर्ण रहा।

स्वरोजगार की महत्ता को देखते हुये एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने केंद्र एवं राज्य शासन दोनो में महिला संगठनों एवं महिला स्व सहायता समूहों के आपसी समन्वय एवं सहयोग हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रारंभ किया, तथा इन योजनाओं में ऋण संस्थानों, स्वयं सेवी संस्थानों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संगठनों, भारतीय लघु उद्योग, विकास बैंक, राज्य वित्त निगम आदि ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

महिला स्वरोजगार विकास के इसी क्रम में शासन ने कई ऋण योजनायें जैसे – मुख्य ऋण योजना, ऋण प्रोत्साहन योजना, रिवॉल्विंग फंड योजना, ड्वाकरा योजना, ग्राम्या योजना, समर्थ योजना, स्व सहायता योजना, महिला समूहों को स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण, टंकण प्रशिक्षण

योजना, फोटोकापियर योजना, सेंट कल्याणी योजना, स्त्री शक्ति पैकेज योजना, शासकीय सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण के प्रर्दशनी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आदि का क्रियान्वयन शासन द्वारा किया गया। केन्द्र शासन के महिला स्वरोजगार संबंधी उक्त प्रयासों के अनुरूप ही राज्य स्तर पर भी शासन द्वारा अनेक प्रयास किये गये।

अविभाजित म.प्र. राज्य में म.प्र. महिला आर्थिक विकास निगम कार्यरत था जिसके द्वारा महिलाओं के स्वरोजगार संबंधी गतिविधियों को संचालन किया जाता था, स्वरोजगार विकास हेतु बहुउद्देशीय महिला नीति की घोषणा भी की गई, राज्य महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा घोषित इस नीति का संकल्प महिलाओं को उघमिता विकास संबंधी कार्यो से जोड़ना एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाना है।

केन्द्रीय शासन महिला स्वरोजगार विकास कार्यक्रमों व योजनाओं को लेकर काफी उत्साहित रही, लगभग सभी योजनायें जो केन्द्र शासन तत्पश्चात् अविभाजित म.प्र. शासन ने लागू की उन सभी को छ.ग. शासन नें सहर्ष स्वीकार कर उन पर अमल किया।

इसके अतिरिक्त छ.ग. राज्य शासन ने महिला स्वरोजगार उन्नयन हेतु अनेक विकासीय योजनायें संचालित की एवं वे सभी आज पर्यंत यथावत् चल रही है। चूंकि महिला एवं बाल विकास की सभी योजनाओं से आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई परंतु सभी योजनायें गतिशील है और उनके मिश्रित परिणाम से महिलायें लाभान्वित भी हो रही है।

छ.ग. राज्य गठन के पश्चात् छ.ग. शासन नें महिला स्वरोजगार संबंधी समूह गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करनें उन्हें आर्थिक सहायता व सहयोग उपलब्ध कराने हेतु छ.ग. महिला कोष का गठन 15 फरवरी 2002 को फर्म्स एवं सोसायटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट के अंर्तगत किया गया। कोष ने 15 अगस्त 2003 से कोष ने महिला स्व सहायता समूह के लिये ऋण योजना प्रारंभ की राज्य शासन द्वारा कोष को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रू. की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

यह देश का प्रथम महिला कोष है जो निगम के स्थान पर पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठित किया गया। म.प्र. महिला आर्थिक विकास निगम से राज्य विभाजन में प्राप्त राशि तथा समूहों को प्रदत्त ऋण से होने वाली आय से कोष की गतिविधियों का संचालन किया गया। छ.ग. महिला कोष के गठन से लेकर अब तक कोष द्वारा 6 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, इन सभी योजनाओं का उद्देश्य महिला स्वरोजगार संबंधी गतिविधियों हेतु वित्त पोषण, प्रशिक्षण, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना, उनमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये महिला समूहो का गठन करना है।

2007–08 में प्रशिक्षण उन्मुख कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई एवं स्वावंलबन योजना 2009–10 में महिलाओं को व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर सामर्थ्यवान बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। 2007–08 में स्व सहायता समूहों, महिला संगठनों एवं शहरी ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को विपणन आधाार प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा सांईस कॉलेज मैदान में महिला मडई योजना की घोषणा की गई।

इसी क्रम में छ.ग. शासन नें महिला स्वरोजगार हतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 2009–10 में सक्षम योजना प्रारंभ की गई जिसके तहत 100000 रू. तक का ऋण आसान शर्तो पर दिया जाता है। महिलाओं में स्वरोजगार हेतु अभिप्रेरणा व जागरूकता लाने के उद्देश्य से सभी जिलो में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2007–08 में किया गया जिसमें महिलाओं को उद्यम प्रारंभ करने हेतु अभिप्रेरित किया जाता है।

छ.ग. शासन नें राज्य के संतुलित विकास हेतु महिलाओं के विकास की आवश्यकता को स्वीकारा है। इसी कड़ी में छ.ग. राज्य में वृद्ध, मध्यम एवं लघु उद्यमों के माध्यम से विकास हेतु कई प्रयास किये गये तथा जिला उद्योग केंद्र की स्थापना, औद्योगिक उद्यमिता स्मारक, छ.ग महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला स्वरोजगार विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम,

ऋण योजनायें, विपणन में सहयोग, छ.ग. महिला कोष का गठन, स्व सहायता समूहो को सहायता आदि योजनाओं के माध्यम से महिला स्वरोजगार को विकास का आधार प्रदान किया है।

2.5 विभिन्न पंचवर्षीय योजनायें एवं महिला स्वरोजगार में प्रगति

महिलायें समाज का अभिन्न अंग है किसी भी देश का समग्र विकास की संकल्पना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास के बिना अधूरी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता देने के क्रम में कहा था कि ''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान अनिवार्य है, उनके विकास के साथ–साथ समाज का विकास स्वतः हो जायेगा।''

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश की अधिकांश महिलायें विशेषतः ग्रामीण गरीब महिलायें परंपरागत बंधनों से घिरी हुई थी, समाज में विद्यमान महिला–पुरूष भेदभाव, के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही थी। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शासन ने महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अनेक विघायी उपाय एवं कल्याणकारी योजनाओं को प्रारूप देना प्रारंभ किया।

पूरी दुनिया में रोजगार सृजन की समस्या सभी आर्थिक योजनाकारों एवं स्वयं शासन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय रहा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभिक दौर में रोजगार को केवल विकास का एक भाग ही माना गया परंतु स्वतंत्र रोजगार के संबंध में विशेषतः केवल महिलाओं के लिये भी कोई रणनीति नहीं बनाई गई केवल आर्थिक प्रगति पर ही ध्यान केंद्रित रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय ही महिला स्वरोजगार पर बल देना प्रारंभ किया गया तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला स्वरोजगार एवं उनकी उद्यमीय प्रवृति को प्रोत्साहन देना शुरू किया गया।

देश में लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से एवं महिलाओं को आर्थिक उन्नयन द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास को लक्षित रखते विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के लिये विविध कार्यक्रमों को शामिल करते हुये लिंग आधारित बजट की शुरूआत की गई।

तत्पश्चात् निरंतर पंचवर्षीय योजनाओं में महिला स्वरोजगार सृजन कार्यक्रमों को दुरूस्त किया गया एवं विभिन्न दिशाओं में स्वरोजगार को महिला विकास का माध्यम बनाते हुये महिलाओं से संबंधित विशेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)

उद्योगों के विकास एवं उद्यमियों का सहायता के लिये 1947 में निम्न परिषदों का गठन हुआः

1. अखिल भारतीय हाथकरघा परिषद।
2. अखिल भारतीय हस्त शिल्प परिषद।
3. अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद।
4. लघु उद्योग परिषद।
5. नारियल – जटा परिषद।
6. केन्द्रीय रेशम परिषद।

इसमें अतिरिक्त प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही वर्ष 1953 में केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना महिलाओं के कल्याण को मुख्य प्राथमिकता दिलाने के उद्देश्य की परिपूर्ति के लिये की गई जिसमें विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की शुरूआत हुई।

इसके अतिरिक्त राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई जिसने विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को समन्वित कर महिलाओं के लिये स्वरोजगार संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन किया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)

द्वितीय योजना काल में स्वरोजगार विकास को मुख्य लक्ष्य मानते

हुये 1956 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसने निम्न कदम उठाये गयेः

1. राज्य स्तर पर खादी एवं ग्रामीण उद्योग परिषद का गठन।
2. औद्योगिक सहकारिता कार्यक्रमों में वृद्धि।
3. महिला स्वरोजगार में वृद्धि के उद्देश्य से उन्हें ज्ञान, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता आदि सुविधायें प्रदान करना।

इस योजना काल में श्रम की दृष्टि से कृषि जैसे कठोर कार्यो से महिलाओं को संरक्षित करनें, मातृत्व लाभ, शिशुपालन केंद्र जैसी व्यवस्था पर जोर दिया गया। योजना अंर्तगत ही महिलाओं को उद्यमशीलता प्रशिक्षण की व्यवस्था के महत्व को भी इसी योजना में स्वीकार किया गया एवं महिलाओं को महिला समूह के रूप में संगठित कर आर्थिक रूप से सबल बनानें का प्रयास भी किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)

महिलाओं की शिक्षा को महत्ता देते हुये शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कल्याण कार्यक्रमों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया, तृतीय योजना काल में ही स्वरोजगार विकास में व्रीवता लाने व लघु उद्यमियों को प्रेरित करने हेतु तकनीकी ज्ञान, पूंजी, कच्चा माल, उत्पादन व विपणन में सहायता हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान, वित्त निगम आदि की स्थापना की गई।

शिक्षा तथा स्वरोजगार दोनों पर ध्यान केंद्रित करने से महिलाओं के उघम कौशल में वृद्धि हुई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)

इस योजना काल में भी महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। शिक्षा को स्वरोजगार से जोड़कर महिला उत्थान की दिशा में कार्य किया गया। स्वरोजगार विकास के पूर्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा उद्योगों के वर्तमान विकास हेतु नये स्वरोजगारियों को प्रोत्साहन देने औद्योगिक लाइसेंस नीति में कई मूलभूत परिवर्तन किये। जैसे – आधार क्षेत्र, मध्यम

क्षेत्र, लघु स्तरीय क्षेत्र बनाये गये।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79)

योजना के दौरान महिलाओं के कल्याण के साथ–साथ विकास संबंधी मुद्दो के प्रति शासन का सकरात्मक दृष्टिकोण रहा। महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर अधिकतम ध्यान दिया गया ताकि उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो।

योजना काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि महिलाओं की स्थिति संबंधी रिपोर्ट संसद में पेश की गई तथा अंर्तराष्ट्रीय महिला वर्ष के दशक की घोषणा इसी के अंर्तगत की गई।

पूर्व की चार योजनाओं की अपेक्षा पांचवी पंचवर्षीय योजना में महिला विकास पर अधिक बल दिया गया, जिसमें समय–समय पर कुछ विशिष्ट योजनाओं के तहत महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम चलाये गये।

योजना की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि CSWI Report के अनुसार महिलाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्य योजना में विकास हेतु रूपरेखा प्रदान की गई जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, क्षेत्रों दिशाओं को परिपूर्ण किया गया। दूसरी उपलब्धि समाज कल्याण मंत्रालय के अंर्तगत महिला कल्याण व विकास ब्यूरो की स्थापना की गई जिसमें महिला कल्याण कार्यक्रमों का नियमन हुआ।

वर्ष 1975 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप मनाते हुये, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975–85 तक के दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया एवं महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को अधिक सशक्त एवं सार्थक रूप प्रदान किया।

छठवी पंचवर्षीय योजना (1980–85)

योजना में समग्र विकास नीति अपनाई गयी तथा संरचनात्मक, आधुनिकीकरण, आत्म निर्भरता पर बल देते हुये सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के उद्यमों में उत्पादकता बढ़ाने को प्रधानता दी गई। शासन में महिला रोजगार के आधार पर कार्य समूहों की नियुक्ति की। योजना में महिलाओं

की समस्याओं के निर्णायक तत्व के रूप में यह अनुभव किया कि उनके विकास में साधनों की पहुंच ना होना सबसे बड़ा अवरोधक तत्व रहा।

छठवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में प्रथम बार महिलाओं के लिये बहुपक्षीय नीति को प्रपत्र में शामिल किया एवं उनके विकास हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वरोजगार पर जोर दिया इसलिये इस प्रारूप का नाम क्रांतिकारी योजना रखा गया।

योजना में महिलाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंर्तगत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र व औद्योगिक संस्थान स्थापित किये। इस योजना काल में प्रथम बार महिलाओं के कल्याण के स्थान पर विकास मूलक अवधारणा प्रारंभ हुई।

सातवी पंचवर्षीय योजना (1985–90)

योजना के अंर्तगत लघु व मध्यम क्षेत्र के उद्योगों का विकास स्वरोजगार के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया। जहां लघु उद्योगों के विकास पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल 43 करोड़ रू. व्यय किये गयें वही इस योजना में 2752 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े व मध्यम उद्योग हेतु 19708 करोड़ रू. का प्रस्ताव रखा गया। योजना काल के मुख्य उद्देश्य उद्यमिता व स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अलग से महिला एवं बाल विकास विभाग खोला और 90 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करानें के लक्ष्य के तहत महिला स्वरोजगार पर विशेष बल दिया।

सातवी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं को विकास की दौड़ में शामिल करते हुये अनेक विकासात्मक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया ताकि उनकी आर्थिक प्रस्थिति में परिवर्तन हो।

योजना अंर्तगत महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर होने वाला व्यय कुल व्यय का 2.4 प्रतिशत रहा। तथा योजना में ही सोशल इन्पुट्स एरिया डेवलेपमेंट (SIAD) कार्यक्रम चलाये गये जिनका उद्देश्य महिलाओं

हेतु निर्मित योजनाओं में उनकी सहभागिता हेतु उन्हें सक्षम बनाना एवं उनकी उघमिय कुशलता का विस्तार करते हुये स्वरोजगार सृजन गतिविधियों से उन्हें लाभन्वित करना है।

वर्ष 1986–87 में Women Development Company की भी स्थापना की गई जो महिला स्वरोजगार, हेतु तकनीकी सलाहकार सेवा प्रदान करते हुये, उन्हें स्वरोजगार हेतु साख उपलब्धता कराने संगठनों एवं बैंको की मध्यस्थता का कार्य भी करता है।

निःसंदेह योजनाओं के माध्यम से महिला स्वरोजगार में उत्तरोतर वृद्धि हुयी।

आठवी पंचवर्षीय योजना (1992–97)

1993 में योजना काल के दौरान ही स्वरोजगार व उद्यमिता में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। कोष गठन का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में विकास से महिलाओं को लाभान्वित करना था।

राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, शिक्षण–प्रशिक्षण, ऋण प्रदाय सुविधा आदि कार्यक्रम चलाये गये, कोष स्थापना व इन योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील के पत्थर के रूप में कार्य किया।

नवी पंचवर्षीय योजना (1997–02)

सभी वर्गो को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने व महिला सशक्तिकरण एवं उनके विकास के उद्देश्य में योजना अंर्तगत निम्न कार्य किये गयेः

1. महिलाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने एवं स्वावलंबन हेतु तैयार करना।
2. महिलाओं को स्व–सहायता समूह के रूप में संगठित करना।
3. महिला स्वरोजगार को प्रेरित करने महिला उद्यमी बैंक का गठन।

4. महिलाओं के विकास हेतु उनसे संबंधित समन्वित योजनाओं का क्रियान्वयन।

योजना काल के अंर्तगत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री द्वारा 2001 वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया एवं पूर्व में संचालित इंदिरा महिला योजना व महिला समृद्धि योजना के स्थान पर स्वयं सिद्ध योजना प्रारंभ की गई ताकि महिलाओं को स्व रोजगार हेतु आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा सके एवं उन येाजनाओं में निहित कुछ कमियों को दूर किया जा सके।

नौंवी योजना में कहा गया कि महिला संघटक योजनाओं को पहचान कर कम से कम 30 प्रतिशत कोष महिला स्वरोजगार विकास संबंधी योजनाओं में आंबटित किया जाये। इसी योजना में पहली बार प्रमुख रणनीति के तौर पर Women Concept Plan (WCP) की समीक्षा अगस्त 2000 में की गई तथा योजना का को मंत्रालय एवं विभागों से महिलाओं के लाभ हेतु कोष भी उपलब्ध कराया गया।

दसवी पंचवर्षीय योजना (2002–07)

योजनांर्तगत तीन प्रमुख रणनीति जैसेः

- महिलाओं हेतु न्याय की उचित व्यवस्था।
- आर्थिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी।
- महिलाओं को सामाजिक विकास पर बल दिया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्वयं सिद्धा कार्यक्रम महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित हुई जिसमें 2000 नये ब्लाक को शामिल किया गया।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने ही वर्ष 2004–05 से ''विश्वास स्कीम'' भी प्रारंभ की गई जो स्वरोजगार हेतु ऋण व अनुदान सहायता प्रदान करें।

रोजगार सृजन एवं समानता पर बल देते हुये योजना अंर्तगत 5 करोड़ अतिरिक्त स्वरोजगार अवसरों का लक्ष्य शामिल किया गया। इस

योजना में सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय सेवायें जैसे उच्च गुणवत्ता पूर्ण स्वरोजगार अवसरों के क्षेत्रों में विकास पर बल दिया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)

महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करने की प्राथमिकता पर बल दिया गया। महिलाओं हेतु साक्षरता, रोजगार, स्वास्थय व उद्यमिता कौशल को बढ़ाने हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शासन द्वारा किया गया।

महिला सहकारिता संस्थानों व स्व सहायता समूहों की वित्तीय सहायता हेतु जिला स्तर पर जीवनवृत Project तैयार करना, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की शक्ति संपन्नता हेतु रोजगार अवसरों का सृजन योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)

योजना की रूपरेखा में ग्रामीण महिलाओं की संपूर्ण सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया, जोकि आने वाले समय के लिये अच्छा संकेत है, त्वरित, संपोषणीय एवं अधिक समावेशी संवृद्धि के दग्विषय पर आधारित यह योजना महिलाओं के स्वरोजगार सृजन हेतु बहुत प्रभावी रहा।

यद्यपि महिलाओं के सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक विकास हेतु शासन व स्वैच्छिक स्तर पर कई संगठन पहल कर स्वसहायता समूहों का गठन एवं संचालन कर रही है। फिर भी यह आवश्यक हो जाता है कि इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सही समय एवं सही दिशा पर किया जाये ताकि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक प्रभावी हो सके।

अतः महिला स्वरोजगार की दिशा में शासन द्वारा सकारात्मक पहल एवं प्रयास की संक्षिप्त जानकारी निम्न रूप से प्रस्तुत हैः

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंर्तगत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने में काफी मदद मिली है।

- राष्ट्रीय महिला कोष (RMK) के द्वारा 7 लाख से अधिक महिलाओं को 500 करोड़ से अधिक राशि की सहायता मिली जिससे आय सृजन गतिविधियों में प्रगति हुई।
- महिला स्व सहायता समूहों को बैंको से अल्प ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान।
- पिछले बजट में महिला स्व सहायता समूहों के विकास कोष हेतु केन्द्र शासन द्वारा 500 करोड़ का प्रावधान।
- नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–02) में रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण द्वारा 6 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया।
- वर्ष 2010 में 200 जिलों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सबला योजना आरंभ किया गया जिसके द्वारा व्यावसयिक कौशल प्रदान किया गया।

महिलाओं को स्वरोजगार के दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनानें केंद्र शासन द्वारा विशेष योजनायें संचालित की जा रही है। विभिन्न पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं के अंर्तगत महिला स्वरोजगार के पक्ष पर बल दिया जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला एवं बाल कल्याण विभाग की पृथक स्थापना शासन का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके माध्यम से महिला कल्याण एवं विकास संबंधी सेवाओं से महिलाओं को लाभान्वित किया गया। पांचवी और छठी योजनाओं में शासन के दृष्टिकोण में परिवर्तन दिखाई दिया, इन दोनों योजनाओं में महिलाओं के संपूर्ण विकास को लक्षित रखते हुये उनके शिक्षा एवं स्वरोजगार पर विशेषतः ध्यान केंद्रित रखा।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्षेत्रों में विकास का लाभ महिलाओं को भी प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया गया, नौवीं योजना में

महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया, दसवीं योजना में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के ऐजेंट के रूप में महिलाओं को शक्ति प्रदान करने की दिशा में कार्य किया गया।

तत्पश्चात् निरंतर पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा महिला स्वरोजगार सृजन कार्यक्रमों को दुरूस्त किया गया।

महिलायें अपनी क्षमता, अनुभव एवं शिक्षा के आधार पर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका प्रदान कर सकती है इस तथ्य को शासन ने स्वीकारते हुये कई विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया तथा निश्चित तौर पर इन योजनाओं ने महिलाओं को सक्षम व सशक्त बनानें का आधार प्रदान किया।

2.6 योजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था एवं क्रियान्वयन

प्रत्येक वर्ष शासन की ओर से योजनावार एक निश्चित भौतिक लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है परंतु वित्तीय लक्ष्य की कोई निश्चितता निर्धारित नहीं रहती, भौतिक लक्ष्य के अनुसार शत–प्रतिशत वित्त की व्यवस्था शासन की ओर से होती है। प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं हेतु भी शासन कितने प्रशिक्षण सत्र जिलेवार होगें इस भौतिक लक्ष्य का निर्धारण पूर्व से किया जाता है एवं इस हेतु होने वाले व्ययों के लिये वित्त व्यवस्था छ.ग. शासन द्वारा की जाती है। कुछ योजनायें केंद्र शासन एवं राज्य शासन दोनों के आपसी समन्वय से संचालित होती है, जिसके लिये वित्त व्यवस्था आनुपातिक रूप से परस्पर केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा होती है।

2.7 योजनाओं के अपेक्षित लाभ एवं संभावनायें

महिलाओं के अंदर कठोर परिश्रम, सृजनशक्ति, कल्पनाशक्ति जैसे कई प्रेरक तत्व विद्यमान है, आवश्यकता है उन्हें उचित दिशा प्रदान कर समय–समय पर योजनाओं का संचालन हो एवं प्रचार–प्रसार द्वारा नई–नई योजनाओं व नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन हो, जो योजनायें महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही है वे महिला उद्यमियों की व्यक्तिगत, सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुये विशिष्ट, सुगम व कारगार

हो। साथ–साथ इस तथ्य का भी ध्यान रखा जाये कि योजनायें केवल कागजों में ना रहें इस हेतु महिलाओं की रूचि एवं भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये योजनाओं का निर्माण हो, इस कार्य में शासन के साथ–साथ स्वयंसेवी संस्थान, निजी क्षेत्रों एवं महिला मंडलों का सहयोग अपेक्षित है।

विशेष जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण, उत्पाद विपणन सुविधा, महिला विशेषज्ञों से विधिवत् चर्चा के उपरांत योजनाओं का क्रियान्वयन कर, महिला स्वरोजगार योजनाओं के अपेक्षित लाभ को बढ़ाया जा सकता है, एवं भविष्य की संभावनाओं को और प्रबल बनाया जा सकता है।

निम्न बिंदूओं के माध्यम से महिला स्वरोजगार हेतु छ.ग. शासन की योजनाओं के अपेक्षित लाभ एवं संभावनाओं पर प्रकाश डाल सकते है :

- महिला उद्यमियों को शासन द्वारा आधारभूत सुविधायें एवं सहायता उपलब्ध कराना ताकि महिलाओं द्वारा उद्यम स्थापना सुलभ हो।
- सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों से महिलाओं के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन करना।
- ऊर्जा अनुदान और पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराकर पिछड़े क्षेत्र की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।
- इसी क्रम में महिला उद्यमियों को विक्रय कर रियायत, ऋण स्थगन एवं प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित कर महिलाओं में निहित अपेक्षित संभावनाओं को निखारना।
- राष्ट्र के समाजिक, राजनैतिक, तथा आर्थिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को निर्णयन स्तर तक पहुंचाना।
- महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को योजनाओं से लाभान्वित करना।
- पारंपरिक रूप से संचालित उद्यमों को योजनाओं से जोड़कर आधारभूत संरचना, ऋण, विपणन आदि सुविधायें देकर संपोषित

करना।

- योजनाओं से लाभान्वित महिलायें समाज में कौशल निहित एवं जरूरतमंद महिलाओं को एक उचित मंच प्रदान करेंगी जैसे फूल वासन देवी।
- योजनाओं के अनुरूप ही राज्य के संसाधनों का पूर्ण एवं उचित विदोहन संभव होगा।
- परंपरागत प्रतिभा एवं कला को योजनाओं के माध्यम से एक मंच देना ताकि राज्य विकास में इनका लाभ प्राप्त हो।
- लघु उद्योग क्षेत्रो में महिलाओं का प्रतिनिधत्व बढ़ानें हेतु अवसर प्रदान करना ताकि उन क्षेत्रों तक भी उनकी पहुंच बढ़े जो निश्चत तौर पर राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी दर्शायेगा।
- अंर्तराष्ट्रीय बाजार तक महिला उद्यमियों की पहुंच बढ़ाने उत्पादों का विदेशी बाजारों में विपणन हेतु विदेशी विनिमय संबंधी समस्याओं को हल करना।
- महिला स्वरोजगार संबंधी योजनाओं का निर्माण महिला उद्यमियों एवं महिला वैज्ञानिकों से राय लेकर, महिलाओं की आवश्यकता एवं रूचि को ध्यान में रखते हुये योजनाओं का निर्माण करना।

वर्तमान में महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं के विकास का स्वरूप केंद्र एवं राज्य स्तर पर शासन एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयास का प्रतिफल है। शासन की योजनाओं एवं इन संस्थानों के महत्वपूर्ण प्रयासो ने ही महिला उद्यमियो कौशल में वृद्धि, उद्यम संबंधी प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान, एवं विशेष सलाहकारी सेवायें, वित्तीय सहायता, प्रर्दशनी, मेले, संगोष्ठी आदि आयोजन आदि के माध्यम से महिलाओं को सहायता प्रदान की है।

अधिकांश महिला उद्यमियों ने शासन के इन सभी प्रयासों को सराहा है, परंतु इन संचालित योजनाओं को मिश्रित परिणाम प्राप्त हुये है, वस्तुतः प्रयत्न की तुलना में परिणाम अपेक्षाकृत कम रहे है। इस हेतु

महिला स्वरोजगार विकास संबंधी आंतरिक तत्व जैसे गलत व्यवसाय का चयन, संगठन संबंधी दुर्बलता, कमजोर प्रबंधन, गुणवता का अभाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण, संप्रेषण का अभाव, वित्तीय समस्या आदि है।

वहीं दूसरी ओर बाह्य तत्व जैसे – आधारभूत सुविधाओं का अभाव, शासकीय नीतियां प्रमुख है।

शासन के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के द्वारा ही महिला उद्यम संबंधी इस अंतर को पाटना संभव होगा जिसके लिये विशेषतः महिला पक्ष को ध्यान में रखना आवश्यक है। शासन की योजनाओं की गतिशीलता इस तथ्य की ओर ध्यान केंद्रित करती है कि वर्तमान में परिणाम भले ही कम मिले है परंतु महिला पक्ष में जागरूकता आनें पर योजनाओं से भविष्य में अनेक संभावनायें हैं जो निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

अध्याय 03 | छ.ग. में महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं का स्वरूप एवं क्रियान्वयन

3.1 छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार–(आवश्यकता एवं महत्व)

तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं साथ ही उत्पन्न होती बेरोजगारी एक विस्फोटक समस्या है, यह ना केवल छ.ग. राज्य की वरन् संपूर्ण विश्व की समस्या है जिसके लिये अनेक आयोग एवं अध्ययन समितियां बन चुकी है जो इस गंभीर समस्या के निराकरण में लगी हुई है, क्योंकि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि नौकरी एक मृग– मरीचिका की तरह है, जिसके पीछे अधिकांश युवा वर्ग भागते तो अवश्य हैं परंतु ऐसे 5 प्रतिशत लोगो को ही नौकरी प्राप्त होती है।

शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में आय उपार्जन का एक अच्छा विकल्प स्वरोजगार स्थापना है। क्योकि नौकरी अथवा रोजगार प्राप्त करनें की अल्प होती संभावनाओं के मध्य यह निसंदेह अति श्रेष्ठ विकल्प है जो आत्म स्वावलंबन की दृष्टि से भी उचित है।

स्पष्ट है कि नौकरी की अपेक्षा स्वरोजगार प्रत्येक दृष्टिकोण से बेहतर है, अर्थात् सबसे अच्छा रोजगार है – **''स्वरोजगार''**

स्वरोजगार से ना केवल स्वव्यक्तित्व के विकास का संपूर्ण अवसर मिलेगा अपितु अपनें सपनों को साकार करनें, अपनी उद्यमशीलता, सृजनशीलता को व्यावहारिक आधार देने के उपयुक्त अवसर भी स्वरोजगार के माध्यम से प्राप्त होगें। एक तरफ जहां नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी आजीविका हेतु दूसरों पर आश्रित होते हैं वहीं स्वरोजगार में संलग्न व्यक्ति ना केवल अपनी आजीविका के साधन जुटाता है बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर आर्थिक सुदृढ़ता का आधार प्रदान करता है।

छ.ग. एक विकासशील राज्य है और राज्य चाहे विकसित हो या

विकासशील स्वरोजगार सभी की आवश्यकता है, क्योंकि विकासशील राज्यों को विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करनें व विकसित राज्यों को स्वरोजगार की आवश्यकता विकास की गति को बनाये रखने हेतु है। वर्तमान में छ. ग. राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र एवं वृहत स्तर के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते दिखाई दे रहे हैं लेकिन भूमंडलीकरण के कारण भविष्य में अवसर उत्पन्न होने की संभावना है, इस स्थिति में मानवीय संसाधनों का समुचित विदोहन स्वरोजगार के माध्यम से ही किया जा सकता है।

स्वरोजगार की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता हैः

राज्य के दृष्टिकोण से	समाज के दृष्टिकोण से	व्यक्तिगत दृष्टिकोण से
▪ आर्थिक सशक्तिकरण हेतु ▪ राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि ▪ बेरोजगारी जैसी विस्फोटक समस्या का व्यावहारिक हल ▪ आर्थिक भूमंडलीकरण में सुधार ▪ पूंजी निर्माण व औद्योगिक वातावरण का निर्माण ▪ संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास ▪ योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति का आधार ▪ हस्त–शिल्पकला का विकास ▪ आर्थिक प्रभुत्व का वितरण	▪ उद्यमीय सृजनशीलता का समुचित उपयोग ▪ आत्मनिर्भर समाज की स्थापना ▪ गरीबी उन्मूलन में सहायक ▪ मानवीय संसाधनों का उचित दोहन ▪ समाज के कमजोर, शोषित वर्गो का उत्थान	▪ उद्यमीय प्रवृति एवं कौशल का विकास ▪ नये अवसरों का लाभ उठाने हेतु ▪ प्रबंधकीय योग्यता का विकास ▪ नेतृत्व निर्णय क्षमता, का विकास ▪ धैर्य, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास में वृद्धि ▪ दूरदर्शिता, सहनशील जैसे व्यक्तिगत गुणों का विकास ▪ स्वयं रोजगार की पहल करनें, योजना बनानें की क्षमता का विकास

राज्य की आय, संपति व पूंजीगत साधनों के सृजन एवं विकास में स्वनियोजित उद्यमी सहायता पहुंचाते हैं, राज्य में उपलब्ध संसाधनों का उचित विदोहन कर उत्पाद में रूपांतरित करनें में एक उद्यमी ही सहायक हो सकता है। स्वरोजगार के माध्यम से ही राज्य के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों एवं व्यक्तिगत उच्च महत्वांकाक्षाओं की पूरा करनें का आधार

मिलता है।

राज्य में व्याप्त सामाजिक आर्थिक समस्याओं के उचित समाधान एवं सामाजिक स्तर को उच्च करनें, उद्यमी के आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास को जगानें का उचित माध्यम स्वरोजगार ही है। स्वरोजगार जीविका का दूसरा उचित विकल्प है, जो स्व उपार्जक, रचनात्मक, एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करनें का बेहतर विकल्प है।

उद्यमी स्वरोजगार के साथ–साथ कुछ रोजगार भी उत्पन्न करता है जिसमें नये विचारों, प्रर्वतनों के माध्यम से रचनात्मक शक्ति को उत्पादकीय कार्य में नियोजित करता है।

''बेरोजगारी जैसी समस्या का स्थायी समाधान समाज के उद्यमीकरण द्वारा स्वरोजगार में निहित है।'' सामान्यतः बेरोजगारों की संख्या का 15–20 प्रतिशत ही रोजगार अवसरों को प्राप्त कर पाते है, बचे 80–85 प्रतिशत के रोजगार का विकल्प स्वरोजगार में ही निहित है। देश के आर्थिक विकास, बेरोजगारी जैसी समस्या, रोजगार के अवसरों का सृजन आदि का महत्वपूर्ण विकल्प स्वरोजगार ही है। ''अपनी सहायता – उन्नत सहायता'' वाली कहावत स्वरोजगार की महत्ता को चरितार्थ करते हैं।

3.2 महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं के विभिन्न स्वरूप

छ.ग. शासन द्वारा महिला स्वरोजगार हेतु अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

कुछ योजनायें केवल प्रशिक्षित महिलाओं हेतु संचालित है, कुछ गैर प्रशिक्षित हेतु और कुछ योजनाओं का स्वरूप इस प्रकार है जो प्रशिक्षण उपरांत प्रारंभ की जाती है, किसी योजना के अंर्तगत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है और किसी में प्रशिक्षित लोग जैसे निरीक्षण विशेषज्ञ, तकनीकि विशेषज्ञ आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

पूंजी नियोजन एवं सुविधाओं का स्वरूप भी प्रत्येक योजना में अलग–अलग है किसी में ऋण, किसी में तो किसी में अनुदान जैसे ऊर्जा अनुदान, मार्जिन मनी ऋण अनुदान के रूप में है।

योजनाओं का स्वरूप महिला उद्यमियों की उम्र सीमा, स्थिति (गरीब / तलाकशुदा / निर्धन वर्ग) शिक्षा, श्रेणी (तकनीकी / गैर तकनीकी ज्ञान), परिवेश (ग्रामीण / शहरी) जाति (सामान्य / पिछड़ा / अनु. / अनु.ज. जा) पर भी आधारित होता है।

इसके अतिरिक्त कुछ योजनाओं में समय–समय पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी आयोजित कर उद्यम विचारों का नवीन एवं पृथक आयाम प्रदान करने का भी प्रयास किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं के स्वरूप भी अलग–अलग है,

प्रस्तुत है छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं के विभिन्न स्वरूप :–

छत्तीसगढ़ महिला कोष

परिचयः योजनाअंर्तगत महिला एवं सहायता समूहों को उद्यमिय क्रियाओं हेतु सुलभ शर्तो पर ऋण की उपलब्धता कराना तथा अन्य विभागों, बैंको, सहकारी एवं ऋण संस्थानों के आपसी सांमजस्य से महिला समूहों की लाभान्वित कराने के उद्देश्य से कोष की स्थापना छ.ग. शासन द्वारा 2 फरवरी 2002 को की गई।

योजना का स्वरूप

- महिला कोष के जिला प्रबंधक द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को स्वरोजगार हेतु ऋण 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया जायेगा। (पूर्व में ब्याज की दर 6% थी)
- योजना के अंर्तगत महिला स्वसहायता समूहों को प्रथम बार में 50000 रू. तक का ऋण प्रदान किया जाता है तथा द्वितीय बार में 200000 रू. तक का ऋण प्रदाय किया जाता है।
- ऋण की वसूली 24 / 36 आसान मासिक किश्तों में होती है।
- ऋण राशि का उपयोग स्व–सहायता सामूहिक रूप से अथवा अपने सदस्यों को निजी ऋण उपलब्ध कराने हेतु कर सकेंगें।

- अपने सदस्यों को 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण प्रदायित करा सकेंगें, ऋण वितरण हेतु वे अपनी शर्ते स्वयं तैयार किये आधारों पर करेंगे जो कि सदस्यों की मांग, आवश्यकता, पात्रता एवं समूह के पास राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, इसी प्रकार सदस्यों से ऋण वसूली की शर्ते एवं प्रक्रिया वे स्वयं निर्धारित करेंगें।
- ब्याज की गणना प्रत्येक स्तर पर राशि निर्गमन की तिथि से की जायेगी।
- वसूली हेतु मूलधन की शेष राशि पर ब्याज की गणना की जायेगी।
- स्वयं सहायता समूहों को ऋण उत्पादकता संबंधी कार्यो हेतु दिया जायेगा, विशेष परिस्थितियों में स्वसहायता समूह अपनें सदस्यों को उपभोक्ता ऋण दे सकेगें परंतु यह कुल प्रदायित ऋण का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- स्वसहायता समूहों अथवा स्वैच्छिक संगठनो को प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के लिये उनके द्वारा मांग की गई ऋण राशि अथवा स्वीकृतकर्ता समिति के विवेक से समूह की बचत राशि का न्यूनतम 4 से अधिकतम 10 गुना अथवा अधिकतम 10000 रू. ही प्रथम बार में प्रदान किया जा सकेगा।

ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनके द्वारा ऋण की राशि नियत अवधि में कोष को वापस कर दी जाती है उनको आवश्यकतानुसार पुनः राशि 10000 रू. से 20000 रू. तक ऋण प्रदान किया जायेगा ऋण स्वीकृति 500 रू. के गुणांक में ही की जायेगी।

- स्वसहायता समूह स्वैच्छिक संगठन द्वारा ब्याज के अंतर से प्राप्त आय का उपयोग स्वयं सहायता समूह/स्वैच्छिक संगठन के विकास अथवा योजना संचालन के व्ययों की अपूर्ति हेतु किया जा सकेगा।
- योजना की प्रकृति वर्णित ब्याज दर एवं आसान शर्तों पर पात्र महिला स्वयं सहायता समूह/सदस्यों को ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराने की है ना कि सब्सिडी के रूप में।

- योजना अंर्तगत ऋण एवं ब्याज पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

सक्षम योजना

महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर, आर्थिक सामाजिक रूप से उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से छ.ग. शासन द्वारा 2009–10 से सक्षम योजना प्रारंभ की गई है, जो उद्यम संचालन हेतु जरूरतमंद महिलाओं को ऋण प्रदान करती है।

योजना का स्वरूप

योजना अंर्तगत हितग्राही को अपना स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 1,00,000 रू. तक का ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

- ऋण स्वीकृति के अधिकारी जिला कलेक्टर के अनुमोदन से जिला प्रबंधक रहेंगे।
- प्रदत्त ऋण पर 6.5ः साधारण वार्षिक दर पर ब्याज लिया जायेगा।
- ऋण एवं ब्याज की वसूली ऋण स्वीकृति उपरांत राशि प्राप्त होने की तिथि से 6 माह (अनुग्रह अवधि) के बाद से आरंभ की जायेगी एवं ऋण की वसूली आगामी 5 वर्षों में की जावेगी।
- इस प्रकार ऋण स्वीकृत किये जाने से ऋण वसूल किये जाने की कुल अवधि 5 वर्ष 6 माह होगी।
- योजना की प्रवृति आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने की है अतः स्वीकृत की गई राशि ऋण है सब्सिडी नहीं, इसलिये ऋण अथवा ब्याज में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।
- ऋण की राशि 20000 रू. के गुणाँको में स्वीकृत की जायेगी 20000 रू. से कम राशि का ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- यदि हितग्राही ऋण वापसी निर्धारित समय सीमा के पूर्व करना चाहते है तो उस तिथि तक का देय ब्याज लेकर ऋण समाहित कर लिया जायेगा।

स्वावलंबन योजना

प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों पर आधारित स्वावलंबन योजना छ.ग. शासन द्वारा वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार में सहायता प्रदान करना है ताकि वे प्रशिक्षित होकर अपनी उद्यमीय गुणों का विकास कर आर्थिक लाभ अर्जित कर सकें।

योजना का स्वरूप

- योजना अंर्तगत सामान्यतः निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगाः
  1 सौंदर्य सज्जा पाठ्यक्रम (ब्यूटी पार्लर कोर्स)
  2 कम्प्यूटर टाइपिंग व शार्टहैंड प्रशिक्षण
  3 टैली एकाऊंटिग प्रशिक्षण
  4 खाध व्यंजन (कुकिंग कोर्स)
  5 सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण
  6 किसी शासकीय संस्थान में शासकीय दरों पर प्रदान किये जाने वाले अन्य प्रशिक्षण
  7 अन्य कोई विशिष्ट प्रशिक्षण जो कि छ.ग. महिला कोष के राज्य स्तरीय कार्यालय से अनुमोदित किया गया है।
- जिला अथवा विकासखंड स्तर पर उपलब्ध अन्य आय उपार्जन प्रशिक्षण।
- योजना अंर्तगत हितग्राही को 5 हजार रू. तक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।
- संस्थान द्वारा पूर्व से प्रशिक्षण प्राप्त एक ही हितग्राही को पुनः प्रशिक्षण की पात्रता नहीं होगी।
- जिले में प्रदत्त लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- निम्न वर्ग को विशेष रूप से लाभान्वित करने का प्रयोजन है।
- यथासंभव न्यूनतम दर पर प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम में संपूर्णता पर

ध्यान रखा जायेगा।

- उपरोक्त शर्तों के आधार पर अनुमोदित संस्थान प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सहमति तथा दर अनुमोदित करने के उपरांत लिखित अनुबंध किया जायेगा।

कौशल उन्नयन योजना

महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षता प्रदान कर आय अर्जन गतिविधियों से जोड़ने हेतु 2007–08 में छ.ग. शासन द्वारा योजना का संचालन किया गया।

योजना का स्वरूप

- योजना के अंर्तगत एक से तीन दिवसीय आय उपार्जन संबंधी प्रशिक्षण महिला स्व–सहायता समूहों के चयनित सदस्यों को दिया जायेगा।
- गरीबी रेखा के अंर्तगत आने वाले समूह सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- योजना अंर्तगत निम्न एवं पिछड़े वर्ग के समूह सदस्य को लाभान्वित करने का प्रयत्न किया जायेगा।
- योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण छ.ग. में रहेगा।

महिलाओं के लिये उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम

महिलाओं में उद्यमिता हेतु जागरूकता लाने व रूचि उत्पन्न करनें के उद्देश्य से वर्ष 2007–08 से शासन ने उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ की गई। आत्मनिर्भरता हेतु स्वरोजगार का महत्व समझाते हुये उन्हें उद्यम प्रारंभ करने हेतु अभिप्रेरित करना योजना का प्रमुख लक्ष्य था।

योजना का स्वरूप

- कार्यक्रम में मुख्यतः लघु उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया, वित्तीय संस्थानों की भूमिका, बाजार सर्वेक्षण, बाजार व्यवस्था, प्रेरणादायक

अनुभवों जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है।

- एक कार्यक्रम तीन दिवसीय होता है, जिसमें प्रत्येक दिवस 6 घंटे में विविध सत्र होते है।
- एक कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों को शामिल किया जाता है।

महिला मडई योजना

महिला स्वसहायता समूहों, महिला संगठनों व महिला उद्यमियों के उत्पाद के विपणन को आधार प्रदान करने मेले का आयोजन करना, उत्पाद विक्रय हेतु स्थान प्रदान करना, आदि हेतु महिला मडई योजना का आयोजन छ.ग. शासन द्वारा महिला उद्यमियों की सहायता हेतु योजना प्रारंभ की गई।

योजना का स्वरूप

- महिला मडई योजना का आयोजन अवधि 5 दिवसीय है।
- प्रदेश के बड़े शहरो में जो महिला उद्यमियों कि उत्पादित वस्तुओं को विपणन हेतु बाजार प्रदायित करते है वहां चक्रानुक्रम में योजना लागू की जाती है।
- संपूर्ण छ.ग. योजना का कार्यक्षेत्र होगा।

शक्ति स्वरूपा योजना

स्वरोजगार हेतु सब्सिडी, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता पर आधारित योजना बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागाँव, बीजापुर जिले में छ.ग. शासन द्वारा 2009–10 में प्रारंभ की गई।

योजना का स्वरूप

योजना निम्नांकित त्रिस्तरीय स्तर पर आधारित हैः

I. स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु ऋण में सब्सिडी	ऋण राशि का 15 प्रतिशत अथवा 30 हजार रूपये जो न्यूनतम हो	व्यवसाय हेतु लिये गये ऋण पर अनुदान की प्रतिपूर्ति बैंकों को की जायेगी।
II. व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता	प्रशिक्षण हेतु सहायता की अधिकतम सीमा 25 हजार रूपये होगी। इसके अतिरिक्त निवास स्थान से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 1 हजार रूपये हॉस्टल व्यय के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।	शासकीय/अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण से ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाना जो महिला के स्वयं के व्यवसाय में लाभकारी हो
III. व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	शिक्षा हेतु अधिकतम 1 लाख रूपये प्रति हितग्राही प्रतिवर्ष होगी। इसके अतिरिक्त निवास स्थान से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 1 हजार रूपये हॉस्टल व्यय के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।	यदि कोई महिला एमबीए/एमबीबीएस अथवा समतुल्य उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित है तथा मापदण्डों के अधीन सहायता

महिला समृद्धि बाजार योजना

महिलाओं उद्यमियों के उत्पाद को विपणन हेतु सस्ता, सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार योजना छ.ग. शासन द्वारा प्रारंभ की गई। शासन की इस योजना से महिलाओं का अपना, पृथक बाजार होने से उत्पाद विपणन हेतु सुविधा प्राप्त हुई।

योजना का स्वरूप

- प्रस्तावित दुकानों का आबंटन योजनाअंतर्गत लागत को ध्यान में रखते हुये 50 प्रतिशत सब्सिडी एवं 50 प्रतिशत ऋण के आधार पर किया जायेगा।
- निर्मित दुकानों को नगरीय निकाय निर्धारित अमानत राशि व निर्धारित किराये पर पात्र हितग्राहियों को उद्यम हेतु प्रदायित किया जावेगा।

3.3 महिला स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

आज के विकसित समाज के लोगों की जरूरतों, मांग, रूचि एवं फैशन के अनुरूप स्वरोजगार के अनेकों विकल्प सामनें आ रहे हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं का पदार्पण राज्य के विकास के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर उत्तम है। महिलायें स्वरोजगार से जुड़कर अपने निर्मित उत्पाद का विपणन सीधे उपभोक्ता तक कर आय उपोजन कर रही है। परंतु स्वरोजगार स्थापना हेतु वित्त, प्रशिक्षण, विपणन, कच्चा माल आदि संबंधी समस्याओं का निराकरण शासन द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा किया जाता है।

शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी संस्थानों की आवश्यकता होती है, जो उद्यम प्रारंभ करनें की इच्छुक महिलाओं के जीवन स्तर, उनकी उद्यमीय समस्याओं आदि की जानकारी रखते हो, इसमें निजी संस्थान, स्वयं सेवी संगठन, बैंक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, उद्यमिता विकास केंद्र, लघु उद्योग सेवा संस्थान, उद्यमिता विकास केंद्र, उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ, जिला उद्योग केंद्र, छ.ग. महिला कोष आदि के सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन करती है।

संस्थान ही महिलाओं को उद्यम से संबंधित विस्तृत जानकारी व स्वरोजगार से जुड़नें का उचित मार्गदर्शन व प्रेरणा प्रदान करते हैं, परंतु महिला स्वरोजगार संबंधी अधिकांशतः योजनाओं का क्रियान्वयन छ.ग. महिला कोष के जिला प्रबंधकों के माध्यम से की जाती है।

जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित बैंक प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्र पर्यवेक्षक द्वारा ग्रेडिंग के पश्चात् ऋण आवेदन पर विचार किया जाता है, ऋण समिति द्वारा बजट उपलब्धता, पात्रता मांग आदि के आधार पर ऋण स्वीकृति जारी की जाती है। ऋण समिति ऋण स्वीकृति की सूचना बाल विकास परियोजना अधि ाकारी, स्वैच्छिक संगठन एवं स्वसहायता समूहों को दी जाती है, स्वीकृति के आधार पर आगे की कार्यवाही होती है। ऋण समिति के सदस्य संबंधित सभी पहलुओं पर निर्णय लेने में सक्षम होते है। एवं आगे प्रगति

एवं समीक्षा संबंधित निर्णय छ.ग. महिला कोष के शासी बोर्ड द्वारा होती है।

छ.ग. शासन द्वारा स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के पृथक–पृथक स्वरूप है जैसे ऋण, अनुदान, प्रशिक्षण संबंधी योजनायें। इन योजनाओं के स्वरूप के आधार पर ही क्रियान्वयन की प्रक्रिया आधारित है। प्रस्तुत है योजनाअनुसार क्रियान्वयन की प्रक्रिया :–

3.3.1 महिला स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया महिला स्वंय सहायता समूहो के लिये ऋण योजना

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

- छ.ग. महिला कोष के जिला प्रबंधको के माध्यम से योजना क्रियान्वित की जायेगी।
- योजना अंर्तगत महिला स्वसहायता समूह/स्वैच्छिक संगठन। बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से जिला प्रबंधक, छ.ग. महिला कोष को निर्धारित प्रपत्र में ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगें।

महिला स्व सहायता समूह के ऋण आवेदन पत्र ग्रेडिंग उपरांत जिला प्रबंधक को प्रेषित किया जायेगा। ग्रेडिंग के लिये समिति निम्नानुसार होगीः

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी – अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का प्रतिनिधि – सदस्य
3. संबंधित बैंक का प्रतिनिधि – सदस्य
4. संबंधित क्षेत्र की पर्यवेक्षक – सदस्य

- बाल विकास परियोजना अधिकारी ऋण हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर ग्रेडिंग की कार्यवाही पूर्ण कर ऋण आवेदन पत्र, अनुशंसा सहित जिला प्रबंधक को प्रेषित करेगें।
- ऋण समिति की मासिक बैठक जिला प्रबंधक आयोजित करेगे। ऋण समिति प्राप्त ऋण आवेदनों पर विचारोपरांत उनकी मांग,

आवश्यकता, पात्रता, उपयुक्तता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर संभव होगी करेगी तथा सूचना बाल विकास परियोजना अधिकारियों स्वैच्छिक संगठनों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जायेगी।

अन्य सभी बातें समान होने पर आवेदन पत्र प्राप्ति के क्रमानुसार स्वीकृति जारी की जायेगी आवेदन अस्वीकृति निरस्त किये जाने की सूचना तत्काल संबंधियो को कारण सहित प्रदान की जायेगी। एक बार में एक स्वैच्छिक संगठन के अधिकतम 5 स्वयं सहायता समूहो को ऋण स्वीकृति किया जा सकेगा। यदि इनमें से किसी समूह द्वारा ऋण अदायगी पूर्ण कर ली जाती है तो स्वैच्छिक संगठन द्वारा आवेदन किये जाने एवं पात्रता संबंधी शर्ते पूर्ण किये जाने की स्थिति में पुनः 5 समूहों की निर्धारित सीमा के अंदर ऋण स्वीकृति दी जा सकेगी।

उपरोक्त स्वीकृति के आधार पर जिला प्रबंधको द्वारा महिला स्वसहायता समूहों के बैंक खाते में सीधे ड्राट द्वारा राशि जमा की जायेगी तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ऋण आवेदन करने वाले स्वयं सहायता समूहो को स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से ऋण राशि प्रदान की जायेगी।

जिला स्तर पर स्व सहायता समूहो के ऋण स्वीकृति हेतु गठित ऋण समिति में निम्नानुसार सदस्य होगें:

1. जिला कलेक्टर — अध्यक्ष
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी
जिला महिला एवं बाल
विकास अधिकारी एवं जिला
प्रबंधक छ.ग. महिला कोष — संयोजक
3. लीड बैंक अधिकारी — सदस्य
4. सहायक महाप्रबंधक / जिला
विकास प्रबंधक नाबार्ड — सदस्य
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत का प्रतिनिधि – सदस्य

6. संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य

- प्रतिमाह निर्धारित तिथि पर अथवा संयोजक द्वारा बैठक आयोजित की जावेगी जिसमें माह में प्राप्त सभी ऋण आवेदन पत्र विचार हेतु रखे जायेगें। प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत समिति ऋण स्वीकृत की अनुशंसा करेगी तथा अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करेगी। समिति ऋण वसूली की स्थिति एवं इन ऋण के क्रियान्वयन से संबंधित समस्त पहलुओं पर विचार करनें तथा निर्णय लेने में सक्षम होगी यह समिति समय–समय पर योजना के संबंध में अपने सुझाव छ.ग. महिला कोष के शासी बोर्ड को प्रेषित करेगी।
- स्वयं सहायता समूहो को प्रदाय किये गये ऋण की वापसी तथा स्थिति बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से की जायेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वसूल की गई राशि प्रति माह बैंक ड्राप्ट द्वारा जिला प्रबंधक छ.ग. महिला कोष के खाते में जमा की जायेगी। इसकी समूहवार विस्तृत जानकारी जिला प्रबंधक कार्यालय को दी जायेगी।
- स्वयं सहायता समूहो को ऋण प्रदाय किये जाने के तीन माह पश्चात् चौथे माह से ऋण की वसूली प्रारंभ की जायेगी ऋण राशि 5000 तक के ऋण की 9 माह में की जायेगी। राशि 5500 से 20000 तक के ऋण की वापसी 12 समान मासिक किश्तों में 15 माह में किया जायेगी।
- राज्य स्तर पर स्वसहायता समूहो/स्वैच्छिक संगठनो को वितरित किये जा रहे ऋण वसूली व समस्त वृत कार्यवाही की राज्य स्तर पर समीक्षा समय–समय पर छ.ग. महिला कोष के शासी बोर्ड द्वारा की जायेगी।

II. सक्षम योजना – क्रियान्वयन की प्रक्रिया

1. छ.ग. महिला कोष के जिलों में पदस्थ जिला प्रबंधको के माध्यम से योजना क्रियान्वित की जायेगी।

2. हितग्राही स्वयं आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यालय में जमा करा सकेगे। योजनांतर्गत आँगनबाडी कार्यकर्त्ता अथवा पर्यवेक्षक भी ऐसी महिलाओं को चिन्हांकित कर उनसे संपर्क कर योजना से लाभान्वित होने हेतु प्रेरित कर सकती है।
3. संबंधित पर्यवेक्षक आवेदन प्राप्ति के आधार पर स्वयं जाकर पते की जांच, अभिलेख व अन्य जानकारी प्रमाणित कर सत्यापित प्रपत्र प्रदायित करेगी। तदुपरांत बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अग्रेषित किया जायेगा। जिला प्रबंधक द्वारा सीधे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी पर्यवेक्षक को नामोकित कर निवास स्थान का सत्यापन आदि करवाया जावेगा।
4. इस प्रकार परीक्षण करने उपरांत जिला प्रबंधक जिला कलेक्टर को नस्ली प्रस्तुत कर ऋण की स्वीकृति प्राप्त करेगे। तदुपरांत ऋण स्वीकृति पत्र जारी करेगें।
5. हितग्राही को छ.ग. महिला कोष से सीधे खाते में जमा किया जाने वाला Account payee चेक प्रदान किया जावेगा।
6. योजनांतर्गत आवेदन पत्र, शपथ पत्र, सत्यापन पत्र तथा ऋण स्वीकृति आदेश व अनुबंध का प्रारूप परिशिष्ट–1 ABCD एवं E के अनुसार होगा।
7. जिला कार्यालय में प्रत्येक हितग्राही की एक पृथक नस्ती संधारित की जावेगी।
8. यदि हितग्राही द्वारा निर्धारित समयावधि से पूर्व ऋण वापिस किया जाता है तो दिनांक तक के कुल ब्याज की गणना कर ऋण वापिस ले लिया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की समायोजन पेनाल्टी दंड राशि नहीं ली जायेगी।
9. इस योजना के अंर्तगत हितग्राही द्वारा कोष का खाता जिस बैंक में होगी उसी बैंक में एक बचत खाता खोलकर प्रदत्त बैंक इस खाते में जमा किया जावेगा व बैंक को स्थाई निर्देश दिये जायेगें कि

हितग्राही के खाते से प्रतिमाह वसूली की राशि निर्धारित अवधि तक छ.ग. महिला कोष के खाते में अंतरित कर दी जावे।

III. स्वावलंबन योजना – क्रियान्वयन की प्रक्रिया

1. योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला प्रबंधक छ.ग. महिला कोष द्वारा किया जावेगा।
2. जिला प्रबंधक प्रत्येक वर्ष समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर शहर के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों से उपरोक्त प्रशिक्षणों के लिये प्रति हितग्राही उरे आमंत्रित करेगें। तथा अच्छे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से स्वयं संपर्क कर प्रस्ताव भी प्राप्त किया जा सकता है।
3. प्रत्येक प्रशिक्षण के लिये संस्थान तथा दरो की सूची अनुमोदित की जावेगी। अनुमोदन की अनुशंसा एक समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होगेः
   1. जिला प्रबंधक, छ.ग. महिला कोष – सदस्य सचिव
   2. जिला कलेक्टर द्वारा नामंकित प्रतिनिधि
   3. पालीटेक्निक/आई.टी. के नामांकित से तकनीकि विशेषज्ञ/प्रतिनिधि।
4. समिति द्वारा प्रशिक्षण संस्थान तथा दरो का चयन संस्थानों को आमंत्रित कर उनसे एक प्रस्तुति लेकर किया जावेगा। जिस संस्थान की दरे न्यायोचित होगी तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता अच्छी होगी, उनकी दर तथा संस्था अनुमोदित कर दी जावेगी।
5. समिति द्वारा दरें अनुमोदन करने के उपरांत जिला कलेक्टर से समिति की अनुशंसा पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
6. प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम के अंर्तगत भी गुणवत्ता रूप में अनेक स्तर हो सकते है।

उदाहरणार्थ सौंदर्य प्रसाधन के पाठ्यक्रम में साधारण पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्य शौंदर्य सज्जा, विशेष पाठ्यक्रम में उपचारात्मक सज्जा हो सकते है। इसी प्रकार कुकिंग कोर्स में सामान्य खाद्य पदार्थ के अलावा

विदेशी, चायनीज, इटेलियन, कान्टीनेंटल, फल, पुडिंग, आईसक्रीम व चाकलेट्स के पाठ्यक्रम हो सकते है।

IV. कौशल उन्नयन योजना

क्रियान्वयन की प्रक्रिया

योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला प्रबंधक छ.ग. महिला कोष व राज्य स्तर पर महाप्रबंधक छ.ग. महिला कोष द्वारा किया जाता है।

योजना क्रियान्वयन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों। अन्य प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से भी किया जा सकता है।

V. महिलाओं के लिये उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम

क्रियान्वयन की प्रक्रिया

महाप्रबंधक/जिला प्रबंधक द्वारा चयनित शासकीय, अशासकीय संस्था एवं अन्य व्यावसायिक संस्थान जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम में संलग्न हो तथा प्रशिक्षण देने में सक्षम हो उनके माध्यम से किया जा सकता है।

महिला मडई योजना

क्रियान्वयन की प्रक्रिया

जिला प्रबंधक के माध्यम से मडई का आयोजन किया जायेगा। इस मडई में प्रदेश के सभी जिलों की भागीदारी होगी, इससे संबंधित क्षेत्र के लोगों की महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्री की जानकारी प्राप्त हो सकेगी एवं उत्पादित सामग्री हेतु बार प्राप्त होगा।

शक्ति स्वरूप योजना

योजना का क्रियान्वयन

- छ.ग. के 6 जिले में (बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर) में ही योजना का क्रियान्वयन होगा।
- योजनाअंतर्गत पात्र महिलाओं के आवेदन को जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- अनुमोदन उपरांत व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु प्राप्त प्रकरण को बैंको

को प्रेषित किये जायेगें।

शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में निजी, शासकीय, स्वैच्छिक संगठनों व बैंको की अहम भूमिका है, जिनके माध्यम से शासन महिला स्वरोजगार द्वारा महिला विकास जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु अग्रसर है।

विभिन्न सर्वेक्षणों से यह तथ्य सामने आया है कि शासन द्वारा क्रियान्वित योजनायें अबाध गति से निरंतरतः परिमार्जन एवं संसाधनों के साथ संचालित हो रही है। समय–समय पर लक्ष्यानुसार कार्यक्रमों व योजनाओं में परिवर्तन जरूर किये गये लेकिन सभी परिवर्तन का मूल उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनानें में महिलाओं का योगदान।

प्रशासनिक ढिलाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं में शिक्षा व जागरूकता के अभाव में महिला रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा जरूर आ रही है। जिस हेतु शासन, समाज व स्वयंसेवी संगठनों को संयुक्त रूप से योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की सुनिश्चितता लानें हेतु हर संभव प्रयत्न करने होगें।

उल्लेखनीय है कि महिला स्वरोजगार कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से, पूर्ण निष्ठा एवं इमानदारी से केंद्र एवं राज्य शासन के उचित समन्वय, लक्ष्य केंद्रित आक्रामकता एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुये क्रियान्वित की जायें तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने जैसे कठिन किंतु महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी एवं भारत की अधिकांश महिलायें सफलतापूर्वक उद्यम स्थापित कर पहचान बना लेंगी।

इस प्रयत्न के द्वारा क्रियान्वयन प्रक्रिया में गतिशीलता लाकर महिला उद्यमशीलता को व्यावसायिक अवसर प्रदान कर एक नयी दिशा दी जा सकती है। वस्तुतः शासन एवं संबंधित संस्थाओं के प्रयत्न का प्रतिफल राष्ट्रीय प्रगति के परिदृश्य पर दर्शित हो रहे है परंतु अभी भी इसमें गतिशीलता लाने की दिशा में मीलो चलना शेष है।

3.4 छ.ग. के विभिन्न जिलो में महिला स्वरोजगार योजनाओं की स्थिति

छ.ग. शासन मुख्यतः अपनी योजनाओं का संचालन सभी जिलो में एक साथ प्रारंभ कर करती है। परंतु कुछ योजनायें केवल पिछड़े, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये होती है तो कुछ योजनाये केवल नगरीय निकायों के लिये।

शासन महिला स्वरोजगार विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये अपने लक्ष्य के आधार पर अलग–अलग मापदंडो पर योजनायें प्रारंभ करती है। कुछ योजनायें सभी जिलो में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो कुछ केवल चुनिंदा जिलो में ही, कुछ योजनायें जिलों में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करती है तो निहित जागरूकता में कमी के चलते कुछ जिलो में उनका प्रर्दशन नहीं के बराबर होता है।

शासन प्रत्येक जिले का विकास चाहती है, इसीलिये नियमों में समानता के साथ संपूर्ण जिलो में समान योजनायें बिना किसी परिवर्तन के एक साथ लागू करती है, परंतु लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि के आंकड़े प्रत्येक जिलो में अलग–अलग ही दर्शित होते है। जिसका मुख्य कारण वहां के लोगों तक योजना संबंधी जानकारी तक पहुंच का अभाव, अशिक्षा, जागरूकता में कमी, उद्यमीय क्रियाओं में अल्प रूचि आदि हो सकते हैं।

छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार योजनाओं की विभिन्न जिलो में स्थिति को क्रमश : योजनावार एवं वर्षवार प्रस्तुत किया गया है:

छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना

ऋण योजना का संचालन 15/08/2003 से महिला स्व सहायता समूहो को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है, योजनाअंर्तगत स्व सहायता समूहो को उनकी बचत राशि का न्यूनतम 4 से अधिकतम 10 गुना अथवा अधिकतम 50000 रू. तक का ऋण प्रथम बार में प्रदत्त किया जाता है तथा प्रथम ऋण की सफलतपूर्वक वापसी पर 200000 रू. तक का ऋण द्वितीय बार में दिया जाता है। योजना अंर्तगत महिला समूह को जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उस पर 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका क्रमांक–3.1 : छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना की जिलेवार स्थिति :–

क्र.	जिले का नाम	2006–07				2007–08			
		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	484	477	5193000	98.55	442	443	5865000	100.2
2.	बिलासपुर	252	252	2990000	100	262	262	2920000	100
3.	दुर्ग	183	180	1827000	98.36	377	200	2290000	53.05
4.	रायगढ़	208	207	2580000	99.52	230	230	2670000	100
5.	कोरबा	241	244	1895000	101.24	234	214	2750000	91.45
6.	महासमुंद	232	232	2025000	100	68	68	830000	100
7.	जगदलपुर	308	308	1643000	100	251	251	1125000	100
8.	राजनांदगांव	55	55	530000	100	80	80	704000	100
9.	जांजगीर	149	149	1355000	100	106	106	1290000	100
10.	कवर्धा	109	110	1340000	100.92	107	108	1190000	100.9
11.	जशपुर	117	43	385000	36.75	286	284	3080000	99.30
12.	कांकेर	173	173	1770000	100	148	148	1550000	100
13.	दंतेवाड़ा	55	70	490000	127.27	79	79	715000	100
14.	धमतरी	101	101	630000	100	100	101	1205000	101
15.	सरगुजा	16	16	145000	100	139	174	1740000	125
16.	कोरिया	67	67	555000	100	111	111	1260000	100
योग		2750	2684	25353000	97.60	3020	2859	31184000	94.67

छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना की जिलेवार स्थितिः

क्र.	जिले का नाम	2008–09				2009–10			
		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	435	503	7275000	115.63	435	444	10055000	102.07
2.	बिलासपुर	270	259	3200000	95.92	270	249	4665000	92.22
3.	दुर्ग	360	382	4110000	106.11	360	390	7981000	108.33
4.	रायगढ़	245	204	2435000	83.26	245	190	4045000	77.55
5.	कोरबा	170	180	2255000	105.88	170	155	3465000	91.18
6.	महासमुंद	145	145	1960000	100	145	64	1150000	44.14
7.	जगदलपुर	420	361	2776000	85.95	420	221	3010000	52.62
8.	राजनांदगांव	245	22	173000	8.98	245	65	1060000	26.53
9.	जांजगीर	225	253	3215000	112.44	225	167	4225000	74.22
10.	कवर्धा	125	124	1550000	99.2	125	94	2725000	75.20
11.	जशपुर	200	157	1650000	78.5	200	162	2325000	81.00
12.	कांकेर	175	184	2186000	105.14	175	161	4505000	92.00
13.	दंतेवाड़ा	225	94	1255000	41.77	225	81	1830000	36.00
14.	धमतरी	120	126	1605000	105	120	112	2255000	93.33
15.	सरगुजा	495	127	90000	25.65	495	117	4290000	21.62
16.	कोरिया	145	156	1820000	107.58	145	165	4515000	113.79

छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना की जिलेवार स्थिति:

क्र.	जिले का नाम	2010–11				2011–12			
		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	270	273	793000	101.10	325	327	11860000	100.65
2.	बिलासपुर	165	173	331000	104.80	200	187	6185000	93.50
3.	दुर्ग	225	250	7961000	111.10	250	118	3595000	47.20
4.	रायगढ़	150	150	3265000	100	175	184	4115000	105.14
5.	कोरबा	105	105	2145000	100	130	130	2920000	100
6.	महासमुंद	90	68	1260000	75.60	125	92	1000000	73.60
7.	जगदलपुर	195	198	285000	101.53	225	225	4025000	100
8.	राजनांदगांव	150	23	275000	15.30	175	38	670000	21.71
9.	जांजगीर	135	138	4460000	102.20	160	85	3150000	53.12
10.	कर्वधा	75	81	2515000	108	100	90	1815000	990
11.	जशपुर	120	121	2370000	100.80	150	77	1605000	51.33
12.	कांकेर	105	164	4035000	156.20	130	165	4970000	126.92
13.	दंतेवाड़ा	70	70	1615000	100	100	100	2475000	100
14.	धमतरी	75	81	2340000	108	100	103	2795000	103
15.	सरगुजा	300	210	5600000	70	325	44	1825000	13.54
16.	कोरिया	90	97	1710000	107.80	125	157	4360000	125.60
17.	नारायणपुर	20	0	0	0	30	4	110000	13.33
18.	बीजापुर	40	10	100000	25	50	16	400000	32
योग		2380	2212	52895000	92.90	2875	2142	57875000	74.5

छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना की जिलेवार स्थितिः

क्र.	जिला	2012–13 लक्ष्य	2012–13 स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2012–13 प्रदत्त ऋण राशि	2012–13 उपलब्धि का %	2013–14 लक्ष्य	2013–14 स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2013–14 प्रदत्त ऋण राशि	2013–14 उपलब्धि का %	2014–15 लक्ष्य	2014–15 स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2014–15 प्रदत्त ऋण राशि	2014–15 उपलब्धि का %
1.	रायपुर	200	254	7800000	127	160	172	7435000	107.50	104	150	7000000	144.23
2.	बिलासपुर	150	140	4675000	93.33	150	111	3750000	74	143	139	4875000	97.20
3.	दुर्ग	125	193	4805000	154.40	125	119	3360000	95.20	104	149	4975000	143.27
4.	रायगढ	175	161	3950000	92	175	143	4070000	81.71	182	193	6985000	106.04
5.	कोरबा	130	111	2960000	85.38	130	52	1245000	40	130	135	4285000	42.85
6.	महासमुंद	125	86	1100000	68.80	125	38	740000	30.40	78	5	180000	6.41
7.	जगदलपुर	125	121	2165000	96.8	125	39	1415000	31.20	117	117	3095000	100
8.	राजनांदगांव	175	710	5245000	405.71	175	186	1780000	106.29	156	184	3855000	117.95
9.	जांजगीर	120	100	3325000	83.33	120	100	3325000	83.33	130	113	3225000	86.92
10.	कवर्धा	100	81	1520000	81.00	100	88	2130000	88	117	96	3115000	82.05
11.	जशपुर	150	56	1600000	37.33	150	96	3005000	64	221	200	8362000	90.50
12.	कांकेर	130	87	3240000	66.92	130	56	1795000	43.08	104	143	6310000	137.50
13.	दंतेवाड़ा	80	57	1450000	71.52	80	32	820000	40	104	77	2550000	74.04
14.	धमतरी	100	100	3185000	100	100	88	3640000	88	65	66	3420000	101.51
15.	सरगुजा	125	31	975000	24.80	125	5	200000	4	117	39	2050000	33.33
16.	कोरिया	125	98	1130000	78.40	125	73	2590000	58.40	78	80	4515000	102.56

छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना की जिलेवार स्थिति:

क्र.	जिला	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2012–13		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2013–14		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2014–15	
				प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %			प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %			प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	200	254	7800000	127	160	172	7435000	107.50	104	150	7000000	144.23
2.	बिलासपुर	150	140	4675000	93.33	150	111	3750000	74	143	139	4875000	97.20
3.	दुर्ग	125	193	4805000	154.40	125	119	3360000	95.20	104	149	4975000	143.27
4.	रायगढ़	175	161	3950000	92	175	143	4070000	81.71	182	193	6985000	106.04
5.	कोरबा	130	111	2960000	85.38	130	52	1245000	40	130	135	4285000	42.85
6.	महासमुंद	125	86	1100000	68.80	125	38	740000	30.40	78	5	180000	6.41
7.	जगदलपुर	125	121	2165000	96.8	125	39	1415000	31.20	117	117	3095000	100
8.	राजनांदगांव	175	710	5245000	405.71	175	186	1780000	106.29	156	184	3855000	117.95
9.	जांजगीर	120	100	3325000	83.33	120	100	3325000	83.33	130	113	3225000	86.92
10.	कवर्धा	100	81	1520000	81.00	100	88	2130000	88	117	96	3115000	82.05
11.	जशपुर	150	56	1600000	37.33	150	96	3005000	64	221	200	8362000	90.50
12.	कांकेर	130	87	3240000	66.92	130	56	1795000	43.08	104	143	6310000	137.50
13.	दंतेवाड़ा	80	57	1450000	71.52	80	32	820000	40	104	77	2550000	74.04
14.	धमतरी	100	100	3185000	100	100	88	3640000	88	65	66	3420000	101.51
15.	सरगुजा	125	31	975000	24.80	125	5	200000	4	117	39	2050000	33.33
16.	कोरिया	125	98	1130000	78.40	125	73	2590000	58.40	78	80	4515000	102.56

क्र.	जिला	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2012–13		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2013–14		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2014–15	
				प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %			प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %			प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %
17.	नारायणपुर	30	57	1450000	190	30	23	610000	76.67	52	11	595000	21.15
18.	बीजापुर	50	15	150000	30	50	0	0	0	78	15	150000	19.23
19.	मुँगेली	50	23	850000	46	50	36	1150000	72	65	66	2145000	101.54
20.	बलौदाबाजार	75	23	950000	30.67	95	4	450000	4.21	117	61	3675000	52.14
21.	गरियाबंद	50	70	1175000	140	70	77	1605000	110	65	53	1690000	81.54
22.	बेमेतरा	75	60	1320000	80	75	10	200000	13.33	78	72	1995000	92.31
23.	बालोद	50	60	1600000	120	50	51	1580000	102	104	104	4380000	100
24.	कोंडागांव	100	110	1515000	110	100	81	1755000	81	104	121	3635000	116.35
25.	सुकमा	60	16	480000	26.67	60	0	0	0	65	12	460000	18.46
26.	बलरामपुर	100	14	280000	14	100	21	520000	21	91	43	1860000	47.25
27.	सुरजपुर	100	24	400000	24	100	24	560000	24	91	86	2600000	94.51
	योग	2875	2817	60345000	97.98	2875	1725	49730000	60	2860	2530	8661700	88.48

तालिका क्रमांक 3.2: छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना की जिलेवार औसत उपलब्धिः

क्र.	जिला	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत
1.	रायपुर	98.55	100.2	115.63	102.07	101.10	100.65	127	107.50	144.23	110.77
2.	बिलासपुर	100	100	95.92	92.22	104.80	93.50	93.33	74	97.20	94.55
3.	दुर्ग	98.36	53.05	106.11	108.33	111.10	47.20	154.40	95.20	143.27	101.89
4.	रायगढ़	99.52	100	83.26	77.55	100	105.14	92	81.71	106.04	93.91
5.	कोरबा	101.24	91.45	105.88	91.18	100	100	85.38	40	42.85	84.22
6.	महासमुंद	100	100	100	44.14	75.60	73.60	68.80	30.40	6.41	66.55
7.	जगदलपुर	100	100	85.95	52.62	101.53	100	96.80	31.20	100	85.34
8.	राजनांदगांव	100	100	8.98	26.53	15.30	21.71	405.71	106.29	117.95	100.27
9.	जांजगीर	100	100	112.44	74.22	102.20	53.12	83.33	83.33	86.92	88.40
10.	कवर्धा	100.92	100.90	99.20	75.20	108	90	81	88	82.05	91.70
11.	जशपुर	36.75	99.30	78.50	81.00	100.00	51.33	31.33	64	90.50	71.06
12.	कांकेर	100	100	105.14	92	156.20	126.92	66.92	43.08	137.50	103.08
13.	दंतेवाड़ा	127.27	100	41.77	36	100	100	71.52	40	74.04	76.73
14.	धमतरी	100	101	105	93.33	108	103	100	88	101.54	99.98
15.	सरगुजा	100	125	25.65	21.62	70	13.54	24.80	4	33.33	46.44

क्र.	जिला	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत
16.	कोरिया	100	100	107.58	113.79	107.80	125.60	78.40	58.50	102.56	99.36
17.	नारायणपुर	–	–	–	–	0	13.33	190	76.67	21.15	60.23
18.	बीजापुर	–	–	–	–	25	32	30	0	19.23	21.25
19.	मुँगेली	–	–	–	–	–	–	46	72	101.54	73.18
20.	बलौदाबाजार	–	–	–	–	–	–	30.67	4.21	52.14	29.01
21.	गरियाबंद	–	–	–	–	–	–	140	110	81.54	110.51
22.	बेमेतरा	–	–	–	–	–	–	80	13.33	92.31	61.88
23.	बालोद	–	–	–	–	–	–	120	102	100	107.33
24.	कोंडागांव	–	–	–	–	–	–	110	81	116.35	102.45
25.	सुकमा	–	–	–	–	–	–	26.67	0	18.46	15.04
26.	बलरामपुर	–	–	–	–	–	–	14	21	47.25	27.42
27.	सुरजपुर	–	–	–	–	–	–	24	24	94.51	47.50

स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग।

रेखाचित्र क्रमांक 3.1: छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना की जिलेवार औसत उपलब्धि

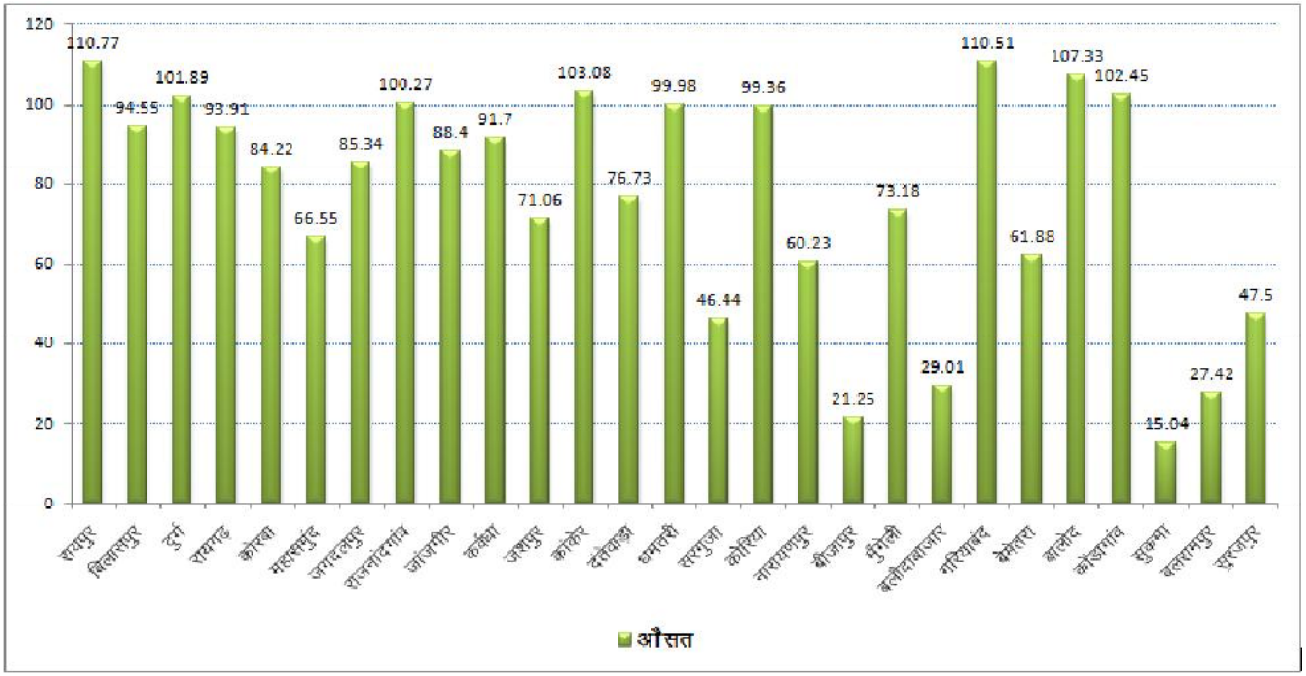

स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग।

छ.ग. महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को प्रदत्त की जाने वाली ऋण योजना अंर्तगत छ.ग. के रायपुर जिले में औसत उपलब्धि 110.77 प्रतिशत रही, अन्य जिलो में गरियाबंद में 110.51 प्रतिशत बालोद में 107.33 प्रतिशत, कोडागांव में 102.45 प्रतिशत दुर्ग में 101.89 प्रतिशत, कांकेर जिले में 103.08 प्रतिशत, 100.27 प्रतिशत राजनांदगांव जिले में रही। धमतरी एवं कोरिया में 99 प्रतिशत एवं अन्य जिलो में भी सफलता का औसतन प्रतिशत 50 से 90 के मध्य रहा है, केवल बीजापूर, बलौदाबाजार, सुकमा एवं बलरामपुर जिले में योजना का सफलता 30 प्रतिशत से भी कम रही है।

तालिका क्रमांक 3.3: सक्षम योजना की जिलेवार प्रगति की जानकारी:

क्र.	जिला	2009–10				2010–11				2011–12			
		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	5	5	500000	100	10	10	1000000	100	15	2	200000	13.33
2.	बिलासपुर	5	4	400000	80	10	10	940000	100	12	9	360000	75
3.	दुर्ग	5	4	100000	80	10	4	400000	40	12	11	1020000	91.666
4.	रायगढ़	5	5	400000	100	10	12	720000	120	12	12	720000	100
5.	कोरबा	5	4	380000	80	10	10	760000	100	12	12	760000	100
6.	महासमुंद	5	3	180000	60	10	10	620000	100	12	11	680000	91.66
7	जगदलपुर	5	5	100000	100	10	10	230000	100	12	12	615000	100
8.	राजनांदगांव	5	4	200000	80	10	5	260000	50	12	0	–	–
9.	जांजगीर	5	–	–	0	10	3	300000	30	12	10	960000	83.33
10.	वर्धा	5	5	500000	100	10	10	500000	100	12	11	360000	91.66
11.	जशपुर	5	5	380000	100	10	10	260000	100	12	13	520000	108.33
12.	कांकेर	5	1	20000	20	10	13	950000	130	12	12	840000	100

क्र.	जिला	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2009–10		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2010–11		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2011–12	
				प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %			प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %			प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %
13.	दंतेवाड़ा	5	5	195000	100	10	30	820000	300	12	12	520000	100
14.	धमतरी	5	5	260000	100	10	10	820000	100	12	12	560000	100
15.	सरगुजा	5	5	395000	100	10	10	40000	100	12	19	900000	158.33
16.	कोरिया	5	5	500000	100	10	12	920000	120	12	12	1040000	100
17.	नारायणपुर	5	3	60000	60	5	2	160000	40	5	5	300000	100
18.	बीजापुर	5	–	–	0	5	5	240000	100	5	5	300000	100
	योग	**90**	**68**	**4570000**	**75.55**	**170**	**176**	**10100000**	**103.53**	**205**	**180**	**10655000**	**87.80**

जिलेवार योजना की प्रगति की जानकारीः

क्र.	जिला	2012–13				2013–14				2014–15			
		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	10	1	100000	10	10	10	440000	100	10	18	1320000	180
2.	बिलासपुर	10	6	600000	60	10	10	880000	100	10	6	600000	60
3.	दुर्ग	10	12	620000	120	10	10	540000	100	10	13	740000	130
4.	रायगढ़	10	10	440000	100	10	11	680000	111	10	10	640000	100
5.	कोरबा	10	9	740000	90	10	6	480000	60	10	7	520000	70
6.	महासमुंद	10	3	180000	30	10	10	360000	100	10	3	120000	30
7.	जगदलपुर	10	22	1245000	220	10	10	435000	100	10	7	285000	70
8.	राजनांदगांव	10	10	220000	100	10	14	280000	140	10	6	120000	60
9.	जांजगीर	10	12	1060000	120	10	4	200000	40	10	13	840000	130
10.	कर्बधा	10	10	230000	100	10	1	60000	10	10	2	120000	20
11.	जशपुर	10	5	480000	50	10	10	640000	100	10	10	480000	100
12.	कांकेर	10	26	2060000	260	10	4	300000	40	10	8	680000	80
13.	दंतेवाड़ा	10	10	540000	100	10	5	280000	50	10	10	720000	100
14.	धमतरी	10	10	640000	100	10	10	600000	100	10	10	540000	100

क्र.	जिला	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2012–13		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2013–14		लक्ष्य	स्वीकृत ऋण समूह संख्या	2014–15	
				प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %			प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %			प्रदत्त ऋण राशि	उपलब्धि का %
15.	सरगुजा	10	23	800000	230	10	22	780000	220	10	11	800000	110
16.	कोरिया	10	9	300000	90	10	10	840000	100	10	7	580000	70
17.	नारायणपुर	5	5	340000	100	5	–	–	–	5	5	500000	100
18.	बीजापुर	5	1	60000	20	5	–	–	–	5	2	120000	40
19.	मुँगेली	5	16	1300000	320	5	4	280000	80	5	7	460000	140
20.	बलौदाबाजार	5	1	100000	20	5	1	60000	20	5	6	600000	120
21.	गरियाबंद	5	5	380000	100	5	5	340000	100	5	2	120000	40
22.	बेमेतरा	5	1	60000	20	5	–	–	–	5	3	300000	60
23.	बालोद	5	3	250000	60	5	–	–	–	5	2	1600000	40
24.	कोंडागांव	5	25	500000	500	5	14	400000	280	5	9	275000	180
25.	सुकमा	5	–	–	–	5	–	–	–	5	6	180000	120
26.	बलरामपुर	5	–	–	–	5	5	100000	100	5	–	–	–
27.	सुरजपुर	5	8	160000	160	5	8	160000	160	5	8	450000	160
	योग	215	243	13405000	113.023	215	184	9135000	85.5	215	191	12270000	88.84

तालिका क्रमांक 3.4: सक्षम योजना की जिलेवार औसत उपलब्धिः

क्र	जिला	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत
1.	रायपुर	100	100	13.33	10	100	180	83.88
2.	बिलासपुर	80	100	75	60	100	60	79.17
3.	दुर्ग	80	40	91.66	120	100	130	93.61
4.	रायगढ़	100	120	100	100	110	100	105
5.	कोरबा	80	100	100	90	60	70	83.33
6.	महासमुंद	60	100	91.66	30	100	30	68.611
7.	जगदलपुर	100	100	100	220	100	70	115
8.	राजनांदगांव	80	50	–	100	140	60	71.66
9.	जांजगीर	0	30	83.33	120	40	130	67.22
10.	कर्वधा	100	100	91.66	100	10	20	70.28
11.	जशपुर	100	100	108.33	50	100	100	93.055
12.	कांकेर	20	130	100	260	40	80	105
13.	दंतेवाड़ा	100	300	100	100	50	100	125

क्र	जिला	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत
14.	धमतरी	100	100	100	100	10	100	100
15.	सरगुजा	100	100	158.33	230	220	110	153.055
16.	कोरिया	100	120	100	90	100	70	96.66
17.	नारायणपुर	60	40	100	100	–	100	66.66
18.	बीजापुर	–	100	100	20	–	40	43.33
19.	मुँगेली	–	–	–	320	80	140	180
20.	बलौदाबाजार	–	–	–	20	20	120	53.33
21.	गरियाबंद	–	–	–	100	100	40	80
22.	बेमेतरा	–	–	–	20	–	60	26.66
23.	बालोद	–	–	–	60	–	40	33.33
24.	कोडागाव	–	–	–	500	280	180	320
25.	सुकमा	–	–	–	–	–	120	40
26.	बलरामपुर	–	–	–	–	100	–	33.33
27.	सुरजपुर	–	–	–	160	160	160	160

स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग।

रेखाचित्र क्रमांक–3.2: सक्षम योजना की जिलेवार औसत उपलब्धि –

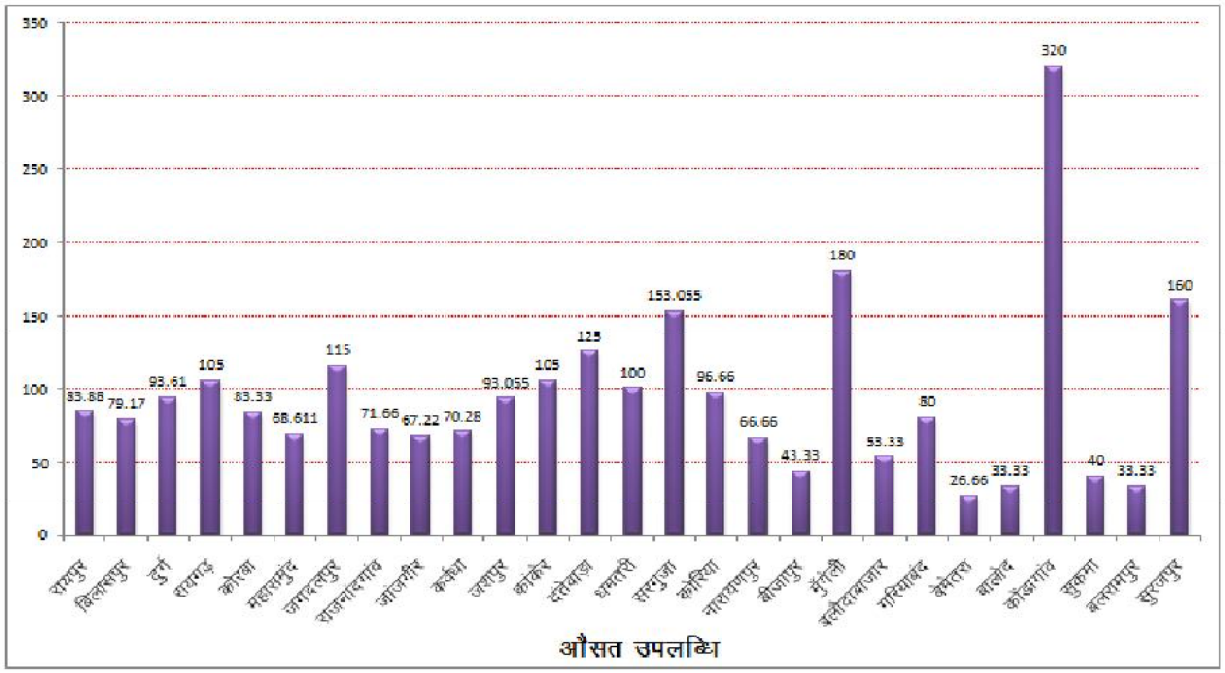

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सक्षम योजना अंर्तगत औसत उपलब्धि का प्रतिशत सर्वाधिक कोंडागांव में 320 प्रतिशत, मुंगेली जिले में 180 प्रतिशत, सुरजपुर में 160 प्रतिशत, सरगुजा में 153.055 प्रतिशत, दंतेवाड़ा में 125 प्रतिशत, बस्तर (जगदलपुर) में 115 प्रतिशत, रायगढ़ जिले में एवं कांकेर में 185 प्रतिशत, धमतरी जिले में 100 प्रतिशत, कोरिया जिले में 96.66 प्रतिशत, जशपुर में 93.05 प्रतिशत दुर्ग जिले में 93.61 प्रतिशत रही एवं अन्य सभी जिलो में योजना की औसत सफलता 83 प्रतिशत से 53 प्रतिशत के बीच रही।

छ.ग. शासन की ऋण आधारित इस योजना की स्थिति छ.ग. के सभी जिलो में बहुत अच्छी है, एवं योजनाअंर्तगत लक्ष्य की तुलना में स्वीकृत प्रकरण एवं उपलब्धि का प्रतिशत भी सभी जिलो में संतोषप्रद है।

तालिका क्रमांक 3.5: स्वावलंबन योजना की जिलेवार प्रगति की जानकारी:

क्र.	जिला	2009–10				2010–11				2011–12			
		लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %
1.	महासमुंद	–	–	–	–	10	50	160860	500	20	0	0	0
2.	कबीरधाम	10	10	50000	100	10	10	50000	100	20	20	84000	100
3.	कोरबा	–	–	–	–	15	15	63300	100	20	5	22500	25
4.	बिलासपुर	10	8	30000	80	20	103	190600	515	20	0	0	0
5.	कोरिया	–	–	–	–	10	12	52100	120	20	18	82100	90
6.	धमतरी	–	–	–	–	10	12	60000	120	20	20	100000	100
7.	जशपुर	–	–	–	–	10	5	17000	50	20	13	39000	65
8.	रायपुर	–	–	–	–	20	30	92250	150	20	24	106525	120
9.	बस्तर	20	20	100000	100	20	21	67200	105	20	20	96000	100
10.	दंतेवाड़ा	–	–	–	–	10	12	45500	120	20	0	0	0
11.	रायगढ़	10	20	100000	200	20	30	108000	150	20	30	95000	150
12.	बीजापुर	–	–	–	–	5	5	100000	100	10	0	0	0
13.	दुर्ग	10	9	45000	90	20	–	–	–	20	0	0	0
14.	जांजगीर	–	–	–	–	15	–	–	–	20	0	0	0
15.	सरगुजा	10	7	35000	70	20	–	–	–	20	0	0	0
16.	राजनांदगांव	–	–	–	–	20	–	–	–	20	0	0	0
17.	कांकेर	–	–	–	–	10	–	–	–	20	0	0	0
18.	नारायणपुर	5	3	15000	60	5	–	–	–	10	0	0	0
	योग	75	75	375000	100	250	305	1006810	122	340	150	585125	44.12

स्वावलंबन योजना की जिलेवार प्रगति की जानकारी

क्र.	जिला	2012–13				2013–14				2014–15			
		लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %
1.	महासमुंद	10	0	0	0	10	48	240000	480	10	–	–	–
2.	कबीरधाम	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
3.	कोरबा	10	10	45000	100	10	10	50000	100	10	0	0	0
4.	बिलासपुर	10	0	0	0	10	10	50000	100	10	0	0	0
5.	कोरिया	10	5	21950	50	10	10	50000	100	10	0	0	0
6.	धमतरी	10	10	50000	100	10	10	50000	100	10	0	0	0
7.	जशपुर	10	0	0	0	10	28	106650	280	10	28	105750	280
8.	रायपुर	10	10	43830	100	10	8	40000	80	10	10	50000	100
9.	बस्तर	10	10	50000	100	10	0	0	0	10	0	0	0
10.	दंतेवाड़ा	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
11.	रायगढ़	10	17	64500	170	10	14	61000	140	10	10	39000	100
12.	बीजापुर	10	4	20000	40	10	0	0	0	10	0	0	0
13.	दुर्ग	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
14.	जांजगीर	10	10	45000	100	10	6	30000	60	10	0	0	0
15.	सरगुजा	10	10	49000	100	10	10	50000	100	10	0	0	0

स्वावलंबन योजना की जिलेवार प्रगति की जानकारी

क्र.	जिला	2012–13				2013–14				2014–15			
		लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %
1.	महासमुंद	10	0	0	0	10	48	240000	480	10	–	–	–
2.	कबीरधाम	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
3.	कोरबा	10	10	45000	100	10	10	50000	100	10	0	0	0
4.	बिलासपुर	10	0	0	0	10	10	50000	100	10	0	0	0
5.	कोरिया	10	5	21950	50	10	10	50000	100	10	0	0	0
6.	धमतरी	10	10	50000	100	10	10	50000	100	10	0	0	0
7.	जशपुर	10	0	0	0	10	28	106850	280	10	28	105750	280
8.	रायपुर	10	10	43830	100	10	8	40000	80	10	10	50000	100
9.	बस्तर	10	10	50000	100	10	0	0	0	10	0	0	0
10.	दंतेवाड़ा	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
11	रायगढ़	10	17	64500	170	10	14	61000	140	10	10	39000	100
12.	बीजापुर	10	4	20000	40	10	0	0	0	10	0	0	0
13.	दुर्ग	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
14.	जांजगीर	10	10	45000	100	10	6	30000	60	10	0	0	0
15.	सरगुजा	10	10	49000	100	10	10	50000	100	10	0	0	0

क्र.	जिला	2012–13				2013–14				2014–15			
		लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	लाभन्वित महिला	व्यय राशि	उपलब्धि का %
16.	राजनांदगांव	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
17.	कांकेर	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
18.	नारायणपुर	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
19.	मुँगेली	10	0	0	0	10	0	0	0	10	10	50000	100
20.	बलौदाबाजार	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
21.	गरियाबंद	10	0	0	0	10	25	125000	250	10	0	0	0
22.	बेमेतरा	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
23.	बालोद	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
24.	कोंडागांव	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
25.	सुकमा	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
26.	बलरामपुर	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
27.	सुरजपुर	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0
	योग	**270**	**86**	**389280**	**31.85**	**270**	**179**	**1002650**	**66.30**	**270**	**58**	**244750**	**21.48**

तालिका क्रमांक 3.6: स्वावलंबन योजना की जिलेवार औसत उपलब्धिः

क्र	जिला	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत
1.	महासमुंद	–	500	0	0	480	0	196
2.	कबीरधाम	100	100	100	0	0	0	50
3.	कोरबा	–	100	25	100	100	0	65
4.	बिलासपुर	60	515	0	0	100	0	112.5
5.	कोरिया	–	120	90	50	100	0	72
6.	धमतरी	–	120	100	100	100	0	84
7.	जशपुर	–	50	65	0	280	280	135
8.	रायपुर	–	150	120	100	80	100	110
9.	बस्तर	100	105	100	100	0	0	67.5
10.	दंतेवाड़ा	–	120	0	0	0	0	24
11.	रायगढ़	200	150	150	170	140	100	151.67
12.	बीजापुर	–	100	0	40	0	0	28
13.	दुर्ग	90	–	0	0	0	0	15
14.	जांजगीर	–	–	0	100	80	0	32

क्र	जिला	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत
15.	सरगुजा	70	–	0	100	100	0	45
16.	राजनांदगांव	–	–	0	0	0	0	0
17.	कांकेर	–	–	0	0	0	0	0
18.	नारायणपुर	60	–	0	0	0	0	10
19.	मुँगेली	–	–	–	0	0	100	33.33
20.	बलौदाबाजार	–	–	–	0	0	0	0
21.	गरियाबंद	–	–	–	0	0	250	83.33
22.	बेमेतरा	–	–	–	0	0	0	0
23.	बालोद	–	–	–	0	0	0	0
24.	कोंडागांव	–	–	–	0	0	0	0
25.	सुकमा	–	–	–	0	0	0	0
26.	बलरामपुर	–	–	–	0	0	0	0
27.	सुरजपुर	–	–	–	0	0	0	0

स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग।

रेखाचित्र क्रमांक 3.3: स्वावलंबन योजना की जिलेवार औसत उपलब्धिः

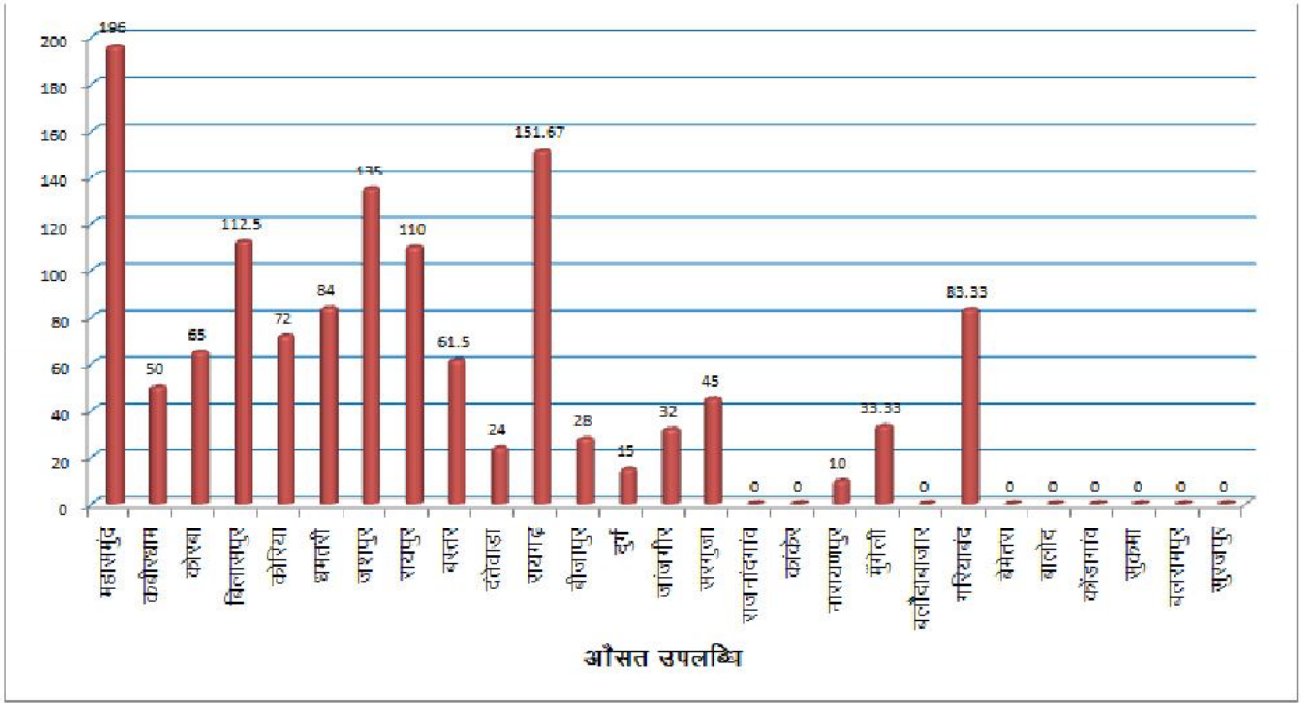

स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग।

स्वावलंबन योजना की औसत सफलता में छ.ग. के महासमुंद जिले में सर्वाधिक 196 प्रतिशत रही दूसरे स्थान पर 151.67 प्रतिशत रायगढ़ जिले में, 135 प्रतिशत के साथ जशपुर जिला तृतीय स्थान पर है, बिलासपुर जिले में औसत सफलता 112.5 प्रतिशत, रायपुर जिले में 100 प्रतिशत रही, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, धमतरी, बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद जिलो में औसत सफलता का प्रतिशत 45 से 80 प्रतिशत के मध्य रहा। परंतु कुछ जिलो में जैसे दंतेवाड़ा बीजापुर, दुर्ग, जांजगीर मुगेंली एवं नारायणपुर में योजना की सफलता के औसत में कमी दर्शित हुयी, वहीं, कांकेर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, कोंडागांव, सुकमा, बलरामपुर एवं राजनांदगांव एवं सूरजपूर में योजना की औसत सफलता शून्य रही। शासन की स्वावलंबन योजना अंर्तगत जिन जिलो में शून्य के बराबर या कम सफलता प्राप्त हुई है वहां इस योजना तक लोगों की पहुंच में एवं स्वयं शासन के प्रयासों में कमी दर्शित होती है जो योजना के लक्ष्य की सफलता में बाधक है।

तालिका क्रमांक 3.7: उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम की जिलेवार प्रगति की जानकारीः

क्रं.	जिले का नाम	2007–08					2008–09					2009–10				
		लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	1	1	61	16000	100%	1	1	50	16000	100%	1	2	100	32000	200%
2.	दुर्ग	1	1	70	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
3.	राजनांदगांव	1	1	60	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
4.	कवर्धा	1	1	55	16000	100%	1	1	50	16000	100%	1	2	100	32000	200%
5.	महासमुंद	1	1	71	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
6.	धमतरी	1	1	52	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
7.	बिलासपुर	1	1	58	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
8.	जांजगीर चांपा	1	1	55	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
9.	कोरबा	1	1	60	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
10.	रायगढ़	1	1	69	16000	100%	1	1	50	16000	100%	1	2	100	32000	200%
11.	जशपुर	1	1	50	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
12.	अंबिकापुर	1	1	52	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
13.	कोरिया	1	1	51	16000	100%	1	1	60	16000	100%	1	2	100	32000	200%
14.	जगदलपुर	1	1	60	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
15.	कांकेर	1	1	69	16000	100%	1	1	50	16000	100%	1	2	100	32000	200%

16.	दंतेवाड़ा	1	1	95	16000	100%	–	–	–	–	–	1	2	100	32000	200%
योग		16	16	988	256000	100%	5	5	260	80000	100%	18	36	1800	576000	200%

उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम की जिलेवार प्रगति की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	2010–11					2011–12				
		लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	2	2	100	32000	100%	2	2	109	32000	100%
2.	दुर्ग	2	2	100	32000	100%	2	0	0	0	0%
3.	राजनांदगांव	2	0	0	0	0%	2	0	0	0	0%
4.	कवर्धा	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%
5.	महासमुंद	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%
6.	धमतरी	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%
7.	बिलासपुर	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%
8.	जांजगीर चांपा	2	1	50	16000	50%	2	0	0	0	0%
9.	कोरबा	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%
10.	रायगढ़	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%
11.	जशपुर	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%

क्रं.	जिले का नाम	2010—11					2011—12				
		लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %
12.	अंबिकापुर	2	2	100	32000	100%	2	0	0	0	0%
13.	कोरिया	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%
14.	जगदलपुर	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%
15.	कांकेर	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%
16.	दंतेवाड़ा	2	2	100	32000	100%	2	2	100	32000	100%
17.	नारायणपुर	2	0	0	0	0%	2	0	0	0	0%
18.	बीजापुर	2	1	50	16000	50%	2	1	50	16000	50%
योग		36	30	1500	480000	83.33%	36	25	1259	400000	69.44%

क्रं.	जिले का नाम	2012—13					2013—14					2014—15				
		लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	50	18500	100%
2.	दुर्ग	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
3.	राजनांदगांव	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	50	18500	100%
4.	कवर्धा	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
5.	महासमुंद	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	50	18500	100%
6.	धमतरी	1	1	50	16000	100%	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%

क्रं.	जिले का नाम	2012–13					2013–14					2014–15				
		लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लामन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लामन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लामन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %
7.	बिलासपुर	1	1	50	16000	100%	1	1	50	18500	100%	1	1	50	18500	100%
8.	जांजगीर चांपा	1	0	0	0	0	1	1	50	18500	100%	1	1	50	18500	100%
9.	कोरबा	1	1	50	16000	100%	1	0	0	0	0	1	1	50	18500	100%
10.	रायगढ़	1	1	50	16000	100%	1	2	100	32500	200%	1	1	50	16500	100%
11.	जशपुर	1	1	50	16000	100%	1	1	50	16000	100%	1	1	50	18500	100%
12.	सरगुजा	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	50	18500	100%
13.	कोरिया	1	1	50	16000	100%	1	1	50	16000	100%	1	0	0	0	0%
14.	बस्तर	1	2	100	32000	200%	1	0	0	0	0	1	1	50	16000	100%
15.	कांकेर	1	0	0	0	0	1	1	42	16000	100%	1	0	0	0	0
16.	दंतेवाड़ा	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17.	नारायणपुर	1	1	50	16000	100%	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18.	बीजापुर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19.	मुँगेली	1	1	50	16000	100%	1	0	0	0	0	1	1	50	18500	100%
20.	बलौदाबाजार	1	1	50	16000	100%	1	1	50	16000	100%	1	1	50	18500	100%

क्रं.	जिले का नाम	2012–13					2013–14					2014–15				
		लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	आयोजित कार्यक्रम	लाभन्वित हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का %
21.	गरियाबंद	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
22.	बेमेतरा	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
23.	बालोद	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	50	18500	100%
24.	कोंडागांव	1	0	0	0	0	1	1	50	18500	100%	1	1	50	18500	100%
25.	सुकमा	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
26.	बलरामपुर	1	0	0	0	0	1	1	50	5500	100%	1	1	50	18500	100%
27.	सुरजपुर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
योग		27	11	550	176000	4074	27	10	492	157500	37.04	27	15	750	273000	55.55

तालिका क्रमांक 3.8: उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम की जिलेवार औसत उपलब्धिः

क्र	जिला	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत
1.	रायपुर	100%	100%	200%	100%	100%	0%	0%	100%	87.5%
2.	दुर्ग	100%	–	200%	100%	0%	0%	0%	0%	57.14%
3.	राजनांदगांव	100%	–	200%	0%	0%	0%	0%	100%	57.14%

क्र	जिला	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत
4.	कवर्धा	100%	100%	200%	100%	100%	0%	0%	0%	75%
5.	महासमुंद	100%	–	200%	100%	100%	0%	0%	100%	75%
6.	धमतरी	100%	–	200%	100%	100%	100%	0%	0%	85.71%
7.	बिलासपुर	100%	–	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	जांजगीर चांपा	100%	–	200%	50%	0%	0%	100%	100%	78.57%
9.	कोरबा	100%	–	200%	100%	100%	100%	100%	0	87.5%
10.	रायगढ़	100%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	200%	125%
11.	जशपुर	100%	–	200%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	अंबिकापुर	100%	–	200%	100%	0%	0%	0%	100%	71.43%
13.	कोरिया	100%	100%	200%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
14.	जगदलपुर	100%	–	200%	100%	100%	200%	0%	100%	100%
15.	कांकेर	100%	100%	200%	100%	100%	0%	100%	0%	87.5%
16.	दंतेवाड़ा	100%	–	200%	100%	100%	0%	0	0	71.43%
17.	नारायणपुर			200%	0%	0%	100%	0	0	50%
18.	बीजापुर			200%	50%	50%	0%	0	0	50%

क्र	जिला	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत
19.	मुँगेली						100%	0	100%	66.67%
20.	बलौदाबाजार						100%	100%	100%	100%
21.	गरियाबंद						0%	0	0	0%
22.	बेमेतरा						0%	0	0	0%
23.	बालोद						0%	0	100%	33.33%
24.	कोंडागांव						0%	100%	100%	66.66%
25.	सुकमा						0%	0	0	0%
26.	बलरामपुर						0%	100%	100%	66.66%
27.	सुरजपुर						0%	0	0	0%

स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग।

रेखाचित्र क्रमांक–3.4: उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम की जिलेवार औसत उपलब्धि

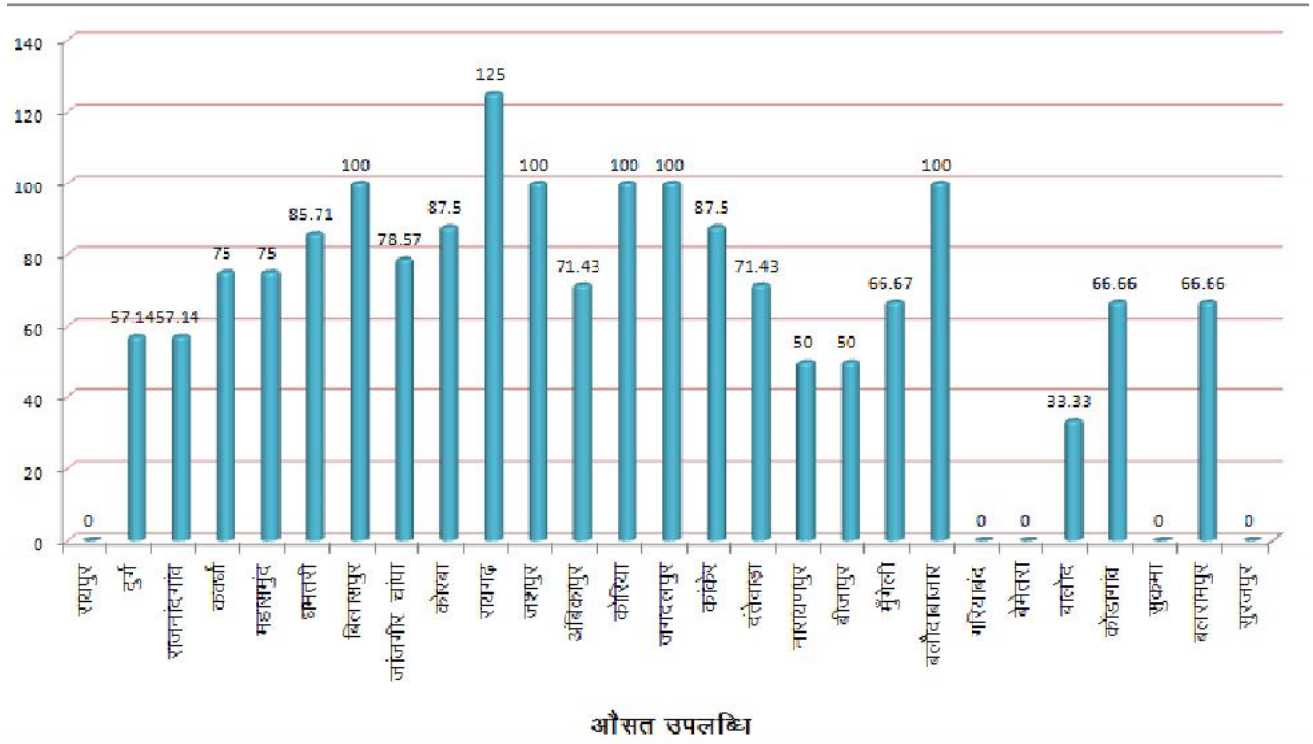

उद्यमिता जागरूकता छ.ग. शासन की प्रशिक्षण आधारित योजना है जो छ.ग. के सभी जिलो में अपना अच्छा प्रर्दशन कर रही है केवल गरियाबंद, बेमेतरा, सुकमा एवं सूरजपूर जिलो में इस योजना की उपलब्धि का प्रतिशत निरंक है अन्य जिले जैसे रायगढ़ में इस योजना की औसत उपलब्धि 125 प्रतिशत, बिलासपुर, जशपुर, कोरिया, जगदलपुर में योजना की औसत उपलब्धि 100 प्रतिशत रही, रायपुर एवं कांकेर एवं कोरिया में 87.5 प्रतिशत, कर्वधा एवं महासमुंद जिले में 75 प्रतिशत, अंबिकापुर में 71.53 प्रतिशत, एवं दंतेवाड़ा मुंगेली, कोंडागांव एवं बलरामपुर जिले में 66.66 प्रतिशत रही, अन्य जिलो में भी योजना की औसतन सफलता का प्रतिशत 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य रहा।

तालिका क्रमांक 3.9: कौशल उन्नयन योजना की जिलेवार प्रगति की जानकारीः

क्र.	जिला	2007–08				2008–09				2009–10			
		लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %	लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %	लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	5	3	90	60%	5	2	60	40%	5	10	300	200%
2.	बिलासपुर	5	3	90	60%	5	5	150	100%	5	10	300	200%
3.	दुर्ग	5	2	60	40%	–	–	–	–	5	13	390	260%
4.	रायगढ़	5	1	30	20%	5	5	150	100%	5	10	300	200%
5.	जांजगीर चांपा	5	2	60	40%	–	–	–	–	5	4	120	80%
6.	कवर्धा	5	3	107	60%	5	6	210	120%	5	7	210	140%
7.	जशपुर	5	2	60	40%	5	5	150	100%	5	5	150	100%
8.	कांकेर	5	2	60	40%	5	4	120	80%	5	10	300	200%
9.	कोरिया					5	5	152	100%	5	5	150	100%
10.	धमतरी					5	5	150	100%	5	10	300	200%
11.	दंतेवाड़ा					5	3	90	60%	5	–	–	–
12.	राजनांदगांव					5	5	150	100%	5	5	150	100%
13.	बस्तर									5	10	300	200%
14.	महासमुद									5	3	90	60%
15.	कोरबा									5	10	300	200%
16.	सरगुजा									5	8	240	160
	योग	45	18	557	40	50	45	1382	90	80	120	3600	150

कौशल उन्नयन योजना की जिलेवार प्रगति की जानकारीः

क्र.	जिले का नाम	2010–11				2011–12			
		लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %	लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	10	10	300	100%	5	5	150	100%
2.	बिलासपुर	10	10	300	100%	5	–	–	0%
3.	दुर्ग	10	10	300	100%	5			
4.	रायगढ़	10	10	300	100%	5	5	150	100%
5.	जांजगीर चांपा	10	8	240	80%	5	3	90	60%
6.	कर्वधा	10	10	300	100%	5	–	–	–
7.	जशपुर	10	10	300	100%	5	5	150	100%
8	कांकेर	10	10	300	100%	5	10	300	200%
9.	कोरिया	10	10	300	100%	5	5	150	100%
10.	धमतरी	10	10	300	100%	5	10	300	200%
11.	दंतेवाड़ा	10	10	300	100%	5	5	150	100%
12.	राजनांदगांव	10	5	150	50%	5	–	–	–
13.	बस्तर	10	10	300	100%	5	10	300	200%
14.	महासमुंद	10	10	300	100%	5	5	150	100%
15.	कोरबा	10	10	300	100%	5	5	150	100%
16.	सरगुजा	10	10	300	100%	5	–	–	–
17.	बीजापुर	10	8	240	80%	5	–	–	–
18.	नारायणपुर	10	5	150	50%	5	–	–	–

क्र.	जिले का नाम	2010–11				2011–12			
		लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %	लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %
योग		180	166	4980	92.22	90	68	2040	75.55

कौशल उन्नयन योजना की जिलेवार प्रगति की जानकारीः

क्र.	जिला	2012–13				2013–14				2014–15			
		लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %	लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %	लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %
1.	रायपुर	5	–	–	–	5	–	–	–	5	6	180	120%
2.	बिलासपुर	5	10	300	200%	5	5	150	100%	5	5	150	100%
3.	दुर्ग	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	–	–	–
4.	रायगढ	5	5	150	100%	5	0	0	100%	5	3	90	60%
5.	जांजगीर चांपा	5	–	–	–	5	–	–	–	5	5	150	100%
6.	कर्वधा	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	–	–	–
7.	जशपुर	5	5	150	100%	5	5	150	100%	5	5	150	100%
8.	कांकेर	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	–	–	–
9.	कोरिया	5	5	150	100%	5	5	150	100%	5	–	–	–
10.	धमतरी	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	–	–	–
11.	दंतेवाड़ा	5	–	–	–	5	–	–	–	5	5	150	100%
12.	राजनांदगांव	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	1	30	20%
13.	बस्तर	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	5	150	100%
14.	महासमुंद	5	5	150	100%	5	4	120	80%	5	5	150	100%

क्र.	जिला	2012–13				2013–14				2014–15			
		लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %	लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %	लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला	उपलब्धि का %
15.	कोरबा	5	–	–	–	5	–	–	–	5	5	150	100%
16.	सरगुजा	5	5	150	100%	5	5	150	100%	5	5	150	100%
17.	बीजापुर	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	–	–	–
18.	नारायणपुर	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	–	–	–
19.	मुंगेली	5	3	90	60%	5	3	90	60%	5	5	150	100%
20.	बलौदाबाजार	5	2	60	40%	5	–	–	–	5	5	150	100%
21.	गरियाबंद	5	–	–	–	5	–	–	–	5	–	–	–
22.	बेमेतरा	5	4	120	80%	5	–	–	–	5	5	150	100%
23.	बालोद	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	–	–	–
24.	कोंडागांव	5	6	180	120%	5	5	150	100%	5	5	150	100%
25.	सुकमा	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	–	–	–
26.	बलरामपुर	5	5	150	100%	5	2	60	40%	5	2	60	40%
27.	सुरजपुर	5	5	150	100%	5	–	–	–	5	–	–	–
	योग	**135**	**110**	**3300**	**81.48**	**135**	**34**	**1020**	**25**	**135**	**72**	**2160**	**53.33**

तालिका क्रमांक 3.10: कौशल उन्नयन योजना की जिलेवार औसत उपलब्धिः

क्र	जिला	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत %
1.	रायपुर	60	40	200	100	100	0	–	120	77.5
2.	बिलासपुर	60	100	200	100	0	200	100	100	107.5
3.	दुर्ग	40	–	260	100	0	100	–	0	125
4.	रायगढ़	20	100	200	100	100	100	0	60	85
5.	जांजगीर चांपा	40	–	80	80	60	0	–	100	51.43
6.	कर्वधा	60	120	140	100	0	100	–	0	65
7.	जशपुर	40	80	100	100	100	100	100	100	90
8.	कांकेर	40	100	200	100	200	100	–	0	92.5
9.	कोरिया	–	100	100	100	100	100	100	0	85.71
10.	धमतरी	–	100	200	100	200	100	–	0	87.5
11.	दंतेवाड़ा	–	60	–	100	100	0	–	100	45
12.	राजनांदगांव	–	100	100	50	0	100	–	20	52.86

क्र	जिला	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	औसत %
13.	बस्तर	–	–	200	100	200	100	–	100	116.66
14.	मडासमुंद	–	–	60	100	100	100	80	100	90
15.	कोरबा	–	–	200	100	100	0	–	100	83.33
16.	सरगुजा	–	–	160	100	0	100	150	100	101.67
17.	बीजापुर	–	–	–	80	0	100	0	0	36
18.	नारायणपुर	–	–	–	50	0	100	0	0	30
19.	मुंगेली	–	–	–	–	–	60	90	100	83.33
20.	बलौदाबाजार	–	–	–	–	–	40	0	100	46.67
21	गरियाबंद	–	–	–	–	–	–	0	0	–
22.	बेमेतरा	–	–	–	–	–	80	0	100	60
23.	बालोद	–	–	–	–	–	100	0	0	33.33
24.	कोंडागांव	–	–	–	–	–	120	150	0	123.33
25.	सुकमा	–	–	–	–	–	100	0	0	33.33
26.	बलरामपुर	–	–	–	–	–	100	60	40	66.67
27.	सुरजपुर	–	–	–	–	–	100	0	0	33.33

स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग।

रेखाचित्र क्रमांक 3.5: कौशल उन्नयन योजना की जिलेवार औसत उपलब्धिः

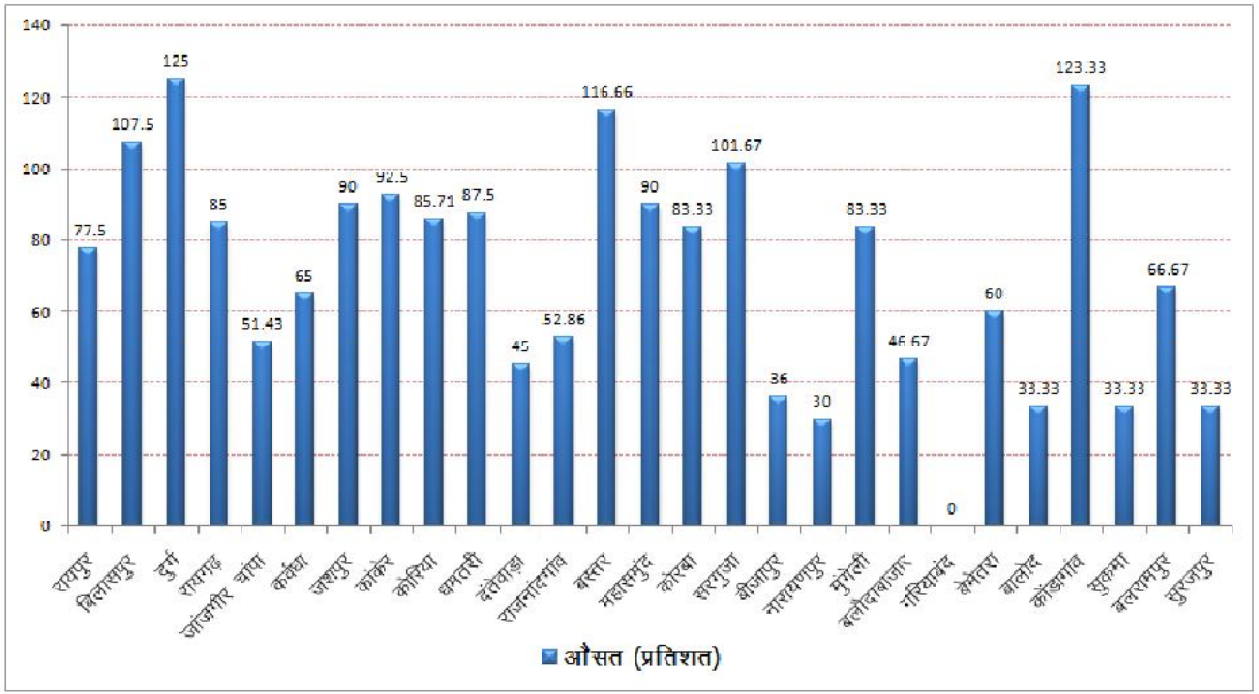

स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग।

कौशल उन्नयन योजना मुख्यतः महिला उद्यमियों के उद्यम कौशल में वृद्धि जैसे उद्देश्यों पर आधारित एक प्रशिक्षण योजना है, जिसके अंर्तगत योजना प्रारंभ वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक औसत उपलब्धि छ.ग. के दुर्ग जिले में 125 प्रतिशत, कोंडागांव में 123.33 प्रतिशत बस्तर जिले में 116.67 प्रतिशत, बिलासपुर जिले में 107.5 प्रतिशत, सरगुजा जिले में 101. 67 प्रतिशत, रायगढ़ जिले में 97.5 प्रतिशत, कांकेर में 92.5 प्रतिशत एवं जशपुर तथा कोरबा में 90 प्रतिशत रही। अन्य जिलो में औसत उपलब्धि 30 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य रही परंतु गरियाबंद जिले में योजना का प्रर्दशन शून्य रहा।

औसत रूप में कौशल उन्नयन योजना के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता सभी जिलो में बहुत अच्छी रही है।

तालिका क्रमांक 3.11: महिला समृद्धि बाजार योजना की जिलेवार प्रगति की जानकारी

क्र.	निकाय का नाम	योजना प्रारंभ से वर्तमान तक स्वीकृत संख्या	मापदंडो के अनुसार सूड़ा द्वारा देय राशि (लाख में)	पूर्ण दुकानों की संख्या
1.	रायपुर	150	37.50	150
2.	जगदलपुर	100	25	100
3.	दुर्ग	150	37.50	42
4.	भिलाई	100	25	100
5.	बिलासपुर	150	37.50	96
6.	कोरबा	100	25	100
7.	जशपुर	28	7	28
	योग	778	194.50	616

स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विभाग नया रायपुर (छ.ग.)।

रेखाचित्र क्रमांक 3.6: महिला समृद्धि बाजार योजना की जिलेवार उपलब्धि

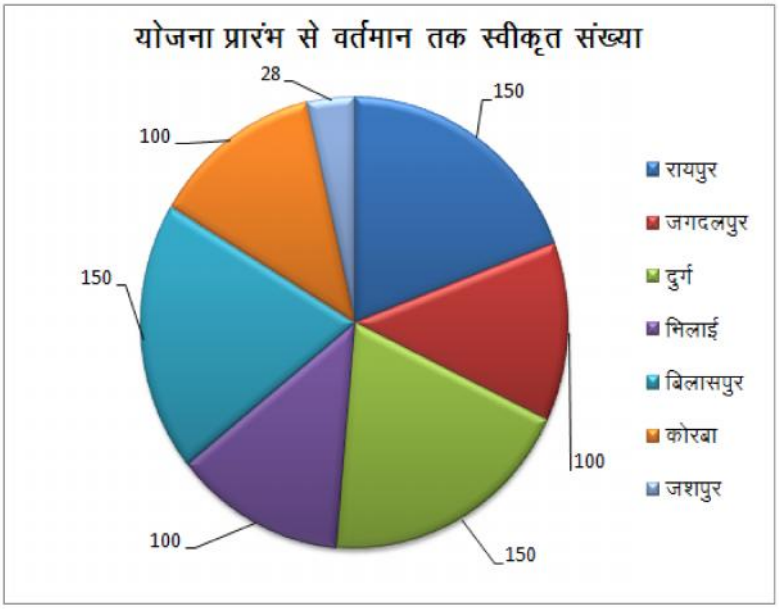

स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विभाग नया रायपुर (छ.ग.)।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि रायपुर जिले में 150 दुकानों में 150 पूर्ण है, जगदलपुर में 100 में 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण है, दुर्ग जिले 150 में 42 दुकाने निर्मित है शेष 108 का कार्य प्रगति पर है, भिलाई, कोरबा, जशपुर जिले में 100प्रतिशत कार्य पूर्ण है एवं बिलासपुर जिले में 150 में 96 का कार्य पूर्ण है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

शासन की महिला समृद्धि बाजार योजना ने महिलाओं को अपने उत्पाद के विपणन हेतु एक उचित आधार प्रदान किया है एवं निःसंदेह योजना से सभी नगरीय निकाय की महिलायें लाभान्वित हो रही है।

तालिका क्रमांक–3.12 : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंर्तगत योजना प्रारंभ वर्ष 1998–99 से वर्ष 2015 तक प्रत्येक जिले में योजना की स्थिति का विवरण

क्र.	जिले का नाम	महिला उद्यमी द्वारा स्थापित कुल इकाई	शासन द्वारा प्रदत्त मार्जिन मनी (लाख में)	क्र.	जिले का नाम	महिला उद्यमी द्वारा स्थापित कुल इकाई	मार्जिन मनी (लाख में)
1.	बस्तर	136	291.98	18.	बीजापुर	74	51.19
2.	बिलासपुर	303	887.59	19.	मुंगेली	28	97.42
3.	दंतेवाड़ा	252	205.69	20.	कोंडागांव	14	17.32
4.	धमतरी	96	144.94	21.	सुकमा	–	–
5.	दुर्ग	269	783.17	22.	गरियाबंद	18	84.94
6.	जाँजगीर–चांपा	139	522.20	23.	बालोद	15	26.46
7.	जशपुर	45	103.58	24.	बलौदाबाजार	14	52.43
8.	कोरबा	85	151.34	25.	बेमेतरा	13	25.29
9.	कोरिया	82	162.85	26.	सूरजपुर	29	146.19
10.	महासमुंद	176	397.50	27.	बलरामपुर	9	23.60
11.	रायगढ़	164	582.50		**योग**	**3074**	**7788.67**
12.	रायपुर	519	1560.93				
13.	राजनांदगांव	184	637.78				
14.	सरगुजा	209	595.15				
15.	कांकेर	88	93.87				
16.	कर्वधा	82	92.89				
17.	नारायणपुर	31	49.52				

(स्रोतः खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग)

रेखाचित्र क्रमांक–3.7: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंर्तगत वर्ष 1998–99 से 2015 तक प्रत्येक जिले में योजना की स्थिति का विवरण –

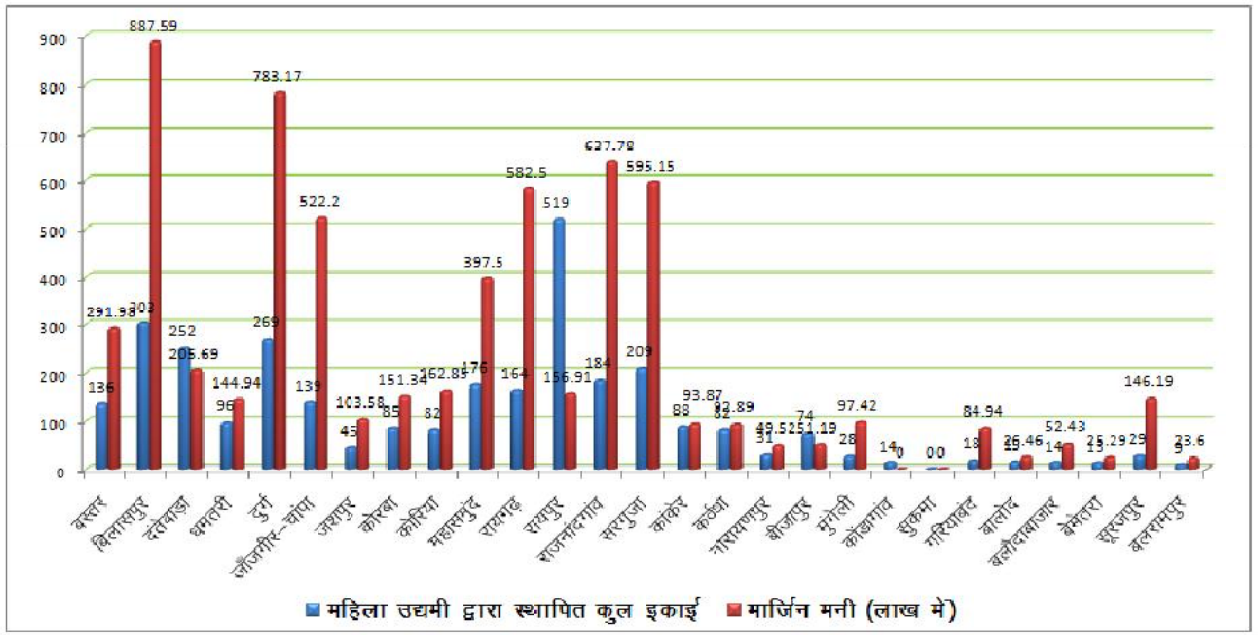

स्रोत :– खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंर्तगत वर्ष प्रारंभ से 2015 तक कुल 3074 महिला उद्यम स्थापित किये गये हैं, एवं शासन द्वारा इन उद्यमों को कुल 7788.67 लाख रू. की मार्जिन मनी प्रदान की गई है। योजनार्तगत सर्वाधिक महिला उद्यम रायपुर जिले में स्थापित किये गये है जिनकी कुल संख्या 519 है एवं उन्हें कुल 1560.93 लाख रू. मार्जिन मनी प्रदात की गई है, तत्पश्चात बिलासपुर जिले में 303 उद्यम इकाई महिलाओं द्वारा स्थापित की गई एवं मार्जिन मनी 881.59 लाख रू. प्रदत्त की गई, दुर्ग जिले में 269 महिला उद्यम एवं प्रदत्त मार्जिन मनी 783.17 लाख रू. रही, दंतेवाड़ा जिले में 252 महिला उद्यमों को 205.69 लाख रू. की मार्जिन मनी प्रदत्त की गई, सरगुजा जिले में 209 महिला उद्यमों को शासन द्वारा 595.15 लाख रू. मार्जिन मनी के रूप में प्रदान की गई।

इनके अतिरिक्त योजना से लाभान्वित होकर राजनांदगांव जिले में 184, रायगढ़ में 164, महासमुंद जिले में 176, जांजगीर चांपा में 139 एवं बस्तर जिले में 136 महिला इकाईयों की स्थापना हुई।

योजना की स्थिति धमतरी, कांकेर, कोरबा, कोरिया, कर्वधा, बीजापुर जिले में औसत है परंतु जशपुर एवं नारायणपुर जिले में औसत से अल्प सफलता मिली है।

नवनिर्मित जिलो में मुंगेली, सुरजपुर, गरियाबंद जिले में अच्छ सफलता मिली है, बलरामपुर जिले में औसत कम सफलता केवल 9 महिला उद्यम की स्थापना हुई एवं सुकमा जिले में आजपर्यंत एक भी महिला इस योजना से लाभान्वित नहीं हुई है।

अध्याय 04

छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार स्थापना हेतु मार्ग दर्शिका

भूमिका

सृष्टि के प्रारंभ से ही महिलाओं ने पूंजी निर्माण में योगदान दिया है, आर्थिक स्वावलंबन की चाह महिलाओं को ना केवल प्रगति का अवसर प्रदान करता है अपितु परिवार की धुरी होने के कारण ना केवल परिवार अपितु राष्ट्र के विकास में भी सहायक हैं। घरेलू क्रियाओं से समबद्ध महिलाओं ने जब परिर्वतित सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उद्यमशील गतिविधियों में योगदान देना प्रारंभ किया तो स्वरोजगार के नये क्षेत्रों का भी विकास हुआ।

कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी की महिलायें तो इस क्षेत्र में प्रारंभ से ही गतिशील रहीं परंतु वर्तमान में ना केवल भारत वरन् छ.ग. राज्य में भी महिलायें फुटकर व्यापार, होटल, शिक्षा, बीमा जैसे निर्माण क्षेत्र में योगदान दे रही हैं।

21वीं सदी की महिलाओं में नैर्सगिक रूप से सृजनशीलता, साहस, प्रवीणता, कड़ी मेहनत, धैर्य तथा सुझबुझ जैसे अदम्य मानवीय मूल्यों से संपन्न है उद्यम में जोखिम एवं चुनौतियां वहन करनें, प्रबंधकीय गुणों से परिपूर्ण महिलायें सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक प्रत्येक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।

विश्लेषण यह बताता है कि देश में कुल उद्यमियों में लगभग 15 प्रतिशत महिलाओं का योगदान है जो निरंतर गति से बढ़ रहा है एवं भावी 5 वर्षो में 22 प्रतिशत तक होने की संभावना है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का ये योगदान उनके स्वयं पर विश्वास करनें की योग्यता, समस्या सुलझाने की क्षमता, अवसरों का विदोहन, नेतृत्व कौशल, समन्वयपूर्ण ढंग से कार्य करने जैसे गुणों के कारण है। महिलायें स्वरोजगार की दिशा में नित नई सफलता की सीढ़ीया चढ़ते हुये एक सफल महिला उद्यमी

साबित हो रही है। महिला आज स्वयं आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनकर स्वयं के साथ–साथ औरो को भी रोजगार प्रदान कर रही है और सफल महिला उद्यमी के रूप में दूसरों के सामनें भी उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें भी स्वरोजगार स्थापना हेतु प्रेरित कर रही है।

निम्नांकित गुण एक महिला को सफल महिला स्वरोजगारी बनाने में सहायक सिद्ध होगें।

4.1 सफल महिला व्यवसायी के आवश्यक गुण

जोखिम वहन कर्त्ताः व्यवसाय की सफलता सदैव जोखिम वहन करनें की क्षमता पर आधारित है। इस पर लारेन्स लेमण्ट नें लिखा है कि ''जोखिम वहन के प्रति झुकाव ही सफल व्यवसायी के व्यक्तित्व का वास्तविक गुण है।''

व्यवसाय में अनेको जोखिम निहित है एवं प्रत्येक का पूर्वानुमान लगाना संभव भी नहीं, अतः सामान्यतः जोखिम का सामना अपने विवेकपूर्ण निर्णय एवं योजनाओं के माध्यम से करते हैं।

कार्य का लक्ष्य एवं संतुष्टीः सफल महिला व्यवसायी हमेशा कार्य को लक्षित करते हुये कार्य करती है। अपनें आत्म संतुष्टी को प्राथमिकता व आर्थिक लाभ को गौण मानते हुये कार्य करती हैं। कार्य के लक्ष्य के प्रति समपर्ण की भावना उन्हें सफल महिला व्यवसायी बनाता है।

नव–प्रर्वतनः नवीन वस्तु, नवीन उत्पादन, नवीन विधि, नवीन यंत्र, नये बाजारों व नवीन विपणन के अवसरो की खोज, सदैव नवीन परिवर्तनों व सोच का गुण महिलाओं को व्यवसायिक सफलता के लिये प्रेरित करती है।

नित नये विचारों का आयाम सफलता को लक्षित करती महिलायें अपने इस गुण के द्वारा विकास की ओर बढ़ती है। प्रत्येक क्षेत्र में नव–प्रर्वतन द्वारा ही आज महिलायें ना केवल गैर परंपरागत वरन परंपरागत ही नहीं वरन तकनीकि क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है।

सकारात्मक दृष्टिकोण

भाग्यवादी दृष्टिकोण को छोड़ते हुये अपने मार्गस्थ बाधाओं को हल करते हुये नित नवीन रणनीति बनाना तथा हानि होने पर निराश न होकर अपने उद्देश्य के प्रति गतिशील रहने के सकारात्मक दृष्टिकोण से उद्यम में सफलता पानें का गुण महिला उद्यमी में होना जरूरी है।

सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति अपनी व्यावसायिक समस्या से ग्रसित नहीं होता वरन् उन्हें हल करने में अपनी उर्जा लगाता है, तो समस्याओं का उचित हल सामने प्रस्तुत होता है।

पूंजीपति एवं विनियोजक से भिन्नता

व्यवसाय में पूंजी की व्यवस्था एवं निवेश कर लाभ कमाने के साथ–साथ सामाजिक दायित्व की भी पूर्ति करना एक पूंजीपति एवं विनियोजक का मुख्य उद्देश्य है। परंतु पीटर एफ ड्रंकर ने कहा है कि ''व्यवसायी विनियोजक नहीं अपितु एक कर्मचारी होता है जो अकेला पूर्णतः स्वयं ही कार्य करता है।''

महिलाओं में यह गुण होता है कि वे सभी कार्य स्वयं अपनी जिम्मेदारी से करती है तथा समाज की भलाई करना एवं लाभ का उद्देश्य सहायक रखते हुये मुख्य ना रखने का गुण उन्हें पूंजीपति एवं विनियोजक से भिन्न करता है। जो व्यावसायिक सफलता के दृष्टिकोण से अत्यंत जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण कार्य एक कर्मचारी के स्तर पर करना अधिकारों को केंद्रित रखते हुये व्यावसायिक समस्याओं का उचित हल निकालने में सहायक होता है।

अवसरों का विदोहन

चुनौतियों को अवसरों में बदलना एक सफल व्यवसायी का आवश्यक गुण होता है, जो नित नये अवसरों के विदोहन द्वारा लाभ प्राप्त कर सृजनात्मकता के गुणों में वृद्धि करता है। एक सफल महिला उद्यमी के लिये आवश्यक है कि वे व्यावसायिक अवसरों की सही पहचान करे तथा उन चुनौतियों को सही अवसरों की ओर मोडकर लाभदायकता में परिर्वतन

करना आवश्यक है। व्यावसायिक सफलता पूर्णतः अवसरों पर आधारित होती है, जिनका विदोहन कर संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना नितांत जरूरी होता है।

उपक्रमों का विस्तार

साधनों का एकीकरण कर उन्हें उचित विदोहन हेतु औद्योगिक क्रियाओं के विस्तार में उपयोग करना, व्यवसाय में नित नवीन अविष्कारों के माध्यम से अपनें उपक्रमों का विस्तार एवं विकास कर सफलता की ओर बढ़ाना सफल व्यवसायी का गुण होता है। भारत जैसे देश में जहां प्राकृतिक एवं मानवीय दोनो प्रकार के संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध है उनको सही उपयोग कर उपक्रमों का विस्तार करना भी एक व्यावसायिक कला है।

मौलिक कल्पना शक्ति

महिलाओं में सृजनशीलता एवं कल्पनाशक्ति एक नैसर्गिक गुण है, जो व्यवसायिक सफलता में नितांत आवश्यक है। कल्पना शक्ति के माध्यम से आज के उच्च प्रतिस्पर्धा के युग में नवीन विचारों से नये अविष्कार, नवीन बाजारों व ग्राहकों की खोज कर लाभान्वित हो सकती है।

कठोर परिश्रम की प्रवृति

महिलाओं में कठिन मेहनत, पक्का इरादा जैसी प्रवृति उन्हें सफल व्यवसायी बनानें में सहायक है। व्यवसाय में जितनी भी कठिनाई या बाधायें हो यदि कठिन परिश्रम करनें की आदत हो तो वो कठिनाई धीरे–धीरे हल हो जाती है, मेहनत से ना डरना उन समस्याओं का डट के मुकाबला करना, जैसे गुण हो तो उन्हें ना केवल प्रतिस्पर्धा में आगे ले जायेगा वरन व्यवसाय को भी आगे बढ़ानें में सहायक होगा।

व्यावसायिक एवं पारिवारिक जीवन में संतुलन

एक महिला को पारिवारिक जवाबदारी के साथ उद्यमशील गतिविधियों में संतुलन बनाना आसान कार्य नहीं क्योंकि परिवार की जवाबदेही खत्म नहीं होती वरन् नित दिन नई समस्या तैयार रहती है।

महिला परिवार की धुरी होती है और जब वह परिवार के समय में कटौती कर उद्यम में देती है तो स्वयं उसके लिये भी यह अत्यंत कठिन परिस्थिति होती है,

सफल महिला व्यवसायी के लिये अत्यंत आवश्यक है कि वह दोनो ओर संतुलन बनाये रखे जिससे परिवार व व्यवसाय दोनों की गाड़ी आसानी से चल सके। संतुलन बनाये रखनें से महिलायें मानसिक रूप से सशक्त होकर ना केवल परिवार की आर्थिक सहायता कर सकती है वरन् व्यवसाय की प्रगति पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती है।

नेतृत्व क्षमता

महिलाओं में नेतृत्व की अपार क्षमता होती है। उद्यम के सफल संचालन हेतु एवं कर्मचरियों से कुशलतापूर्वक कार्य कराने हेतु नेतृत्व एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो उद्यम के विकास में सहायक है। कुशल नेतृत्व द्वारा उद्यम में उत्पादन की लागत में कमी व अन्य सभी क्षेत्रों में उचित प्रबंध कर लार्भाजन का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है।

अपने कार्य को बेहतर बनाना

आत्म निरीक्षण द्वारा स्वयं के उद्यम को और अच्छा बनाना सफल महिला उद्यमी का विशेष गुण है। अपने उत्पाद को और अधिक गुणवत्ता वान बनाने हेतु निरंतर अग्रसर होना जैसे फूलों का व्यवसाय हो तो अधिक अच्छे फूलों हेतु पानी, खाद देना और अधिक वैज्ञानिक पद्वतियों द्वारा बेहतर उत्पादित करना ताकि उत्पाद गुणवत्ता युक्त होने के साथ लाभ भी प्रदान करे। कार्य को जितना अधिक निष्ठा और लगन के साथ किया जाये उतना ही बेहतर परिणाम सामने आयेगें।

कार्य का विस्तार

अपने उद्यम का विस्तार कर उद्यम को सफलता की दिशा में ले जाने हेतु प्रत्येक महिला उद्यमी को प्रत्यनशील होना चाहिये। जैसे फूलो की खेती है तो पृथक–पृथक दाम के अलग–अलग किस्म के रूप में भी, गुलकंद के रूप में अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके बिक्री करने से कार्य का

विस्तार होगा। या जैसे अचार, पापड़, बडी जैसे उत्पाद बेहतर ढंग से पैंकिग करके उत्पाद विपणन कार्य बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त गुणो से परिपूर्ण महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि वे उद्यमिता के क्षेत्र में भी सशक्त है, विशेषतः शहरी क्षेत्र की महिलाओं का समूह संभावित सफल उद्यमी के रूप में वर्चस्व स्थापित किया है जिसमें सबसे पहला नाम नैना लाल किदवई का है जो हांगकांग एवं शंघाई बैंक कारपोरेशन के इनवेस्टमेंट बैंकिग विभाग की उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वर्ष 2003 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली बिजनेस वुमन का खिताब मिला है। इनके अलावा श्रीमती एच.पी.मजूमदार (H.P. Industries), श्रीमती कुसुम गुप्ता (ईस्ट – वेस्ट निर्यात निगम) श्रीमती भासवती घोष (ए.के. इंडस्ट्रीज) आदि का नाम उल्लेखनीय है। जो प्रतिस्पर्धा के इस युग में भी अपनी व्यावसायिक तकनीक, उच्च साहसिक निर्णय के कारण उद्यमिता की नई परिभाषा रचित कर पृथक अस्तित्व बना रही है।

आज शहनाज हुसैन पद्मश्री जैसे उच्चतम सम्मान से नवाजित सुप्रसिद्ध महिला उद्यमी है जिन्होनें प्राकृतिक सौंदर्य क्षेत्र में योगदान दिया है, उसी प्रकार बिना रूकावट उद्यम क्षेत्र में गतिशील गृहणी से उद्यमी के रूप में सफल हुई श्रीमती विभा बहल भारतीय फन फूड्स कंपनी की संस्थापक एवं मुख्य निर्देशक है, इन्होनें मेलों में गृह निर्माण सामग्री बेचकर 1984 से सफलता का सोपान प्रारंभ किया।

वर्तमान में इनके तीन कारखानों में लगभग 200 व्यक्ति कार्यरत् है एवं 120 से अधिक प्रकार की खाद्य सामग्री उत्पादित हो रही है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ शाखा की संचालित श्रीमती प्रतिभा सावंत ना स्वयं आत्मनिर्भर है वरन अन्य की भी प्रेरणा स्रोत हैं, इसी क्रम में फैशन डिजाइनिंग उद्यम क्षेत्र में लीला टिपनिस, अनिता डोंगरे, भैरवी जयकिशन, रितु कमार आभूषण व्यवसाय में हेमा संघवी, पेंटिग में रितु ढिल्लो, रजाई निर्माता अचला जोशी, प्रतिभाशाली लेखिका अरूंधति राय, कुंकिग क्षेत्र में तरता दलाल, नें अपने इन्ही उघमिय गुणों से संपन्न होने के कारण आत्मविश्वास से युक्त उद्यमिता विकास में अपना योगदान देकर एक नया इतिहास लिख रही हैं।

4.2 महिला स्वरोजगार हेतु उपलब्ध विकल्पो की सूची

भूमिकाः स्वरोजगार से अतिरिक्त नियोजन का सृजन होता है। और उसके आर्थिक लाभों के प्रति जागरूकता समाज के सभी क्षेत्रों विशेषतः महिलाओं तक पहुंचाना देश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से बेहद आवश्यक हैं। महिला उद्यमियों में विपुल प्रतिभायें हैं, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं हेतु स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध है।

प्राचीन काल में आर्दश महिला उद्यम केवल परंपरागत उद्योगों तक सीमित थे, तकनीकी ज्ञान के कारण तकनीकी उद्योगों की ओर उनकी जागरूकता नहीं थी परंतु आज प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते हुये गैर परंपरागत उद्यमों में भी महिला उद्यमी प्रवेशित हो रही है।

महिलाओं द्वारा उडीसा के औद्योगिक क्षेत्रों में टी.वी. कैपेसिटर, गुजरात में सोलर कुकर विनियोग इकाई, महाराष्ट्र में लघु फाऊँड्रीज की स्थापना, दिल्ली के आस–पास के औद्योगिक क्षेत्रों में 40 प्रतिशत महिला उद्यमी इलेक्ट्रानिक्स, इंजीनियरींग संबंधित उद्योगों में संलग्न है।

ये उदाहरण इन धारणाओं को गलत साबित करती है कि महिलायें केवल विशेष उद्यम संचालन में सफल हो सकती है। जोखिम उठानें की शक्ति उन्हें किसी भी प्रकार के उद्यम संचालन में सफल बना सकती हैं। चाहे वह उत्पादन कार्य हो, सेवा, विर्निमाण क्षेत्र, तकनीकि सभी क्षेत्रों तक महिलाओं की पहुंच हैं। आज महिला स्वरोजगार हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध है अपनी पूंजी विनियोजन क्षमता, कच्चा माल उपलब्धता, तकनीकि ज्ञान, रूचि के आधार पर किसी भी विकल्प का चयन कर सकती है। उनके लिये स्वरोजगार स्थापना के अनेक विकल्प हैं।

ग्रामीण महिला स्वरोजगार के लिये उपलब्ध विकल्प

मछली सुखाना, मधुमक्खी पालन, कपड़े सिलाई, कागज और पत्तियों से बने उत्पाद जैसे– कागज की प्लेटे, पत्तल, दोने, स्टेशनरी सामान आदि, माचिस, झाड़ू, बीड़ी, अगरबत्ती, मोमबत्ती, अचार, पापड़ मसाले, बत्तख, मुर्गीपालन, हस्तशिल्प, हाथकरघा आधारित उद्योग, हर्बल शैम्पू, त्रिफला पाउडर, आयुर्वेदिक दवायें, आटा चक्की, खाद्य प्रसंस्करण

जैसे – जैम, जैली, सॉस, चटनी, शरबत, केण्डी, सिरका आदि, बडी पापड़, कुटीर उद्योग खिलौने, कपड़ा बुनाई, कालीन बनाना, टोकरिया आदि।

ग्रामीण महिला स्वरोजगार हेतु कृषि आधारित स्वरोजगार के विकल्प

सब्जीयों का उत्पादन, फल औषधियों सुगंधित पुष्प का उत्पादन, मशरूम बीज एवं मशरूम की खेती, खाद एवं बीज भंडार, गोंद निर्माण, बकरी पशु पालन, नर्सरी, बाँस के टोकरे खिलौने, गुड उत्पाद, झींगा–मछली पालन, सरेशे से रस्सी निर्माण, पशु आहार, मुर्गी दाना आदि का निर्माण, रेशम कीट पालन, भूसा विक्रय, स्कूली डस्टर निर्माण, वर्मीकल्चर, प्लास्टिक उद्योग।

शहरी क्षेत्र की अपेक्षाकृत अशिक्षित महिलाओं हेतु उपलब्ध स्वरोजगार विकल्प

ब्यूटी पार्लर, बुटिक, टिफिन सेंटर, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, अगरबत्ती निर्माण, आईसक्रीम पार्लर, किराना, देशी घी, पनीर, मावा, नूडल्स, पेठा, साडी फाल, मसाला, दलिया निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन निर्माण, डेयरी उद्योग, बेकरी निर्माण, डिटरजेंट पावडर, हर्बल शैंम्पू क्लीनिंग पावडर बनाना, मेंहदी कोन बनाना, सुपारी काटना व बीड़ी बनाना, जूट व्यवसाय।

शहरी क्षेत्रो की शिक्षित महिलाओं हेतु उपलब्ध स्वरोजगार सूची

फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, आफसेट प्रिटिंग, प्रिटिंग प्रेस, पैथालॉजी लैब, आर्किटक्ट्स, फोटोग्राफर्स, मनोरंजन उद्योग, पर्यटन, मीडिया, शिक्षा क्षेत्र, बीमा, कानूनी सलाहकार सेवायें, संचार कॉल सेंटर, होटल सेवा, वित्तीय परामर्श, व्यवसायिक सेवायें, आभूषण डिजाइन, फिल्म डारेक्शन, बेकरी, बेबी ड्रेश, हैल्थक्लब, डेको आटर्स, हॉबी कक्षायें, पर्यावरण मित्रवत्र प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी संबंधी उद्यम, मिनरल जल, समारोह प्रबंधन, तकनीकी आधारित उद्योग जैसे – साइबर कैफे, रेडियो –टीवी. मरम्मत, इमर्जेन्सी लाइट निर्माण, हाऊस बायरिंग, मोटर बाईडिंग।

उपरोक्त स्वरोजगार विकल्पों के अतिरिक्त महिलाओं के लिये संभावित सूक्ष्म उद्योगों की पूंजी निवेश के अनुमान सहित सूचीः

तालिका क्रमांक 4.1: महिला स्वरोजगार विकल्पों एवं पूंजी निवेश की अनुमान सहित सूची

क्र.	उद्योगों के नाग की सूची	(लाख में) संभावित पूंजी निवेश
1	टिफिन सर्विस	1.00
2.	अगरबत्ती स्ट्रिक्स	2.00
3.	पोल्टी फीडर	5.00
4.	नमकीन	2.00
5.	पेकिंग रिबन्स (फार स्वीट बाक्सेस)	3.00
6.	पेकिंग बाक्सेस (पेपर कार्टन्स)	0.50
7.	आईस्क्रीम कोन्स	5.00
8.	पेपर कप एंड प्लेट्स	3.00
9.	साल्टेड ग्राउंडनट दाल	3.00
10.	पोटैटो चिप्स	2.00
11.	साफ्ट टॉयस	1.00
12.	इलेक्ट्रानिक बाक्स /टॉयस	3.00
13.	थ्रीड रिलिंग	2.00
14.	मिनी पेड्डी मिल	1.50
15.	जूट बैग्स/आर्टिकल्स	2.00
16.	मसाला मैन्यू	1.00
17.	मिनी दाल मिल	5.00
18.	स्क्रीन प्रिटिंग	0.50
19.	टूटी फ्रूटी (कतरी)	2.00
20.	डेयरी प्रोडक्ट्स (क्रिमरी)	2.00
21.	रेडिमेड गारमेंट्स	1.00
22.	ऑप्टिकल लेन्सेस ग्राइडिंग यूनिट	3.00
23.	प्लास्टिक वेल्डेड आईटम	2.00
24.	डेयरी फार्म	3.00
25.	पॉलीथिन बेडस LDPE/HDPE	1.00
26.	मिनी फ्लोर मिल	5.00
27.	पेपर कनवर्टिंग रूलिंग एडं बाईडिंग	3.00

वर्तमान में स्वरोजगार के क्षेत्र में इच्छुक महिलाओं के सामने अनेक विकल्प है उत्पादन कार्य, सेवा कार्य, व्यापार जैसे उत्पादित वस्तु या सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचानें की मध्यस्थता जो प्रत्येक वर्ग की महिलायें उनकी रूचि, योग्यता के अनुरूप चुनाव कर सकती हैं।

आज महिलायें आर्थिक स्वावंलबन हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति व साहस से संपूर्ण ना केवल गृहस्थी कार्य वरन् उद्यमिय क्रियाओं से देश के आर्थिक विकास में पुरूषों के बराबर योगदान दे रही है।

देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी भयावह है कि शासन ने भी उसके निराकरण हेतु महिला स्वरोजगारियों को अनेक ऋण व अभिप्रेरण योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में पदापर्ण हेतु जागरूक किया।

इन विकल्पों के चयन हेतु संभावित परिणाम के विषय में सोचना जरूरी है। स्वरोजगार का चुनाव रूचि व योग्यता, अनुभव व कुछ व्यवसायिक विशिष्टता जैसे इर्मानदारी, लगन, अनुशासन के साथ किया जाना चाहिये। ताकि सफलता प्राप्त की जा सके। स्वरोजगार हेतु विकल्प अनेक है और जरूरत केवल उन विकल्पों के चयन में सावधानी की है। ताकि पूंजी उठाया गया जोखिम, समय व्यर्थ ना जाये।

4.4.2 सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधायें एवं सहायतों के माध्यम से

उद्योग विभाग द्वारा महिलाओं को उद्योग स्थापनार्थ दी जाने वाली रियासतें

महिला उद्यमियों को सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिए जाने वाले अनुदान की तुलना में 10 प्रतिशत की दर से अधिक अनुदान एवं अनुदान की अधिकतम सीमा में भी 10 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान कर तथा छूट की अवधि से संबंधित प्रकरणों में 1 वर्ष अधिक छूट का प्रावधान कर राज्य में महिला स्वरोजगार को बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ किया गया है।

राज्य में स्वरोजगार स्थापित करनें पर महिला व्यवसायियों को दी जाने वाली रियायतें एवं छूट निम्नानुसार हैः

1. ब्याज अनुदान

सूक्ष्म लघु तथा मध्यम श्रेणी के पात्र उद्योगों को लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

क सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 40% अधिकतम सीमा रू. 10 लाख वार्षिक।	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50% अधिकतम सीमा रू. 15 लाख वार्षिक।
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75% 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 20 लाख वार्षिक।	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75%7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 25 लाख वार्षिक।
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50% अधिकतम सीमा रू. 20 लाख वार्षिक।	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60% अधिकतम सीमा रू. 30 लाख वार्षिक।
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75% 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 40 लाख वार्षिक।	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल किये गये ब्याज भुगतान का 75% 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 50 लाख वार्षिक।

ख मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों का 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 25% अधिकतम सीमा रू. 10 लाख वार्षिक।	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 % अधिकतम सीमा रू. 20 लाख वार्षिक।
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75% 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 25 लाख वार्षिक।	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75% 7 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 40 लाख वार्षिक।
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 5 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50% अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्षिक।	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60% अधिकतम सीमा रू. 40 लाख वार्षिक।
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल भुगतान किये गये ब्याज का 75% 6 वर्ष की अवधि तक अधिकतम सीमा राशि रू. 40 लाख वार्षिक।	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल किये गये ब्याज भुगतान का 75% 7 वर्ष की अवधि क अधिकतम सीमा राशि रू. 60 लाख वार्षिक।

2. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योगों एवं मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा –

क सूक्ष्म एवं लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30 % अधिकतम सीमा रू. 30 लाख	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30% अधिकतम रू. 60 लाख
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40% अधिकतम सीमा रू. 40 लाख	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 40% अधिकतम सीमा रू. 80 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30% अधिकतम सीमा रू. 60 लाख	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी 30% अधिकतम सीमा रू.80 लाख
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थाई पूंजी निवेश का 40% अधिकतम सीमा रू. 80 लाख	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूजी निनवेश का 40% अधिकतम सीमा रू. 120 लाख

ख मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30% अधिकतम सीमा रू. 60 लाख	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35% अधिकतम रू. 70 लाख
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35% अधिकतम सीमा रू. 80 लाख	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35% अधिकतम सीमा रू. 100 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35% अधिकतम सीमा रू. 70 लाख	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी 45% अधिकतम सीमा रू. 100 लाख
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल स्थाई पूंजी निवेश का 35% अधिकतम सीमा रू. 90 लाख	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45% अधिकतम सीमा रू. 125 लाख

ग वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 30% अधिकतम सीमा रू. 90 लाख	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35% अधिकतम रू. 110 लाख
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35% अधिकतम सीमा रू. 100 लाख	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35% अधिकतम सीमा रू. 120 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 35 % अधिकतम सीमा रू. 100 लाख	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी 45% अधिकतम सीमा रू. 120 लाख
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को कुल स्थाई पूंजी निवेश का 35% अधिकतम	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 45% अधिकतम सीमा रू.

घ मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 30% अधिकतम सीमा रू. 300 लाख	स्थायी पूंजी निवेश का 35% अधिकतम रू. 350 लाख
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	स्थायी पूंजी निवेश का 35% अधिकतम सीमा रू. 350 लाख	स्थायी पूंजी निवेश का 35% अधिकतम रू. 500 लाख

3. विद्युत शुल्क छूट

केवल पात्र नवीन उद्योगों को विद्युत शुल्क भुगतान निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी:

क सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक छूट	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक छूट

ख – वृहद/मेगा प्रोजेक्ट/ अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट –

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 03 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक छूट

4. स्टाम्प शुल्क से छूट

स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगीः

(1) पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम, वृहद और मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट।

1.1 भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर

1.2 ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

(2) औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू–खण्डों, औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर,

(3) राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/पार्क

(4) औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू–अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/पार्क

(4) औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू–खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि द्वारा क्रय किये जाने वाली भूमि पर

टीप यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टाम्प शुल्क की छूट औद्योगिक इकाईयों द्वारा क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली माईनिंग लीज पर प्राप्त नहीं होगी।

5. औद्योगिक क्षेत्रों में भू आंबटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत

पात्र उद्योगों को उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन में भू–प्रीमियम पर निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगीः

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	–– निरंक ––	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू–प्रब्याजि में 50% छूट
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100% छूट भू–भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100% छूट भू–भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को भू–प्रब्याजि में 50% छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू–प्रब्याजि में 50% छूट
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100% छूट भू–भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100% छूट भू–भटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक

वृहद उद्योग/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू–प्रब्याजि में 10% छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू–प्रब्याजि में 10% छूट
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100% छूट भू–भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100% छूट भू–भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को भू–प्रब्याजि में 10% छूट	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू–प्रब्याजि में 10% छूट
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100% छूट भू–भाटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक एकड़	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों को भू प्रब्याजि में 100% छूट भू–भटक की दर 01 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक

टीप

(1) वृहद/मेगा प्रोजेक्टस के प्रकरणों में कोर सेक्टर एवं संतृत्प श्रेणी के उद्योगों को भू–प्रीमियम में छूट प्राप्त नहीं होगी।

(2) उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक व्यवसायिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हतु भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू–भाटक की दर 1 रू. प्रति एकड़ होगी।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग, व्यवसाय व सेवा क्षेत्रों में) निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु औद्योगिक नीति 2009–14 के नियत दिनांक के पश्चात राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक होगी। इसके उपरांत आरक्षण समाप्त कर नियमानुसार आबंटन किया जायेगा।

(4) शासन की अनुसूचित जनजाति उप योजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत बजट प्राप्त कर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाए जाएंगे, जो उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि–शेड नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जायेगी।

6. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान

केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार दिया जाएगा –

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग
आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–6 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगो को स्थायी पूंजी निवेश का 1%, अधिकतम सीमा रू. 1 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1% अधिकतम सीमा रू. 2 लाख
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	सामान्य वर्ग के उद्यमियों के द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1%, अधिकतम सीमा रू. 3 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1% अधिकतम सीमा रू. 4 लाख

7. भूमि उपयोग में परिवर्तन

केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग) को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क से अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू–व्यपवर्तन शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी।

8. औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू–आबंटन सेवा शुल्क

(1) औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि के अर्जन पर एवं शासकीय भूमि के हस्तातरण से संबंधित प्रकरणों में उद्योग विभाग/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को निजी भूमि के अर्जन/शासकीय भूमि के आवंटन के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क नियम दिनांक 01 नवंबर

2009 से निम्नानुसार किया जायेगाः

क निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू–अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि

ख औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योगों को उद्योग विभाग/सी.एस.आई. डी.सी. द्वारा निजी/शासकीय भूमि आबंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 20 प्रतिशत राशि।

टीपः यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर किये जाने वाले निजी/शासकीय भू–आवंटन प्रकरणों में भूमि मूल्य में उद्योग विभाग/सी.एस.आई.डी.सी. को देय 20 प्रतिशत भू–आवंटन सेवा शुल्क जोड़ा जायेगा। जिला प्रशासन को देय 5 प्रतिशत भू–अर्जन शुल्क भू–प्रब्याजि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

9. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग) को आई.एस.ओ. 9000, आई.एस.ओ. 14000 या अन्य समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 1 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रू. 1.25 लाख होगी।

10. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (सामान्य एवं प्राथमिकता उद्योग) को पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 5 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रू. 6 लाख होगी।

11. मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान

राज्य में फुड प्रोसेसिंग से संबंधित सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों को (केवल पोहा मिल, आयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट को) उद्योग हेतु आवश्यक कच्चा माल कृषि उपज मंडी समितियों से क्रय किये जाने पर मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा रू. 5 लाख वार्षिक होगी। यह छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों कीअवधि हेतु होगी।

12. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा रू. 5 करोड़ की पूंजीगत लागत तक के उद्योगों की स्थापना हेतु वित्त पोषण की एक पृथक योजना भी तैयार की जायेगी, जिसमें 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उप योजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना से दिया जायेगा।

13. औद्योगिक पुरस्कार योजना

1. वर्तमान में राज्य स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बेहतर कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु ''छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग पुरस्कार योजना'' क्रियान्वित है जिसके अन्तर्गत राज्य के सूक्ष्म लघु उद्योगों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 की जायेगी।
2. सूक्ष्म लघु उद्योगों द्वारा किये गये निर्यात एवं पर्यावरण संरक्षण पर किये गये उल्लेखनीय कार्य को महत्ता प्रदान करने ''लघु उद्योग निर्यात पुरस्कार'' एवं ''लघु उद्योग पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार'' भी दिये जायेंगे जिसकी राशि क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 दी जायेगी। पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा।
3. राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास

की प्रमुख धारा में लाने हेतु केवल इस वर्ग के उद्यमियों हेतु ही ''छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति/जनजाति पुरस्कार'' प्रारंभ की जावेगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के तहत क्रमशः रूपये 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

4. ऐसे उद्योग जिनमें 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत है, एवं उद्योग में बायलर/मशीनरी स्थापित है, में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुरूप औद्योगिक सुरक्षा की प्रक्रिया सुनिश्चित की है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से ''औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार'' रू. 1,00,000 लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

5. राज्य में महिला उद्यमियता को प्रोत्साहन देने एक ''महला उद्यमी पुरस्कार'' योजना प्रारंभ की जायेगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों के तहत क्रमशः 1,00,000, 51,000 एवं 31,000 का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

उपरोक्त समस्त पुरस्कार एक गरिमामय कार्यक्रम में दिए जाएंगे।

टीपः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को प्राप्त नहीं होंगे।

परिशिष्ट–6 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूचीः

1. जिला– रायपुर, विकासखंड – धरसींवा, तिल्दा, अभनपुर, बलौदा बाजार, सिमगा, आरंग, भाटापारा, पलारी।
2. जिला– बिलासपुर, विकासखंड– बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी।
3. जिला– दुर्ग, विकासखंड – बेमेतरा, साजा, धमधा, पाटन, गुंडरदेही, गुरूर, बालोद, बेरला, दुर्ग।

4. जिला– राजनांदगांव, विकासखंड – राजनांदगांव।
5. जिला– महासमुन्द, विकासखंड – महासमुन्द, बागबाहरा, सराईपाली,
6. जिला– धमतरी, विकासखंड – धमतरी, कुरूद।
7. जिला– जांजगीर– चांपा, विकासखंड – डभरा, अकलतरा, सक्ती, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़)
8. जिला– कबीरधाम, विकासखंड – कवर्धा।
9. जिला– रायगढ़, विकासखंड – रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया।
10. जिला– कोरबा, विकासखंड – कोरबा, कटघोरा।

परिशिष्ट–7 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूचीः

1. दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, उत्तर बस्तर, कांकेर एवं बस्तर के समस्त विकासखंड।
2. दुर्ग जिला – डौंडी, नवागढ़ एवं डौंडी–लोहारा विकासखंड।
3. राजनांदगांव जिला – अंबागढ़ –चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ विकासखंड।
4. रायपुर जिला– गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, कसडोल, फिंगेश्वर एवं बिलाईगढ़ विकासखंड।
5. धमतरी जिला– नगरी एवं मगरलोड विकासखंड।
6. रायगढ़ जिला – धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंग विकासखंड।
7. बिलासपुर जिला– गौरेला, पेण्ड्रारोड, मरवाही एवं मस्तरी विकासखंड।
8. महासमुन्द जिला– बसना एवं पिथौरा विकासखंड।
9. कबीरधाम जिला– पंडरिया, लोहारा एवं बोडला विकासखंड।
10. जांजगीर चांपा जिला– मालखरौदा एवं जैजेपुर विकासखंड।

11. कोरबा जिला– करतला, पोड़ी– उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड।

4.3 स्वरोजगार स्थापना विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

उचित संचार माध्यमः आज संचार के अनेक माध्यम ई–मेल, विडियो कॉन्फ्रेंस, टेलीफोन, एस.एम.एस., व्हाट्सअप आदि आधुनिक तकनीक के माध्यम से ग्राहकों तक नये उत्पाद व सेवा की जानकारी, नये वर्मितए कपेबवनदज आदि की जानकारी पहुंचाने में कारगर सिद्ध हुये है।

नित नई सूचनाओं का आदान प्रदान कर वर्तमान एवं भावी दोनों ग्राहकों से जुड़े रहनें का एक अच्छा विकल्प उचित संचार है, जो व्यवसाय के विकास और उसे आगे बढ़ाने में सहायक होंगे।

नवीन विज्ञापन तकनीकः प्रतिस्पर्धा के इस युग में विज्ञापन की नवीन तकनीको के जरिये ग्राहकों को आकर्षित कर अपने उत्पाद का विक्रय किया जाता है, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में विज्ञापन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, व्यवसाय की सफलता हेतु विज्ञापन के नवीन माध्यम का चयन अनिवार्य है जिसकी एक सही, पूर्ण व शीघ्रता से ग्राहकों तक पहुंच हो। आज रेडियों, टेलीविजन, समाचार पत्र द्वारा प्रारंभिक रूप में व सस्ते दरों पर अपने उत्पाद की प्रवृति के अनुसार चयन कर सकते हैं, इसके अलावा प्रदर्शन आदि हेतु व्यावसायिक साइन बोर्ड का प्रयोग, दुकानों में ग्राहकों व परिवार हेतु मनोरंजन, समय–समय पर, अवसरों पर फ्री गिफ्ट एवं छूट आदि के द्वारा ग्राहकों से संपर्क बनाये रखा जा सकता है।

आत्म निरीक्षण एवं अवलोकनः ग्राहक संतुष्टि ही व्यवसाय की प्रगति की आधारशिला है। कच्चे की उपलब्धता, श्रम व्यवस्था, विक्रय नीतियां, मूल्य, उपभोक्ता की रूचि–फैशन, बाजार के अनुसार उत्पाद व सेवा की प्रकृति में परिवर्तन आवश्यक है इस हेतु समय–समय पर अवलोकन व आत्म निरिक्षण करते रहना अनिवार्य है कि उद्यम में कहाँ–कहाँ कितनी पूंजी, तकनीक व श्रम में सुधार की आवश्यकता है।

स्वयं के दृष्टिकोण से भी यह देखना होगा कि उद्यमी को पूर्ण

क्षमता के साथ नयी तकनीक का ज्ञान हो, अन्यथा प्रशिक्षण, विशेषज्ञों से सलाह–परामर्श द्वारा सुधार कर व्यवसाय की सफलता को गति प्रदान किया जा सकता है।

व्यावसायिक नीतियाँः व्यावसायिक सफलता व्यावसायिक नीतियों पर निर्भर करती है। एक सफल व्यवसायी को चाहिये कि बदली हुई परिस्थिति के अनुसार व्यावसायिक नीतियों में भी नवीन विचारों, व तकनीकी का समावेश करें ताकि प्रतिस्पर्धात्मक युग में आगे रह सके, जैसे उत्पाद पर वारंटी, नये उत्पाद आने पर पुरानें में छूट देना आदि।

इन नीतियों के माध्यम से व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है।

सामाजिकताः ग्राहक हमारे सामाजिक पर्यावरण का ही एक भाग है, समाज से जुड़कर ही हम व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़कर ही उत्पाद व सेवाओं की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सकती है। अपने ब्रॉंड का प्रमोशन समाचार पत्र, केबल चैनल, मीडिया, सामाजिक गतिविधियां जैसे– महिला सम्मेलन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमीनार आदि के माध्यम से सामाजिकता द्वारा व्यवसाय का विस्तार संभावित है।

बाह्य समर्थन द्वारा अवसरों का विदोहन

शासन द्वारा स्वरोजगार विकास एवं विस्तार हेतु साख, नेटवर्क समूह, बैंकर्स, अनेक लाभदायी योजनाओं जैसी बाह्य समर्थन व सुविधायें उपलब्ध है, उन अवसरों का विदोहन कर अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

अवसरों का सही समय पर लाभ उठाना व्यवसायिक सफलता के लिये अनिवार्य है।

योजनाबद्ध कार्य करना

अपने श्रम, समय, साधन, कौशल आदि का सदुपयोग के लिये उद्यम संचालन योजनाबद्ध पद्धति अनुसार करना चाहिये। उत्पादन से

लेकर विपणन क्रिया तक प्रत्येक चरण योजना अनुसार हो तो व्यवसाय के विकास की संभावना बढ़ जाती है। लागत में कमी, उत्पाद का स्टॉक ज्यादा ना बचना, पूंजी का सही उपयोग, मानवीय संसाधन का उचित विदोहन आदि समस्त क्रियायें योजनाबद्ध प्रबंधन द्वारा ही संभव है।

व्यवसाय स्थापना से विस्तार तक सभी दशाओं में उपरोक्त तथ्यों का पालन कर एक व्यवसायी अपने उद्यम को नित नई ऊचाँइयों की ओर ले जानें में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

विशेष तौर पर महिला उद्यमियों हेतु उक्त दिशा–निर्देश अत्यंत कारगर हैं क्योंकि सही दिशा ना मिलने के कारण महिलायें स्वरोजगार प्रारंभ तो करती हैं परंतु उनका उचित विस्तार नहीं कर सकती, उक्त तथ्य उद्यम स्थापना, विस्तार के अतिरिक्त ग्राहक संतुष्टी, अधिकाधिक लाभ, उत्पादन वृद्धि, नये बाजार की खोज आदि सभी क्षेत्रों हेतु उपयोगी सिद्ध होंगे।

4.4 स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित होने की प्रक्रिया

महिलाओं के उद्यम संबंधी कौशल एवं औद्योगिक वातावरण से संबंधित जानकारी प्रदान करनें, उनमें जोखिम वहन करनें संबंधी साहस एवं प्रबंधकीय तकनीकी क्षमता का विकास, उपलब्ध स्थानीय संसाधनों द्वारा निर्माण अन्य उद्यमीय गतिविधियों को संचालित करनें, आर्थिक रूप से स्वावलंबी होनें उनमें अभिप्रेरण एवं प्रशिक्षण एक अनिवार्यता है।

प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, श्रम एवं स्वयं के कौशल के साथ शासकीय योजनाओं से ऋण एवं प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं के समन्वय के साथ ही महिला स्वरोजगार का विकास संभव है। क्योंकि संसाधन एवं सुविधा उपलब्धता मात्र ही स्वरोजगार विकास नहीं कर सकेगें अपितु महिलाओं में उद्यमशीलता की भावना व स्वावलंबी होने की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं नई उपलब्धी हासिल करनें की चाह भी होना जरूरी है इन सभी को सुप्तावस्था से जागृत करने हेतु प्रेरणा एवं प्रशिक्षण अनिवार्य है।

शासन द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षण निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराये जाते है, जिसके अंर्तगत महिला, उद्यमियों की अभिप्रेरणा, जोखिम व नित निई चुनौतियों को अवसरों में परिर्वतन हेतु साहस, दृष्टिकोण में सुधार, उद्यमीय गुणों में वृद्धि, उनकी परियोजनाओं की जांच आदि संबंधी कार्य किये जाते है।

वास्तव में उद्यम स्थापना से उनके सफलतापूर्ण संचालन हेतु वित्तीय तकनीकी एवं प्रबंधकीय ज्ञान के साथ–साथ बाह्य अवसरों, सहायताओं, प्रबंध संबंधी सामर्थ, क्षमताओं का अभिरूपण अति अनिवार्य है जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ही संभव है।

शासन स्वयं एवं कुछ निजी संस्थाओं के साथ मिलकर अनेक प्रशिक्षण संबंधी योजनायें संचालित कर रही है।

निश्चित तौर पर स्वरोजगार की राहो को सुगम बनाने अपने उद्यमीय आधार को मजबूती प्रदान करनें महिलाओं को शासन द्वारा उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों से स्वयं को लाभान्वित करना चाहिये जिससे न केवल स्वरोजगार का विकास होगा वरन् नये महिला उद्यमी इस ओर आगे आयेगें एवं देश के संपूर्ण विकास को भी आधार प्राप्त होगा।

4.4.1 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से

छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं में कुछ प्रशिक्षण आधारित योजनायें भी है जैसे– स्वावलंबन योजना, कौशल उन्नयन योजना एवं कुछ में ऋण के साथ प्रशिक्षण भी प्रदान करते है जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि, इन प्रशिक्षण आधारित कार्यक्रमों द्वारा महिला उद्यमियों को उद्यम के चुनाव, कच्चामाल, श्रम शक्ति, पूंजी के उचित नियोजन के तरीके, विपणन संबंधी ज्ञान एवं ऋण व्यवस्था, जैसे तथ्यों के ज्ञान के अतिरिक्त संबंधित उद्यम के संचालन हेतु उद्यमीय दक्षता एवं कौशल में वृद्धि की जाती है। उद्यम स्थापना से संचालन तक ही नहीं वरन् उद्यम को अनवरत् क्रियाशील रखकर लाभ अर्जन करनें तक प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शन की जरूरत होती है। शासन अपनी इन योजनाओं द्वारा महिला उद्यमियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान कर

उनके उद्यमीय कौशल में तथा आत्मविश्वास में वृद्धि के उद्देश्य अंर्तगत योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करती है।

शासन की प्रशिक्षण संबंधित योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमियों से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण संबंधी सूचना के स्रोत एवं इन प्रशिक्षण सुविधाओं से क्या उन्हें उद्यम संचालन में लाभ प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त की गई।

प्रशिक्षण संबंधी सूचना स्रोत को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है:

तालिका क्रमांक 4.2 : शासन की प्रशिक्षण आधारित योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों को प्रशिक्षण संबंधी सूचना स्रोत

क्र.	सूचना स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	दैनिक समाचार पत्र	100	33.33%
2.	जिला उद्योग केन्द्र एवं संबंधित विभाग	50	16.67%
3.	मित्र एवं परिवार के अन्य सदस्य	150	50%
	योग	**300**	**100**

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 4.1: शासन की प्रशिक्षण आधारित योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं का विवरण

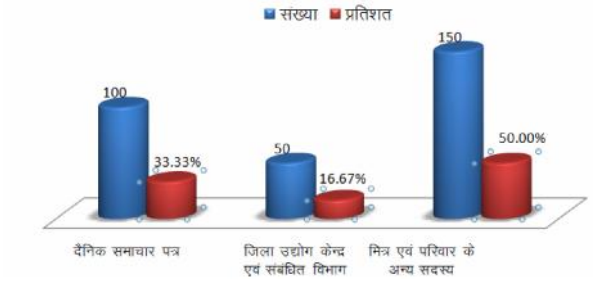

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिला उद्यमियों को उद्यमिता प्रशिक्षण संबंधी सूचना प्राप्ति का मुख्य स्रोत मित्र एवं संबंधी रहे लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं को इसी जरिये से सूचना की प्राप्ति हुई। दैनिक समाचार पत्र से 33.33 प्रतिशत महिलाओं ने जानकारी प्राप्त की परंतु जिला उद्योग केन्द्र एवं संबंधित विभाग से केवल 16.67 प्रतिशत महिलाओं को सूचना प्राप्त हुई, इसमें दो तथ्य सामने आते हैं, दैनिक समाचार पत्र से लाभान्वित होने के लिये महिलाओं का शिक्षित एवं जागरूक होना अनिवार्य है। परंतु जिला उद्योग केंद्र एवं संबंधित विभाग से सूचना प्राप्ति की अल्प संख्या को बढ़ाने हेतु शासन को कड़े कदम उठाने होंगें क्योंकि महिलाओं तक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहुंच ना होने पर पर्याप्त हितग्राही नहीं मिलेगें एवं लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का प्रतिशत कम रहेगा। इस कमी को दूर करने हेतु शासन को दृढ़ निश्चय के साथ योजना सफलता के लक्ष्य केंद्रित आक्रमकता को ध्यान में रखते हुये इस तथ्य को सुनिश्चित करे की प्रत्येक महिला चाहे वह शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण, योजना प्रारंभ होनें की सूचना तक उनकी पहुंच बने एवं महिला पक्ष को भी चाहिये कि वे स्वयं में जागरूकता लाकर इन योजनाओं तक अपनी पहुंच बढ़ायें।

उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ का विश्लेषण

महिलायें उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभन्वित होकर अपनें उद्यम की स्थापना कर रही हैं, परंतु क्या इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संपूर्ण लाभ उन्हें मिला? प्रशिक्षण द्वारा प्रत्येक महिला उद्यमी को उनके द्वारा चयनित उद्यम संबंधी कौशल एवं दक्षता के साथ–साथ पूंजी, प्रक्रिया, विपणन सभी तथ्यों से अवगत कराया जाता है। इन प्रशिक्षण सुविधाओं से लाभान्वित महिलाओं का विश्लेषण निम्न तालिका द्वारा किया गया हैः

तालिका क्रमांक 4.3: उद्यमिता प्रशिक्षण आधारित योजनाओं से प्राप्त लाभ का विश्लेषण

क्र.	लाभान्वित हुये या नहीं	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	240	80%
2.	नहीं	60	10%
	योग	**300**	**100%**

(स्रोतः– प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 4.2: उद्यमिता प्रशिक्षण आधारित योजनाओं से प्राप्त लाभ का विश्लेषण

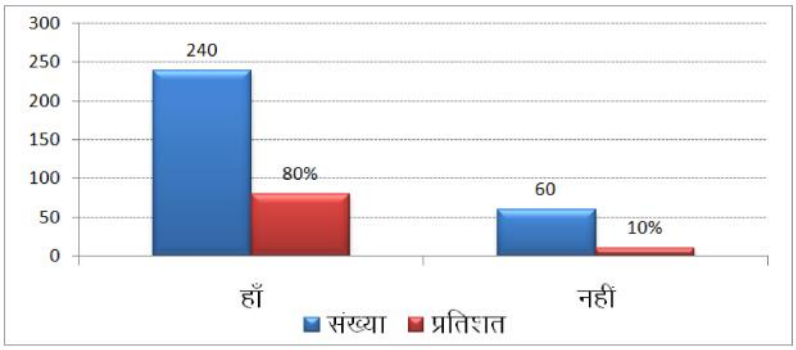

त :– प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि शासन की उद्यमिता प्रशिक्षण आधारित योजनाओं से 80 प्रतिशत महिलायें लाभान्वित है एवं संतुष्ट भी है केवल 20 प्रतिशत महिलायें ही लाभान्वित नहीं हुई हैं।

अर्थात् शासन की योजनाओं तक यदि महिला पक्ष अपनी पहुंच बनाये एवं स्वयं में इच्छाशक्ति और लगन हो तो निःसंदेह शासन की इन योजनाओं से महिलायें लाभान्वित होकर अपना उद्यम संचालन सही दिशा में कर सकती है।

महिलायें अपने पारिवारिक, परंपरागत स्तर, अनुभव के आधार पर उद्यम का संचालन तो करती हैं परंतु प्रतिस्पर्धा के युग में नित नई तकनीकी का ज्ञान होना संभव भी नहीं हैं, व्यवसाय के कुशल संचालन एवं विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्ता को स्वीकारना अनिवार्य है। प्रशिक्षण द्वारा अपनी, कला एवं ज्ञान को अधिक प्रखर बनाकर अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यवसाय का संचालन कर लाभान्वित हुआ जा सकता हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्ता को National Institute for Enterprenership and small Buss. Development ने निम्न बिंदूओं से व्यक्त किया:

- उद्यमिता गुणवता में सुधार एवं विकास।
- परियोजना चयन, नवीन उपक्रम स्थापना एवं संचालन में सुविधा।
- वांछित सामाजिक एवं उद्यमीय वातावरण से परिचित होना।
- आधारभूत प्रबंधकीय कौशल प्राप्ति का माध्यम।
- नवीन उपक्रम स्थापना हेतु आवश्यक समर्थन व सहयोग के स्रोतों की जानकारी।
- उद्यमीय वातावरण के विश्लेषण में सुविधा।
- संभावित उद्यमियों में उद्यमिता की प्रेरणा जागृत करना एवं उनमें संभावित गुणो, क्षमताओं एवं तकनीकि कौशल को विकसित करना।
- समाज में नवीन उद्यमियो के विकास की नवीन विचारधारा को

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवस्थाये

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उसे निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है :–

1. नीतियां एवं लक्ष्य निर्धारित करना

प्रारंभिक अवस्था में शासन, निजी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें नीतिगत उपाय, दीर्घकालीन लक्ष्य, आदि शामिल किया जाना चाहिये शासन किन उद्देश्यों हेतु उक्त विकास कार्यक्रम संचालित करना चाहती है उनका स्पष्टतः ब्यौरा होना चाहिये।

2. प्रारंभिक प्रक्रिया

प्रारंभिक अवस्था में निम्न क्रियायें मुख्यतः शामिल हैः

- आधारभूत सुविधा व्यवस्था उपरांत कार्यक्रम प्रारंभ करना
- विभागीय कार्य आबंटन
- प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त प्रशिक्षकों व पर्यवेक्षकों की नियुक्ति
- प्रशिक्षण स्थान सुनिश्चित करना
- प्रशिक्षण हेतु बजट आबंटन एवं उपयोग संबंधी नियम निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण अवधि सुनिश्चित करना।

3. हितग्राहियों का चयन

- तृतीय अवस्था में हितग्राहियों के चयन के मानदंड एवं नियम निर्धारण करना।
- चयन समिति का गठन जो हितग्राहियों के चयन की विशेषता रखते हो।
- हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करना एवं लक्ष्य अनुसार चयन करना।

- कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना।
- चयन प्रक्रिया अंर्तगत हितग्राहियों का चयन शासन के लक्ष्य, हितग्राहियों की योग्यता, एवं निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाता है।

4. प्रशिक्षण संबंधित पाठ्यक्रम एवं विषय सामग्री का निर्धारण

विशेषज्ञों की सहायता से शासन के योजनाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से सफल बनानें उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण अनिवार्य है।

पाठ्यक्रम अंर्तगत नवीन उपक्रम निर्माण की कार्यविधि, उद्यम प्रर्वतन, साधनों का उचित विदोहन के तरीके, उद्यमीय कौशल विकास, अवसरों का उचित चयन, पूंजी का उचित उपयोग, उद्यमीय प्रवृतियों को अभिप्रेरण द्वारा निखारना, उद्यमिता संबंधी विभिन्न समस्याओं के उचित समाधान एवं अन्य महत्वपूर्ण विषय संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है।

5. प्रशिक्षण पूर्व अवस्था

इस अवस्था में उद्यमियों के गुणों, एवं व्यवहारों में परिवर्तन एवं विकास किया जाता है। इसमें प्रशिक्षण में भाग लेने वाले हितग्राहियों को सफल उद्यमी बनानें की ओर उन्मुख किया जाता है। इस अवस्था में निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्यमियों को सफल बनानें का आधार प्रदान किया जाता हैः

1. हितग्राहियों को उद्यमशीलता हेतु अभिप्रेरित करना।
2. उद्यमीय कौशल अनुरूप परियोजना चयन में सहायता करना।
3. उद्यम हेतु श्रेष्ठ वातावरण निर्माण हेतु उद्यमियों को मानसिक रूप से मूल्यांकित करना।
4. प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से हितग्राहियों को उद्यमिय व्यवहारों को आत्मसात कर एवं वातावरण के अनुरूप समन्वित करनें हेतु तैयार करना।

5. हितग्राहियों की उद्यमीय क्षमता का विकास करना एवं उद्यम संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु आधार प्रदान करना।

6. प्रशिक्षण पश्चात की अवस्था

अंतिम अवस्था में निम्नांकित प्रक्रिया की जाती हैः

1. प्रशिक्षण उपरांत कितने हितग्राही लाभान्वित हुये इसकी जांच करना।
2. प्रशिक्षण की विषय सामग्री से उद्यम संचालन हेतु व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं इसका निरीक्षण।
3. प्रशिक्षण में निहित कमियों को ढूँढ़ना एवं भविष्य में उन्हें दूर करनें के प्रभावी उपाय करना।

शासन द्वारा महिला स्वरोजगार में वृद्धि की दिशा में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे महिलायें उद्यम संचालन बेहतर ढंग से कर सकती हैं।

स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यम के चुनाव, पूंजी, अन्य संसाधन के नियोजन, उत्पादित वस्तु के विपणन, एवं अन्य व्यावसायिक प्रक्रिया संबंधित ज्ञान एवं अभिप्रेरणा प्रदान किया जाता है।

शासन स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण कई स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से भी करती है, इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र, मित्र, परिजनों, जिला उद्योग केंद्रों से भी प्रशिक्षण सुविधा की जानकारी उद्यमियों तक पहुंचती है।

आवश्यकता है उद्यमियों तक इन कार्यक्रमों की जानकारी उचित संचार माध्यमों से पहुंचे ताकि अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके।

महिला उद्यमियों में विशेषतः सिलाई, ब्यूटी पार्लर, दोना–पत्तल निर्माण, प्रिटिंग व्यवसाय आदि कार्यों में विधिवत् प्रशिक्षण अनिवार्य है वहीं परंपरागत उद्यम सब्जी, टिफिन सेवा, झूलाघर आदि में प्रशिक्षण की

अनिवार्यता नहीं है, परंतु बदलते परिवेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलाओं को उद्यम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आधार प्राप्त होता है। छ.ग. शासन ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये है स्वरोजगार योजनाओं में कुछ प्रशिक्षण संबंधी योजनायें भी संचालित है जिनसे लाभान्वित होकर महिलायें अपने उद्यम कौशल को और अधिक प्रभावी बना रही है।

शासन की प्रशिक्षण आधारित महिला स्वरोजगार योजनायें जिनसे लाभान्वित होने की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः

I. **स्वावलंबन योजनाः** महिलाओं को स्वरोजगार हेतु दक्षता प्रदान करनें एवं विभिन्न नयें विषयों का ज्ञान प्रशिक्षण के माध्यम से करानें हेतु छ.ग. शासन की प्रशिक्षण उन्मुख स्वावलंबन योजना में निम्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होता हैः

- सिलाई संबंधी प्रशिक्षण
- खाद्य व्यंजन
- टैली एकाउंटिग
- कम्प्यूटर टायपिंग एवं शार्टहैंड प्रशिक्षण
- सौंदर्य सज्जा
- अन्य कोई विशिष्ट प्रशिक्षण जो छ.ग. महिला कोष के राज्य स्तरीय कार्यालय से अनुमोदित हो।
- अन्य आय उपार्जन प्रशिक्षण जो जिला अथवा विकासखंड स्तर पर उपलब्ध हो।

हितग्राही चयन की प्रक्रिया

जिला प्रबंधक द्वारा निम्नलिखित पद्धति से हितग्राहियों का चयन किया जाता हैः

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से
2. पर्यवेक्षकों के माध्यम से
3. स्वयं सेवी संस्थानों के माध्यम से

4. समाचार पत्रों में समाचार (विज्ञापन) प्रकाशन के माध्यम से
5. हितग्राही द्वारा प्राप्त आवेदन के माध्यम से।

हितग्राही के आवेदन करने की प्रक्रिया

हितग्राही को चिन्हांकित करने के उपरांत अथवा उनके द्वारा संपर्क करने पर संलग्न परिशिष्ट –2 के प्रारूप अनुसार आवेदन किया जायेगा जिसमें स्व प्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ संलग्न की जावेगी। आवेदन निकटतम आँगनबाड़ी केन्द्र के पर्यवेक्षक या जिला अधिकारी द्वारा नामांकित पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित कराया जायेगा, तत्पश्चात् हितग्राही का आवेदन स्वीकृत होगा।

प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया

1. शासन द्वारा गठित समिति से चयनित संस्थान जो उच्च गुणवता एवं न्यायोचित दरो पर उत्तम प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाले चयनित संस्थानों द्वारा कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है, जो आवेदक को उनकी इच्छानुसार चयनित विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करते है।
2. प्रशिक्षण संस्थान को हितग्राही के आवेदन की एक छायाप्रति अग्रेषित कर प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यदेश दिया जाता है।
3. प्रशिक्षण अवधि में जिला प्रबंधन द्वारा बीच में कम से कम एक बार पर्यवेक्षक से संस्थान में भेंट कर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है।
4. प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, प्रत्येक प्रमाण पत्र में प्रशिक्षण के संपूर्ण पाठ्यक्रम का ब्यौरा दिया जाता है।

सहायता का स्वरूपः योजना अंर्तगत हितग्राही को छ.ग. शासन द्वारा 5000 रू. तक का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

II. कौशल उन्नयन योजना

महिला स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण आधारित इस योजना में महिला

स्वसहायता समूह के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

हितग्राहियों का चयन

योजना अंर्तगत प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागी सदस्य का नामांकन स्वसहायता समूह द्वारा किया जा सकेगा। समान आय उर्पाजन में संलग्न सदस्यो में से प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये 30 सदस्यों का चयन किया जाता है। पृथक–पृथक समूह से सदस्यों का चयन हो इस तथ्य को प्राथमिकता दी जाती है ताकि अधिक मात्रा में अलग–अलग समूह लाभान्वित हो सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

- जिला प्रबंधक महिला समूह के चयनित संबंधित सदस्यों, उद्यम का नाम, एवं प्रशिक्षण ऐजेंसी का चयन कर, हितग्राहियों को सूची (नाम, पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, आयु, ग्राम, समूह का नाम, वर्तमान में संलग्न आय उर्पाजन गतिविधि के नाम सहित) पाठयक्रम, प्रशिक्षण ऐजेंसी का नाम, व्यावसायिक प्रशिक्षण का नाम, स्थान आदि के विवरण सहित, अपनी अनुशंसा एवं प्रस्ताव का पूर्ण विवरण छ.ग. महिला कोष को भेजते है।
- तत्पश्चात् छ.ग. महिला कोष से राशि स्वीकृति जारी होने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रबंधक द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम/विकासखंड/ जिला स्तर पर किया जाता है।
- प्रशिक्षण उपरांत जिला प्रबंधक कार्यक्रम का प्रतिवेदन, हितग्राहियों की सूची, प्रशिक्षण के फोटोग्राप्स एवं व्यय का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अपनी अनुशंसा सहित छ.ग. महिला कोष को प्रेषित करते है।

सहायता का स्वरूप

योजना के अंर्तगत महिला स्वसहायता समूह के सदस्यों को चयनित

कर 1 से 3 दिवसीय आय उपार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण शासन द्वारा प्रदायित किया जाता है।

III. महिलाओं के लिये उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम

तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति दिन 6 घंटे के कार्यक्रम में 4 सत्र होते हैं जिसमें निम्न विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैः

1. स्वरोजगार एवं उद्यमिता का महत्व
2. सफल उद्यमी के गुण एवं अभिप्रेरणा प्रशिक्षण
3. लघु उद्यम/व्यवसाय स्थापित करनें की प्रक्रिया
4. उद्योग स्थापना में सहायक विभिन्न संस्थानों की भूमिका की जानकारी
5. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की विस्तृत जानकारी
6. ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकने वाले लघु उद्योगों की जानकारी
7. बैंक व वित्तीय संस्थानों की भूमिका एवं ऋण आवेदन प्रक्रिया की जानकारी
8. सफल उद्यमी से चर्चा एवं उनके अनुभवों तथा ज्ञान का अनुकरण
9. बाजार सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण प्रक्रिया की जानकारी
10. उद्यमिता जागरूकता से संबंधित अन्य विषय।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

जिला प्रबंधक हितग्राहियों एवं प्रशिक्षण एजेंसी का चयन कर प्रशिक्षणार्थी की सूची प्रशिक्षण ऐजेंसी का पूर्ण विवरण अपनी अनुशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव छ.ग. महिला कोष को भेजेंगे तथा वहां से राशि स्वीकृत होने पर कार्यक्रम आयोजन जिला प्रबंधक द्वारा ग्राम/विकासखंड/जिला स्तर पर किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरांत जिला प्रबंधक अपनी अनुशंसा के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र छ.ग. महिला कोष को प्रेषित करेंगें।

सहायता का स्वरूपः तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों को शामिल किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कई स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य मंत्रालयों के सहयोग से भी संचालित किया जाता है :–

कडेन्स्ड कोर्सेस ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्रामः महिलाओं को उद्यम सबद्ध कौशल बढ़ाने एवं व्यावसायिक योग्यता विकास हेतु 1968 से प्रशिक्षण संस्था कार्यरत् है, जो महिलाओं को उद्यम दक्षता का आधार प्रदान कर रहे हैं।

ट्रेनिंग कम एम्प्लॉयमेंट कम प्रोडक्शन सेंटर्सः महिलाओं को परंपरागत व्यवसाय के अलावा गैर परांपरागत उद्यम संचालन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। ये संस्थायें इलेक्ट्रिकल्स, प्रिंटिंग, फैशन, टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, पर्यटन, होटल इलेक्ट्रानिक्स आदि में दक्षता प्रदान कर महिलाओं की पहुंच तकनीकि आधारित उद्यमों की ओर भी कर रहे है।

सर्पोट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लायमेंट प्रोग्राम फार वूमन (S.T.E.P.)

गरीब तथा ग्रामीण जरूरतमंद महिलाओं को परंपरागत आधारित उद्यम जैसे– पशुपालन, कृषि, मतस्यपालन, रेशम पालन, आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर जीविकोपार्जन हेतु आत्मनिर्भर बनाया जाता है। कार्यक्रम के प्रारंभ से 61 परियोजनायें चलाई जा चुकी है, जिसमें 3.32 लाख महिलायें स्वरोजगार प्रारंभ कर चुकी है।

4.5 स्वरोजगार में संलग्न महिलाओं हेतु विकास परामर्श

स्वरोजगार प्रारंभ करना एवं उसे निरंतर गतिशील तथा विकासवान रखना प्रत्येक उद्यमी के लिये संभव नहीं इस हेतु उद्यमी को निरंतर प्रत्यनशील रहना आवश्यक है। आर्थिक समस्या से ग्रसित महिलायें जोखिम वहन कर स्वरोजगार तो स्थापित कर लेती है परंतु सही मार्गदर्शन ज्ञान एवं अनुभव के अभाव में या तो उद्यम हानि में चलकर समय पश्चात

बंद हो जाता है या लाभ होने के बावजूद विकास की ऊँचाई तक नहीं पहुंच पाता।

महिलाओं को इस हेतु स्वयं जागरूक होकर अपनी सृजनशक्ति, अनुभव, नित नवीन तकनीक एवं ज्ञान का अर्जन, अपनें उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहकों से संबंध आदि के माध्यम से उद्यम का विस्तार व विकास किया जा सकता है।

छ.ग. शासन नें भी इस दिशा में अनेक सुविधायें उपलब्ध कराई है जैसे उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें महिला उद्यमियों को अपना स्वरोजगार स्थापित करनें हेतु अभिप्रेरित किया जाता है, अनेक प्रशिक्षण योजनायें जिनके माध्यम से उद्यम स्थापना हेतु दक्षता एवं ज्ञान अर्जन सुविधा मिलती है क्योंकि प्रशिक्षित व दक्ष व्यक्ति उद्यम प्रारंभ करें तो सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। दिशा–दर्शन भ्रमण कार्यक्रम द्वारा स्थापित उद्यम में आने वाली समस्या एवं उनके निराकरण का मार्ग, अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा सुझावों का आदान प्रदान किया जाता है।

स्वरोजगार निश्चित तौर पर देश के विकास में सहायक है, इस हेतु केवल उद्यम स्थापित करना काफी नहीं अनिवार्यता उसके कुशलतापूर्वक सँचालन एवं बाधा–रहित विकास से है ताकि एक महिला उद्यम अन्य कई बेरोजगारों के रोजगार व आत्मनिर्भरता का माध्यम बन सके। निम्नांकित

परामर्श महिला स्वरोजगारियों के उद्यम विकास में सहायक होगें

निष्पादन का मूल्याँकनः प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में पूर्णतः कुशल नहीं होता, अपनें उद्यम की कुशलता पूर्वक संचालन हेतु गलतियों एवं त्रुटियों का पता होना भी जरूरी है, जिस हेतु अपनें कार्यो का समय–समय पर नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिये जिससे उसमें सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार कर भविष्य में उसे ना दोहरायें। निष्पादन के मूल्यांकन से कार्यो में कुशलता आती है एवं व्यवसाय की लाभदायकता हेतु अनिवार्य है।

ज्ञान अर्जन एवं विस्तारः प्रतिस्पर्धा के इस युग में ग्राहकों की रूचि, फैशन, तकनीकि परिवर्तन, देश दुनिया का नई जानकारी के अनुरूप अपनें उत्पाद में परिवर्तन लाने के लिये संचार के नित नये साधनों का प्रयोग, समाचार पत्र, इंटरनेट, पत्र–पत्रिकायें आदि के माध्यम से ज्ञान अर्जन कर अपनें ज्ञान का विस्तार कर व्यवसाय का विकास किया जा सकता है।

व्यवस्थात्मक आयोजनः व्यवस्थित योजना अंर्तगत कार्य करना उद्यमी की अनिवार्यता है, क्योंकि साधन सीमित है एवं उनका उचित विदोहन करना चाहिये, अपनें लक्ष्य का निर्धारण विधिवत् कर लक्ष्यों का उप–विभाजन करना एवं प्रत्येक लक्ष्य का व्यवस्थात्मक ढंग से पूर्ण करना जिससे उद्यमशील गतिविधियों में सफलता प्राप्त की जा सके।

सृजनशीलताः नवाचार एवं क्रियाशीलता उद्यमिता के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। नित नवीन तथ्यों के प्रयोग, व्यवसाय में नित नये विचारों को अपनाना, नये आर्थिक अवसरों की प्राप्ति का साधन बनता है। सृजन और नवाचार में कल्पना, एवं कुशलता के साथ नवीन अविष्कारों एवं सोच को व्यवसाय में लागू किया जाता है, जो आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में उद्यम विकास में सहायक है।

बाह्य समर्थन का लाभ उठानाः महिला उद्यमियों हेतु अनेक रूपों में बाह्य समर्थन, सुविधायें एवं सहायता उपलब्ध है। आसान शर्तों पर ऋण सुविधा, प्रशिक्षण, स्वसहायता समूहों से जुड़ना, आदि इनका उपयोग कर उद्यम प्रारंभ से विकास तक का सफर तय किया जा सकता है। स्वयं छ.ग. शासन महिला कोष, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारतीय लघु उद्योग, वाणिज्यिक बैंक एवं अनेक निजी एवं स्वयंसेवी संस्थान की खोज एवं उनकी सहायता से उद्यम का विकास संभव है।

साहसः महिला द्वारा संचालित उद्यम को विकसित करनें आंतरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है ताकि बाह्य समस्याओं से ग्रसित ना होकर इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में भी अपनें उद्यम का संचालन निबोध गति से किया जा सकता है। महिला हैं इस तथ्य को व्यवसाय पर हावी नहीं होनें देकर

साहसी बनकर उद्यम के प्रत्येक जोखिम का सामना करनें पर ही उद्यम रूपी स्वावंलन का जरिया निरंतर गतिवान रहेगा।

जनसंपर्कः विज्ञापन के इस आधुनिक युग में विभिन्न नवीन माध्यम ई–मेल, मैसेज, वाट्स–अप आदि के माध्यम से जनसंपर्क कर अपनें उत्पाद की जानकारी, देते हुये नेटवर्क स्थापित करनें एवं अपने नवीन एवं पुराने ग्राहको से संबंध विकसित करनें की श्रेष्ठता स्वरोजगार में संलग्न महिला उद्यमी के विकास हेतु अच्छा विकल्प है। जनसंपर्क द्वारा ग्राहकों के अतिरिक्त अपनें कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ भी बेहतर संबंध विकसित की जा सकती है, जो एक बेहतर प्रबंधन को प्रर्दशित करेगा।

परिवर्तनों को अंगीकृत करनें की प्रवृतिः नवीन परिस्थितियों के अनुरूप अपनें में एवं उद्यम में परिवर्तन एवं आवश्यक समायोजन एवं नवीनता लागू करने में सक्षमता अपनें उद्यम को नयी दिशा प्रदान करने में लाभदायी है, प्रतिस्पर्धा के इस युग में तकनीकी आधारित उद्यमों में नित नवीन तथ्यों को अंगीकृत करने से ही उद्यम का विकास संभव है।

सकारात्मक दृष्टिकोणः नकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा गलत निर्णय की ओर ले जाते हैं। अतः उद्यम की सफलता हेतु महिला उद्यमियों को सदैव प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिये। उद्यम में नित प्रतिदिन अनेक समस्यायें आती है उन्हें सुलझाकर उद्यम को विकास की ओर अग्रसर करनें के लिये दृष्टिकोण में सकारात्मकता होना जरूरी है क्योंकि सकारात्मक विचार हमें नयी उर्जा प्रदान करता है, तथा प्रत्येक बाध ाओं का हल भी आसानी से करने में सहायता करता है सकारात्मक दृष्टिकोण सभी सहयोगियों के सुझावों एवं विचारों को भी समझनें तथा उन्हे अंगीकृत करने में सहायक है।

अध्याय 05 | छत्तीसगढ़ राज्य में महिला स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों का आर्थिक मूल्यांकन

भूमिका

शोध के प्रस्तुत अध्याय के अंर्तगत छ.ग. राज्य में महिला स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। महिला उद्यमों की आर्थिक सुदृढ़ता एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हेतु उद्यम का कार्य क्षेत्र, पूंजी संरचना, स्वामित्व का ढाँचा, पूंजी निवेश, सेविवर्गीय प्रबंध का मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमों में उत्पादन हेतु कच्चे माल की उपलब्धता, विक्रय विपणन व्यवस्था, वित्त–ऋण आदि का भी विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया है। महिला उद्यमों के आर्थिक मूल्यांकन हेतु शासन की योजनाओं से लाभान्वित होकर उद्यम संचालन कर रही 500 महिलाओं के उद्यमों को न्यादर्श के रूप में लिया गया है जिसमें 250 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित है उसके अंर्तगत प्राप्त ऋण एवं प्रशिक्षण द्वारा उद्यम संचालन कर रही महिला उद्यमियों का चयन किया गया है एवं 250 छ.ग. शासन की महिला कोष योजना अंर्तगत महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, स्वावलंबन आदि योजना से लाभान्वित महिला उद्यमों का चयन किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंर्तगत ऋण की सीमा 25 लाख रू. होनें के कारण लाभान्वित महिला उद्यमों के कार्य का स्तर वृहद है एवं महिला कोष की ऋण सीमा 100000 रू. होने से लाभान्वित महिला उद्यमों के कार्य का स्तर अपेक्षाकृत सूक्ष्म है। इस प्रकार दो अलग–अलग योजनाओं एवं श्रेणी की महिला उद्यमियों का चयन कर आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। इन समस्त महिला संचालित उद्यमों के आर्थिक विश्लेषण हेतु साक्षात्कार एवं प्रश्नावली को आधार बनाया गया है।

5.1 उद्यमों के उत्पादन का कार्यक्षेत्र

शोध अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों में मुख्यतः 2 प्रकार के कार्य देखे गये। प्रथम विनिर्माण कार्य – जिसमें पूर्व निर्मित उत्पाद को नवीनता प्रदान कर बिक्री योग्य बनाना जैसे– आटाचक्की, राईसमिल, बीड़ी, झाड़ू, मसाला, गुड़ निर्माण आदि। दूसरा सेवा प्रदाता उद्यम जिसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता वरन सेवा प्रदान की जाती है, इन उद्यमों में ग्राहक सेवा एवं संतुष्टि को उद्यम सफलता का आधार माना जाता है।

महिलाओं द्वारा उक्त दोनों के अलावा कुछ कार्य मध्यस्थता संबंधित भी है जैसे निर्माता से उत्पाद को उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचाने संबंधी कार्य।

समंको का संकलन संपूर्ण छ.ग. राज्य के सभी क्षेत्रों में उद्यमरत् (500) महिला उद्यमियों से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है जिसमें उपरोक्त दोनो ही प्रकार के उद्यम को शामिल किया गया है।

तालिका क्रमांक 5.1: छ.ग. राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लाभान्वित 250 महिला स्वरोजगारियों के उद्यम क्षेत्र का विवरण

क्रमांक	उद्यम क्षेत्र	संख्या
01	ब्यूटी पार्लर	40
02	गुड़ उद्योग	08
03	मसाला उद्योग	08
04	फर्नीचर व्यवसाय एवं कूलर निर्माण	20
05	रेडिमेट वस्त्र उद्योग	25
06	घरेलू प्रेशर कूकर निर्माण	05
07	फेब्रिकेशन, ट्रेक्टर, ट्राली निर्माण	10
08	ईट निर्माण व्यवसाय	32
09	मिनी राईस मिल एवं बेकरी	30
10	वनोपज उत्पाद संग्रहण एवं निर्माण	05
11	कैटरिंग प्लेट एवं डिस्पोजल निर्माण उद्यम	25
12	सेंटरिंग प्लेट एवं फैसिंग पोल निर्माण	30
13	अन्य उद्यम	12
कुल		**250**

तालिका क्रमांक 5.2: छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, स्वावलंबन आदि योजनाओं से लाभान्वित 250 महिला स्वरोजगारियों को उद्यम क्षेत्र का विवरण

क्रमांक	उद्यम क्षेत्र	संख्या
01	ब्यूटी पार्लर एवं हॉबी क्लासेस	35
02	सब्जी एवं फल व्यवसाय	10
03	सिलाई, कढ़ाई, पीकू केंद्र	40
04	किराना एवं मिनी राईस मिल	15
05	मुर्गी पालन, मछली पालन व्यवसाय	04
06	टिफिन व्यवसाय, होटल व्यवसाय एवं कुकिंग क्लासेस	20
07	फैंसी एवं जनरल स्टोर्स	30
08	आटा चक्की व्यवसाय	05
09	दुग्ध व्यवसाय	08
10	मसाला उद्योग, अचार, पापड़, बड़ी निर्माण	20
11	दोना पत्तल निर्माण (मशीन द्वारा)	25
12	ईंट व्यवसाय, मार्बल पत्थर	10
13	रेडी टू ईट निर्माण व्यवसाय(आंगनबाड़ी केंद्र की पूर्तिकर्ता)	08
14	कम्प्यूटर सेंटर एवं स्टेशनरी व्यवसाय	10
15	जूता चप्पल दुकान	03
16	जूट व्यवसाय	05
17	अन्य मौसमी उद्योग	02
कुल		**250**

तालिका क्रमांक 5.3: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं छ.ग. शासन महिला कोष की ऋण योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों के उत्पादन का कायक्षेत्र

क्र.	कार्यक्षेत्र	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन से लाभान्वित महिला उद्यम		छ.ग. महिला कोष से लाभान्वित महिला उद्यम		कुल योग
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	विर्निमाण	208	83.2	130	52	338
2.	सेवा एवं अन्य	42	16.8	120	48	162
योग		**250**	**100**	**250**	**100**	**500**

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 5.1: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन एवं छ.ग. महिला कोष की ऋण योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों के उत्पादन का कार्यक्षेत्र

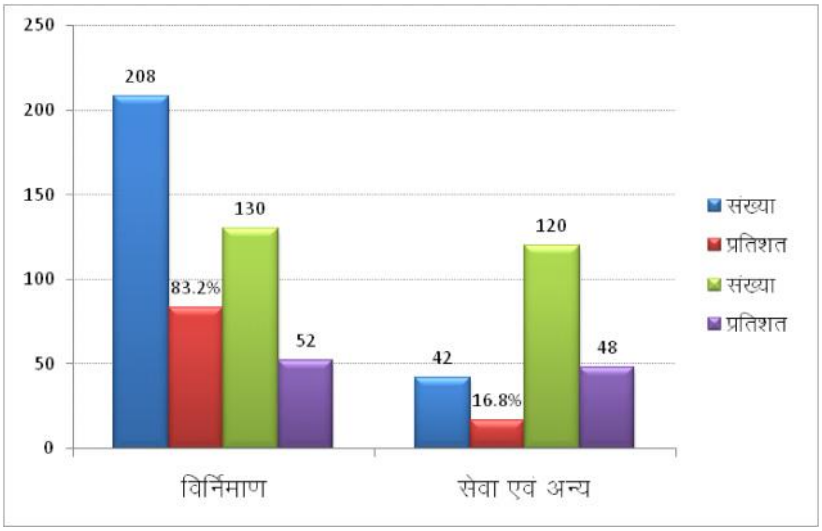

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लाभान्वित महिला उद्यमियों का 83.2 प्रतिशत विनिर्माण कार्य जैसे गुड़ उद्योग, मसाला निर्माण, कूलर निर्माण, प्रेशर कुकर, ईंट निर्माण आदि क्षेत्र से जुड़े है एवं छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना से लाभान्वित महिला उद्यमियों का 52 प्रतिशत भाग रेडी टू ईट निर्माण, आटा चक्की, जूट से निर्मित सामग्री, खाद्य प्रसंस्करण आदि कार्य में उद्यमरत है तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के 16.8 प्रतिशत महिला उद्यमी सेवा एवं अन्य जैसे ब्यूटी पार्लर रेडिमेड वस्त्र आदि कार्य में संलग्न है वही महिला कोष की 48 प्रतिशत महिलायें सेवा कार्य से जुड़ी है जैसे– सिलाई, कढ़ाई, कम्प्यूटर सेंटर आदि। दोनों ही योजनाओं की महिलाओं का विनिर्माण कार्य में जुड़ाव अधिक है तथा सेवा कार्य में अपेक्षाकृत कम है चूंकि महिला कोष की स्वावलंबन योजना में प्रशिक्षण सुविधा दी जाती है जो सेवा व्यवसाय की अनिवार्यता है अतः महिला कोष की योजनाओं में सेवा क्षेत्र में भी महिला उद्यमों का प्रतिशत देखा गया है।

5.2 महिला उद्यमों में कच्चा माल संबंधी विवरण

कच्चा माल उत्पादन का मुख्य आधार है, प्रत्येक प्रकार के उद्यम चाहे वह विर्निमाण हो या सेवा संबंधी सभी के लिये अनिवार्यता है। मुख्य रूप से विनिर्माण कार्य में कच्चा माल तत्व है। कुछ विशेष क्षेत्र जैसे चाँपा – बिलासपुर में कोसा वस्त्र, राजिम में पत्थर, बस्तर में वनोत्पाद जैसे कच्चा माल की उपलब्धता ही उनके उद्यम की स्थापना का महत्वपूर्ण कारक है। कच्चे माल की उपलब्धता स्थानीय उद्यम की स्थापना, प्रसिद्ध एवं विकास के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कच्चे माल के अतिरिक्त उसका मूल्य भी उद्यम के लाभार्जन क्षमता को प्रभावित करता है क्योंकि क्रम मूल्य पर गुणवत्ता के साथ कच्चा माल प्राप्त हो तो उत्पादन की लागत में कमी के साथ लाभ का प्रतिशत बढ़ जाता है। कच्चे माल संबंधी विश्लेषण हेतु सुविधा के आधार पर प्रश्नावली से महिला उद्यमों की जानकारी को दो भागों में बांटा गया है:

प्रथम : कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोत का विश्लेषण

द्वितीय : कच्चे माल के मूल्य का विश्लेषण

तालिका क्रमांक 5.4: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन एवं महिला कोष की योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों के कच्चे माल की प्राप्ति के स्त्रोत

क्र.	प्राप्ति स्रोत	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभान्वित महिला उद्यम		छ.ग. महिला कोष की योजना से लाभान्वित महिला उद्यम		कुल योग
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	केवल स्थानीय बाजार	243	97.2	249	99.6	492
2.	अन्य प्रदेश	5	2	1	0.4	6
3.	दोनो स्थान	2	0.8	–	–	2
योग		250	100	250	100	500

स्रोत :– प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े

रेखाचित्र क्रमांक 5.2: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन एवं छ.ग. महिला कोष की ऋण योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों के कच्चे माल की प्राप्ति के स्त्रोत

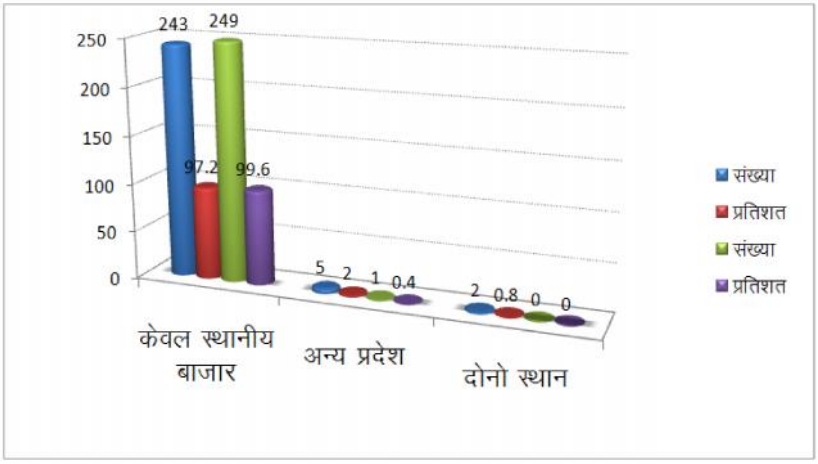

उक्त आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि दोनों ही योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों में कच्चा माल स्थानीय बाजार से ही क्रय किया जाता है क्रमशः 97.2 प्रतिशत एवं 99.6 प्रतिशत आंकड़े यह सिद्ध करते है कि महिलाओं को स्थानीय बाजार में कच्चे माल की उपलब्धता

उद्यम स्थापना हेतु प्रेरित करती है एवं वे अपना उद्यम सरल एवं सुविध ाजनक ढंग से संचालित कर पाती हैं। वहीं अन्य प्रदेश से कच्चा माल प्राप्त करनें में PMEGP से 2 प्रतिशत एवं महिला कोष की महिलाओं का 0.4 प्रतिशत ही है, दोनों स्थानों से माल विक्रय करने वालो का केवल 0. 8 प्रतिशत ही है।

महिलायें अपने उद्यम का चुनाव एवं संचालन कुछ सीमाओं के अंर्तगत करती हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कारक कच्चा माल का स्थानीय बाजार में उपलब्धता पर निर्भर है।

5.2.2 कच्चे माल की कीमत संबंधी विश्लेषण

महिला उद्यमों में कच्चे माल की कीमत व्यवसाय के आकार एवं प्रवृति पर निर्भर करता है, कुछ उद्यमों में कच्चा माल माह के आधार पर, कुछ में आदेश के आधार पर एवं कुछ में उपलब्धता के आधार पर क्रय किया जाता है।

कच्चे माल के मूल्य संबंधी विवरण को निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक 5.5: महिला उद्यमों के कच्चे माल की कीमत विश्लेषण संबंधी तालिका

क्र.	मूल्य	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के उद्यम		महिला कोष योजना के महिला उद्यमी		कुल योग
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	50000 तक	5	2	186	74.4	191
2.	50000 से 100000 तक	20	8	57	22.8	77
3.	100000 से 200000 तक	75	30	07	2.8	82
4.	200000 से अधिक	150	60	—	—	150
योग		250	100	250	100	500

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 5.3: महिला उद्यमों में कच्चे माल की कीमत का विश्लेषण

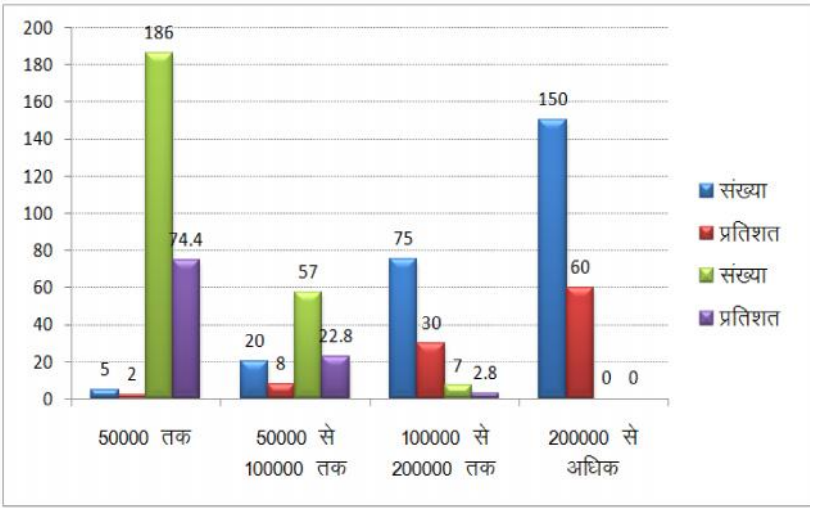

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लाभान्वित महिला उद्यमों में कच्चा माल 2,00,000 से अधिक मूल्य का खपत करनें वालों का 60 प्रतिशत है जो मुख्यतः फर्नीचर, फेब्रिकेशन, ट्रेक्टर निर्माण, मिनी राईस मिल एवं ईट निर्माण उद्यम में संलग्न है, 30 प्रतिशत महिला उद्यम में कच्चे माल के खपत 1,00,000–2,00,000 तक की श्रेणी में है। 8 प्रतिशत महिला उद्यमों में 50,000 से 1,00,000 तक की कच्ची सामग्री एवं शेष 2 प्रतिशत उद्यमों में 50,000 तक के मूल्य के कच्ची सामग्री का आवश्यकता होती है। चूँकि इस योजना के अंर्तगत ऋण की सीमा 25 लाख तक है अतः योजनांर्तगत लाभान्वित महिला उद्यमियों के उद्यम का क्षेत्र भी व्यापक है अतः कच्चे माल की खपत 2,00,000 रू से अधिक की श्रेणी के अंर्तगत आने वाले महिला उद्यमों की संख्या अधिक है, उसी के ठीक विपरीत महिला कोष से लाभान्वित महिला उद्यमों के उधम का दायरा अपेक्षाकृत काफी मध्यम है अतः उनमें कम मूल्य के कच्चे माल की खपत अधिक है जैसे 74.4 प्रतिशत महिला उद्यम केवल 50,000 रू. तक के मूल्य

का माल उपयोग में लाते है एवं 22.8 प्रतिशत 50,000 से 1,00,000 रू. मूल्य का कच्चा माल खपत करते है तथा 2.8 प्रतिशत ही 1,00,000 से 2,00,000 रू. तक की श्रेणी अंर्तगत आते है एवं 2,00,000 से अधिक मूल्य के कच्चे माल की खपत का प्रतिशत शून्य है क्योंकि इन उद्यमों का क्षेत्र लघु है।

5.3 महिला उद्यमों में सेविवर्गीय प्रबंध का विश्लेषण

वर्तमान समय में किसी उद्यम में कुशल कर्मचारी का होना ही उद्यम की सफलता का मूलमंत्र है। सही समय पर उत्पादन एवं ग्राहको की मांग के अनुरूप वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति, व्यवसाय का उचित प्रबंध, संसाधनों का सदुपयोग एवं व्यवसाय की प्रगति, ख्याति का आधार कुशल सेविवर्गीय प्रबंधन है। आज उद्यम चाहे विनिर्माण संबंधी हो या सेवा प्रदाता सेविवर्गीय प्रबंध का महत्व प्रत्येक उद्यम में है क्योंकि उत्पादन के सभी अन्य साधनों में उचित समन्वय करते हुये वस्तु उपभोक्ता तक उपलब्ध करानें वाला सजीव साधन सेविवर्गीय प्रबंध ही है।

तालिका क्रमांक 5.6: विभिन्न महिला उद्यमों में से विवर्गीय प्रबंध का विश्लेषण

क्र.	कर्मचारियों की संख्या	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभान्वित महिला उद्यमी		छ.ग. महिला कोष योजना के लाभन्वित महिला उद्यमी		कुल योग
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	1–3	9	3.6	130	52	139
2.	4–6	30	12	80	32	110
3.	7–9	32	12.8	30	12	62
4.	10–12	65	26	10	4	75
5.	12 से अधिक	114	45.6	–	–	114
योग		**250**	**100**	**250**	**100**	**500**

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 5.4: विभिन्न महिला उद्यमों में सेविवर्गीय प्रबंध का विश्लेषण

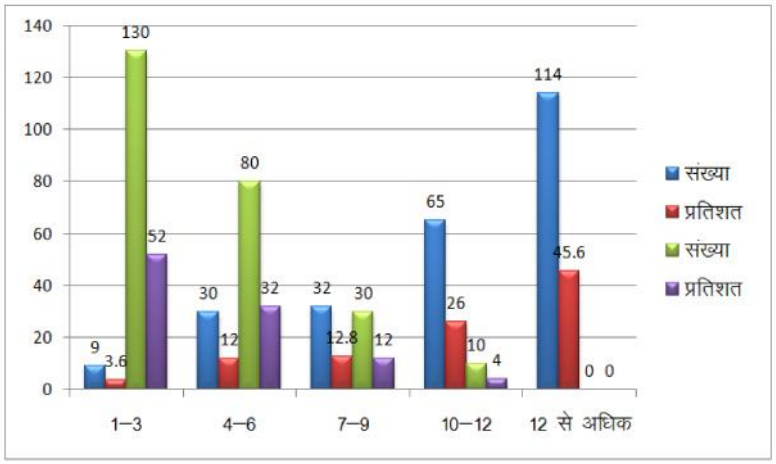

(स्रोत :– प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंर्तगत लाभान्वित महिला उद्यमी वृहद आकार के उद्यम में संलग्न है, अतः उद्यम आकार बड़ा होने के कारण 45.6 प्रतिशत उद्यम में 12 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है जबकि महिला कोष से लाभान्वित महिलायें सामान्यतः लघु एवं कुटीर उद्यम का संचालन करती है अतः वहां 12 से अधिक कर्मचारी की संख्या शून्य है वहां 1 से 3 कर्मचारी का प्रतिशत सबसे अधिक है 52 प्रतिशत, क्योंकि वे उद्यम के आकार के अनुरूप कम कर्मचारी ही रखते है वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभान्वित महिला उद्यमों में 1 से 3 कर्मचारियों की श्रेणी में केवल 3.6 प्रतिशत ही महिला उद्यम है क्योंकि वृहद आकार के करण उन्हें अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। 4–6 कर्मचारी रखने वाले महिला उद्यम क्रमशः 12 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत एवं 7–9 कर्मचारी वाले क्रमशः 12.8 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत है। 26 प्रतिशत महिला उद्यम (PMEGP) में 10–12 कर्मचारी रखते है एवं महिला कोष के महिला उद्यमों में इसका प्रतिशत अत्यंत कम 4 प्रतिशत ही है। जैसा कि पूर्व में ही बताया गया था कि किसी भी उद्यम में कर्मचारियों की

नियुक्ति उद्यम के आकार पर ही निर्भर करती है।

5.4 महिला उद्यमों के विक्रय क्षेत्र एवं विपणन व्यवस्था

अध्ययन के इस भाग में महिला उद्यमियों द्वारा संचालित उद्यमों के विक्रय एवं विपणन व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है। वृहद आकार के उद्यमों में उत्पादन एवं वस्तु की पूर्ति अधिक होती है क्योंकि उन वस्तुओं की मांग भी अधिक होती है एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम होने कारण वहां उत्पादों की मांग एवं पूर्ति दोनों ही कम रहती है। किसी भी उत्पाद का विक्रय में सर्वप्रथम स्थानीय बाजार को ही प्राथमिकता दी जाती है, तत्पश्चात् विज्ञापन, लोकप्रियता एवं ख्याति के आधार पर अन्य बाजारों में मांग बढ़ने पर उनका विक्रय होता है।

विभिन्न महिला उद्यमों में विक्रय एवं विपणन व्यवस्था संबंधी जानकारी का संग्रहण कर उनका विश्लेषण निम्न तालिका अंर्तगत दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक 5.7: विभिन्न महिला उद्यमों के विक्रय क्षेत्र एवं विपणन व्यवस्था

क्र.	विपणन क्षेत्र	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभान्वित महिला उद्यम		छ.ग. महिला कोष के लाभन्वित महिला उद्यम		कुल योग
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	स्थानीय बाजार	200	80	238	95.2	438
2.	अन्य बाजार	40	16	12	4.8	52
3.	स्थानीय एवं अन्य दोनों बाजार	10	4	–	–	10
योग		**250**	**100**	**250**	**100**	**500**

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 5.5: विभिन्न महिला उद्यमों के विक्रय क्षेत्र एवं विपणन व्यवस्था

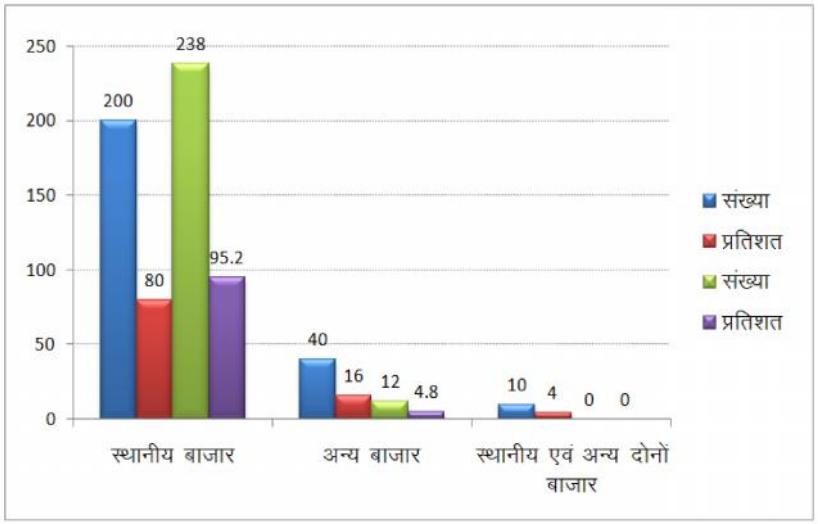

*(**स्रोतः** प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)*

महिला कोष की योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों में 95.2 प्रतिशत उत्पादित वस्तुओं का विपणन स्थानीय बाजार में ही होता है। क्योंकि उत्पादन मांग के अनुरूप होता है एवं ये महिलायें लघु उद्यम का संचालन करती हैं तो उत्पादन एवं सेवा का क्षेत्र भी अपेक्षाकृत छोटा है। वहीं 4.8 प्रतिशत महिला उद्यम ही अन्य बाजार में विपणन करते हैं। कभी–कभी कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग दूर–दूर तक होती है जैसे – वनोपज बस्तर क्षेत्रों में तैयार होते है, कोसा वस्त्र जाँजगीर चाँपा क्षेत्र में परंतु इनकी मांग अन्य बाजारों में भी होती है। इसके अतिरिक्त तृतीय श्रेणी अर्थात् स्थानीय एवं अन्य बाजार दोनों में उत्पादों के विपणन करने वाले महिला उद्यम का प्रतिशत शून्य है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से लाभान्वित महिला उद्यमों का 80 प्रतिशत विपणन क्षेत्र स्थानीय बाजार ही है, 16 प्रतिशत अन्य बाजार एवं शेष 4 प्रतिशत स्थानीय एवं अन्य दोनों प्रकार के बाजारों में है।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि छ.ग. के महिला उद्यमों के विपणन का मुख्य क्षेत्र स्थानीय बाजार ही है।

5.5 वित्त एवं ऋण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

अध्ययन के इस भाग में महिला उद्यमों में पूंजी निवेश की मात्रा का विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक व्यवसाय के आकार एवं प्रवृति, कच्चा माल के मूल्य के आधार पर ही पूंजी विनियोजन की मात्रा निर्धारित होती है। पूंजी निवेश के आधार पर ही उद्यमों का वर्गीकरण होता है। महिलायें पूंजी निवेश में सुरक्षा की गारंटी अधिक चाहती हैं एवं अपनी क्षमता अनुसार ही पूंजी निवेश को प्राथमिकता देती है। विभिन्न महिला उद्यमों में पूंजी निवेश का विश्लेषण निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है:–

तालिका क्रमांक 5.8: महिला उद्यमों में विनियोजित पूंजी की मात्रा का विश्लेषण

क्र.	विनियोजित पूंजी की मात्रा	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभान्वित महिला उद्यम		छ.ग. महिला कोष की योजनाओं के लाभन्वित महिला उद्यम		कुल योग
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	100000 तक	–	–	215	86	215
2.	100000 से 500000	07	2.8	25	10	32
3.	500000 से 1000000	13	5.2	10	4	23
4.	1000000 से अधिक	230	92	–	–	230
योग		250	100	250	100	500

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 5.6: महिला उद्यमों में विनियोजित पूंजी की मात्रा का विश्लेषण

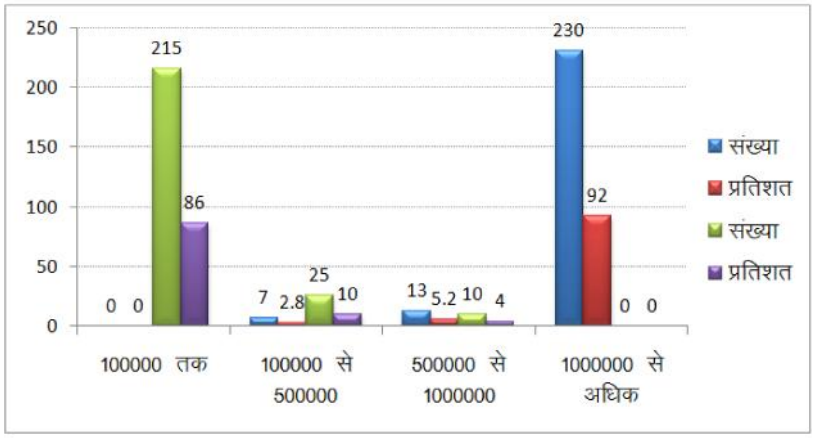

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंर्तगत लाभान्वित महिला उद्यमों में 100000 तक पूंजी विनियोजन वाले उद्यमों की संख्या शून्य है, 100000 से 500000 तक पूंजी निवेश वाले उद्यम 2.8 प्रतिशत है, 500000 से 1000000 तक पूंजी निवेश वाले उद्यम 5.2 प्रतिशत ही है एवं सर्वाधिक 1000000 से अधिक निवेश वाले 92 प्रतिशत उद्यम संचालित हो रहे है जिनमें मुख्यतः ईट निर्माण, फर्नीचर व्यवसाय, मिनी राईस मिल शामिल है। क्योकि इन उद्यमों के संचालन हेतु अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।

वहीं ठीक इसके विपरीत महिला कोष से ऋण की सीमा कम होने के कारण इस योजना से लाभान्वित महिला उद्यमों में पूंजी निवेश का प्रतिशत 100000 रू. तक में सर्वाधिक 86 प्रतिशत है एवं 100000 से 500000 रू. तक में 10 प्रतिशत, 10 लाख तक 4 प्रतिशत एवं 1000000 रू. से अधिक में शून्य है मुख्यतः ये महिला उद्यमी अचार, पापड़, मसाले, छोटे पैमाने के ब्यूटी पार्लर, रेडीमेट वस्त्र, सब्जी व्यवसाय आदि का संचालन करते है जिनमें पूंजी विनियोजन की मात्रा कम ही होती है।

5.5.2 महिला उद्यमों में विनियोजित पूंजी के स्रोत का विश्लेषण

प्रत्येक उद्यमी की यह कोशिश रहती है कि अल्प जोखिम एवं अल्प समय–व्यय में सरलता से पूंजी उपलब्ध हो जाये। वित्त व्यवसाय के रीढ़ की हड्डी जितना महत्वपूर्ण है एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप ही पूंजी की आवश्यकता होती है एवं उसी के आधार पर ही उद्यमी पूंजी के विभिन्न स्रोतों की व्यवस्था करता है।

यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक उद्यमी के पास व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त पूंजी हो कुछ की व्यवस्था वह स्वयं के स्रोत से करता है, कुछ बैंक एवं अन्य निजी वित्तीय संस्थाओं से तथा कुछ शासकीय योजना अंर्तगत वित्त की सुविधा से लाभान्वित होकर करते है। शासन की वित्त संबंधी योजनायें बैंक एवं संबंधित विभाग द्वारा आपसी सहयोग से क्रियान्वित की जाती है। इन सुविधाओं से लाभान्वित होने के लिये महिला उद्यमियों को कुछ औपचारिकतायें पूर्ण करनी होती है जिससे बैंको के माध्यम से ऋण लेना आसान हो जाता है।

शोध अध्ययन के अंर्तगत शोधार्थी में पूरे 500 ऐसे महिला उद्यमियों का चयन किया है जिन्होंने शासन की विविध योजनाओं से ऋण लेकर ही उद्यम का संचालन किया है।

विभिन्न उद्यमों में महिलाओं द्वारा स्वयं की पूंजी, शासन की योजनाओं से बैंक द्वारा एवं अन्य स्रोतों से पूंजी का प्रबंधन कर उद्यम स्थापना का विश्लेषण निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक 5.9: महिला उद्यमियों के पूंजी स्त्रोत की तालिका

क्र.	पूंजी स्रोत	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभान्वित महिला उद्यम		छ.ग. महिला कोष योजना से लाभन्वित महिला उद्यम		कुल योग
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1.	केवल बैंक	35	14	95	38	130
2.	बैंक एवं स्वयं	212	84.8	150	60	362
3.	बैंक+स्वयं+अन्य	03	1.2	05	2	08
योग		250	100	250	100	500

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 5.7: महिला उद्यमियों के पूंजी स्त्रोत का विश्लेषण

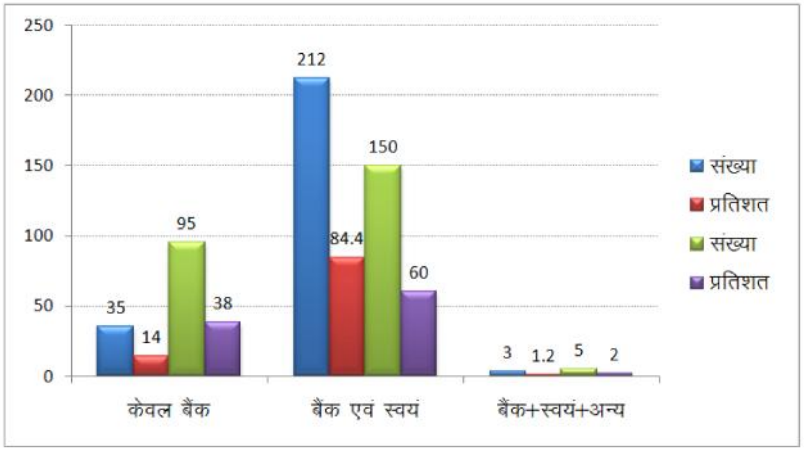

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

उक्त तालिका के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि उक्त दोनों ही प्रकार की योजनाओं में बैंक एवं स्वयं दोनों ही स्रोतों का प्रतिशत सबसे अधिक क्रमशः 84.8 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत है।

अर्थात् केवल योजनाओं से बैंको से ऋण लेकर उद्यम स्थापना संभव नहीं उद्यमी को यदि अपने उद्यम का आकार, उत्पादन की मात्रा अधिक रखनी है तो अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है जो बैंक के साथ–साथ स्वयं के निवेश की भी मांग करता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में केवल बैंक से ऋण लेकर उद्यम स्थापना करने वालों का 14 प्रतिशत ही है एवं महिला कोष की योजनाओं में केवल बैंक को स्रोत बनाकर उद्यम स्थापना का प्रतिशत 38 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त बैंक, अन्य एवं स्वयं तीनों ही स्रोतों से पूंजी निवेश करने वाले महिला उद्यमों का प्रतिशत अत्यंत कम क्रमशः 1.2 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत ही है।

अधिकांश योजनाओं में जब बैंक ऋण सुविधा देती है तो साथ ही साथ उद्यम स्थापना, संचालन संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। अर्थात स्पष्ट है कि शासन ना केवल ऋण प्रदान कर अपनी योजनाओं की सफलता कागजों पर दर्शित करती है वरन् प्रशिक्षण सुविधा प्रदान कर महिलाओं की उघम स्थापना हेतु मार्गदर्शन एवं कौशल प्रदान करती है।

5.5.3 महिला उद्यमों की पूंजी में अंशदान

अध्ययन के इस भाग में विभिन्न महिला उद्यमों के पूंजी स्रोतों में से कितनी मात्रा बैंक, कितनी स्वयं एवं अन्य स्रोतों से लगाई गई है उसका विश्लेषण किया गया है। स्वयं द्वारा लगाई गई पूंजी से उद्यम प्रारंभ करनें पर चिंता अपेक्षाकृत कम रहती है परंतु बैंक एवं अन्य स्रोतों से ऋण वापसी एवं ब्याज के भुगतान जैसे स्थिर व्ययों के कारण दबाव अपेक्षाकृत अधिक होता है।

इसके बावजूद प्रत्येक महिला उद्यमी अपनी सुविधा एवं पहुंच के आधार पर पूंजी के विभिन्न स्रोतों के प्रबंधन द्वारा उद्यम प्रारंभ करती है।

तालिका क्रमांक 5.10: विभिन्न स्त्रोतों का पूंजी में अंशदान का प्रतिशत

क्रमांक	महिला उद्यमियों का संख्या	महिला उद्यमियों का प्रतिशत	पूंजी में अंशदान		अन्य स्रोत
			बैंक	स्वयं	
1.	130	26	100	–	–
2.	362	72.4	70	30	–
3.	08	1.6	60	25	15
योग	500	100			

*(**स्रोतः** प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)*

रेखाचित्र क्रमांक 5.8: विभिन्न स्त्रोतों का पूंजी में अंशदान का प्रतिशत

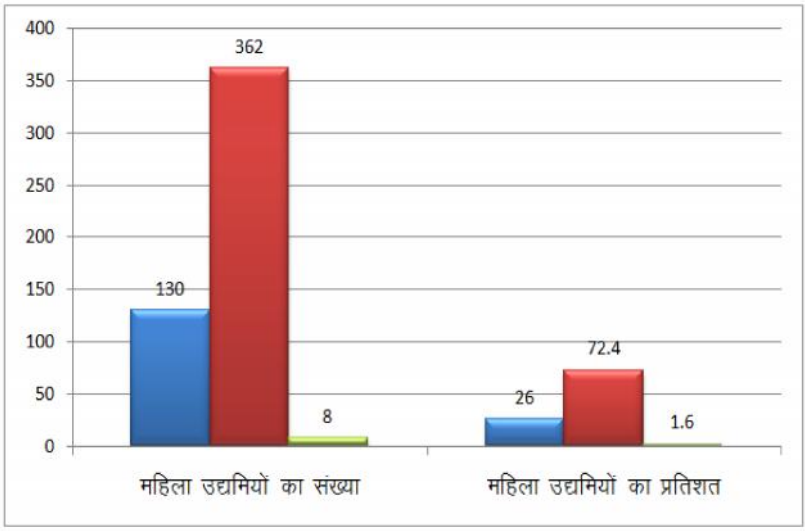

*(**स्रोतः** प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)*

तालिका क्रमांक 5.5.3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 130 महिलायें ऐसी है जो उद्यम स्थापना हेतु 100 प्रतिशत केवल बैंक पर ही निर्भर रही। क्योंकि उनके उद्यम का क्षेत्र काफी छोटा था जैसे–अचार, पापड़, बड़ी निर्माण, छोटे स्तर का फैंसी स्टोर्स, स्टेशनरी व्यवसाय आदि। वहीं सर्वाधिक आंकड़े बैंक एवं स्वयं के अंशदान का (7:3) क्रमशः बैंक का 70 प्रतिशत एवं स्वयं का 30 प्रतिशत के साथ उद्यम स्थापित करने वाले महिला उद्यमियों की संख्या 362 रही, इनका उपक्रम अपेक्षाकृत वृहद स्तर का था।

जैसे– सेंटरिंग प्लेट, गुड़–मसाला उद्यम, ब्यूटी पार्लर, रेडिमेट वस्त्र उद्योग आदि। अंतिम श्रेणी की 08 महिला उद्यमियों ने बैंक से 60 प्रतिशत, स्वयं के 25 प्रतिशत एवं अन्य स्रोतों से 15 प्रतिशत पूंजी एकत्रित कर स्वरोजगार प्रारंभ किया अर्थात् अनुपातिक दृष्टिकोण से बैंक, स्वयं एवं अन्य स्रोतों के अंशदान (12:5:3) रहा।

5.5.4 पूंजी अंशदान में विभिन्न स्रोतों का आनुपातिक विश्लेषण

तालिका क्रमांक 5.11: महिलाओं द्वारा स्थापित उद्यमों में पूंजी के अंशदान के विभिन्न स्त्रोतों का आनुपातिक विश्लेषण

क्रमांक	महिला उद्यमियों की संख्या	पूंजी स्रोतों का अनुपात		अन्य स्रोत
		बैंक	स्वयं	
1.	130	1/1	–	–
2.	362	7/10	3/10	–
3.	08	12/20	5/20	3/20
योग	500			

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

5.6 सफल महिला उद्यमियों के साक्षात्कार

अध्ययन के इस भाग में चयनित महिला उद्यमियों जिन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की महिला स्वरोजगार संबंधी योजनाओं से लाभ लेकर उद्यम की स्थापना एवं संचालन किया है, उनके साक्षात्कार को शामिल किया गया है। महिलाओं के साक्षात्कार से उनकी समस्यायें, उद्यम संचालन बाधायें, उनके विचार, अनुभव, सुझाव एवं भविष्य हेतु योजनायें एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की है। साथ ही उन प्रेरक तत्वों का भी पता लगा जो उन्हें स्वरोजगार प्रारंभ करनें एवं निरंतर विकास हेतु प्रेरित करते है, सभी महिला उद्यमियो ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रत्येक महिला का स्वावलंबन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रत्येक दृष्टिकोण से अनिवार्य है। शहरीकरण के परिवेश में स्वयं आर्थिक रूप से मजबूत महिला ना केवल परिवार को सहयोग प्रदान करेगी वरन् समाजिक स्तर में बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान सुनिश्चित करेगी।

ये महिलायें स्वयं स्व रोजगार करेगीं तो अन्य को भी रोजगार प्रदान कर बेरोजगारी के इस विहंगम समस्या का हल होगा तथा अन्य महिलाओं की भी आर्थिक सक्षमता हेतु प्रेरणा स्रोत बनेगी।

अपने उद्यम संचालन में अनेक समस्यायें जैसे पारिवारिक दायित्व, समयाभाव, उत्पाद के लिये कच्चा माल, वित्त, उत्पाद का विपणन आदि से घिरे रहनें के बावजूद कुछ साहसी महिलायें आज पर्यन्त अपने स्वरोजगार का संचालन सफलता पूर्वक ढंग से कर रही है। कुछ महिलायें ग्रामीण अंचल में रहकर, जहां संचार, परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है – वहां भी सफल उद्यमी के रूप में अपना परिचय दिया, कुछ स्वसहायता समूह के रूप में गठित महिलाओं नें समूह भावना से सफलता प्राप्त करनें को स्वीकारा इन्होनें शासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया कि छ.ग. शासन की इन महिला स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित होकर ही वे सफल महिला व्यवसायी बनी इनके संक्षिप्त परिचय साक्षात्कार के साथ प्रस्तुत है :–

नाम – **श्रीमती आशा मिश्रा**
उम्र – 40 वर्ष
व्यवसाय – किराना व्यवसायी
स्थान – आरंग (जिला रायपुर)

ब्लॉक–आरंग, ग्राम–कुरूद की श्रीमती आशा मिश्रा के विवाह के कुछ वर्षो पश्चात् ही अचानक एक सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु हो जाने के बाद आशा को अपने दोनों बेटो व बुजुर्ग सास–ससुर के साथ अत्यंत गरीब परिस्थिति में जीवन–व्यापन करना पड़ा। हिम्मत ना हारते हुये स्वसहायता समूह गठित कर उस समूह द्वारा नियमित जमा राशि के लाभ से उसने लघु व्यवसाय बडी, पापड़, अचार और वाशिंग पावडर बनाना प्रारंभ किया।

बाद में कुरूद की महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक के द्वारा सक्षम योजना की जानकारी प्राप्त कर वर्ष 2009 में योजना के तहत् 100000 की ऋण राशि लेकर किराना दुकान शुरू किया वर्तमान में वह 8 किश्त जमा कर चुकी है एवं शासन की इस योजना से लाभान्वित होकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ एवं आज वह अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिये प्रेरणा स्रोत बनी है।

नाम – **श्रीमती रमा देवांगन**

उम्र – 35 वर्ष

व्यवसाय – आचार, पापड़, बड़ी आदि विक्रय

स्थान – रायगढ़

श्रीमती रमा देवी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की छ.ग. महिला कोष की सक्षम योजना से 100000 रू. का ऋण प्राप्त कर स्वयं का उद्यम स्थापित किया। उद्यम अंर्तगत उन्होनें अचार, पापड़, बडी आदि सामग्री निर्मित कर दुकान किराये पर लेकर अपनें उत्पादित सामग्री की स्थानीय बाजार में अच्छी कीमतों पर बिक्रित कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त श्रीमती रमा देवांगन नें छ.ग. महिला कोष की स्वावलंबन योजना के अंर्तगत 3 माह कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।

श्रीमती देवांगन का महिलाओं के लिये संदेश है कि ''जीना है तो हंस के जीयो रो–रो के जीवन जीना ना'' वास्तव में यदि महिलायें साहस व कठिन परिश्रम की ठान ले तो स्वरोजगार के अनेक विकल्प है।

नाम – **श्रीमती आशा रश्मि तिर्की**

उम्र – 37 वर्ष

व्यवसाय – सिलाई कार्य

स्थान – ग्राम कांसाबेल (जिला– जशपुर)

श्रीमती आशा नें छ.ग. महिला कोष की स्वावलंबन योजना के तहत् सिलाई – कढ़ाई का प्रशिक्षण जशपुर से प्राप्त किया तत्पश्चात् सक्षम योजना से 40000 रू. का ऋण प्राप्त कर एक सिलाई मशीन व पीकू मशीन खरीदी और वर्तमान में सिलाई – कढ़ाई कार्य के द्वारा प्रतिमाह 8000 रू. की आय अर्जित कर रही हैं। आज श्रीमती तिर्की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। श्रीमती आशा का मानना है कि छ.ग. शासन की स्वावलंबन एवं सक्षम

योजना ने आर्थिक मजबूती प्रदान कर आत्मविश्वास जागृत किया उसके लिये वह शासन का धन्यवाद अदा कर रही है।

उनका महिलाओं को भी संदेश देना चाहती है कि इन सब शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होकर स्वरोजगार प्रारंभ कर सकती है। आवश्यकता है स्वयं आगे बढ़कर, जागरूक होकर, सूचना तकनीक से जुड़कर अपना भविष्य सुधार सकती है।

जय दुर्गा आदिवासी महिला स्वसहायता समूह परसाडीह (डौडीलोहारा)

अध्यक्ष – **श्रीमती चमेली बाई ठाकुर**

ग्राम – परसाडीह (डौंडीलोहारा)

वर्ष 2004 से समूह के रूप में संगठित इस समूह में वर्तमान में 14 सदस्य कार्यरत् है जो शासन की योजना हेतु रेडी–टू–ईट निर्माण कार्य करते हैं। प्रारंभ में समूह नें छ.ग. महिला कोष से स्वसहायता समूह स्थापना हेतु 25000 रू. का ऋण लिया और 6 केन्द्रों पर कार्य प्रारंभ किया आज अपनी मेहनत एकजुटता समूह भावना से 64 केंद्रो पर रेडी टू ईट सप्लाई कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष श्रीमती चमेली बाई ठाकुर का कहना है कि स्वरोजगार के प्रारंभिक चरण में वित्तीय असुविधा एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा परंतु समूह की महिलायें सहभागिता, लगन, ईमानदारी के मूल मंत्र पर स्वरोजगार को आधारित किया। तथा धीरे–धीरे इस दिशा में सफलता के कदम बढ़ा रही है। समूह की महिलायें मिलजुल कर शक्कर पीसना, वजन करना, मशीनों की सहायता से खाद्यान्न की पैकिंग जैसे सभी कार्य करती है।

समूह की अध्यक्ष का संदेश है कि समूह भावना आधारित कार्य हो तो कितनी भी बाधायें आ जाये उद्यम में सफलता जरूर मिलेगी, आवश्यकता है केवल धैर्य एवं लगन से कार्य करने की उन्होंने अपने व्यवसाय की प्रगति 6 केंद्रो से 64 केंद्रों तक खाद्यान्न आपूर्ति के इस सफर का श्रेय अपने समूह की सभी महिलाओं की साहस व ईमानदारी जैसे गुणों को दिया।

नाम – **टुमेश्वरी सिंह**
उम्र – 28 वर्ष
व्यवसाय – सिलाई दुकान एवं रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी
स्थान – कोरबा (छ.ग.)

राज्य शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सक्षम योजनांर्तगत राज्य की अनेक महिलाओं ने वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपनें आर्थिक टुमेश्वरी सिंह ने सिलाई दुकान हेतु अप्रैल 2010 में 100000 रू. का ऋण सक्षम योजना के तहत प्राप्त कर सिलाई दुकान के अलावा रेडीमेड कपड़े विक्रय का कार्य भी कर रही है।

श्रीमती टुमेश्वरी की रूचि प्रारंभ से ही इस क्षेत्र में रही और वह अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती थी उनका मानना है कि शासन की इस योजना ने उनकी रूचि अनुसार उद्यम स्थापना में बहुत सहायता प्रदान की।

आज अपनें उद्यम का सफलतापूर्वक संचालन कर आय अर्जित कर ऋण राशि में से 40000 रू. भी अदा कर दिये है।

उनकी इस पहल ने ना केवल स्वयं को सक्षम बनाया बल्कि परिवार के लिये भी आज उच्च जीवन स्तर व्यापन के रास्ते आसान हुये।

श्रीमती सिंह का संदेश है कि आपमें यदि स्वरोजगार हेतु रूचि है तो शासन ने ऐसे कई योजनायें निर्मित की है आपको स्वयं जागरूक होकर इस दिशा में कार्य करना होगा। तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश की प्रत्येक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती है।

माँ संतोषी स्वसहायता समूह, उत्तर बस्तर (कांकेर), रेडी टू ईट फूड निर्माण।

वर्ष 2001 में माँ सँतोषी महिला समूह का गठन स्वयं सिद्धा योजना के अंर्तगत हुआ, समूह में कुल 14 महिलायें शामिल है यह समूह प्रति माह नियमित रूप से बैठक आयोजित करती है, एवं समूह अपनें कार्यो का

सतत् आंकलन कर अपनें उद्यम को प्रगतिशील बना रही है, समूह द्वारा भानुप्रतापपुर परियोजना के 40 से भी अधिक आँगनबाड़ी केंद्रो में रेडी टू ईट फुड निर्माण कार्य कर रही है। समूह नें छ.ग. महिला कोष से रेडी टू ईट फूड यूनिट लगानें हेतु ऋण प्राप्त किया जिस हेतु उनका मानना है कि शासन की इस योजना नें उनके स्वावलंबन के रास्ते खोल दिये।

समूह वर्तमान में रेडी टू ईट फूड निर्माण के अतिरिक्त हल्दी, मिर्च, मसाला उत्पादन, सेनेटरी नेपकीन संबंधी उद्यम कर भी आय के स्रोत बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है।

साक्षात्कार में समूह की महिलाओं ने बताया कि वे प्रतिमाह 10000 रू. तक की आय अर्जित कर रही है। समूह की बचत एवं आंतरिक लेनदेन संबंधी कार्य भी नियमित रूप से कर रही है।

माँ सँतोषी स्व सहायता समूह की महिलायें संगठित होकर आत्मनिर्भर है एवं अन्य महिलाओं हेतु प्रेरणा स्रोत है, कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यदि समूह–भावना से कार्य किया जाये तो उद्यम में सफलता निश्चित है।

नाम – **श्रीमती अलका लाँहगीर**
उम्र – 40 वर्ष
उद्यम – जनरल स्टोर्स
स्थान – मनेन्द्रगढ़ (जिला–कोरिया)

छ.ग. महिला कोष की सक्षम योजना अंर्तगत ऋण प्राप्त कर आज जनरल स्टोर्स से 12000 रू. आय अर्जित कर रही अलका का मानना है कि इस योजना ने उसके जीवन में नयी उमंग, खुशहाली व आत्मविश्वास प्रदान किया है।

योजनांर्तगत 2010 में ऋण प्राप्त कर दुकान प्रारंभ किया, यह दुकान उसके जीवन का आधार है। तथा इस आय से उनके जीवन स्तर में सुधार आया जिससे वह अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की अन्य जरूरतें पूर्ति कर रही है।

नाम – **रमोला बाई**

उम्र – 45 वर्ष

स्थान – (नारायणपुर) बाकरूपारा

उघम – बास शिल्प, टोकरी निर्माण

रमोला बाई शासन के अंर्तगत चलित बांस शिल्प कुटीर योजना अंर्तगत प्रशिक्षण लेकर प्रति माह 2000 रू. महीने कमा लेती है।

रमोला के 6 बच्चे है, इस योजना का लाभ उठाकर जीवन स्तर में काफी सुधार आया, कभी 10 रू. आय होने वाली आज कई गुना अर्जित कर रही है। शासन की योजना से कई और महिलाओं नें भी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने कला की गुणवत्ता बढ़ाई और इसके अलावा शासन ने रमोला बाई को आवास सुविधा भी प्रदान की है।

दंतेश्वरी स्व सहायता समूह

अध्यक्ष – **चमेली** (30 वर्ष)

सचिव – सोनी बाई (40 वर्ष)

स्थान – पोटानार ग्रांव (जिला – बस्तर)

शासन की स्व सहायता समूह योजना के अंर्तगत चमेली नें स्व सहायता समूह गठित करनें की जवाबदेही उठाई। आज वे इस समिति की अध्यक्ष है जिसमें कुल 10 सदस्य है, समूह की सचिव सोनी बाई का मानना है कि उनके समूह की महिलायें पूर्व में बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चलाती थी, परंतु आज वे प्रतिमाह एक अच्छी आय अर्जित कर रही हैं।

समूह की सभी महिलायें शासन की स्व सहायता समूह योजना में सम्मिलित होकर आज स्वावलंबी बनी इस हेतु वे प्रसन्न है, एवं उनका संदेश है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें भी समूह–भावना रखते हुये, शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होकर उद्यम प्रारंभ कर रही है। दंतेश्वरी स्व सहायता समूह की महिलायें बाँस, टोकरी, झाड़ू निर्माण संबंधी गतिविधियों में संलग्न है।

नाम – **श्रीमती तारा ठाकुर**
उम्र – 37 वर्ष
स्थान – उत्तर बस्तर (कांकेर)
ग्राम – गोविंदपुर
उद्यम – सीमेंटेड फेंसिंग पोल उद्यम

श्रीमती तारा ठाकुर का विवाह वर्ष 2005 में हुआ, विवाह के पाँच माह बाद ही उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस मुश्किल भरी जिंदगी के दौर में उसे महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले द्वारा सक्षम योजना की जानकारी प्राप्त हुई। विभाग में आवेदन करनें पर 100000 रू. का ऋण स्वीकृत किया फिर उन्होंने सीमेंटेड फेसिंग पोल व्यवसाय प्रारंभ किया। पुरूषों के वर्चस्व वाले इस उद्यम क्षेत्र में महिला होकर भी सफलता अर्जित कर इस क्षेत्र अपना नाम रौशन कर रही है। श्रीमती तारा ठाकुर ने अपनें कठिन परिश्रम व लगन से प्रति माह 10000 रू. आय अर्जित कर रही है। शासन की योजना से लाभान्वित होकर ना केवल श्रीमती तारा ठाकुर का जीवन सफल बना अपितु अन्य कई के भी रोजगार को उसके उद्यम ने आधार प्रदान किया।

इनका अन्य महिलाओं के प्रति संदेश है कि मुश्किल दौर में भी उम्मीद का साथ ना छोडे और यदि महिला स्वयं ठान ले तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां वे पुरूषों से बराबरी ना कर सके। आर्थिक आत्मनिर्भरता जीवन को सुखी बनाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता है। महिलायें अपनी स्थिति में सुधार की जवाबदेही स्वयं से, जागरूक होकर शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाये, स्वयं सक्षम बने एवं अन्य को भी प्रेरित करें।

वसुंधरा स्वसहायता समूह
अध्यक्ष – **श्रीमती कुमारी भरद्वाज**
सचिव – श्रीमती ललिता
ग्राम – धरमाउर, टेकानेटा तोकापाल (बस्तर)

सन् 2004 में वसुंधरा स्वसहायता समूह का गठन 12 महिलाओं के साथ हुआ, समूह प्रत्येक माह 50 रू. की बचत का निर्णय प्रतिमाह करनें का निर्णय लिया, प्रारंभ में समूह हाट बाजार में लाई, चिवड़ा, गुड़ जैसी सामग्री विपणन का उद्यम प्रारंभ किया, वर्तमान में समूह 22 आँगनबाड़ी केंन्द्रो में रेडी–टू–ईट एवं पूरक पोषण आहार का कार्य नियमित रूप से कर रही है। समूह नें महिला कोष से इस हेतु 100000 रू. का ऋण लेकर यह कार्य प्रारंभ किया था, इस क्रिया को और अधिक व्यवस्थित संचालन हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंर्तगत 250000 रू. का अतिरिक्त ऋण लिया गया। आज समूह नियमित आय अर्जित कर रहा है, इससे प्रेरित होकर अन्य ग्रामीण महिलाओं ने भी अन्य महिला स्वसहायता समूह का गठन किया।

यह समूह ग्राम की महिलाओं की समूह भावना, व लगन की एक मिसाल प्रस्तुत कर रही है। महिलाओं ने साक्षात्कार में समूह गठन एवं उनके फायदों के बारे में अवगत किया और अन्य महिलाओं वो भी स्वावलंबी बनने की दिशा में कार्य करनें सुझाव दिया।

नाम – **श्रीमती पल्लवी शाह**
उम्र – 40 वर्ष
व्यवसाय – दस्तकारी जूट
स्थान – रायपुर (शंकर नगर)

जूट व्यवसाय क्षेत्र में पल्लवी शाह एक ख्याति प्राप्त नाम है जो विगत 12 वर्षो से उद्यम संचालन कर रही हैं। इनकी उद्यम इकाई अनुपमनगर व अभनपुर के दरभा ग्राम में स्थित है। इनके द्वारा विशेषतः जूट बैग, कालीन, सजावटी सामान का निर्माण किया जाता है। इनके उद्यम के चुनाव का आधार इनकी हस्तनिर्मित वस्तुओं के प्रति रूचि है, उद्यम संचालन के अतिरिक्त वे Nation Jute Institute के कार्यक्रम भी संचालित करती है एवं NGO के माध्यम से महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

महिलाओं हेतु उनका संदेश है कि दृढ़ इच्छाशक्ति व कड़ी मेहनत से यदि कार्य की पूर्ण जानकारी ना भी हो तो कार्य करते–करते भी उसमें महारथ हासिल की जा सकती है। निःसंदेह महिलाओं में प्रबंधकीय कौशल है जो उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफल उद्यमी बना सकती है।

पल्लवी शाह समाज सेविका के रूप में उद्यमी महिलाओं को उचित मार्गदर्शन देती है एवं समाज में महिलाओं के विकास हेतु उनका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना कितनी अनिवार्य आवश्यकता है इसके महत्व से महिलाओं को परिचित करती है। श्रीमती शाह के जूट उत्पादन संबंधी समस्त कच्चा माल कलकत्ता से आता है एवं वर्तमान में यह दस्तकारी उद्यम से चिर–परिचित नाम है।

अध्याय 06 | महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन

6.1 स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन

आर्थिक प्रगति एक बहुमुखी अवधारणा है जिसमें मौद्रिक आय में वृद्धि के साथ–साथ लोगों की आदतों में सकारात्मक परिवर्तन, उच्च जीवन स्तर, सामाजिक दशाओं में परिवर्तन, सामाजिक–सांस्कृतिक संस्थात्मक एवं आर्थिक परिवर्तन भी शामिल है। किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार स्वरोजगार होता है क्योंकि स्वरोजगार से उत्पादन के साधनों का उचित विदोहन, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है। स्वरोजगार से स्वावलंबन एवं उससे प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

छ.ग. शासन नें महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं के जरिये अनेक विकासात्मक उपाय जैसे– उद्योगो हेतु भूमि आबंटन, आधारभूत सेवाओं जैसे बिजली –पानी आपूर्ति, संचार–परिवहन सुविधाओं का विकास, पिछड़े– ग्रामीण क्षेत्रो का विकास, प्रशिक्षण–वित्त सुविधा ऋण व्यवस्था आदि किये जिनके परिणामस्वरूप नवीन महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ी है। एवं उनके स्वरोजगार से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के नवीन आयाम, नये बाजारों की खोज, उत्पादन साधनों के नवीन संयोगों का अविष्कार संभव हुआ जो निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक विकास का आधार बना है।

छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन निम्न दृष्टिकोण द्वारा दर्शित किया गया हैः

6.1.1 स्वयं के दृष्टिकोण से

आज छत्तीसगढ़ राज्य की महिला उद्यमियों में स्व–विकास (Self-Fulfillment) स्व सम्मान, स्वयं पर भरोसा करनें की क्षमता, स्व–अभिमुखी

मूल्य एवं सृजनात्मकता जैसे गुण निश्चित तौर पर छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार– उन्मुखी योजनाओं की देन है। राज्य में उपलब्ध संसाधनों का समुचित विदोहन, उपभोक्ता हेतु मांग का सृजन, विद्यमान मांग की पूर्ति हेतु उत्पादन क्रियाओं का विस्तार एवं आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि महिला स्वरोजगार विकास द्वारा ही संभव हुआ एवं इस अर्थतंत्र के सक्रिय होने से ही राज्य की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। आर्थिक प्रगति किसी भी उद्यम की स्थापना से लेकर सफलतापूर्वक निर्बाध गति से संचालन, राज्य में उत्पादन उपभोग, रोजगार, मांग में निरंतर वृद्धि पर आधारित है, जो विभिन्न महिला उद्यमों की स्थापना एवं शासन के प्रयत्नों द्वारा ही संभव हुआ।

छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार योजनाओं के आर्थिक प्रभाव को निम्न चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:

महिला उद्यमी एवं राज्य के आर्थिक विकास पर प्रभाव

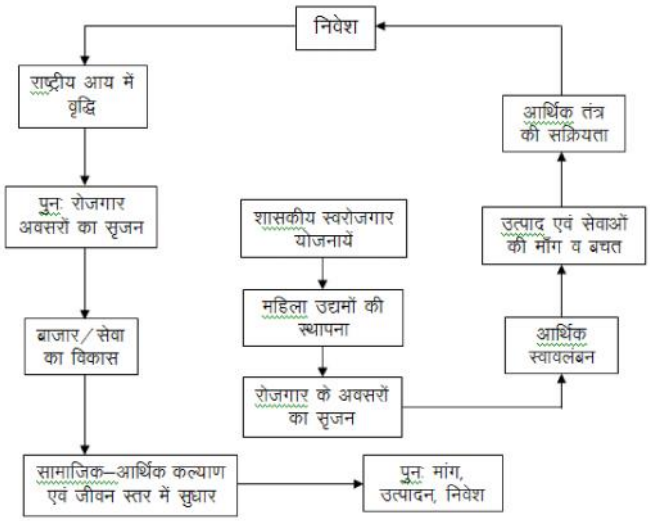

चित्र क्रमांक 6.1 में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं नें उद्यम स्थापना द्वारा रोजगार अवसरों का सृजन पर आय अर्जन का आधार प्रदान किया। फलतः उत्पाद की

मांग, बचत, निवेश चक्र सक्रिय होने से राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी, पुनः रोजगार सृजन द्वारा बाजार का विस्तार एवं सामाजिक कल्याण, आर्थिक एवं जीवन स्तर में वृद्धि हुई। इस प्रकार शासकीय योजनाओं से लाभान्वित विभिन्न महिला उद्यमों की स्थापना से राज्य में आय, उत्पादन, मांग, रोजगार, निवेश को आर्थिक चक्र निरंतर क्रियाशील रहता है जो निश्चिततः राज्य के आर्थिक विकास में प्रभावपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमों की आर्थिक स्थिति में हुये परिवर्तन के प्रभाव को 500 महिला उद्यमियों के न्यादर्श पर आधारित रखते हुये प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त आंकड़ो को निम्न सारणी द्वारा दशार्या गया है।

तालिका क्रमांक 6.1: महिला स्वरोजगार उन्नमुखी योजनाओं से महिला उद्यमों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का विश्लेषण

क्र.	आर्थिक स्थिति पर प्रभाव	सकारात्मक परिवर्तन	
		संख्या	प्रतिशत
1	परिवर्तन आया (हाँ)	490	98 प्रतिशत
2.	परिवर्तन नहीं आया	10	2 प्रतिशत
	योग	500	100 प्रतिशत

(सोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 6.1: महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं से महिला उद्यमों की आर्थिक स्थित पर प्रभाव

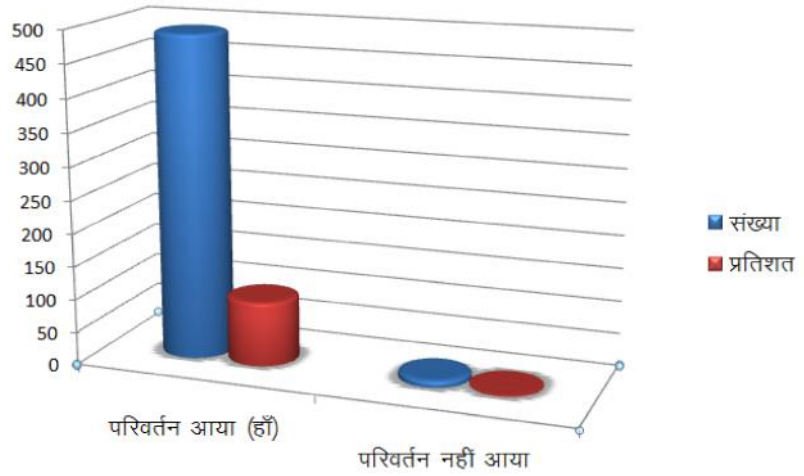

शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं से लाभान्वित विभिन्न महिला उद्यमों के आंकड़े स्पष्ट है कि 490 महिला उद्यम अर्थात् 98 प्रतिशत महिला उद्यमों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ जिससे उनके परिवार– बच्चों की आदतें, रहन–सहन के तरीके, जीवन स्तर में सुधार, समाज में सम्मान एवं स्वयं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। तथा शेष 10 महिला उद्यम अर्थात् केवल 2 प्रतिशत महिला उद्यमों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आना बताया गया क्योंकि ये उद्यम अभी प्रारंभिक स्तर पर है एवं उनका लार्भाजन प्रारंभ नहीं होनें के कारण वर्तमान में आर्थिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है पर भविष्य में लार्भाजन प्रारंभ होनें पर परिवर्तन निश्चित है। महिलायें समाज का महत्वपूर्ण भाग है स्वरोजगार से ना केवल उनकी आर्थिक स्वावंलबन के रास्ते खुले वरन् आत्मविश्वास बढ़नें से परिवार में सर्वोपरिता भी बढ़ी है तथा महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी भी बढ़ी। महिला उद्यमी आज अपनी पुत्रियों की शिक्षा आदि संबंधी निर्णयों में सहभागिता प्रदान कर रही है एवं उनकी इस सशक्तता से राज्य को आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव

में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जिसका श्रेय छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार योजनाओं को दिया जा सकता है।

6.1.2 राज्य के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से

छ.ग. शासन द्वारा महिला स्वरोजगार विकास हेतु संचालित योजनायें अपनें निर्धारित लक्ष्य में मिश्रित सफलता ही प्राप्त कर सकी है क्योंकि प्रत्येक योजना का निर्धारित लक्ष्य एवं आबंटित राशि का सही उपयोग शासकीय विभागों, गैर शासकीय संगठनों, बैंक एवं महिला उद्यमियों की जागरूकता पर निर्भर करता है। सामान्यतः महिला स्वरोजगार योजनायें अलग जिलो में अलग–अलग उपलब्धि के स्तर पर है, उचित निष्पादन का अभाव दर्शित होनें की स्थिति में शासन योजना समाप्त कर नवीन औपचारिकताओं के साथ नवीन योजना के नाम से प्रारंभ की जाती है या दो पुरानी योजनाओं का विलय कर एक नयी योजना बनाई जाती है अर्थात् शासन की योजनायें यदि अपेक्षित सफलता दर्शित नहीं करती तो भी शासन उन्हें अपनें प्रयासों के जरिये नवीन रूप में पुनः संचालित करती है जो शासन के सकारात्मक रवैये को दर्शित करता है।

शासन के इन्ही प्रयासों के परिणामस्वरूप ही आज महिला स्वरोजगार की स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य में बेहतर है।

परंपरागत उद्यमों में कपड़ा, हस्तकला, बांस कलाकृति, वनोपज संग्रहण, रेशम उद्योग जैसे क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीण महिलायें जुड़ी है, आज तकनीकीकरण के इस युग में परंपरागत उद्यमों द्वारा निर्मित उत्पादों का अंर्तराष्ट्रीय स्तर तक ख्याति प्राप्त होना एवं आज पर्यंत ग्रामीण महिलाओं का इन उद्यमों से जुड़ा होना केवल शासकीय योजनाओं के कारण संभव हो सका क्योंकि इन उद्यमों को वित्त एवं अन्य सुविधाओं से परिपूर्ण कर शासन नें अपना सहयोगात्मक रवैया दर्शित किया है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में कृषि आधारित उद्यम सब्जियां, फल, दलहन उत्पादन में भी छ.ग. राज्य की ख्याति दूर–दूर तक फैली है, आज 90 प्रतिशत महिलायें इसी प्रकार के लघु उद्यमों से जुड़ी है, एवं उनके

कौशल में उत्तरोत्तर वृद्धि इन्हीं योजनाओं द्वारा संभव हुआ।

शासन की इन महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव को इस रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि आज योजनाओं के सफलतापूर्ण संचालन एवं शासन के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ही कृषि, परंपरागत, ग्रामोद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग से लेकर वर्तमान तकनीकि आधारित उद्यमों तक महिलाओं के वर्चस्व में बढ़ोत्तरी हुई है। वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का एक मूल्य आंका जाता है एवं प्रति व्यक्ति आय से ही समाज एवं राज्य की आय जोड़ी जाती है तथा आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जाता है।

अंत में इन शासकीय योजनाओं के जरिये शासन ने महिला स्वरोजगारियों को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ा एवं इन महिलाओं ने ना केवल स्वयं वरन् अन्य को भी प्रेरणास्रोत बन आय–अर्जन की दिशा में आगे बढ़ाया। आज इन योजनाओं से आत्मनिर्भर होकर महिला पक्ष ना केवल समाज वरन् राज्य के आर्थिक विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रस्तुत कर रही है। एवं भविष्य में योजनाओं का संचालन इसी दृढ़ संकल्प एवं महिला जागरूकता के साथ लागू किया जाये तो आर्थिक विकास की गति और अधिक गतिमान हो सकेगी।

6.2 महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की सामाजिक प्रगति का अध्ययन

प्राचीन काल में समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा विकसित नहीं रही थी क्योंकि पुरूष प्रधानता लिये समाज में महिलायें अनेक प्रथाओं रीति–रिवाजों तथा घर की चार–दीवारी के अंदर रहती थी, परिवार के निर्णयों में चाहे वह स्वयं से ही संबंधित क्यों न हो उनका योगदान अल्प या नहीं के बराबर रहता था, क्योंकि वे आर्थिक रूप से सशक्त एवं जागरूक नहीं थी एवं समाज का रवैया भी महिलाओं के प्रति उदासीन रहता था।

अधिकांश विकासशील देशों के परंपरागत समाज में महिलाओं को

आर्थिक स्वावलंबन से दूर ही रखा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की प्रवृति को समाज के द्वारा दिशा ना प्रदान करना महिला स्वरोजगार की प्रगति में बाधक रहा, यही नहीं शासन के भी महिला पक्ष के प्रति प्रयास विकासोन्मुख ना होकर कल्याणमुखी अधिक रहे। इन्ही कारणों से महिला पक्ष के सम्मुख भी समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप अपनी पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में समायोजन करना, पुरूष प्रधान समाज की अडिग मान्यताओं एवं उनकी प्रतिक्रियाओं का जवाब देना, समाज के सम्मुख अपनें व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति जैसी समस्यायें महिला स्वावलंबन की दिशा में बाधक रहें, परंतु बदलती परिस्थितियों में आधुनीकीकरण, नगरीकरण, शिक्षा का प्रचार–प्रसार ने उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में परिवर्तन किये एवं स्वयं शासन व समाज ने भी इस तथ्य को स्वीकारना प्रारंभ किया कि महिलाओ के विकास की मुख्य धारा में समावेशित करना अनिवार्य है तथा यदि यह पक्ष उपेक्षित रहेगा तो समाज का विकास संभव नहीं होगा।

इस तथ्य को लक्षित रख प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु शासन ने अनेक महिला आधारित स्वरोजगार उन्मुखी योजनायें लागू की पंचवर्षीय योजनाये, नीतियां, कार्यक्रम आदि सभी में महिला पक्ष पर विशेष बल दिया क्योंकि आर्थिक रूप से स्वावलंबन उनके आत्मविश्वास में ही वृद्धि नहीं करेगा वरन् समाज में भी महिलाओं के प्रति स्वीकारिता बढ़ेगी।

शासन की महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं की सामाजिक प्रगति का दूसरा पहलू यह भी है कि इन योजनाओं से लाभान्वित होकर अनेक नवीन महिला उद्यमी नवीन सृजनशीलता, क्रियाशीलता, नवाचार लिये हमारे समाज के विकास में योगदान दे रही है। आज यदि समाज में एक महिला उद्यम स्थापित करेगी तो वो न केवल अनेको के लिये प्रेरणा स्रोत बनेगी वरन् रोजगार के अवसरों का भी निर्माण करेगी, महिला उद्यमी स्वयं के लिये ही नहीं वरन् समाज के अन्य पक्षकार जैसे पूर्तिकर्ता, ग्राहक, कर्मचारी, ऋणदाता, स्थानीय समुदाय, शासन एवं राष्ट्र सभी पक्षकार के

प्रति उत्तरदायित्व वहन करती है जो सामाजिक हित व उत्थान की दिशा में उनके प्रयास एवं सहयोग को दर्शित करती है।

''महिला उद्यमी एवं समाज'' को निम्न चित्र के माध्यम से समझा जा सकता हैः

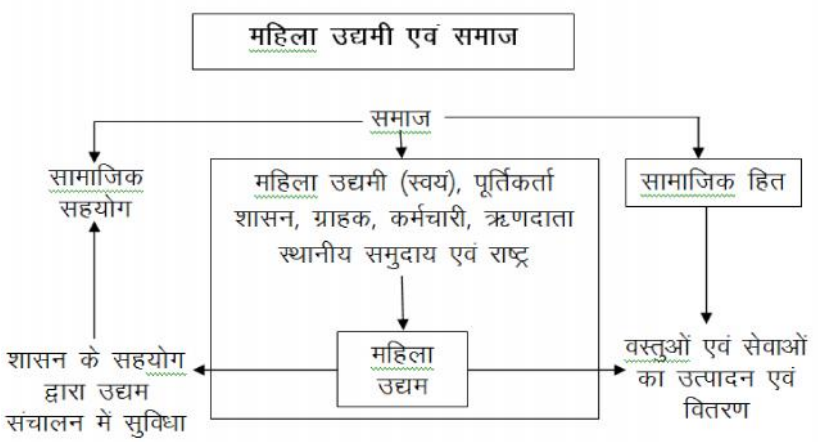

उपर्युक्त चार्ट के अनुसार यदि समाज में महिला उद्यमी है तो वें स्वयं नहीं वरन् समाज के विभिन्न वर्गो के प्रति भी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती है अपनें उद्यम का संचालन शासन की योजनाओं से लाभान्वित होकर कर रही है अतः योजनाओं से महिलायें एवं महिला उद्यमियो से समाज की प्रगति हो रही है यह एक तरह से समाज में लोगों की सेवा का वैज्ञानिक आधार भी है।

शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं एवं महिलाओं के प्रयासों से समाज में हुई प्रगति को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता हैः

- योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं ने नवीन उपक्रमों की स्थापना की आज छत्तीसगढ़ में अनेक लघु एवं मध्यम उपक्रम महिलाओं द्वारा संचालित है, जो निश्चित तौर पर प्रगतिशील समाज का द्योतक है।
- स्वरोजगार विकास से नवीन उत्पादों एवं सेवाओं का बाजार में आगमन हुआ जिससे समाज में लोगों की उपभोग प्रवृत्ति एवं जीवन

स्तर में सुधार हुआ।

- स्वरोजगार से अनेक सामाजिक समस्यायें जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, वर्ग संघर्ष, दहेजप्रथा, बाल–विवाह जैसी समस्यायें ध ीरे–धीरे सशक्ति की ओर जा रही है क्योंकि आर्थिक स्वावलंबन से सशक्तिकरण हो रहा है एवं समाज अपनें अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है।
- नवाचार स्वरोजगार का विशिष्ट उपकरण है, इसके माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का नवीनतापूर्ण विद्रोहन कर उपभोक्ता वर्ग की उपयोगिता व संतुष्टि में अभिवृद्धि के जरिये आज महिलायें अनेक परंपरागत उद्यमों को नवीनता प्रदान कर रही है जो समाज को प्रगति की ओर दिशावान बना रही है।
- ''आज स्वरोजगार का विकास करना स्वयं उद्यम के हित में ही नहीं वरन् सामाजिक दायित्व भी है। अतः शासन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम ने छ.ग. में अधिक उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिकों का विकास करनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि स्वावलंबन एवं आर्थिक स्थिरता व्यक्तित्व विकास में अत्यंत सहायक है।
- शासन की स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं से उद्यमिता का विकास हुआ जो सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना उद्यमी के नवाचारी क्रियाओं से लोगों के जीवन स्तर, आचार–विचार, ज्ञान, समझ में भी अंतर आया, इसके अतिरिक्त नवीन परंपरायें व प्रथाओं का भी आगमन हुआ जो सामाजिक परिवर्तन के सकारात्मक पहलू को दर्शित कर रहा है।
- योजनाओं का लाभ मुख्यतः अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को प्राप्त होता है क्योंकि शासन मुख्यतः समाज के इसी वर्ग को अधिक स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना चाहती है, इन वर्गो के स्वावलंबी होनें एवं प्रोत्साहन मिलने से समाज के दृष्टिकोण में इनके प्रति सुधार हुआ है।
- शासन की स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण

को बढ़ावा मिला, महिलाओं के शिक्षण–प्रशिक्षण, स्वरोजगार की व्यवस्था, लिंगभेद में कमी आदि से समाज में महिलाओ के प्रति सम्मान एवं समानता में वृद्धि हुई।

- उद्यमिता विकास समाज में स्थिरता बनाने में सफल साबित हुई इसके अतिरिक्त को सामाजिक मूल्यों व व्यवस्था की अक्षुणता भी बनानें में सहायता प्रदान कर रही है।
- शासन की स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं से महिलाओं में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों जन्म दिया जिससे ऐसे परिवार जहां कभी स्वरोजगार का वातावरण ना रहा वहां भी महिलाओं को वित्त प्रशिक्षण, मार्गदर्शन जैसी सुविधायें प्रदान कर प्रेरित किया जिससे समाज में नये उद्यमियों ने जन्म लिया।
- शासन के उद्यमिता विकास योजनाओं ने उद्यम स्थापना हेतु आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि का भी विकास किया जो निश्चित तौर पर विकसित समाज की छवि प्रस्तुत करता है।
- स्वरोजगारउन्मुखी याजनायें शासन का एक ऐसा व्यवस्थित कार्यक्रम है जो समाज में स्वस्थ वातावरण के निर्माण एवं संभावित उद्यमियों, की पहचान व विकास में सहायता करनें वाला कार्यक्रम है।
- महिला स्वरोजगारउनमुखी योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर एक आत्मनिर्भर समाज की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- स्वरोजगार एक श्रृंखला प्रतिक्रिया (Chain Reaction) है जो किसी भी समाज को आत्म निर्भरता की दहलीज तक पहुंचा देती है।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज में अंधविश्वास कम होता है तथा स्वरोजगार व्यक्ति के चिंतन एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर शिक्षा व ज्ञान का प्रसार करता है जिसके फलस्वरूप समाज में नयी ''चेतनायुक्त संस्कृति'' का निर्माण होता है। सामाजिक रूपांतरण व संस्कृति की स्थापना का महत्वपूर्ण आधार है। महिलायें स्वरोजगार

के द्वारा ना केवल समाज वरन् राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी सहयोग दे रही है।

- महिला उद्यमी से समाज में नवीन मूल्यों, नवीन अभिलाषाओं, नई आकांक्षाओं के सृजन की क्षमता है। वे समाज की नयी मांग, इच्छाओ, उपभोग प्रारूपों को पूर्ण कर नवीन वातावरण का निर्माण करती है।
- महिलाओं ने स्वरोजगार द्वारा नये विचारो के अनुरूप नवीन परिवेश में उद्यम का संचालन कर प्रचलित पंरपराओं एवं नवीन मूल्यों में उचित सामंजस्य व समन्वय करनें में सक्षम होती है।
- महिला यदि स्वरोजगार स्थापित करती है तो वह स्वयं की सृजनशीलता एवं क्रियात्मकता का उपयोग कर विनियोजित भौतिक एवं मानवीय साधनों का उचित विदोहन द्वारा उत्पादन साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करती है। जिसका लाभ निश्चित तौर पर आज के विकसित समाज में दर्शित हो रहा है।
- महिलायें स्वयं के स्वरोजगार के माध्यम से समाज में अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार प्रदान कर उनके आर्थिक, सुरक्षात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा कर एक स्वस्थ समाज की स्थापना में सहयोग प्रदान कर रही है।

6.2.1 छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की सामाजिक प्रगति को निम्न दो विश्लेषणों द्वारा भी समझा जा सकता है:

I. महिला उद्यमियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण
II. महिला उद्यमियों द्वारा समाज की प्रगति में किये गये सहयोग का विश्लेषण

I. महिला उद्यमियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण:

शासन की योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं के जीवन स्तर, रहन

सहन, आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, तथा आज समाज इन महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखता है एवं अब महिलायें ना केवल स्वयं से संबंधित निर्णय ले रही है, वरन् परिवार एवं समाज के अहम् निर्णयों में अपना सहयोग प्रदान कर रही है।

शासन की योजनाओं से लाभान्वित होकर अपना उद्यम संचालन कर रही इन महिला उद्यमियों का प्रश्नावली एवं साक्षात्कार द्वारा प्राप्त आंकड़ो से किये गये विश्लेषण को निम्न तालिका अंर्तगत दर्शाया गया है

तालिका क्रमांक 6.2: (I) रू महिला उद्यमियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण

क्र.	सामाजिक स्थिति में सुधार	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	475	95
2.	नहीं	25	5
	योग	**500**	**100**

(स्रोतः प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 6.2: महिला उद्यमियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण

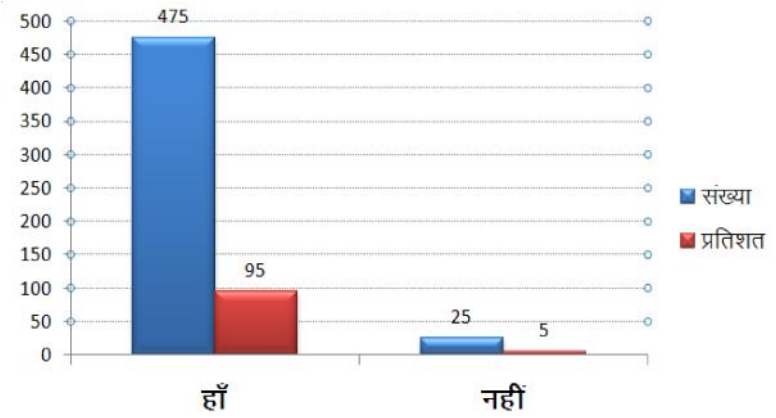

शासन की योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं नें इस तथ्य को स्वीकार किया है कि निश्चित तौर पर योजनाओं का लाभ उठाकर जब उन्होंने उद्यम स्थापित किया तो समाज में उनकी सफलता, बढ़ती ख्याति एवं आत्मविश्वास को सहारा है। 95 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी बदली हुई सामाजिक प्रस्थिति को स्वीकारा एवं शासन के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया कि उनके इस अमूल्य सहयोग से ही वे अपना सामाजिक विकास कर सकीं, केवल 5 प्रतिशत ऐसी महिलायें जिनका उद्यम अभी स्थापना के प्रारंभिक दौर पर है एवं अभी वे सफलता हेतु प्रयासरत् है उनकी सामाजिक स्थिति में अभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है परंतु निश्चित तौर पर जब उनका उद्यम भी सफल हो जायेगा तो भविष्य में उनकी भी सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आनें की संभावना है।

6.2.1 (II.)महिला उद्यमियों द्वारा समाज की प्रगति में किये गये सहयोग का विश्लेषण

एक महिला जब स्वयं उद्यम स्थापित करती है तो वो ना केवल अपना विकास करती है वरन् समाज की अन्य महिलाओ को भी रोजगार प्रदान करना, स्वयं के उद्यम स्थापना हेतु उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आदि के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। स्व सहायता समूह से जुड़ी अनेक महिलाओं ने इस तथ्य को स्वीकारा है कि उन्होंने समाज की प्रगति हेतु कार्य किये है। जैसे मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह राजनांदगांव जिले का एक सशक्त समूह है जो समाज के हित के लिये क्रियाशील है इसके अतिरिक्त सोमनी ग्राम में 12 स्व सहायता समूह है इस क्षेत्र में लगभग 25 ऐसे SHG है जो अपने द्वारा एकत्रित फंड का उपयोग सामाजिक विकास में करते है।

शासन की योजनाओं से लाभान्वित विभिन्न महिला उद्यमियों द्वारा समाज की प्रगति की दिशा में प्रदत्त अपने सहयोग को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया हैः

तालिका क्रमांक 6.3: (II) रू महिला उद्यमियों द्वारा समाज की प्रगति में सहयोग का विश्लेषण

क्र.	सामाजिक प्रगति हेतु उनके प्रयास	संख्या	प्रतिशत
1.	प्रशिक्षण शिविर आयोजन	80	16
2.	कार्यशाला आयोजन	150	30
3.	अन्य	125	25
4.	उक्त में से कुछ भी नहीं	145	29
	योग	**500**	**100**

(**स्रोतः** प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े)

रेखाचित्र क्रमांक 6.3: महिला उद्यमियों द्वारा समाज की प्रगति में सहयोग का विश्लेषण

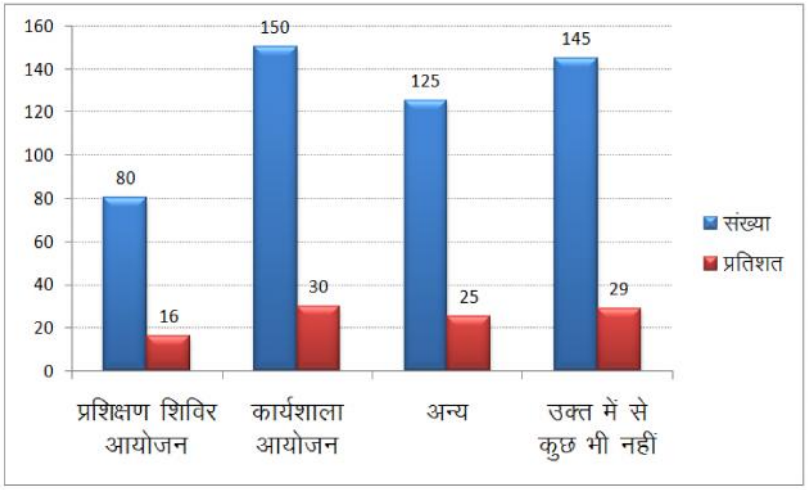

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि केवल 29 प्रतिशत महिलाओं ने उद्यम स्थापना पश्चात् अन्य महिलाओं के लिये किसी भी प्रकार के सहयोग जैसे कार्य नहीं किये। परंतु शेष 71 प्रतिशत महिलाओं ने किसी ना किसी रूप में अन्य महिलाओं को उद्यम स्थापना से संचालन तक प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्रदान कर समाज की प्रगति में अपना योगदान दिया है। 16 प्रतिशत महिलाओं नें प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर जैसे– ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई बुनाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण जैसे शिविर निःशुल्क या अत्यंत कम दर पर प्रदत्त कर अन्य महिलाओं को अभिप्रेरित किया है। वहीं 30 प्रतिशत महिलायें कार्यशाला आयोजित कर मसाला निर्माण, गुड़ उद्योग, फैशन डिजाइनिंग, कैटरिंग व्यवसाय जैसे अन्य उद्यम संचालन से संबंधित जानकारी प्रदान की है। शेष 25प्रतिशत महिलाओं ने अन्य महिलाओं के लिये जागरूकता शिविर जैसे ऋण सुविधा से लाभान्वित होने की प्रक्रिया, उद्यम स्थापना हेतु आवश्यक जानकारी, कच्चा माल प्रबंध, विपणन व्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा एवं सूचना प्रदान कर उन्हें सहयोग प्रदान किया।

निश्चिततः उक्त दोनों ही विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि एक ओर शासन की योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं की समाज में स्थिति बदली है दूसरी ओर उन महिलाओं ने समाज की प्रगति में अपना सहयोग भी दर्शित किया है।

शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं नें महिलाओं के विकास हेतु मील के पत्थर का कार्य किया एवं योजनाओं से ही प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित किया क्योंकि योजनाओं ने महिलाओं के सम्मुख आर्थिक संपन्नता के रास्ते खोले जिसके अंर्तगत प्रशिक्षण, वित्त, मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं से लाभान्वित महिलाओं ने उद्यम संचालन कर यह दर्शित किया कि समाज की प्रगति में उनका योगदान पुरूषों के ही बराबर है।

महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं नें इस तथ्य को स्वीकारा है कि वे योजनाओं से लाभान्वित होकर ना केवल

स्वयं आत्मनिर्भर बनी वरन् अन्य महिलाओं को भी रोजगार का आधार प्रदान किया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की अनेकों महिलाओं नें स्व सहायता समूह के रूपमें गठित होकर उद्यम स्थापना एवं सामाजिक उत्थान की मिसाल कायम की है।

छ.ग. में जय दुर्गा आदिवासी महिला स्व सहायता समूह परसाडीह, मां संतोष स्व सहायता समूह कांकेर, दंतेश्वरी स्व सहायता समूह पोटानार, वसुंधरा स्व सहायता समूह तोकपाल बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में इन समूहों ने उद्यम संचालन के अतिरिक्त सामाजिक उत्थान हेतु समूह भावना आधारित क्रियाओं द्वारा अनेक सामाजिक समस्याओं के निराकरण की दिशा में कार्य किया है। समूह के रूप में गठित होकर इन सभी स्व सहायता समूह की महिलायें स्व विकास, दूसरों की मदद, आत्मअभिव्यक्ति, समस्याओं को सही परिपेक्ष्य में दर्शित करनें एवं उनके विश्लेषण तथा निर्णयन हेतु अवसर उपलब्ध कराते है।

ये महिलायें स्व सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन ला रही है, समाज के निर्धन वर्ग एवं पीड़ित कमजोर महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान कर उनका जीवन स्तर सुधार रही है।

नवीन उद्यम स्थापित कर समाज में नये रोजगार नवीन उत्पाद, जीवन स्तर के नवीन आयाम प्रदान कर समाज में जागरूकता लानें में योगदान दे रही है। अंत में महिला उद्यमी संबंधी परियोजनायें, निर्णय सामाजिक हित पर आधारित होने के कारण सामाजिक क्षेत्र में विकास को नवीन आयाम देने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हो रही है।

6.3 महिला स्वरोजगारउन्मुखी योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियों का मूल्यांकन

छ.ग. शासन नें महिलाओं के स्वरोजगार की महत्ता को स्वीकारा है एवं इस दिशा में कार्यरत् होकर कई महिला स्वरोजगार योजनाओं का संचालन भी कर रही है। शासन की कुछ योजनाओं नें बहुत ही अच्छा प्रर्दशन किया है जैसे– महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना,

महिला समृद्धि बाजार योजना, रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि एवं कुछ योजनाओं जैसे कौशल उन्नयन, उद्यमिता जागरूकता, स्वावंलबन योजना का औसत एवं मिश्रित परिणाम सामने आया है।

शासन की योजनाओं में एक विशेषता सामने आती है कि शासन कोई योजना अच्छा प्रर्दशन करती है तो वो उसके लक्ष्य पूर्ति की दिशा में और अधिक क्रियाशील हो जाती है एवं यदि योजनाये निहित कमियों के कारण लक्ष्य पूरा नहीं करती तो उन योजनाओं का विलय किसी अन्य योजना में कर उसकी सफलता हेतु प्रयास करती है परंतु उस योजना को पूर्णतः बंद नहीं करती जैसे कौशल उन्नयन योजना एवं उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के उचित परिणाम नहीं मिलने पर उसे स्वावलंबन योजना में समाहित करने के निर्णय पर विचार किया जा रहा है।

शासन ने अपने प्रयासों से ही इन योजनाओं को जीवित ही नहीं रखा वरन् आज पर्यन्त इसकी सफलता हेतु प्रयासरत् है, कुछ आंतरिक एवं शासन की कुछ बाह्य कमियों, महिला हितग्राहियों की जागरूकता में कमी आदि के चलते ये योजनायें अपना संपूर्ण परिणाम दर्शित नहीं कर पा रही है। इन उतार–चढ़ाव के बावजूद भी भविष्य में इन महिला स्वरोजगार योजनाओं की सफलता की नवीन संभावनायें आज भी जीवित है।

शासन की विभिन्न महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियों को निम्न अनुसार क्रमशः दर्शित किया गया हैः

छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना

छ.ग. शासन द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को सरल शर्तो पर ऋण उपलब्ध करानें एवं स्वरोजगार के विकास के दृष्टिकोण से 15 अगस्त 2003 से योजना प्रारंभ की गई जिसके अंर्तगत महिला समूह को 3 प्रतिशत (सिंतबर 2013 से) की दर पर प्रथम बार 50000 तक (वसूली 24 किश्तों में) तथा द्वितीय बार 200000 तक (वसूली 36 किश्तों में) प्रदाय किया जाता है। ऋण की वसूली ऋण प्रदाय करने के 3 माह बाद प्रारंभ होती है। समूह भावना से स्वरोजगार करनें एवं सामूहिक रूप से गठित

महिला समूहों द्वारा आपस में मिलकर आर्थिक, सामाजिक समस्याओं से लड़नें, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनानें जैसे विशेष उद्देश्यों को लेकर छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना का गठन शासन द्वारा किया गया।

तालिका क्रमांक 6.4: छ.ग. शासन की महिला कोष की ऋण योजना की वर्षवार प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष	लाभान्वित महिला समूह संख्या	प्रदायित ऋण (लाख में)
2003–04	688	32.14
2004–05	1802	94.54
2005–06	2105	140.07
2006–07	2684	253.53
2007–08	2859	311.84
2008–09	3277	383.65
2009–10	2837	621.01
2010–11	2212	528.95
2011–12	2142	578.75
2012–13	2817	603.45
2013–14	1725	497.30
2014–15	2530	866.17
योग	**27678**	**4911.40**

(स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग)

रेखाचित्र क्रमांक 6.4: छ.ग. शासन की महिला कोष की ऋण योजना की वर्षवार प्रमुख उपलब्धियां

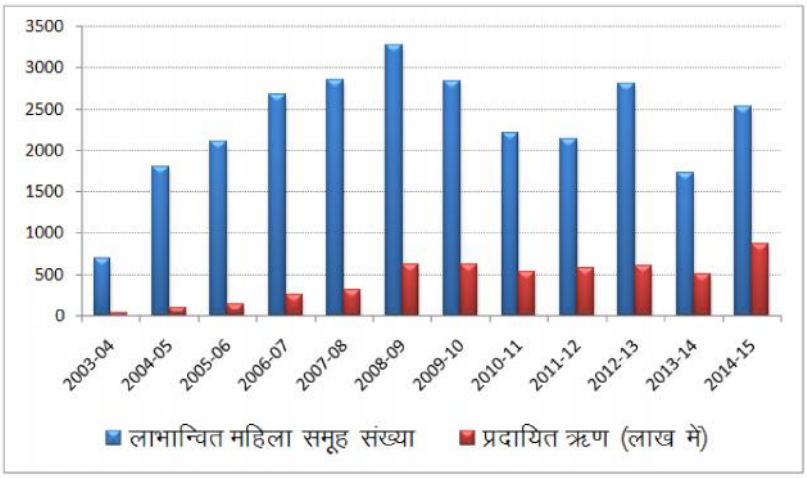

(स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग)

छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना से वर्ष 2015 तक कुल 27678 महिला समूह लाभान्वित हो चुके है एवं शासन द्वारा कुल 4911.40 लाख रू. का ऋण प्रदायित किया जा चुका है। योजनॉर्तगत सर्वाधिक लाभान्वित समूह 2008–09 में 3277, 2007–08 में 2859, 2009–10 में 2837, 2012–13 में 2817 रहे।

महिला कोष की ऋण योजना में प्रारंभ वर्ष से वर्ष 2008–09 तक लगातार प्रगति दर्शित हुई, परंतु 2009–10 से वर्ष 2015 तक योजना से लाभान्वित महिला समूह संख्या एवं प्रदायित ऋण राशि में उतार–चढ़ाव देखा गया शासन की योजना निश्चित तौर पर लाभादायी सिद्ध हुई है राज्य में स्व सहायता समूहों में बढ़ती वृद्धि इस तथ्य को सही सिद्ध कर रही है शासन की इस उपलब्धियों के बाद भी योजनाओं का लगातार विकास हो एवं उतार–चढाव की स्थिति में सुधार हेतु शासन को उचित प्रयास जरूरी है। महिलाओं के स्वरोजगार विकास हेतु शासन की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी योजना छ.ग. महिला कोष की ऋण योजना है जो महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में प्रयासरत् है।

सक्षम योजनाः छ.ग. महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें ऐसी महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग के अविवाहित महिलायें या कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिये स्वीकृत किया जाता है।

योजनांर्तगत 5 वर्षों में कुल किश्तों की संख्या एवं किश्त की राशि निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट हैः

तालिका क्रमांक 6.5: सक्षम योजना की मासिक किश्त एवं ऋण की जानकारी संबंधी तालिका

क्र.	ऋण राशि	किश्त की राशि
1	20000	390 रू. प्रतिमाह
2	40000	780 रू. प्रतिमाह
3	60000	1170 रू. प्रतिमाह
4	80000	1560 रू. प्रतिमाह
5	100000	1950 रू. प्रतिमाह

ऋण राशि की प्रथम किश्त की वसूली हितग्राही को ऋण प्राप्ति के छह माह बाद प्रारंभ होती है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि संकटग्रस्त परिस्थिति में जीवन व्यापन कर रही महिलाओं को सक्षम योजना के माध्यम से शासन नें अति आसान किश्तों एवं शर्तो पर ऋण प्रदायित कर स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया है।

तालिका क्रमांक 6.6: सक्षम योजनांर्तगत कुल प्रदायित ऋण एवं लाभान्वित महिलाओं की जानकारी

वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)
2009–10	68	45.70
2010–11	176	101.00
2011–12	180	106.55
2012–13	243	134.05
2013–14	184	91.35
2014–15	191	122.70
कुल	**1042**	**601.35**

(स्रोत – महिला एवं बाल विकास विभाग)

रेखाचित्र क्रमांक 6.5: सक्षम योजनांर्तगत कुल प्रदायित ऋण एवं लाभान्वित महिलाओं की जानकारी

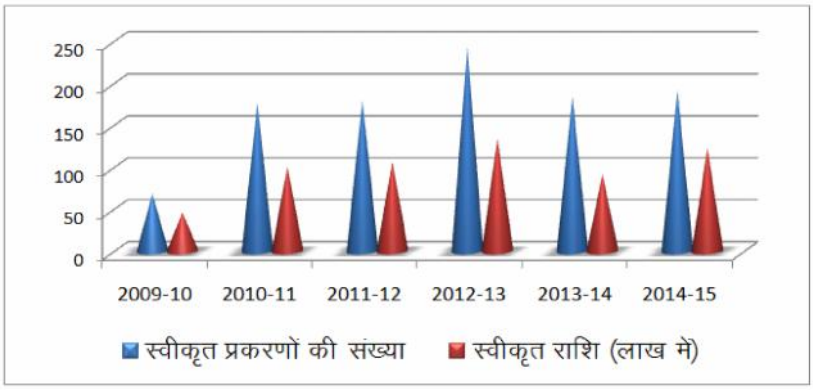

(स्रोत – महिला एवं बाल विकास विभाग)

सक्षम योजना द्वारा से प्रारंभ वर्ष से वर्ष 2015 तक कुल 1042 महिलायें लाभान्वित हुई एवं कुल 601.35 लाख रू. का ऋण प्रदायित किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 में सर्वाधिक महिला हितग्राही कुल 243

एवं सर्वाधिक प्रदायित ऋण 134.05 लाख रू. का किया गया है। योजनांर्तगत वर्ष 2009–10 से वर्ष 2012–13 तक क्रमशः लाभान्वित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु वर्ष 2013–14 में वर्ष सफलता की मात्रा में थोड़ी सी कमी देखी गई तथा वर्ष 2014–15 में पुनः लाभान्वित महिलाओं की संख्या एवं ऋण राशि में भी वृद्धि हुई।

सक्षम योजना से लाभान्वित महिलायें मुख्यतः छोटे पैमाने के उद्यम संचालित कर रही है जैसे ब्यूटी पार्लर, किराना व्यवसाय, अचार बड़ी, पापड़ निर्माण, रेडिमेड वस्त्र, स्टेशनरी व्यवसाय आदि।

शासन के उक्त आंकड़े यह दर्शित करते हैं कि निश्चित तौर पर इन योजनाओं से अनेक महिलायें लाभान्वित हो रही है एवं शासन इन योजनाओं पर निवेश भी कर रही है। परंतु विगत दो वर्षो में इन आंकड़ो में वृद्धि के स्थान पर कुछ गिरावट देखी गई है तो उन कारणों को ढूँढ़ कर उचित उपाय द्वारा उनमें पुनः उतरोत्तर वृद्धि कर योजना को सफल बनानें हेतु शासन से अपेक्षा की जा रही है।

स्वावलंबन योजना : छ.ग. महिला कोष द्वारा वर्ष 2009–10 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई, इस योजनांर्तगत निर्धन महिलायें जो तलाकशुदा है या जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की अविवाहित हो उक्त श्रेणी के महिलायें उपलब्ध नहीं होने पर जरूरतमंद सामान्य वर्ग की महिलायें जिनके परिवार की वार्षिक आय 70000 रू. से कम है योजना का लाभ दिया जायेगा। इन महिलाओं की उद्यमीय कौशल प्रदान करने, स्वावलंबी बनाने हेतु आय–उर्पाजन गतिविधियों से जोड़ने प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांर्तगत वी.टी.पी. के माध्यम से जिले में पदस्थ सहायक संचालक से समन्वय कर कलेक्टर के अनुमोदन से प्रारंभ किया गया, योजना का क्रियान्वयन करनें का अधिकार जिला स्तरीय रहेगा एवं 5000 रू. प्रति हितग्राही व्यय सीमा भी निर्धारित की गई है।

तालिका क्रमांक 6.7: स्वावलंबन योजना प्रारंभ से वर्ष 2015 तक शासन की उपलब्धियां

वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृति राशि लाखों में
2009–10	75	3.75
2010–11	305	10.07
2011–12	150	5.85
2012–13	86	3.89
2013–14	179	10.03
2014–15	58	2.44
योग	**853**	**36.03**

(स्रोत :– महिला एवं बाल विकास विभाग)

रेखाचित्र क्रमांक 6.6: स्वावलंबन योजना प्रारंभ से वर्ष 2015 तक शासन की उपलब्धियां

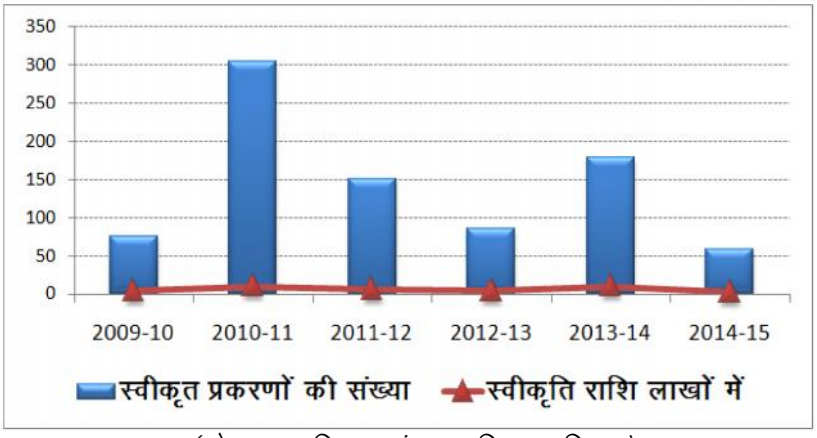

(स्रोत :– महिला एवं बाल विकास विभाग)

स्वावलंबन योजना अंर्तगत वर्ष 2015 तक कुल 853 महिलायें प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त कर लाभान्वित हो चुकी हैं एवं जिस पर शासन द्वारा किया गया व्यय 36.03 लाख रू. रहा। योजना ने वर्ष 2010–11 में सर्वाधिक सफलता प्राप्त कर 305 महिलाओं को लाभान्वित किया जिस पर कुल

व्यय 10.07 लाख रू. किया गया। परंतु बाद के वर्षो में योजना की सफलता में अत्यंत गिरावट आई है। निःसंदेह शासन के इतने अथक प्रयासों के बावजूद योजना का सफल क्रियान्वयन में आशातीत सफलता ना मिल पाना चिंतनीय विषय है।

स्वावलंबन योजना प्रारंभ करने का शासन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उद्यमीय कौशल प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण सुविधाये उपलब्ध ा कराना था जिसे शासन ने सफल बनानें हेतु प्रयत्न भी किये है परंतु स्वावलंबन योजना अंर्तगत प्रशिक्षण की समयावधि अधिक होना इस योजना की सफलता में बाधक रही क्योंकि बेरोजगार गरीब महिलाओं के पास समय एवं धन की समस्या उन्हें लंबे प्रशिक्षण की अनुमति नहीं देते।

योजना के सफलता में बाधक इस समस्या हेतु शासन को चाहिये कि प्रशिक्षण की अवधि में कमी की जाये एवं प्रशिक्षण कार्यकाल में महिलाओं को आने–जाने का भत्ता प्रदान किया जाये तो संभावना है कि योजना की प्रगति पुनः पहले जैसे हो सकेगी।

कौशल उन्नयन योजना

प्रशिक्षण योजनाओं की कड़ी के अंर्तगत वर्ष 2007–08 से कौशल उन्नयन योजना संचालित की जा रही है। योजनाअंर्तगत आय उर्पाजन गतिविधियों से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहो को उद्यमीय कौशल में वृद्धि के द्वारा आय उर्पाजन में वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये अधिकतम 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन योजनाअंर्तगत किया जाता है।

योजना अंर्तगत अगरबत्ती निर्माण, मुर्गी पालन, पशुपालन सब्जी व्यवसाय, कृषि एवं उद्यानिकी, साबुन डिटर्जेट निर्माण, मोमबत्ती, अगरबत्ती दोना पत्तल निर्माण, लाख उत्पादन, मशरूम खेती, सोयाबीन बड़ी, अचार जैली निर्माण जैसे विषय पर महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

तालिका क्रमांक 6.8: कौशल उन्नयन योजना अंर्तगत वर्ष 2007–08 से 2015 तक शासन की प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष	कुल लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिलायें	उपलब्धि का प्रतिशत
2007–08	45	18	557	40
2008–09	50	45	1382	90
2009–10	80	120	3600	150
2010–11	180	166	4980	92.22
2011–12	90	68	2040	75.55
2012–13	135	110	3300	81.48
2013–14	135	34	1020	25.18
2014–15	135	72	2160	53.33
योग	**850**	**633**	**19039**	**74.47**

(स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग)

रेखाचित्र क्रमांक 6.7: कौशल उन्नयन योजना वर्श 2007–08 से 2015 तक शासन की प्रमुख उपलब्धियां (लक्ष्य)

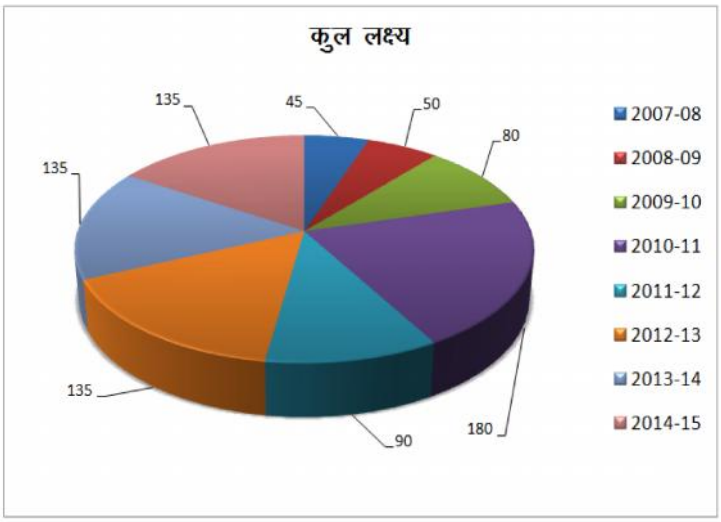

रेखाचित्र क्रमांक 6.8इः कौशल उन्नयन योजना वर्ष 2007–08 से 2015 तक शासन की प्रमुख उपलब्धियां

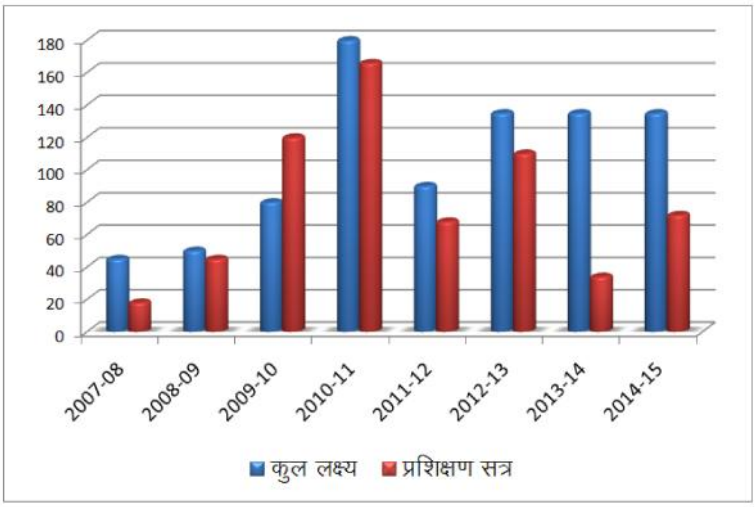

कौशल उन्नयन योजना अंर्तगत योजना प्रारंभ वर्ष से 2015 तक कुल 19039 महिलायें प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हो चुकी हैं। कुल 850 लक्ष्य के विरूद्ध 633 प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुये जो योजना के औसत 74.47 प्रतिशत सफलता को प्रर्दशित करती है। वर्ष 2009–10 में सर्वाधिक उपलब्धि लक्ष्य के बदले 150 प्रतिशत की रही एवं वर्ष 2010–11 में सर्वाधिक महिलायें 4980 लाभन्वित रही, वर्ष 2007–11 में सर्वाधिक महिलायें 4980 लाभन्वित रही, वर्ष 2007–08 से निरंतर वर्ष 2010–11 तक योजनाअंर्तगत प्रगति देखी गई, फिर 2011–12 में अपेक्षाकृत कम सफलता मिली 75.55 प्रतिशत, वर्ष 2012–13 में सफलता में पुनः वृद्धि हुई एवं उपलब्धि का प्रतिशत बढ़कर 81.48 प्रतिशत हुआ। परंतु 2013–14 में उपलब्धि के प्रतिशत में अत्यंत गिरावट आई एवं उपलब्धि केवल 25.18 प्रतिशत रही, वर्ष 2014–15 में योजना पुनः गतिशील होकर 53.33 प्रतिशत की सफलता के प्रतिशत तक पहुंच गई परंतु इस प्रतिशत को अन्य वर्षों की तुलना में संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि शासन कौशल उन्नयन योजना की सफलता हेतु उसे प्रारंभ के वर्षों के

आंकड़ों तक पहुंचाने हेतु जरूर प्रयत्न करेगी।

उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष 2007–08 से उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन छ. ग. शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु प्रेरित करने उनमें स्वरोजगार की भावना का विकास करनें, स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ की गई।

योजना अंर्तगत तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है मुख्यतः योजना महिला उद्यमियों को उद्यम के नवीन अवसर दशा प्रदान करनें हेतु प्रारंभ हुई है। कार्यक्रम अंर्तगत छ.ग. उद्यमिता विकास केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। एक प्रशिक्षण शिविर में 50 महिलायें भाग ले सकती है जिस पर शासन द्वारा 16000 तक का व्यय किया जाता है एवं वर्ष 2013–14 से व्यय राशि बढ़ाकर प्रति सत्र 18500 रू. कर दी गई। योजना प्रारंभ से वर्ष 2015 तक शासन की प्रमुख उपलब्धियों को निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है:

तालिका क्रमांक 6.9: उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	प्रशिक्षण सत्र	लाभान्वित महिला हितग्राही	व्यय राशि	उपलब्धि का प्रतिशत
2007–08	16	16	988	256000	100
2008–09	5	5	260	80000	100
2009–10	18	36	1800	576000	100
2010–11	36	30	1500	480000	83.33
2011–12	36	25	1259	400000	69.44
2012–13	27	11	550	176000	40.74
2013–14	27	10	492	157500	37
2014–15	27	15	750	273000	55.55
योग	**192**	**148**	**7599**	**2398500**	**77.08**

(स्रोतः महिला एवं बाल विकास विभाग)

रेखाचित्र क्रमांक 6.8: उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम 2007–08 से 2014–15 तक उपलब्धियां

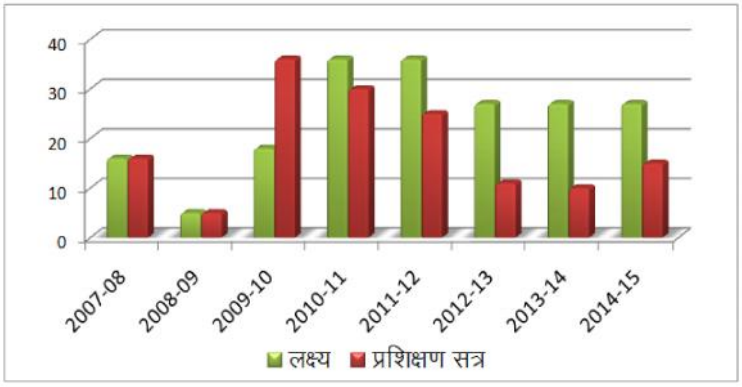

उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम अंर्तगत वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक कुल 192 कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया जिसमें से कुल 148 प्रशिक्षण सत्र ही आयोजित किये गये जो उपलब्धि का 77.08 प्रतिशत है। कार्यक्रम अंर्तगत अब तक 7599 महिलायें लाभान्वित हुई हैं एवं कुल व्यय राशि 2398500 रू. की गई। कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष में 988 महिलायें लाभन्वित रही एवं लक्ष्य 100 प्रतिशत रहा, बाद के दो वर्षो में भी लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि 100 प्रतिशत रही एवं वर्ष 2009–10 में सर्वाधिक महिलायें (1800) लाभान्वित हुई, परंतु वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के मिश्रित परिणाम समने आये है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

पूर्व में ग्रामोद्योग रोजगार योजना (ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम) के नाम से प्रचलित इस योजना का संचालन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार प्रदान करना (सामाजिक उद्देश्य), वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना (आर्थिक उद्देश्य), उद्यमियों में आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन को बढ़ाना (व्यापक उद्देश्य) है।

योजनाअंर्तगत खादी ग्रामोद्योग आयोग सीधे उद्यमियों को व्यक्तिगत रूप से वित्त पोषण नहीं कराता वरन् मार्जिन मनी योजना द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्यमियों को मार्जिन मनी की राशि उपलब्ध कराता है योजनाअंर्तगत केवल सात समूहों अंर्तगत ही उद्यम संचालन पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है:

- खनिज आधारित उद्यम
- वनोपज आधारित उद्यम
- कृषि एवं खाद्य आधारित उद्यम
- रसायन एवं बहुलक आधारित उद्यम
- सेवा उद्योग
- हाथ करघा एवं रेशा उद्योग
- ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग
- ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (वर्ष 2007–08) तक योजना इसी नाम से क्रियाशील रही) अंर्तगत प्रदत्त मार्जिन मनी की जानकारी :

25 लाख तक की परियोजना हेतु व्यक्तिगत उद्यमी/पंजीकृत संस्था/सहकारी समितियां /पंजीकृत ट्रस्ट पात्र हैं :

क्रं.	वर्ग	मार्जिन मनी
1.	सामान्य वर्ग के पुरूष हेतु (1) 10 लाख रू. तक की परियोजना पर (2) शेष परियोजना लागत पर	 25 प्रतिशत 10 प्रतिशत
2.	सभी वर्ग की महिलायें/अनु.जाति/अनु.जनजाति/ अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग/विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु (1) 10 लाख तक की परियोजना पर (2) शेष लागत पर	 30 प्रतिशत 10 प्रतिशत

नोट :

(1) मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा 4.5 लाख रू. होगी।

(2) क्रमशः 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य होगा।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमः

15 अगस्त 2008 से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के स्थान पर इस योजना को प्रारंभ किया गया। योजना मुख्यतः केंद्र शासन की है जिसका प्रबंधन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। योजना को खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन (KVIC), खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड (KVIBS) और जिला उद्योग केंद्र (DICS) एवं विभिन्न बैंकों के माध्यम से लागू किया जाता है। ये सभी Implementing Agency KVIC, KVIBs, और DICS विभिन्न ख्याति प्राप्त गैर शासकीय संस्थान (NGOs) स्व सहायता समूह (SHGs) राष्ट्रीय सूक्ष्म उद्यम निगम (NSIC) राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना (RGUMY) के उद्यमी मित्र, पंचायती राज संस्थान आदि की सहायता से योजना का लाभ हितग्राहियों को देते है, योजना अंर्तगत ऋण के अतिरिक्त मार्जिन मनी के साथ प्रशिक्षण सुविधा भी उद्यमियों के कौशल में वृद्धि हेतु प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंर्तगत प्रदत्त मार्जिन मनी की जानकारीः

क्र.	वर्ग	हितग्राहियों का अंशदान	मार्जिन मनी की राशि	
			शहरी	ग्रामीण
1.	सामान्य वर्ग	10 %	15%	25%
2.	अनु.जाति / जनजाति / आय पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / भूतपूर्व सैनिक	05 %	25%	35%

नोटः

- परियोजना लागत निर्माणी उद्यम हेतु अधिकतम 25 लाख तक ही स्वीकृति योग्य है।
- सेवा एवं व्यवसायिक उद्यम क्षेत्र हेतु परियोजना लागत 10 लाख रू. तक स्वीकृत है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंर्तगत छ.ग. राज्य में योजना द्वारा लाभान्वित महिला उद्यमियों एवं उन्हें प्रदत्त मार्जिन मनी की जानकारी निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट की गई हैः

तालिका क्रमांक 6.10: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी योजना) की वर्षवार प्रमुख उपलब्धियांः

वर्ष	कुल स्थापित इकाई	महिला द्वारा उद्यमी स्थापित इकाई	महिला इकाई का प्रतिशत	(लाख रू.) परियोजना लागत	(लाख रू.) मार्जिन मनी
1998–1999	09	02	22.22	18.98	5.694
1999–2000	31	06	19.35	58.087	17.43
2000–01	89	27	30.34	210.05	63.02
2001–02	232	63	27.16	534.18	157.31
2002–03	96	38	39.58	374.60	101.73
2003–04	619	172	27.79	1458.69	374.24
2004–05	654	203	31.04	1440.19	357.086
2005–06	551	137	24.86	1801.72	398.26
2006–07	691	145	20.98	1759.84	381.7075
2007–08	1260	338	26.82	2429.97	540.76
2008–09	681	134	19.68	1371.84	457.28
2009–10	464	135	29.09	1000.35	333.45
2010–11	1576	393	24.94	3988.60	1353.04
2011–12	1510	340	22.52	3267.46	1228.13
2012–13	1748	412	23.57	3851.11	1278.94
2013–14	921	332	36.048	1764.76	588.25
2014–15	847	171	20.19	1451.79	483.93
2015–16	1277	260	20.36	2255.01	751.67
योग	**13256**	**3308**	**24.95**	**29036.354**	**8871.9275**

स्रोतः

(1) निर्देशिका वर्ष 1998–99 से 2007–08 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग।

(2) 2008–09 से वर्ष 2015–16 तक की जानकारी खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से संकलित।

रेखाचित्र क्रमांक 6.9: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी योजना) की वर्षवार प्रमुख उपलब्धियां

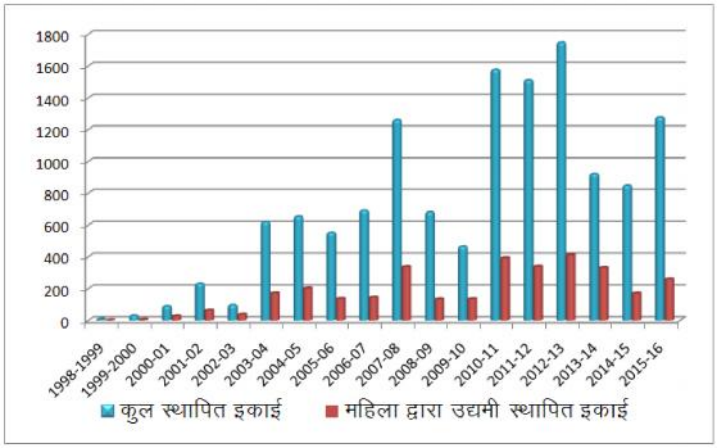

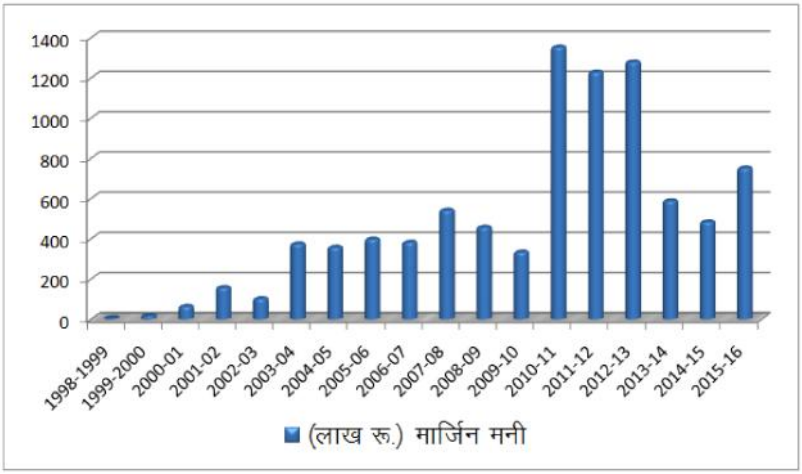

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम द्वारा संचालित मार्जिन मनी योजना अंर्तगत वर्ष 2015–16 तक कुल 13256 उपक्रम स्थापित किये जा चुके है जिसमें महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाई की संख्या 3308 है जो कुल स्थापित उपक्रमों का लगभग 24.95 प्रतिशत है। महिला इकाईयों द्वारा स्थापित उपक्रमों में कुल परियोजना लागत 29036.354 लाख रू रही एवं कुल मार्जिन मनी जो शासन द्वारा देय है वह 8871.9275 लाख रू. रही है। योजनाअंर्तगत वर्ष 2012–13 में सर्वाधिक महिला उपक्रमों की स्थापना हुई जिसकी कुल संख्या 412 थी एवं मार्जिन मनी 1278.94 रही। उसी तरह वर्ष 2010–11, 2011,12, 2007–08, 2013–14 में क्रमशः 393, 340, 338 एवं 332 महिला इकाईयों की स्थापना हुई एवं इन वर्षो में इन महिला उद्यमों को प्रदत्त मार्जिन मनी क्रमशः 1353.04, 1228.13, 540.76, 588.25 लाख रू. रही अन्य वर्षों में 1998–99 से 2004–05 तक महिला उद्यमी द्वारा स्थापित इकाईयां की संख्या में क्रमशः वृद्धि रही परंतु बाद के वर्षों में उतार–चढ़ाव बना रहा। किसी वर्ष उद्यमों की संख्या पूर्व की तुलना में बढ़ी तो किसी वर्ष इनमें कमी आई, इस प्रकार योजना से लाभान्वित महिला उद्यमियों की संख्या कुल स्थापित उद्यमों की 25 प्रतिशत है जो योजना के मिश्रित परिणाम को दर्शाते है।

योजनाअंर्तगत स्थापित कुल उद्यमों की संख्या तो अच्छी मात्रा में है परंतु महिलाओं द्वारा जागरूकता में कमी के चलते उनके स्थापित उपक्रमों की संख्या कुल उद्यम की तुलना में अल्प है।

महिला समृद्धि बाजार योजनाः राज्य शासन की ओर से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंग के रूप में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता, सुरक्षित एवं सुविधायुक्त बाजार उपलब्ध कराने, उनके कौशल द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विपणन हेतु आधार प्रदान करने योजना प्रारंभ की गई। यह योजना नगरीय निकायों में लागू है। योजना अंर्तगत प्रस्तावित दुकानों की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण की सुविधा रहेगी, जिसे पात्र हितग्राहियों को उद्यम संचालन हेतु आंबटित किया जाता है। योजनाअंर्तगत 10000 रू. से कम सालाना आय

वाले परिवार की महिलायें हितग्राही की श्रेणी में आयेंगे। कुछ महिलायें अपना व्यवसाय घर से भी संचालित करती है, परंतु समस्या व्यावसायिक स्थान या दुकान की है, जहां वे अपने निर्मित उत्पाद का विक्रय कर सके इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से शासन नें वर्ष 2004–05 से इस योजना का शुभारंभ किया है।

योजना अंर्तगत महिला समितियों द्वारा गरीब परिवार की महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा। दुकानों का एक निश्चित आकार 8'' 10 तय किया गया है एवं प्रावधान के अनुसार दुकानों को निर्माण हेतु शासन की जमीन नगर पालिका 1 रू. प्रति वर्गफुट प्रीमियम की दर पर खरीद कर या निकाय स्वयं की भूमि पर भी निर्माण कर सकती है। दुकान निर्माण हेतु 50 प्रतिशत लागत नगरीय विकास विभाग से प्राप्त होगा एवं शेष नगर पालिका को स्वयं विनियोजित करना होगा।

योजनाअंर्तगत प्रारंभ से वर्ष 2015 तक निर्मित दुकानों एवं व्यय राशि की स्थिति निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है:

तालिका क्रमांक 6.11: महिला समृद्धि योजना अंर्तगत शासन की प्रमुख उपलब्धियां

क्र.	निकाय का नाम	योजना प्रारंभ से वर्तमान तक स्वीकृत संख्या	मापदंडो के अनुसार सूडा द्वारा देय राशि (लाख में)	भौतिक प्रगति	
				व्यय राशि (लाख में)	पूर्ण दुकानों की संख्या
1.	रायपुर	150	37.50	37.50	150
2.	जगदलपुर	100	25.00	25.00	100
3.	दुर्ग	150	37.50	0.00	42
4.	भिलाई	100	25.00	22.60	100
5.	बिलासपुर	150	37.50	38.06	96
6.	कोरबा	100	25.00	25.00	100
7.	जशपुर	28	7.00	7.00	28
	योग	**778**	**194.50**	**155.16**	**616**

(स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नया रायपुर (छ.ग.))

रेखाचित्र क्रमांक 6.10: महिला समृद्धि बाजार योजना अंर्तगत शासन की प्रमुख उपलब्धियां

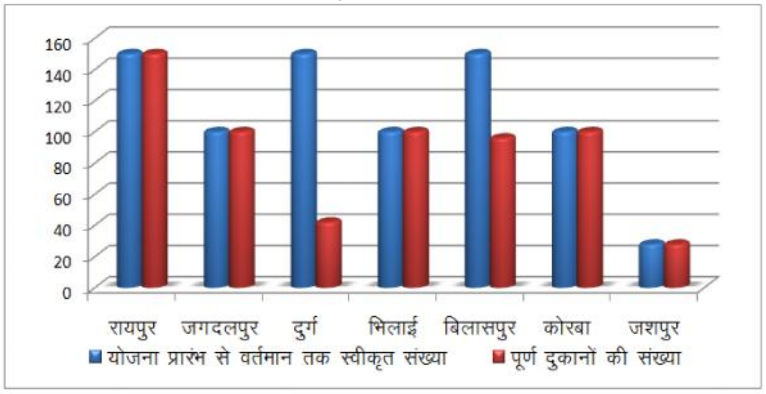

(स्रोतः नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नया रायपुर (छ.ग.))

योजना अंर्तगत कुल 778 दुकानों के निर्माण हेतु शासन नें 194.50 लाख रू. स्वीकृत किये थे जिनमें से 155.16 लाख रू. के व्यय पर 616 दुकानों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष 162 दुकानों के निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है।

निःसंदेह शासन का इस प्रकार का प्रयास सराहनीय है। अभी जिन नगर निगमों में योजना लागू नहीं हुई है वहां भी इस पर विचार किया जा रहा है।

राज्य समाज कल्याण बोर्डः

महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार कर कल्याणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास, सशक्तिकरण के उद्देश्य से छ.ग. शासन द्वारा राज्य समाज बोर्ड की स्थापना की गई है। जिसमें प्रतिवर्ष बजट में एक निश्चित राशि महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से स्वीकृत की जाती है। वर्तमान में माननीय श्रीमती शोभा सोनी बोर्ड की अध्यक्ष है एवं अन्य 18 सदस्यीय सदस्यों की समिति है। बोर्ड अपना कार्य गैर शासकीय संगठनों की सहभागिता के माध्यम से करती है।

तालिका क्रमांक 6.12: राज्य समाज कल्याण बोर्ड हेतु छ.ग. शासन द्वारा राज्यांश के रूप में बजट राशि का वर्षवार प्रावधान

क्र.	वर्ष	स्वीकृत बजट राशि
1.	2006–07	18 लाख रू.
2.	2007–08	18 लाख रू.
3.	2008–09	18 लाख रू.
4.	2009–10	20 लाख रू.
5.	2010–11	30 लाख रू.
6.	2011–12	30 लाख रू.
7.	2012–13	32 लाख रू.
8.	2013–14	40 लाख रू.
9.	2014–15	60 लाख रू.
	योग	**266 लाख रू.**

(स्रोतः प्रशासकीय प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर 2014)

रेखाचित्र क्रमांक 6.11: राज्य समाज कल्याण बोर्ड हेतु छ.ग. शासन द्वारा बजट राशि का वर्षवार प्रावधान

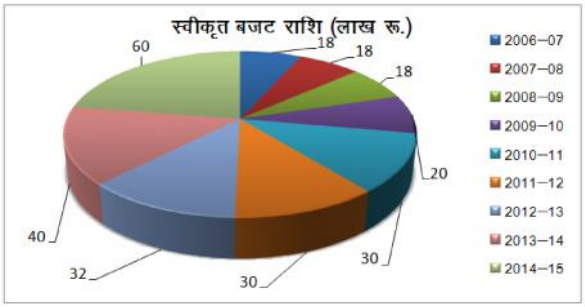

(स्रोतः प्रशासकीय प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर 2014)

महिलाओं की सामाजिकः आर्थिक स्थिति में सुधार एवं गैर शासकीय संगठनों की सहभागिता द्वारा महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से स्थापित बोर्ड में प्रति वर्ष छ.ग. शासन द्वारा बजट राशि में वृद्धि हुई है 2006–07 में 18 लाख रू., 2009–10 में 20 लाख रू., 2011–12 में 30 लाख एवं 2014–15 में 60 लाख रू. का प्रावधान इस तथ्य को दर्शित करता है कि छ.ग. शासन द्वारा महिलाओं के चहुंमुखी विकास हेतु प्रत्यन किया जा रहा है, अब तक 266 लाख रू. की राशि बजट में स्वीकृत की जा चुकी है।

दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम

महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा अन्य समूहों के कार्यों को निर्देशित करनें उनके समूहों के सुदृढ़ीकरण एवं उद्यमीय क्षमता में वृद्धि हेतु दिशा दर्शन कार्यक्रम का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम पूर्व में संचालित ड्वाकरा योजनांतर्गत निर्मित महिला स्व सहायता समूहों के कार्यो के निरीक्षण हेतु प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह सशक्त रूप में कार्य कर रही है एवं महिला स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, अतः उनके समूहों के कार्यो को दिशा प्रदान करने हेतु छ.ग. शासन का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है।

दिशा–दर्शन हेतु महिला स्व सहायता समूह के चयन संबंधी शर्तें :

(1) ऐसे महिला समूह का चयन जिनके गठन को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका हो।

(2) समूह की बचत, बैंकिग संबंधी गतिविधियां नियमित हो।

(3) ऐसे समूह जो आर्थिक/सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से कार्यरत् हो।

(4) समूहों को प्रशिक्षण के माध्यम से विषय संबंधी ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा ऑन–स्पॉट प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है ताकि Exposnevisit का

लाभ मिल सके।

दिशा–दर्शन भ्रमण कार्यक्रम निश्चित तौर पर महिला स्व सहायता समूहों की उद्यमीय गतिशिलता को सुदृढ़ बनाने हेतु क्रियाशील है, स्व सहायता समूहों को दिशा प्रदान करनें छ.ग. शासन द्वारा बजट में एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष प्रावधान की जाती है वर्ष 2013–14 में 125 लाख रू. बजट में प्रावधान किया गया जिसमें 488 महिलायें भ्रमण पर गई, वर्ष 2014–15 में 125 लाख रू. का प्रावधान हुआ जिसमें 7414 महिलायें लाभान्वित हुई।

योजना ने विगत दो वर्षों में बजट द्वारा प्रावधानित राशि समान रही परंतु लाभान्वित महिलाओं की संख्या में बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है एवं दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम महिला समूह के सुदृढ़ीकरण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होगा।

महिला मड़ई योजना

महिला संगठनों, महिला उद्यमियों एवं महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा तैयार उत्पादों को विपणन का आधार प्रदान करने हेतु व्यापार मेलों का आयोजन छ.ग. शासन द्वारा महिला मड़ई योजना अंर्तगत किया जाता है।

वर्ष 2009–10 से आयोजित इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि अन्य योजनाओं में महिला उद्यमियों को ऋण एवं प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं से लाभान्वित किया जाता है परंतु उनके द्वारा तैयार उत्पाद को बिक्री का आधार देकर उनके उद्यम की सफलता में योगदान देने का प्रयास शासन द्वारा उक्त योजनांर्तगत किया गया है। प्रतिवर्ष लगातार 2009–10 से आज पर्यन्त सॉईस कालेज मैदान में राज्योत्सव के अवसर पर मड़ई का आयोजन किया जा रहा है एवं आगामी वर्ष 2015–16 में इसका आयोजन रिसाली दुर्ग में किया जाना प्रस्तावित है।

महिला जागृति शिविर

छ.ग. शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं

की सामाजिक–आर्थिक संबंधी योजनाओं की जानकारी देने एवं उनमें जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से योजना का संचालन छ.ग. राज्य निर्माण वर्ष से किया जा रहा है। शिविर पूर्व में अविभाजित म.प्र. में भी संचालित हुआ करता था।

इस योजना का उद्देश्य मुख्यतः विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाना महिलाओं को सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ले जाना, उनके विचारों– अनुभवों को साझा करने मंच प्रदान करना, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता करना है।

योजना संबंधी गतिविधियां राज्य ए वं जिला स्तर पर आयोजित होती है।

अध्याय 07 | महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की समस्यायें, सुझाव एवं निराकरण

7.1 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं का संचालन अधिकांशतः महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं नाबार्ड भी समन्वित रूप से इस प्रकार की योजनाओं के गतिशील संचालन में अपना योगदान दर्शित कर रहे है। निश्चितः महिला पक्ष लाभान्वित भी हैं, 500 महिला हितग्राहियों जो शासन की योजनाओं से लाभान्वित होकर अपने उद्यम का संचालन कर रहे हैं उनके उद्यम के आर्थिक, सामाजिक मूल्यांकन से ज्ञात हुआ कि शाासन के लक्ष्य निर्धारण का संपूर्ण परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, लक्ष्य और महिला स्वरोजगार विकास के आंकड़ों में अंतर है। छ.ग. में महिला स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति के मिश्रित परिणाम प्राप्त हुये है। वस्तुतः प्रयत्न के अनुसार परिणाम सामनें नहीं आ रहे है। इस हेतु कई आंतरिक एवं बाह्य तत्व उत्तरदायी है। यद्यपि शासन ने महिला स्वरोजगारियों को प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, सलाहकार सेवायें, वित्त सुविधा, उत्पादों के विपणन में सहायता महिला स्वरोजगार संबंधी नीतियों के निर्माण में महिला वैज्ञानिकों की राय, महिला उद्यमियों को पुरस्कार, दिशा–दर्शन कार्यक्रम जैसी गतिविधियाँ संचालित कर अपनें अतुलनीय प्रयासों के तहत् ही महिला स्वरोजगार को ऊँचाईयों तक पहुंचाया है। इनसे लाभान्वित होकर कई महिला स्वसहायता समूहो की स्थापना भी हुई है जो ना केवल आर्थिक वरन राज्य के सामाजिक विकास में भी योगदान दे रही है। शासन के नीतिगत एवं सतत् प्रयत्न से यह प्रतीत होता है कि महिला स्वरोजगार –उन्मुखी योजनाओं की प्रगति में चुनौतियां तो जरूर है, पर उचित समाधान भी उपलब्ध है। महिला स्वरोजगार योजनाओं ने ना केवल महिला स्वरोजगारियों का भविष्य उज्जवल किया है वरन् छ.ग. राज्य के आर्थिक विकास के सुनहरे सपनों को सकारात्मक दिशा भी प्रदान की है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कुछ बाधक तत्व भले ही महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं को लागू करनें एवं निरंतर क्रियाशील रखनें में अडिग है परंतु शासन यदि पूरी तत्परता एवं त्वरित विकास के दृष्टिकोण से इन योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें वित्त सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, वाणिज्यिक बैंकों को अपने सोच में बदलाव करते हुये सूक्ष्म इकाईयों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता, ऋण देनें उपयुक्त–अनुकूल वातावरण का निर्माण, इसके अतिरिक्त योजनाओं की सफलता हेतु महिला उद्यमशीलता के विकास हेतु IIT, IMM कृषि वि.वि. की तर्ज पर महिला उद्यमशीलता संस्थान की स्थापना हो जिससे नये उद्यमी उत्पन्न हो।

उद्यमशीलता में निहित जोखिम एवं अनिश्चितता एवं भारतीय महिलाओं के उद्यम में नाकामी के प्रति सहनशीलता में कमी जैसी समस्याओं के लिये उनमें जोखिम झेलने के लिये एक फॉलबैक व्यवस्था जरूरी है। जिस हेतु शासन को असफल उद्यमियों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा या बीमा का प्रावधान रखना चाहिये शासन को कृषि के समान T.V. Radio चैनल पर महिला उद्यमियों के अनुभवों को साझा करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

शासन पूरी तत्परता एवं त्वरित विकास के दृढ़ संकल्प के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा विभिन्न गैर शासकीय संस्थान जो इस दिशा में क्रियाशील हैं उनके साथ समन्वित प्रयासों में निरंतरता बनाये रखे तो निश्चितः योजनायें महिला उद्यमियों के विविध आयामों की प्राप्ति में कारगर होगी एवं आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकास के शिखर पर छ.ग. राज्य दर्शित होगा। योजनाओं की प्रगति में स्वयं महिला पक्ष को भी प्रयासरत् होना होगा क्योंकि उन्हीं में समहित दूरदर्शिता, साहस, नवाचार जैसे उद्यमिय गुणों का सही उपयोग तभी संभव है जब वें स्वयं में जागरूकता लाकर इन योजनाओं से लाभान्वित हो।

वास्तव में महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनायें छ.ग. शासन द्वारा राज्य स्तर पर केंद्र शासन के मध्य उचित समन्वय बनाते हुये, लक्ष्य

केंद्रित आक्रामकता व दूरदर्शिता के साथ क्रियान्वित हो तो ना केवल महिलाओं के उद्यमिय गुणों का सही उपयोग होगा वरन महिला स्वरोजगार की प्रगति के लक्ष्य में तुलनात्मक रूप से अधिक सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त लंबी–चौड़ी योजना क्रियान्वित करने के स्थान पर ऐसी योजनायें लागू की जाये जो उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप हो एवं जिन्हे लागू करनें में औपचारिकता कम हो क्योंकि योजनायें के कारगर ढंग से लागू नहीं होने पर भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते एवं इस हेतु भी शासन अपनी जवाबदेही तय करे।

इस स्तर पर वर्तमान परिदृश्य में शासन के प्रयत्न दर्शित होना प्रारंभ हो चुके हैं, परंतु इन योजनाओं की पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन शेष है।

7.2 समस्यायें एवं बाधायें

स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि ''औरतों की स्थिति में सुधाार किये बिना कल्याण की कल्पना ठीक उतनी ही असंभव है जितनी कि एक पक्षी का एक पंख से उडान भरना''

स्वावलंबन का पर्याय स्वरोजगार है उसी से चेतना एवं सामर्थ्य का निर्माण होता है, स्वावलंबन से ही आत्मविश्वास, स्वनिर्णय क्षमता एवं सशक्तिकरण संभव है।

इस तथ्य की महत्ता को स्वीकारते हुये छ.ग. शासन द्वारा राज्य निर्माण के समय से ही महिला स्वरोजगार योजनाओं का संचालन जारी रहा है, इसके बावजूद भी महिला स्वरोजगार विकास की प्रगति को अनेक तथ्यों ने बाधित किया जैसे– सामाजिक परंपरायें, रीति–रिवाज, अशिक्षा, पुरूष प्रधानता, वहीं जो महिलायें स्वरोजगार प्रारंभ कर रहीं है उन्हें पारिवारिक असहयोग एवं असमर्थता, वित्त सुविधाओं का अभाव, प्रोत्साहन, उचित दिशा ना मिलता, विपणन, भावी बाजार संबंधी समस्यायें। वहीं स्वरोजगार प्रारंभ कर चुकी महिलाओं को नवीन तकनीक व अद्यतन सूचनाओं का अभाव, संचार माध्यमों की समस्या, ऊर्जा संकट, बैंकिग समस्या, उचित उद्यमीय वातावरण का अभाव जैसी बाधायें सामनें खड़ी

है।

यद्यपि इस दिशा में अनेक शासकीय नीतियां एवं कार्यक्रम क्रियाशील रहें परंतु संतोषप्रद सफलता का अभाव आज भी है। शासन की योजनाओं के निर्माण से क्रियान्वयन तक एवं भविष्य में निरंतर सफलता बनाये रखनें तक प्रत्येक स्तर पर समस्यायें मौजूद है।

छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति में बाधक समस्यायें निम्न हैः

समस्यायें

- ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें स्वरोजगार व उसके दूरगामी परिणाम की महत्ता से अनिभज्ञ होती है। जागरूकता का अभाव स्वरोजगार योजनाओं का असफलता में अह्म भूमिका निभाती है।
- अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही जैसे कारक शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधक है।
- शोध अध्ययन के दौरान चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि अधिकांश महिलायें यह सोचती हैं कि स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण तथा अनुदान मिल रहा है तो प्राप्ति कर लें परंतु उनमें उद्यमीय गुणों का अभाव उद्यम स्थापना के बावजूद सफलता में बाधक है।
- शासकीय कार्यक्रमों के अंर्तगत आवेदन से लेकर बैंक स्वीकृति तक की प्रक्रिया बहुत औपचारिकताओं से युक्त होती है, औपचारिकताओं की जटिलता महिलाओं के लिये प्रमुख बाधा है क्योंकि वें हताश होकर शासकीय नीतियों का लाभ नहीं उठा पातें।
- उद्यमिता उन्नयन प्रशिक्षण के दौरान यह तथ्य ज्ञात हुआ कि अलग–अलग शैक्षणिक योग्यता धारियों को प्रशिक्षण एक स्थान पर एक साथ प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण में श्रेणीबद्वता एवं व्यवस्था का अभाव भी देखा गया है।
- कुछ योजनाओं के तहत् नोडल बैंक से ऋण स्वीकृत करानें से पूर्व सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अनापति प्रमाण पत्र लाना पड़ता है।

जिससे महिला हितग्राही को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करनें में कठिनाई होती है।

- शासन कभी–कभी केवल लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कार्य करती है तो योजनाओं से गलत व्यक्ति भी लाभान्वित हो जाते है।
- अंर्तराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में उचित मार्ग–दर्शन के अभाव के कारण आयात–निर्यात के क्षेत्र में महिला उद्यमियों की सहभागिता कम है।
- योजना अंर्तगत उद्यम प्रारंभ होने के बाद अनेक कठिनाईयां आती है और मार्गदर्शन के अभाव में अधिकांश उद्यम बंद हो जाते है, जिससे हितग्राहियों की संख्या कागजों पर तो लक्ष्य पूरा होते दर्शित होते हैं, परंतु वह वास्तविकता से परे हैं।
- योजनाओं की पूर्ण सफलता इस पर निर्भर है कि महिलायें उनके प्रति कितनी जागरूक है ये जागरूकता केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है। कुछ शासकीय योजनाओं का लाभ इंटरनेट उपयोग पर आधारित है जैसे पंजीकरण से उद्यमिता साख तक आवेदन on-line करना हो तो उचित शिक्षा के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता।
- महिला स्वरोजगार संबंधी कार्यक्रमों व कानूनों का ईमानदारी, दृढ़ संकल्प से क्रियान्वयन नहीं होने से उनकी प्रभावशीलता संतोषजनक नहीं है।
- विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, Association, अशासकीय संगठनों महिला संगठनों प्रशिक्षण एवं शोध संस्थानों एवं स्वयं शासन का आपसी समन्वय का अभाव महिला स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधक है क्योंकि शासन योजनाओं का निर्माण तो कर सकती है परंतु उसका क्रियान्वयन एवं सफलता/प्रगति इन सभी के तालमेल से ही संभव है।
- छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार योजनाओं में ऋण तो महिला उद्यम के नाम पर लिया जाता है परंतु अधिकांशः उसका उपयोग

परिवार के पुरूष सदस्यों द्वारा किया जाता है तो आंकड़े तो महिला उद्यम के दर्शित होते हैं परंतु वास्तव में उसका संचालन पुरूष पक्ष द्वारा किया जा रहा होता है।

- शासन द्वारा वित्त एवं प्रशिक्षण सुविधा देने के पश्चात् संचालित उद्यमों का समय–समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता, जिससे उन्हें उद्यम संचालन में किस प्रकार की बाधायें आ रही है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती एवं उचित मार्गदर्शन के अभाव में व्यवसाय का संचालन प्रभावित होता है परिणामतः लाभ नहीं मिलने पर उद्यम बंद हो जाते है।
- उद्यमिता जागृति शिविर की संख्या छ.ग. में काफी अल्प मात्रा में है जिसकी संख्या में वृद्धि अनिवार्य है क्योंकि ये शिविर महिलाओं को उद्यम संचालन हेतु प्रेरित करते हैं एवं साथ ही ऐसी महिलायें जो वास्तव में उद्यम संचालन हेतु जागरूक है उन्हें प्रशिक्षण आदि सुविधा प्रदान करते है। सही महिला उद्यमी के चयन पर ही महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की सफलता आधारित है।
- महिला कोष की स्वावलंबन योजना में प्रशिक्षण की अवधि अत्यंत लंबी होने के कारण महिलायें जो निर्धन है उनके लिये स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण स्थान पर रोज जाना एवं इस हेतु समय देने में कठिनाई जैसे समस्या इस योजना के हितग्राहियों द्वारा ज्ञात हुई।
- कुछ हितग्राहियों से साक्षात्कार के दौरान यह बताया गया कि प्रशिक्षण केवल सैधांतिक ज्ञान पर अधिक आधारित है किंतु बिना व्यावहारिक ज्ञान के उद्यम संचालन में बाधा देखी गई।
- महिला उद्यमियों को वित्त सुविधा देने के लिये वाणिज्यिक बैंक सूक्ष्म इकाइयों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है जिस कारण महिला उद्यमिता हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित नहीं हो रहा।
- महिलायें अधिक संवेदनशील होती हैं तथा शासन द्वारा महिला उद्यमियों के उद्यम में हानि होने की दशा में कोई बीमा, सुरक्षा या

फॉलबैक व्यवस्था नहीं होने के कारण असफलता की दशा में उद्यम बंद करनें के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं बचता।

- उद्यम स्थापना हेतु ऋण, प्रशिक्षण एवं अन्य शासकीय मंजूरियों में विलंब हो जाने के कारण, शासन के ढीले–ढाले रवैये से महिला उद्यमी कभी–कभी अपना आवेदन वापस ले लेती है एवं उन तक नकारात्मक संदेश पहुंचता है।
- आज भी शासन की योजना की सार्वभौमिक पहुंच का अभाव है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शासन की बहुत सी महिलाओं पर आधारित योजनाओं के लाभों की जानकारी ना मिलना शासन के कमजोर सूचना तंत्र को दर्शित करता है।
- उद्यमिता से संबंधी सभी शासकीय सूचनायें, योजनाओं की जानकारी, ऋण अनुदान प्रशिक्षण जैसी सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उद्यमियों के समय एवं धन दोनों का अपव्यय होता है।

महिलाओं के स्वरोजगार उन्मुखी विभिन्न शासकीय योजनाओं का संचालन छ.ग. राज्य में हो रहा है, एवं उनकी प्रगति एवं मूल्यांकन के अवलोकन से ज्ञातव्य है कि लक्ष्य का निर्धारण एवं योजना के क्रियान्वयन एवं लाभान्वित महिलाओं की संख्या में बड़ा अंतर हैं जिसके फलस्वरूप शासन के उपलब्ध कोष का उचित सदुपयोग संभव नहीं हो रहा है। जिससे भविष्य में बजट व लक्ष्य में कमी होकर योजनायें क्रमशः असफल होकर बंद हो रही है या अन्य योजना में उसका विलय हो जा रहा है। फलस्वरूप शासन की योजनायें लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में औसत प्रर्दशन कर पा रही है।

महिला स्वरोजगार संबंधी समस्यायें उनके व्यक्तिगत, सामाजिक स्तर तक ही नहीं वरन् योजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने योजनाओं का लाभ उठाकर सफलतापूर्वक उद्यम संचालन तक प्रत्येक स्तर पर मौजूद है जिनका स्थायी हल ही महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं को सही दिशा प्रदान कर सकती है।

7.3 समस्याओं के समाधान एवं सुझाव

छ.ग. शासन महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन की दिशा में निरंतर प्रयासरत है, परंतु कुछ सैधांतिक एवं व्यावहारिक बाधायें मौजूद है जिससे योजनाओं का निष्पादन स्तर प्रभावित हो रहा है। परंतु छ.ग. राज्य के संपोषणीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की सफलता अनिवार्य है क्योंकि उद्यमशील महिलाओं का राज्य निर्माण में सहयोग त्वरित आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्य की सफलता का शार्टकट है।

जिस हेतु महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सशक्त बनना एवं उनकी समग्र सहभागिता में निरंतर विकास हेतु इन समस्त बाधाओं को दूर करना अति आवश्यक है।

महिला स्वरोजगारियों को वित्त, प्रशिक्षण सुविधा, परार्मशदात्री सेवायें, योजनाओं की सही सूचना उचित समय पर, संचार तंत्रों की सुविधा, उत्पाद विपणन की उचित व्यवस्था, उद्यम के असफल होने पर फॉलबैक सुविधा जैसे कारगर उपायों को लागू कर इन समस्याओं का उचित हल निकाला जा सकता है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में सफलता एवं स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति की दिशा में इन सभी रूकावटो एवं समस्याओं का निराकरण निम्न युक्तियां एवं सुझावों को अमल में लाकर दूर करनें का प्रयास किया जा सकता हैः

- सिटीजन चार्टर (अर्थात् नागरिक का प्रशासन के साथ जो काम हो वह निश्चित अवधि में हो) लागू हो जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारर्दशिता के साथ–साथ प्रत्येक स्तर पर कार्य पूर्ण होने की समयावधि भी निश्चित होगी।
- महिला स्वरोजगार संबंधी शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी एवं स्वतंत्र रूप से हो।
- महिला स्वरोजगार संबंधित कार्यक्रमों में आर्थिक सहायता का

स्वरूप बहुपक्षीय हो अर्थात् निजी एवं शासकीय संस्थाओं की सहभागिता से योजनाओं का संचालन हो ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ हो सके।

- उत्पाद के विपणन संबंधी समस्या के समाधान के लिये महिला उद्यमियों के उत्पादों के क्रय की सुनिश्चितता शासन द्वारा होनी चाहिये।
- उद्यमशीलता में जोखिम एवं अनिश्चितता के प्रति महिलायें अधिक चिंतित रहती है क्योंकि भारतीय मूल्य ऐसे है कि असफलता के प्रति सहनशीलता बहुत कम होती है अतः उन्हें उद्यम संचालन हेतु प्रेरित करने शासन को जोखिम झेलने हेतु एक फॉलबैक व्यवस्था करनी चाहिये जिसके अंर्तगत सुरक्षा या बीमा का प्रावधान हो।
- शासन कृषि के ही तर्ज पर टीवी., रेडीयो पर महिला उद्यमिता संबंधी कार्यक्रम प्रारंभ करे जिसमें महिला उद्यमी अपनें अनुभवों को साझा करे जिससे अन्य भी अभिप्रेरित हो सकें।
- शासन को आई.आई.टी., आई.आई.एम., एवं कृषि वि.वि. की तर्ज पर महिला उद्यमशीलता संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता है ताकि रोजगारपरक शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बन सके।
- महिला स्वरोजगार योजनाओं के लाभ का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध जिला व ग्राम स्तर पर स्वतंत्र एवं स्वायतशासी संस्था स्थापित हो।
- महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण एवं अन्य सुविधा प्राप्ति हेतु अनेक औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता है। अतः महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को विशेष प्राथमिकता देकर जल्द पूर्ण करना चाहिये।
- महिला स्वरोजगार इकाईयों को साख की उपलब्धता हेतु बनाई जानें वाली नीतियां पृथक–पृथक वित्तीय संस्थानों द्वारा पृथक–पृथक बनाई जाती है। जिससे उनमें समन्वय का अभाव होता है, अतः एकरूपता लाने हेतु उन्हें संभाग के सभी महिला स्वरोजगार उद्यमों

हेतु एक संयुक्त कोष निर्मित करना चाहिये।

- महिला स्वरोजगार उद्यमों को साख उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थानों के नियमन एवं नियंत्रण हेतु एवं उनके संपादित कार्यो की समीक्षा हेतु स्वतंत्र संस्था का अभाव है, जिस हेतु शासन द्वारा एक स्वायत्व संस्था का गठन हो जो समन्वय व्यवस्था बनाये।
- छ.ग. राज्य में जीवन बीमा निगम एवं कई गैर बैंकिग संस्थान लोगों की सूक्ष्म बचतों का संग्रहण करते है। इन संस्थानों के संग्रहित कोष का भी उपयोग महिला उद्यमों को साख उपलब्ध कराने में हो, ऐसी सहयोगात्मक नीति शासन द्वारा निर्मित हो।
- छ.ग. राज्य में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में जागरूकता व उद्यमशीलता के अभाव के कारण शासन की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाती अतः उन तक भी ऋण प्रदान करनें वाले ऋणदाता निकाय, एवं आवश्यक सूचनाओं का प्रसार, सरकारी कल्याण मूलक कार्यक्रमों की जानकारी विज्ञापन आदि के माध्यम से प्रत्येक महिला जो स्वरोजगार हेतु प्रयासरत् हो उन तक पहुचें हो एवं स्वरोजगार की महता समझाकर अधिकाधिक संख्या में योजनाओं से जुड़ने हेतु अभिप्रेरित करना।
- महिला उद्यमों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन व्यवस्था के अंर्तगत प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर मेले, प्रदर्शनी हाट आदि के आयोजन द्वारा उनके उत्पादों के विपणन में सुनिश्चितता लाई जानी चाहिये।
- महिला उद्यमियों की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान हेतु महिलाओं के स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की समीक्षा में अनिवार्यतः महिलाओं को सम्मिलित करना एवं स्वरोजगार विकास हेतु बनाये जाने वाले कार्यक्रमों में महिला उद्यमियों के प्रतिनिधियों की राय सम्मिलित करनी चाहिए।
- शासन द्वारा ऐसे संसाधन केंद्रो की स्थापना की जाये जहां स्वरोजगार में संलग्न महिलायें उद्यम संबंधी नवीन सूचनाओं का आदान–प्रदान

एवं विचार–विमर्श कर सकें।

- शासन द्वारा महिला स्वरोजगार विकास हेतु बनाई योजनाओं के प्रमाप से निष्पादन स्तर एवं सफलता का मूल्यांकन निर्धारित लक्ष्य से समय–समय पर किया जाये ताकि योजनाओं का सफल संचालन सुनिश्चित हो।
- उद्यमिता जागृति शिविर के माध्यम से ऐसी महिलाओं का चयन करना जो वास्तव में स्वरोजगार स्थापना में इच्छुक हो एवं उनके आंतरिक कौशल को बढ़ाने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन करना।
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंर्तगत प्रशिक्षण पूर्व महिलाओं के अभि–भावको से शपथ पत्र लेना चाहिये कि भविष्य में स्वरोजगार स्थापना में पारिवारिक सहयोग प्रदान करेगें।
- ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में महिला स्वरोजगार में प्रगति के दृष्टिकोण से महिला स्व सहायता समूहों के निर्माण को प्रोत्साहन व सहायता उपलब्ध कराना।
- मुख्यमंत्री जनदर्शन के तर्ज पर विशेषतः महिला स्वरोजगार संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु महिला उद्यमी जनदर्शन प्रारंभ हो ताकि महिलायें प्रत्यक्षतः अपनी स्वरोजगार संबंधी समस्या शासन तक पहुंचा सकें।
- शासन द्वारा महिला स्वरोजगारियों के अभिप्रेरण हेतु क्षेत्रवार पुरस्कार व्यवस्था हो।
- महिला स्वरोजगार में प्रगति हेतु महिला उद्यमियों के लिये समय–समय पर कार्यशाला, संगोष्ठी का आयोजन एवं निजी संस्थानों द्वारा किये गये इस प्रकार के प्रयासों को शासन द्वारा प्रोत्साहित करना।
- महिला स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु शासन द्वारा ऐसी नीतियां लागू हो जो सहकारी संस्थानों, व्यावसायिक एवं निजी संगठनों, महिला स्वसहायता समूह एवं अन्य संगठनों को आधार प्रदान करें एवं संगठित होकर कार्य करने हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित करनें

वाली सहायक नीतियों का निर्माण हो।

- महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये समरूपता युक्त नीतियां एवं नियमन लागू हो शासन द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखा जाये।
- महिला उद्यम संबंधित महिला वैज्ञानिकों द्वारा किये गये योगदान, नवाचार एवं परिवर्तनों को शासन द्वारा मान्यता एवं प्रोत्साहन प्रदान हो।
- महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता संबंधित कार्यक्रमों को विशेषतः असक्षम, तरूण, प्रौढ़ एवं अल्पसंख्यक महिला संबंधित योजनाओं को मुख्य प्राथमिकता में रखते हुये विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था करना चाहिये।
- महिला स्वरोजगार प्रगति हेतु सभी क्षेत्रों में समानता युक्त, लिंग भेद को समाप्त करते हुये नीतियों को लागू करना।
- E- Busines को प्रोत्साहन देने हेतु महिला उद्यमियों को नई तकनीक व कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण एवं नेटवर्किंग सुविधा से जोड़ने हेतु सहायता प्रदान करना।
- PPP कार्यक्रम के सहयोग से स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर महिला उद्यमियों को संगठित कर संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की जानी चाहिये।
- E-Busines के तर्ज पर ही महिला स्वसहायता समूहो को अल्प दरो पर मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराये जिससे वायर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के भी उपभोक्ताओं को भी सेल्यूलर नेटवर्क से जोड़े ताकि उनके उत्पाद को विपणन E-Commerce के जरिये पूरे देश भर में हो सके।
- योजनाओं के लाभ की पहुंच उन्ही महिलाओं तक हो सके जिन्हे ध्यान में रख कर योजनायें बनाई गई है ताकि शासन अपने महिला स्वरोजगार में प्रगति के लक्ष्य में सफलता दर्शित कर सके इस हेतु शासन के प्रयासों में स्वैच्छिक संगठन अपना सक्रिय सहयोग प्रदान

कर आपसी समन्वय से योजनाओं की सफलता हेतु प्रयासरत हो।

- महिला स्वरोजगार योजनाओं की सफलता हेतु बैंकों को अपना दायित्व सुनिश्चित करना चाहिये कि वे आबंटित लक्ष्यों को समय से पूरा करे साथ ही पात्र हितग्राही को ही योजनाओं का लाभ प्राप्त हो यह सुनिश्चित करें ताकि उत्पादकता वृद्धि व परिसंपति सृजन हो।
- प्रत्येक सरकारी संस्था, सहकारी संस्थान, एवं बैंकों को चाहिये कि वे लेन–देन की लागत कम रखें व योजना का लाभ महिला उन्मुख हो ताकि महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सफल बना सकें।
- शासन द्वारा महिला स्वरोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियमन हेतु सशक्त नियामक कोष्ठ का गठन करे, राज्य स्तर पर एक विकास कमिश्नर व जिला स्तर पर जिला समन्वयक अधिकारी इन कार्यक्रमों का नियमन व गतिविधियों में समन्वय व मूल्यांकन करें।
- महिला स्वरोजगार और महिला साक्षरता का प्रत्यक्ष संबंध है अतः उच्च शिक्षण प्रशिक्षण, शोध अनुसंधान को माध्यम बनाकर शासन अपनी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बना सकता है।
- शासन को महिलाओं की स्वरोजगार सहभागिता हेतु कुछ क्षेत्रों में आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिये जैसे– पुष्प, मत्स्य, डेयरी, वनोपज, रेशम उत्पादन। एवं निर्मित उत्पाद को राष्ट्रीय, अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर विपणन सुविधा एक्पो, हाट आदि के माध्यम से प्रदान करना चाहिये।
- शासन द्वारा कार्यान्वित प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में रोजगार मूलक प्रबंधकीय एवं तकनीकी कौशल आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे– सौर उर्जा, औषधिय पौधों की खेती, फल प्रसंस्करण, जल संरक्षण, बायोगैस, On-line shopping व्यवसाय, को अनिवार्य रूप से शामिल करे।

- ऋण प्रदान करने की सुविधा केवल लक्ष्य आधारित ना हो वरन समय–समय पर उद्यम का निरीक्षण करना कि ऋण का उपयोग सही कार्य एवं सही व्यक्ति द्वारा हो रहा है या नहीं ताकि योजनाओं की सफलता सुनिश्चित हो।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी डिजाइन नीति निर्धारकों के गहन चिंतन पर आधारित हो जो वर्तमान के साथ भविष्य की संभावनाओं को साथ लिये हो क्योंकि महिलायें प्रशिक्षण उपरांत परिस्थितियों, तकनीक, नवाचार, आदि के कारण अपने कौशल की उपयोगिता खत्म कर देते हैं। इस हेतु प्रशिक्षण उपरांत उनके कौशल का पुर्नमूल्यांकन आवश्यक है।
- स्वसहायता समूह महिला स्वरोजगार योजनाओं की आर्थिक, सामाजिक प्रगति का सबसे सहायक उपकरण सिद्ध हुआ है अतः शासन अधिक से अधिक स्व सहायता समूहों की स्थापना में सहायता प्रदान करे। समूह स्थापना हेतु साख, प्रशिक्षण जैसे उपकरणों का बेहतर उपयोग करने की अपेक्षा शासन से है।
- महिला स्वरोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रकृति, पंजीयन प्रक्रिया एवं उनकी उपलब्धता का व्यापक प्रचार–प्रसार हो, जिस हेतु ग्रामीण स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा मार्गदर्शन, रोजगार केंद्रों को निर्देशन, परामर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाये।
- प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं को स्वीकृति पूर्व प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं तत्पश्चात् प्रशिक्षण समाप्ति पर सीखाये गये कौशल का निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है।
- प्रशिक्षण संस्थायें कार्यक्रमों का संचालन रजिस्टर में आंकड़े दर्ज करने तक सीमित ना रखे अपितु समयबद्ध मूल्यांकन व प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है। संस्थानों का वित्तीय स्वीकृति पश्चात् निर्धारित मानको पर सतत् मूल्यांकन एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों एवं संस्थाओं का सतत् निरीक्षण अनिवार्य हो।

महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में शासन के इन

सभी प्रयासों में बाधक तत्वों को उक्त सुझावों को अमल में लाकर कम करने का प्रयास किया जा सकता है। जिस हेतु शासन एवं स्वयं महिला दोनों पक्षकारों से अपेक्षायें है जिससे इन योजनाओं की प्रगति में निरंतरता बनायी जा सकेः

शासन से अपेक्षा

महिला स्वरोजगार में प्रगति एवं सफलता हेतु अच्छी शिक्षा व अवसरों तक महिलाओं की पहुंच की दरकार है, शासन यह सुनिश्चित करें की समस्त नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाओं तक महिला पक्ष की पहुंच हो, स्वरोजगार, ग्रामोद्योग, सूक्ष्म लघु उद्यम संबंधी व्यवस्थाओं में महिलाओं को उचित आरक्षण प्रदान किया जाये।

शासन रोजगारमूलक शिक्षा, कृषि में वैज्ञानिकीकरण खाद्य प्रसंस्करण, कारीगरी आधारित लघु सूक्ष्म ग्रामोद्योग में एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर तक उत्पादों के पहुच हेतु E-Commerce आदि पर आधारित प्रशिक्षण सेवाओं में निवेश बढ़ाये। शासन की योजनायें केवल कागजों व प्रचार प्रसार के पोस्टर मात्र तक सीमित ना रहे वरन् अभिप्रेरक हो जो महिलाओं में स्वरोजगार हेतु ऊर्जा भर दे। महिलाओं के लिये ऐसे ज्ञान व प्रशिक्षण को प्राथमिकता में रखना होगा जो उन्हें स्थानीय संसाधन आधारित कला एवं विपणन का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करनें योग्य बनाये। अंत में शासन से अपेक्षारत है कि उनकी नीतियों में महिला उद्यमियों हेतु परामर्शदायी सेवायें, नवाचार एवं उद्यमीय संस्कृति से ओतप्रोत योजना, सामाजिक विकास पर आधारित उद्यमिता, प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण, वित्त बाजारों तक पहुंच आदि में महिला पक्ष को उच्च प्राथमिकता स्तर पर रखें।

केंद्र एवं राज्य दोनों ही स्तर पर डिजिटल इंडिया के 9 आधारभूत स्तंभ एवं भारत निर्माण जैसी योजनायें निश्चित तौर पर महिला उद्यमिता विकास की भी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी, अभी वर्तमान में शासन की समस्त प्रक्रिया लागू होने में समय है परंतु यह निश्चित तौर पर महिला स्वरोजगार की प्रगति एवं विकास का श्रेष्ठ विकल्प होगा।

महिला पक्ष से अपेक्षा

महिलायें सृजनशील होती है और उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध भी की है जैसे बैंकिग क्षेत्र में ICICI बैंक की उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक ललिता गुप्ते, 2002 में Woman of the year पुरस्कृत, NABARD चेयरमैन रंजना कुमार (बैंकिग क्षेत्र की लौह स्त्री), Corporate secter में थरमेक्स ग्रुप की चेयरपरसन अन्नू आगा, विद्या छाबड़िया Jawbo group की 28 company चेयरपर्सन, जाबांज महिला पुलिस किरण बेदी, दूर्वा बेनर्जी 1st Commercial महिला पायलट, वस्त्र उद्योग में रितु कुमार, पेंटर रितु ढिल्लों, वैज्ञानिक कुमुद काले, सौंदर्य की दुनिया में शहनाज हुसैन, प्रसिद्ध लेखिका आरूंधति राय, गायन में आशा भोसले, कुकिंग में तरला दलाल, अमृता प्रीतम, समाज कल्याण ब्ज्ञ गरियाली, शांता शीला नायर ग्रामीण विकास, छ.ग. के राजनांदगांव की 7200 से अधि ाक स्वसहायता समूह निर्माता फूलवासन यादव, शहड़ोल जिले के माटादांड क सरपंच कौशल्या बाई (समाज सेविका), ज्योति नायक अध्यक्ष महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, ऐसे जाने कितनी महिलायें जो अपने–अपने क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है यह दर्शित कर रही है कि उनमें मौजूद प्रवृति एवं कौशल को अनुकुल पथ पर गतिमान किया जाये तो ना केवल स्वयं स्वावलंबी होगीं वरन् अन्य के लिये भी प्रेरणास्रोत की भूमिका निभायेंगी। महिला स्वरोजगार हेतु तीन अहम् प्रमाप आत्मविश्वास, स्वावलंबन एवं संकल्प है, स्वयं की आंतरिक शक्ति एवं स्वाभाविक कौशल जैसे गुणों की पहचान करें स्वयं पर विश्वास रखते हुये अपनी प्राथमिकतायें एवं मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लायें, सपने देखे और अपनें अंदर स्वरोजगार विकास की सफलता हेतु अनिवार्य गुणों जैसे प्रयासों में निरंतर प्रयत्नरत् नित नई सूचनाओं हेतु जागरूकता एवं संकलन, जोखिम वहन करनें की प्रवृति, वातावरण विश्लेषण नई उपलब्धियों के प्रति सजगता, चुनौतियों का अवसरों में परिवर्तन की क्षमता को आत्मसात करें तो निश्चिततः स्वरोजगार की नई संभावनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी तथा शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दर्शित करेगी।

7.4 संभावनायें

महिला स्वरोजगार के विकास की संभावनायें

महिलाओं ने परंपरागत कार्यों को उनके सरल व सुविधाजनक गुणों के कारण स्वरोजगार का आधार बनाया था जैसे– कृषि, हस्तशिल्प, पापड़– अचार, सिलाई आदि। तत्पश्चात् रेशम उद्योग, खिलौने, टोकरी झाड़ू जैसे अल्प पूंजी एवं योग्यता आधारित उद्यमों का चुनाव किया। वर्तमान में तकनीकि क्रांति, व वैश्वीकरण के इस युग में महिला स्वरोजगार के स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन हुआ जैसे कृषि में उत्पादन की नई तकनीक जैविक खेती, सिलाई में फैशन डिजाइनिंग, पशुपालन में डेयरी, रेशम उद्योग, ई Business में On-line shopping नें उद्यम को नवीन आयाम प्रदान किया। आधुनिक परिवेश में तकनीकि आधारित उद्यमों ने उद्यमशीलता में परिवर्तन किया वहीं महिला स्वरोजगार के क्षेत्र में भी सफलता की अपार संभावनाओं ने प्रवेश लिया है, महिलायें आज नवाचार द्वारा पुरानें उद्यमो में भी नवीन अद्यतन संभावनायें ढूंढ रहीं है। परंपरागत उत्पाद भी नवीन आयाम प्रदान कर अपने उद्यम को नवीनता प्रदान कर रही हैं। जिससे परंपरागत उद्यम के क्षेत्रों में भी नवीन स्वरूप प्रदान कर उत्पादों में भी भिन्नता लाकर स्वरोजगार के अनेक नवीन विकल्प दर्शित हो रहे हैं। शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित सभी श्रेणी की महिलाओं के लिये इन नवीन संभावनाओं नें स्वरोजगार सफलता के अनेक रास्ते खोल कर रख दिये है, अपनी–अपनी क्षमता, पूंजी उपलब्ध संसाधन एवं प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये महिलायें किसी भी संभावनाओं में आगे बढ़कर अपने उद्यम में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। प्रस्तुत है महिला स्वरोजगार के परंपरागत उद्यम के वर्तमान की प्रौद्योगिकी आधारित संभावनायें :–

ई कार्मस के क्षेत्र में

E- Commerce द्वारा शिक्षित महिलायें BZC (Business to Costomer) की सहायता से घर बैठे पूरे विश्वभर में अपना स्वरोजगार संचालित कर रही हैं, इसमें अल्प समय एवं लागत व पारिवारिक जवाबदारीं वहन करते

हुये आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही है।

छ.ग. में भी On-line selling के माध्यम से साड़ी ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपयोग के सामान, इलेक्ट्रानिक्स से लेकर प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों के साथ किया जा रहा है। इथोपिया में इंटरनेट गिट शॉप स्थापित किये गये है, टापसापेरू में महिलायें ''कनफेक्शनरी'' इंटरनेट के माध्यम से स्वरोजगार कर रही है।

आजकल तो महिलायें अपने द्वारा निर्मित घरेलू मसाले का विक्रय, टिफिन सेवा, फूड सर्विस जैसे कार्य भी निर्धारित दुकान ना खोलकर ई–कामर्स के जरिये सम्पन्न कर देश को विदेशी विनिमय प्रदान कर रही है। कम्प्यूटर के ज्ञान पर आधारित ई–कार्मस के जरिये महिलों आज उद्यम के क्षेत्र में नवीन आयाम रच रही है एवं आज भी इस क्षेत्र में अपार संभावनायें है।

फैशन डिजाईनिंग के क्षेत्र में

महिलायें में नवाचार व कल्पनाशक्ति जैसे गुण मौजूद होते है जिनका लाभ उठाते हुये फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में स्वरोजगार विकास किया जा सकता है इसमें अनेक विकल्प है जैसे फैशन डिजाइनिंग टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फेब्रिक डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग आदि अपनी सृजनशीलता के अनुसार इनमें से किसी को भी विकल्प बनाकर अपनी बहुमुखी कला को और निखारा जा सकता है।

आधुनिकता के युग में आज फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपार संभावनायें हैं। फैशन के प्रति लोगो की जागरूकता ने ना केवल इस क्षेत्र में बाजार वरन् रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। आवश्यकता है केवल कल्पनाशक्ति सृजनता, नवाचार तथा कम्प्यूटर ज्ञान की नवीनता जो इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता है उसे बढ़ाये। लोगो की रूचि व फैशन के अनुसार नित नवीनता लिये वस्त्रों का निर्माण अल्प लागत में अच्छी आमदनी का जरिया है। इस क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की राहें खुली है, ना केवल स्वयं वरन् अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर Production centre and Export House खोलकर रोजगार प्रदान कर स्वावलंबी

बनाया जा सकता है।

फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर वरन् अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर भी विपणन का आधार प्रदान करता है इसके अलावा E-commerce, On-line shopping में भी फैशन ट्रेंड के वस्त्रों का चलन बहुतायत हैं इस क्षेत्र में लीना टिपनिस, भैरवी जयकिशन, अनीता डोंगरे, शोभा सोमानी, रितु कुमार जैसे सफल डिजाइनर्स नें यह प्रमाणित कर दिया है कि यह क्षेत्र भी महिलाओं के लिये अनेक अवसर लिये उनके उज्जवल भविष्य की राहें आसान कर रहा है।

कृषि के क्षेत्र में

छ.ग. जैसे विकासशील देश में अधिकांश उद्योग कृषि पर आधारित है, छ.ग. राज्य के सकल घरेलू आय में भी कृषि का योगदान रहा है। परंपरागत उद्योगों के रूप में महिलायें प्राचीनकाल से ही कृषि संबंधी क्रियाओं में संलग्न रही है। इस क्षेत्र में नयी राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में किये परिवर्तनों ने भी कृषि स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के हितों को लक्षित रखा। NABARD (नाबार्ड) नें भी गैर शासकीय संगठनों के माध्यम से स्वसहायता समूह की महिलाओं हेतु इस क्षेत्र में काफी विकास कार्यक्रम किये। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विकास केंद्र, (DANIDA), डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंट आदि कई सरकारी एवं गैर सरकारी केन्द्रों के माध्यम से कृषक महिलायें जो कृषि को स्वरोजगार का आधार बनाती है उनके विकास एवं सहायता हेतु कार्यरत् भी है।

नवीन तकनीक के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्नत कृषि से आय उर्पाजन का बेहतर जरिया बनाया जा सकता है। फल सब्जिया, नर्सरी पौधे, फलो की खेती, मशरूम कृषि, वानिकी आदि की आधुनिक तकनीक के माध्यम से ग्रामीण कृषक महिलाओं को पर्याप्त व बेहतर अवसर भविष्य में उपलब्ध है।

"Tool's Implements for Drudgery, Reduction of farm women workers" थीम के अंर्तगत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि

मित्रवत् यंत्र जो कृषि कार्यो को सुगमता से करने में उपयोगी सिद्ध है उनकी प्रर्दशनी 6 नवं 2010 को मुंबई में ''एग्री प्रर्दशन'' में माननीय श्री बराक ओबामा के मुख्य आतिथ्य में किया गया, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का विकास कृषि कार्यो में महिलाओं की सहायता हेतु ही किया गया है। इसी दिशा में कृषि व सहकारिता विभाग द्वारा Under Budeycting cell (GBC) का गठन एवं IIPR (Indian Institute of pulse Research, ICAR dY;kuiqj (UP) Agro Industry विकास हेतु विशिष्ट उपकरण का विकास किया गया जिनके उपयोग से महिलायें मटर, चना, अरहर, मसूर आदि का मूल्यवर्द्धन कर लाभ प्राप्त कर सकती है। वही ICAR नई दिल्ली द्वारा National Research Center for Women पद Agriculture भुवनेश्वर (उडीसा) द्वारा भी कई उल्लेखनीय कार्य इस दिशा में किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन में भी महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत बजट आंवटन व्यवस्था रखी है।

आकाशवाणी का कृषि एवं गृह एकांश कार्यक्रम जो समय एवं श्रम की बचत करते हुये कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी जनता तक पहुचाते हैं, इससे लोगों के सोच में परिवर्तन आया इसके अतिरिक्त पश्चिमी उ.प्र. के बागपत जिले की उषा तोमर ने महिला स्वसहायता समूह के निर्माण द्वारा कृषि प्रसार विद्यालय की स्थापना की है तो कृषि संबंधी नित नई सूचनायें महिलाओं को देते है वैज्ञानिक कृषि, खाद्य परिरक्षण नई तकनीक से कम लागत में अधिक आमदनी की मिसाल खड़ी की तथा समूह के सदस्यों ने ग्रामीण महिलाओं को संचार के साधनों से जोड़कर प्रेरणा स्रोत बनी हैं।

वर्तमान में हमारे देश में (503) कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत् है जिनके द्वारा कृषक महिलाओं हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन होता है वर्ष 2006–07 में 23976 महिलाओं एवं 64394 ग्रामीण लड़कियों को बागवानी, कृषि को उन्नत वैज्ञानिक तकनीक संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त भारती कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के प्रतिनिधित्व में उड़ीसा में भी एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कार्यरत् है।

उक्त सभी शासकीय प्रयास इन तथ्यों को दर्शित करते हैं कि कृषि

क्षेत्र अब केवल खेती, अनाज उत्पादन तक ही सीमित नहीं वरन् उनमें अनेक संभावनायें है एवं महिलाओं की भागीदारी कृषि क्रियाओं में बढ़ाने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं एवं बजट में भी आबंटन व्यवस्था लागू कर महिला उद्यमियों हेतु आधुनिक कृषि के अवसर गढ़े जा रहे हैं।

कृषि, जैसे अति परंपरागत क्षेत्र को भी प्रौद्योगिक के इस युग में अनेक संभावनाओं से युक्त क्षेत्र बना दिया गया है एवं शासन ने भी इस दिशा में कई लाभदायी कल्याणकारी नीतियाँ बनाकर निःसंदेह यह सिद्ध कर दिया कि महिलाओं के स्वरोजगार हेतु यह क्षेत्र भी अछूता नहीं। आवश्यकता है महिलाओं को स्वयं आगे बढ़कर, रूचि लेकर अपने कल्याण हेतु इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का विदोहन करे।

लघु एवं कुटीर उद्योग के क्षेत्र में

कृषि के पश्चात् दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो महिलाओं को इस दिशा में सुअवसर प्रदान करता है। भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग के क्षेत्र में महिला इकाईयों की कुल संख्या 1063721 व महिलाओं द्वारा संचालित 995142 है (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 योजना आयोग खंड–2 पृ. क्र. 299) केरल एक ऐसा राज्य है जहां 139225 महिला उद्यम इकाई है जो सबसे अधिक है, क्योंकि शिक्षा का प्रतिशत सबसे अधिक केरल में ही है। अतः यदि छ.ग. राज्य में महिला साक्षरता में वृद्धि हो तो इस क्षेत्र में अधिकाधिक संख्या में पदापर्ण हो सकता है।

लघु उद्योग के निम्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की संभावनायें है रसायन उद्योग, चमड़ा, इंजीनियरिंग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, हाथकरघा, हस्तशिल्प कपड़ा छपाई रेशे पर आधारित, मोम उद्योग आदि सम्मिलित है। आंध्र प्रदेश में छोटे–छोटे कुटीर उद्योग में कार्यरत् लगभग 300000 SHG क्रियाशील है एवं ये संगठन 600 करोड़ वार्षिक अर्जन कर रही तथा 400 से अधिक अलग–अलग उत्पाद बना रही है।

यह क्षेत्र ना केवल स्वरोजगार के दृष्टिकोण से उपयोगी है वरन् अन्य लागों को भी रोजगार देने में सक्षम है। महिला उद्यमियों द्वारा संचालित इन लघु उद्यमों में 17 लाख 80 हजार से भी अधिक लोगों को

रोजगार उपलब्ध है जो उपलब्ध रोजगार का 7.14 प्रतिशत है।

शासन यदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, प्रबंधकीय एवं तकनीकि आध ाारित शिक्षा को सहज रूप में महिलाओं तक पहुचाने की सुविधा प्रदान करें तो छ.ग. में भी इस क्षेत्र में महिलाओं हेतु अनेक संभावनायें आज भी उपलब्ध है।

उद्यमिता विकास केंद्र, जिला उद्योग केंद्र, कई बैंकों के साथ मिलकर महिलाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग से जोड़ने की दिशा में कार्यरत् है जो महिलाओं को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना, उद्योगो का पंजीयन, चयन, वित्त सुविधा, प्रशिक्षण आदि क्रियाओं में सहायता प्रदान करते है।

पर्यटन के क्षेत्र में

सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता वाले छ.ग. राज्य में पर्यटन का क्षेत्र बिना किसी उत्पादन के स्वरोजगार प्रदायक क्षेत्र है। शासन यदि पर्यटन के क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा, संचार सौंदर्यीकरण सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधायें मुहैया करायें तथा इन क्षेत्रों में देश की कला संस्कृति, प्राकृतिक स्थल पर मनोरंजन के अवसर जैसे मेले, हाट–बाजार, उत्सव आदि बहुतायत मात्रा में प्रारंभ करे तो इन क्षेत्रों में महिलायें अपने उत्पाद की विपणन व्यवस्था, मार्गदशक कार्य होटल व्यवसाय मनोरंजन आदि के माध्यम से पर्यटन में भी स्वरोजगार स्थापित कर सकती है, चूँकि पर्यटन स्थल हमारे देश की धरोहर होती है तथा यदि उनका प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा हो तो ना केवल हमारे लिये गर्व का विषय है अपितु इन क्षेत्रों का प्रचार एवं विकास भी संभव है।

हमारे देश की कलाकृतियों, परंपराओं का अंर्तराष्ट्रीय स्तर तक महत्व है तथा यदि इन स्थानों पर महिलायें कलाकृतियों व अन्य उत्पादों का विपणन करें तो ना केवल हमारे देश की वस्तुयें देश–विदेश में पहुंचेगी वरन हमारी संस्कृति से भी वे रूबरू होगें।

राष्ट्रीय, अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र पर्यटन की संभावनाओं के

विकास हेतु शासन को चाहिये कि विपणन की प्रभावी कार्ययोजना व बुनियादी सुविधायें व्यवस्थित करे छ.ग. राज्य में 2012 के आंकड़ो के अनुसार 15036530 घरेलू एवं 4172 विदेशी पर्यटक आते है, तथा 2013 के अनुसार 22801031 घरेलू एवं 3886 विदेशी पर्यटक का आवागमन रहता है जो घरेलू पर्यटकों में 51.64 प्रतिशत विकास दर को प्रदर्शित करता है। (स्रोत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार पर्यटन आंकड़े 2013) जो स्पष्ट करता है कि छ.ग. पर्यटन के दृष्टिकोण से संभावनाओं और प्राकृतिक खुबसुरती से भरपूर है। पर्यटन के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग कर ऊर्जावन उद्यमीयों के लिये एक खुला आकाश उपलब्ध है क्योंकि इनमें घरेलू एवं कैटरिंग, ट्रेवल ऐजेंसी मनोरंजन, हस्तशिल्प एवं कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन एवं विपणन द्वारा आदि स्वरोजगार की अपार संभावनायें उपलब्ध है। इस हेतु शासन नें हुनर से रोजगार कार्यक्रम 2010 में हाऊस कीपिंग, बेकरी डाइविंग, खाद्य उत्पादन आदि से संबंधित 9000 लोगो को प्रशिक्षण केंद्र शासन द्वारा प्रदान किया गया। पर्यटकों को प्रदायित विविध सेवाओं के दृष्टिकोण से महिलाओं के लिये इस क्षेत्र में उद्यमिता व स्वरोजगार के नये आयाम उपलब्ध है। जिस तरह दुनिया ग्लोबल हो रही वहां शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय के ऐसे कारक बनेगें जो पर्यटन के क्षेत्र में अनेक अनछुई संभावनाओ को दर्शित करेगा।

रेशम उद्योग के क्षेत्र में

''रेशम उद्योग'' कुटीर उद्योग के रूप में महिला स्वरोजगार हेतु एक सकारात्मक विकल्प है। रेशम से संबंधित उद्योगों में रेशम कीटपालन, रेशम धागाकरण, रेशम बीजोत्पादन रेशम साड़ी निर्माण, रेशम कालीन दरी निर्माण, आदि विकल्प मौजूद है। भारत के 50000 गांवों में लगभग 6000000 से अधिक महिलायें रेशम उद्योग के माध्यम से जीविकोपार्जन कर रही है। पहाड़ी व ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों के अभाव, संचार व आवागमन के विकल्प के अभावों के कारण रेशम उद्योग एक प्रभावी स्वरोजगार का माध्यम है।

रेशमी कलीन दरी, गलीचे निर्माण, एवं महिलायें

घरेलू उपयोग की दरी, गलीचे, पूजा पाठ के उपयोग के रेशमी आसन निर्माण विशेषतः मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिये रोजगार का अच्छा विकल्प है। काश्मीर, वाराणसी क्षेत्रों में हजारों संख्या में महिलायें रेशमी धागों से निर्मित मनमोहक डिजाइनों में उक्त वस्तुयें बनानें में संलग्न है।

रेशम बीजोत्पादन एवं महिलायें

शासकीय आंकड़ों अनुसार रेशम बीजोत्पादन में 70–80 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। शासन से तकनीकि अनुबंध से रेशम बीजोपादन का कार्य गैर शासकीय संगठनों द्वारा होता है जिनमें कार्यरत् श्रमिकों से वैज्ञानिक स्तर तक महिला पक्ष ही कार्यशील है महिला स्वसहायता समूह भी इस क्षेत्र में सक्रिय रूप क्रियाशील है।

रेशम धागाकरण एवं महिलायें

रेशम कोकन के 80 प्रतिशत कोशाओं का उपयोग धागाकरण में होता है। जो ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार का साधन है। रेशम कोशाओं को उबालकर सुखाकर 3–4 माह के अंदर अपनी सुविधानुसार धागे में बदला जा सकता है। कर्नाटक, उत्तराखंड में महिलायें चरखे/तकली पर धागा बनाकर स्वरोजगार में संलग्न है।

रेशमी साड़ी निर्माण एवं महिलायें

रेशम साड़ी, एवं उनमें जरी का कार्य कर बाजारों को सजाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। तथा यह उनके पूर्णकालीन स्वरोजगार का माध्यम भी है। सूरत, गुजरात, असम, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में रेशमी धागों से साड़ी का निर्माण कार्य महिला पक्ष द्वारा ही संपूर्ण किया जाता है, एवं राष्ट्रीय अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर विपणन कार्य भी इन उत्पादों के कारण संभव हो रहा है।

छ.ग. प्रदेश के विभिन्न जिलों में 768 रीलिंग व 231 स्पानिंग मशीन संचालित है एवं योजना अंर्तगत 52 महिला स्वसहायता समूहों की 1058

महिलाओं द्वारा धागाकरण कार्य संपादित किया जा रहा है।

2012–13 में 387.183 मि.टन एवं दिस. 2013 तक 309.835 मि. टन रा स्पन सिल्क का उत्पादन किया गया।

विगत वर्षो में रॉ–सिल्क उत्पादन का विवरण

क्रं.	विवरण	इकाई	07–08	08–09	09–10	10–11	11–12	12–13	13–14
1.	टसर रा सिल्क एवं धागाकरण	के.ग्रा.	126298	146265	160334	167919	298608	387183	309835
		13–14 309835							

(स्रोतः 2012, 13 economic servere)

छ.ग. के जांजगीर–चांपा कोरबा, रायगढ़, एवं झारखंड, उ.प्र. में रेशमी धागों संबंधी उद्यमों में महिलायें घर बैठे धागा उत्पादन कार्य कर रही हैं। सहकारिता आधारित अमृत टसर धागाकरण सहकारी समिति के नाम से महिलाओं को सहकारी समिति के रूप में संगठित कर कोरिया जिले में शासन द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनानें की दिशा में समिति का पंजीयन किया गया है। ये रेशमी धागे अमृत धारा टसर सिल्क के ब्रांड नेम से बाजार में विक्रय होगा। इसके अतिरिक्त बैंकुठपुर मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में टसर धागाकरण इकाई हेतु एकीकृत परियोजना (IAP) के तहत् विगत् 2013 में 65 लाख रू. की लागत में धागाकरण इकाईयों की स्थापना (5) कोसा केंद्रों में की गई। यह इकाई ग्रामीण क्षेत्रों की महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण भी मुहैया करा रही है। महिलायें पूर्व में कोसा ककून एकत्रित कर कम मूल्यों पर उसका विक्रय करती थी परंतु प्रशिक्षण उपरांत स्वयं रेशम धागा तैयार कर आय स्तर में वृद्धि कर रहीं है। इन परियोजनाओं द्वारा शासन में ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी की राह रेशमी धागों के समान मूलायम कर दी है।

शासन के इन प्रयत्नों व महिलाओं के उत्साह को देखते हुये रेशम उद्योगों में भविष्य की संभावनायें दर्शित हो रही है जो महिलाओं को ना स्वयं स्वावलंबी बनायेगी वरन समाज में अन्य महिलाओं हेतु भी मिसाल के रूप में दिखेंगी।

वनोपज एवं खनन के क्षेत्र में

वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि, परिवहन का विस्तार, कारखानों का निर्माण आदि नें वनों की संख्या कम कर दी है, परंतु वनों के विकास पर ध्यान केंद्रित की जाये, वनों का विस्तार एवं संरक्षण किया जाये तो वनोपज संबंधी उत्पादों के विपणन द्वारा भी स्वरोजगार की संभावनायें है। बस्तर जैसे वनोच्छादित, क्षेत्रों में वनोपज प्रसंस्करण जैसी संभावनाओं के चलते शासन ने प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधी सुविधायें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई है। छ.ग. शासन नें कृषि विभाग की सहायता से आत्मा परियोजना (एक्सटेंशन रिफार्म्स) का संचालन किया जिसके माध्यम से वनवासियों एवं कृषकों को समूहों में गठित कर प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें नयी तकनीक से नये–नये उत्पाद तैयार करने प्रोत्साहित किया एवं उनके विपेणन की जिम्मेदारी भी शासन द्वारा उठाई गई। परियोजना नें कांकेर जिले में उल्लेखनीय कार्य किया है विभिन्न नस्ल के पौधों की पत्ती से लेकर फूल एवं बीज प्रसंस्करण पर केन्द्रित कृषक प्रशिक्षण के सफल आयोजनों नें इस अंचल के ग्रामीणों को स्वरोजगार का आधार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त वनों से प्रकृति प्रदत्त इन अंचलों में महिलाओं के लिये लघु वनोपजों में तेंदू प्रसंस्करण उससे मिठाई निर्माण, सीताफल एवं जामुन से आइसक्रिम, जीर्रा फूल से अचार आदि का निर्माण कृषि वैज्ञानिकों नें अनेक विकल्प तैयार किये है इससे संबंधित उद्यम का संचालन महिलाओं द्वारा कर स्वरोजगार की प्रबल संभावना तलाशी जा सकती है। प्राप्त लकड़ी, पत्ते, उनसे निर्मित दवाई गोंद आदि के उत्पाद एवं विपणन उस क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने में सहायक है।

खनिज पदार्थों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों के पत्थर, ईंट का गारा, चुना कोयला आदि खनिज पदार्थों द्वारा खनन के क्षेत्र में भी स्वरोजगार के अनेक विकल्प है छ.ग. के राजीम बासीन क्षेत्र में अधिकांश महिलायें शासन की योजनाओं से लाभान्वित होकर अनेक खनन आधारित उद्यमों का संचालन कर रही है।

छ.ग. के वनोपज globlization के इस युग में स्वाद एवं सेहत से भरपूर है एवं वे उत्पाद राष्ट्रीय ही नहीं वरन् अंर्तराष्ट्रीय बाजार में भी इन अंचलो को नई पहचान प्रदान करेगा।

बांस कुटीर उद्योग के क्षेत्र में

वन संपदा युक्त क्षेत्रों में बांस उत्पादन, बांस शिल्प एवं उससे बने अन्य उत्पादो कलाकृतियाँ, सजावटी सामग्री निर्माण के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं हेतु स्वरोजगार के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। राज्य शासन द्वारा 2006–07 से बांस मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें बांस प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना भी की गई है एवं इस हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है।

शासन द्वारा बांस कुटीर उद्यम से महिलाओं को जोड़ने हेतु इस प्रकार की महिला हितार्थ विशेष योजनाओं का संचालन किया गया, यही नहीं उनके द्वारा निर्मित सजावटी कलाकृतियों एवं उत्पादों का विपणन मेले, प्रर्दशनियों के माध्यम से करने की जवाबदेही भी शासन द्वारा ली गई

ग्रामीण महिलायें इस प्रकार के प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाकर उत्पादों का विक्रय शहरी क्षेत्रों से जुड़कर कर सकती है। महिलायें अपने सृजनशीलता जैसे गुणों का लाभ उठाकर इस क्षेत्र में भी अपने स्वरोजगार की संभावनायें तलाश सकती है।

परंपरागत सेवा उद्यम के क्षेत्र में

विनिर्माण क्षेत्र की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार में अल्प जोखिम एवं सुरक्षा है। जैसे– सिलाई कार्य, फोटो कॉपी, फोटोग्राफी, झुलाघर, ब्यूटी पार्लर क्षेत्रों में भी स्वरोजगार की अपार संभावनायें है, जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन वन, खनन, कृषि जैसी संभावना ना हो वहां की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर जनता की रूचि, आवश्यकतानुसार सेवा उद्यम संचालन किया जा सकता है। सेवा संबंधी कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण अनिवार्य है, एवं निश्चिततः शासन द्वारा अनेक शिक्षण प्रशिक्षण वर्तमान आवश्यकता अनुसार तकनीकी स्तर को ध्यान में रखते हुये समय–समय

पर प्रदान की जाती है, अतः शहरी क्षेत्र की महिलायें स्वयं जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ उठाते हुये परंपरागत सेवा क्षेत्र में भी स्वरोजगार की इन अपार संभावनाओं का विदोहन कर सकती है।

पशुपालन एवं डेयरी उद्योग के क्षेत्र में

कृषि क्रिया में पशु सहायक माने जाते हैं। आज के युग में भी कृषि एवं पशुपालन संबंधी उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्वरोजगार का जरिया है। पशुओं के गोबर से बनें कंडे ईंधन के रूप में उपयोगी होते है, उससे रसोई गैस व उत्तम खाद बनाये जा सकते है। पशुओं के चर्म, अस्थि, ऊन एवं सींग आदि से बने उत्पादों का उपयोग ग्रामोद्योग में होता है ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें सहकारी समिति बनाकर पशुपालन क्रिया कर ग्रामोद्योग को स्वरोजगार का आधार बना सकती है।

गाय, भैंस, बकरी पालन कर उनके दुध, घी, दही मक्खन से डेयरी उद्योग संचालित की जा सकती है। ग्रामीण महिलाओं हेतु शासन नें पूर्व में महिला डेयरी परियोजना की शुरूआत की इसके अंर्तगत महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया जिसमें महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की, भारत सरकार नें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सर्मथन, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार कार्यक्रम द्वारा 2004 में 9000 महिला दुग्ध समितियों की 3.6 लाख महिला सदस्यों को लाभान्वित किया।

इस प्रकार विज्ञान एवं तकनीकी के इस युग में भी ग्रामीण अंचल की महिलायें पशुपालन एवं उससे संबंधित डेयरी उद्यम में भी स्वयं एवं शासन की इन योजनाओं से लाभ उठाकर स्वावलंबी बन सकती है।

स्वसहायता समूह के रूप में संगठित होकर

महिलायें यदि संगठित होकर उद्यम प्रारंभ करे तो सफलता की संभावनायें अधिक होगी, क्योंकि समूह के माध्यम से महिलायें आपस में मिलजुल एक–दूसरे की सहायता एवं समस्याओं का समाधान समूह – भावना से करती है।

स्वसहायता समूह कई प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योग के अलावा शासकीय योजनांतगर्त रेडी टू ईट, मध्यान भोजन निर्माण, पूरक पोषण आहार, राशन दुकानों का संचालन गणवेश सिलाई जैसे कार्य में संगठित होकर आत्मनिर्भर बन रही है।

राजस्थान में ''सखी'' स्वसहायता समूह की महिलायें कृषि उत्थान, मल्टी क्रॉपिंग, पशुपालन, मुर्गीपालन सिलाई–कढ़ाई, जैसे कार्यो में लगी है। वही तमिलनाडू के कोयम्बतूर में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की कई जिसमें 200 महिलाओं को बेकिंग, फूड प्रिजर्वेशन, प्राकृतिक उर्वरक सस्ते सैनिटरी नैपकिंस, जैम, अचार संबंधी प्रशिक्षण भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकि विभाग द्वारा दी गई। छ.ग. के बालोद जिले में अरमरीकला के धनलक्ष्मी स्वसहायता समूह की महिलायें 2010 से लगातार मध्यान्ह भोजन वितरण कार्य में संलग्नहै। बस्तर जिले के टोकपाल ग्राम में वसुंधरा स्वसहायता समूह रेडी टू ईट फूड निर्माण में संलग्न है, राजनांदगांव की फूल बासन नें 7200 स्वसहायता समूह का निर्माण कर मिसाल कायम की, कांकेर में संतोषी स्वसहायता समूह की महिलायें 40 आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड निर्माण कार्य में लगी है। इसके अलावा स्वयं सिंद्धा योजना, स्वशक्ति परियोजना, स्वावलंबन, स्वाधारा, इंदिरा महिला कोष, महिला सश्रम, जैसी योजना महिला स्वसहायता समूहों के विकास हेतु कार्यक्रम संचालित कर रही है, नाबार्ड ने भी इस दिशा में काफी उल्लेखनीय कार्य किये। महिलायें स्वसहायता समूह से जुड़कर कई प्रकार के उद्यमों का संचालन कर रही हैं।

स्पष्ट है कि महिला स्वयं एक, शक्ति है तथा राज्य का संभाव्य भविष्य भी यदि वे चाहें तो स्वयं सपने देखकर आगे आयें अपनें साहस, क्रियाशीलता, नवसृजनकर्ता जैसे गुणों को विदोहित कर अपनी योग्यता का सही उपयोग करें तो आत्मनिर्भर बननें की दिशा में स्वरोजगार के अनेकों विकल्प सामने मौजूद है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं हेतु कृषि, पशुपालन, डेयरी, शहरी क्षेत्र के लिये सेवादाता, फैशनडिजाइनिंग, पर्यटन, ई कॉमर्स तो वहीं प्राकृतिक संसाधनों से युक्त क्षेत्रों की महिलाओं हेतु

वनोपज, रेशम उद्योग, बांस उद्योग, आदि क्षेत्रों में, इसके अतिरिक्त स्वसहायता समूह के रूप में गठित होकर अनेको प्रकार के स्वरोजगार का संचालन कर सकती है।

शासन नें भी महिला स्वरोजगार हेतु बैंकों एवं अशासकीय संस्थानों के सहयोग से इतनी योजनायें क्रियान्वित एवं संचालित की है और भविष्य में इस दिशा में और कार्य करेगी इसकी संभावना है तो महिलाओं को भी स्वयं जागरूक होकर अपने अंदर छिपी उद्यमशीलता एवं शासन से प्राप्त सहायता दोनों में उचित समन्वय करें तो स्वरोजगार विकास के क्षेत्र में अनेको विकल्प मौजूद है जिनमें किसी का भी चयन वे अपने पास उपलब्ध पूंजी, योग्यता, जोखिम स्तर, अवसर, रूचि, स्थानीय मांग के आधार पर कर सकती है।

शासन ने केंद्र एवं राज्य दोनों ही स्तर पर स्वरोजगार संबंधी विकल्पों को और अधिक मजबूती प्रदान की हैं एवं प्रगतिशील भी बनाया है, प्रत्येक क्षेत्र में इतनी सुविधायें, इतनी योजनायें मुहैया करा दी है कि तकनीकी एवं वैज्ञानिकता आधारित इस युग में कोई भी स्वरोजगार विकल्प का चयन करे सफलता जरूर प्राप्त होगी।

महिलायें हमारे राष्ट्र को आर्थिक सामाजिक विकास की अनिवार्य कड़ी है और जब वे स्वरोजगार के रूप में स्वयं आर्थिक रूप से मजबूत होगीं तो निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होगा। आज छ.ग. अनेक संभावनाओं से युक्त प्रदेश है और वहां महिला स्वरोजगार के भी अनेक विकल्प है आवश्यकता है केवल सही दिशा की जिस पर चलकर महिलाये सफलता के नवीन आयाम लिखेगीं। समूह आधारित भावना पर कार्य कर ना केवल स्वरोजगार संचालन वरन् सामाजिक विकास की दिशा में भी कार्य कर सकती है।

7.5 शोध कार्य से मिलने वाले अपेक्षित निर्गम

स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं में अशिक्षा, जागरूकता में कमी, स्व निर्णय का अभाव, स्वरोजगार कर जोखिम वहन

कर आर्थिक रूप से सशक्त होने की प्रबल भावना का अभाव आज भी है। शहरी क्षेत्रों की महिलाओं ने तो अपनें में इस वर्तमान प्रौद्योगिक आधारित तत्वों को बहुत हद तक आत्मसात कर भी लिया है, परंतु ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं में आज भी अपनें मनोविज्ञान को लेकर अल्पतः सुधार ही दर्शित होता है।

वर्तमान में स्वयं शासन जागरूक होकर महिला स्वरोजगार की दिशा में अनेकों उल्लेखनीय कार्य कर रही है परंतु शासन द्वारा निर्मित योजना को लागू करनें में शासन के अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठन एवं स्वयं लाभान्वित होने वाले महिला हितग्राहीयों के भी सहयोग एवं आपसी सामंजस्य की कमी से योजनाओं का अपेक्षित परिणाम दर्शित नहीं हो पा रहा है।

आज महिला स्वरोजगार के अनेक विकल्प सामने मौजूद है परंपरागत उद्यम में नवीनता लाकर उत्पाद एवं सेवाओं को भी विविध रूप में प्रस्तुत करते हुये उद्यमिता के अनेको अवसर महिला उद्यमियों के लिये नवीन दिशायें प्रदान कर रही है। आवश्यकता है उद्यम में नवीनता, नयी दिशा, स्वयं में जागरूकता लाकर, शासन की योजना का लाभ उठाते हुये महिलायें स्वयं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रगतिशील बनावे। शासन अपनी योजनाओं में नवीनता लाये, वित्त एवं प्रशिक्षण आदि सुविधायें त्वरित एवं सौर्वभौमिक पहुंच से युक्त बनावे, दृढ़ संकल्प के साथ योजनाओं को लागू करें एवं महिलायें भी योजनाओं तक पहुंच हेतु अपनी सूचनाओं का तंत्र मजबूत रखे तो निश्चिततः योजनाओं की प्रगति एवं विकास संभव है।

जिस प्रकार प्रबंध विषय में हम यह सीखते है कि कैसे चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित किया जाये ठीक वैसे ही महिला स्वरोजगार में भी आने वाली बाधाओं को उचित उपायों के माध्यम से दूर करते हुये स्वरोजगार के नवीन आयामों की ओर निरंतर बढ़ें।

मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पुस्तक के माध्यम से महिला स्वरोजगार की

प्रगति में बाधक ऐसे तत्व जो शासन की कमियों को दर्शित करता है, एवं कुछ ऐसे आंतरिक एवं बाह्य तत्व जो स्वैच्छिक संगठन, प्रशिक्षण संस्थान एवं स्वयं महिला उद्यमीयों की कमी को दर्शाता है उस पर प्रकाश डाला गया है, एवं क्यों ये सभी योजनायें अपेक्षित परिणाम दर्शित नहीं कर पा रही या और किन उपायों के माध्यम से महिला स्वरोजगार की प्रगति को गतिमान बनाया जा सकता है उन सभी पर अध्ययन को केन्द्रित किया गया है। निश्चित तौर पर उक्त शोध अध्ययन शासन एवं महिला उद्यमियों दोनों पक्षकारों को उन नवीन विकल्पों उपायों एवं अवसरों से ओतप्रोत करेगा जो महिला स्वरोजगार की प्रगति के नवीन आयाम में सफलता हेतु सहायक सिद्ध होगा।

उपसंहार

उद्यमिता विकास में महिलाओं का योगदान पूर्व की तुलना में बढ़ा है। वैश्वीकरण, उदारीकरण के इस युग जहां रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है, वहीं महिलाओं के स्वरोजगार विकास के माध्यम से ही संसाधनों एवं अवसरों के पूर्ण विदोहन से ही संपूर्ण रोजगार संभव होगा एवं राज्य पूर्ण आर्थिक विकास की ओर प्रगतिशील होगा। शासन की महिला स्वरोजगार योजनाओं का लाभ जिन महिलाओं को मिला है वे निश्चित तौर पर आर्थिक एवं सामाजिक रूप में सशक्त बनी है स्वयं सहायता समूहों की बढ़ती संख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण साबित हो रहा है जो समूह के माध्यम से महिलाओं की उद्यमिता के प्रति रूझान को बढ़ा रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विगत दो दशकों में महिला स्वरोजगार के विकास एवं प्रगति में स्वयं सहायता समूह मूल्यवान यंत्र साबित हुये है। पहले स्वसहायता समूह केवल ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक सफल हुये परंतु अब धीरे–धीरे शहरी क्षेत्रों की महिलायें भी अपनी अविदोहित उद्यमीय कौशल को पहचान कर स्वरोजगार से जुड़ रही है।

शासन इन समूहों को ऋण एवं प्रशिक्षण, सुविधा तो प्रदान कर ही रही है वरन् गणवेश सिलाई, मध्यान भोजन, आँगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट सप्लाई जैसे कार्य प्रदान कर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर रही है।

शासन महिलाओं को सक्षम बनानें की दिशा में उद्यमीय वातावरण भी तैयार कर रही है, संपोषणीय विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये ही योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के साथ–साथ सूचना तंत्रों में सकारात्मक परिवर्तन, परार्मशदात्री सेवायें, मेले हाट द्वारा उत्पादों के विपणन जैसे उपाय शासन

की उल्लेखनीय भूमिकाओं को दर्शित करते है।

राज्य में महिलाओं के स्वरोजगार विकास हेतु अनेक बाह्य समर्थन एवं सहयोग वर्तमान में उपलब्ध है, राष्ट्रीय महिला कोष, वाणिज्यिक बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, महिला सहकारी समितियां एवं अनेक स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग ने महिला उद्यमिता का प्रगति को संभव बनाया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन अंर्तगत जब साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से विभिन्न जिलो की महिला उद्यमियों से जिन्होंने शासन की योजनाओं से लाभ उठाते हुये उद्यम संचालित कर रही है संपर्क किया गया तो उन्होंने शासन की इन योजनाओं के द्वारा अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार एवं स्वावलंबी बन सम्मानजनक आर्थिक स्थिति के लिये शासन का आभार भी प्रगट किया, अपनी अपेक्षाओं को साझा करते हुये बताया कि शासन अपनी इन योजनाओं में और गति लावे तो निश्चित तौर पर अन्य महिलायें भी जिन तक योजनाओं में पहुंच नहीं है, लाभान्वित हो सकेंगी।

G–20 देशों के सातवें शिखर सम्मेलन 2012 में रोजगार एवं श्रम के मुद्दों पर महिलाओं के आर्थिक विकास एवं व्यवस्थाओं में उनके आरक्षण द्वारा भागीदारी बढ़ानें के मुद्दे पर विशेष बल दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान में केवल राज्य ही नहीं वरन् अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर भी महिला स्वरोजगार की महत्ता को स्वीकारा गया है।

शासन एवं महिला दोनों पक्षकार अपने–अपने कर्त्तव्यों को दृढ़ संकल्प के साथ पूर्ण करने में जुट जायें तो निश्चितः इन महिला स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति में तीव्र गति आयेगी एवं उद्यमिता विकास के लक्ष्यों को पूरा करनें में सहायक सिद्ध होगें।

इस हेतु पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गाँधी का यह वाक्य उद्यम सफलता हेतु प्रयुक्त करना चाहिये।

''दूरदर्शिता, कठिन परिश्रम एवं दृढ़ इच्छाशक्ति''

संदर्भ ग्रंथ सूची

पुस्तकें

1. गुप्ता मदनलाल, छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन भारतेन्दु–हिन्दी साहित्य समिति बिलासपुर (छ.ग.) 2002.
2. गुप्ता डॉ. के.एस., भारत की आर्थिक समस्यायें, नवयुग, साहित्य सदन, आगरा–2004.
3. कुलश्रेष्ठ आर.एस., औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, पब्लिकेशन आगरा–2000.
4. गुप्ता डॉ. एस.पी., वित्तीय प्रबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा–2008.
5. अन्सारी एम.ए., महिला और मानवाधिकार रामप्रसार एंड संस, भोपाल 2008.
6. कोठारी सी.आर. रिसर्च मैथ्डोलॉजी, मेथर्ड एंड टैक्नीक विश्वाप्रकाशन नई दिल्ली 2002.
7. आहूजा राम, सामाजिक समस्यायें, रामप्रसाद एवं संस, भोपाल – 2008.
8. अग्रवाल, जी.के. एवं पाण्डेय एस.एन., शोध एवं सांख्यिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन–2004.
9. अन्सारी एम.ए., राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी पंचशील प्रकाशन, जयपुर–2008.
10. अग्रवाल आर.सी., उद्यमिता के मूल तत्व साहित्य भवन पब्लिकेशन–2009.
11. गोयल सुनील, भारतीय समाज में नारी, रामप्रसाद एडं संस भोपाल–2008.
12. गोयल सुनील, भारत में सामाजिक परिवर्तन, रामप्रसाद एडं संस भोपाल–2008.

13. गुप्ता, डॉ. सुभाष चंद्र, कार्यशील महिलाये एवं भारतीय समाज, अर्जुन पब्लिकेशन हाऊस–2004.
14. जैन, बी.एम., शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीक रिसर्च पब्लिकेशन–2001.
15. जैन प्रतिभा एवं शर्मा, भारतीय स्त्री. सांस्कृतिक संदर्भ रामप्रसाद एडं संस भोपाल–2008.
16. देशपांडे डॉ. सुलोचना श्रीहरि, भारतीय समाज में कार्यशील महिलायें, श्रुति पब्लिकेशन, जयपुर–2002.
17. दुबे आर.एन. एवं सिन्हा वी.सी., आर्थिक विकास एवं नियोजन, नेशनल पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली–2002.
18. डॉ. भार्गव पी.पी., विक्रय कला एवं विक्रय प्रबंध, पंचशील प्रकाशन, जयपुर– 2008.
19. सक्सेना एस.सी., व्यवसाय प्रबंध एवं प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा–2008.
20. त्रिवेदी डॉ. आर.एन. एवं शुक्ला डॉ.डी.पी., रिसर्च मेथ्डोलॉजी कॉलेज बुक डिपो जयपुर–2006.
21. शुक्ला शांता, छत्तीसगढ़ का सामाजिक विकास नेशनल पब्लिकेशन हाऊस नई दिल्ली–2005.
22. मुखर्जी रविन्द्रनाथ, भारतीय समाज एवं संस्कृति रामप्रसाद एडं संस भोपाल–2008.
23. त्रिपाठी बद्री बिसात, भारतीय अर्थव्यवस्था किताब महल, इलाहाबाद–2000.
24. डॉ. त्रिपाठी नरेश चंद्र, उपभोक्ता अर्थशास्त्र विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा–2007.
25. मुखर्जी रविन्द्रनाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी विवेक प्रकाशन, आगरा–2006.
26. महाजन डॉ., भारतीय समाज भुपेन्द्र एवं समस्याये रामप्रसाद एडं संस, भोपाल–2008.

27. माथुर एस.पी., भारत में उद्यमिता विकास हिमालिया पब्लिकेशन नई दिल्ली–2008.
28. डॉ. मोदी अनिता, महिला सशक्तिकरण : विविध आयाम, वाईकिंग बुक्स जयपुर भारत 2011.
29. डॉ. तिवारी अंशुजा, डॉ. तिवारी मीनाक्षी, महिला उद्यमिता : ओमेगा पब्लिकेशन्स दरियागंज दिल्ली 2008.
30. गुप्ता यू.सी. एवं मीनाक्षी, महिलाएं एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस 2014.
31. चतुर्वेदी प्रतिमा, विकसित समाज में महिला सशक्तिकरण की यर्थाथता वायकिंग बुक्स पब्लिशर्स 2014.
32. तिवारी, आर.पी. शुक्ला डी.पी., भारतीय नारी – वर्तमान समस्यायें और भावी समाधान, नई दिल्ली ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन 1999.
33. तिवारी डॉ. अशुंजा, महिला उद्यमिता, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली–2010.
34. जैन एवं शर्मा, उद्यमीय विकास कौशल, रमेा बुक डिपो जयपुर 2010.
35. शर्मा प्रज्ञा, महिला विकास और सशक्तिकरण अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर (राजस्थान).

समाचार पत्र एवं पत्रिकायें

1. छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, शिक्षादूत प्रकाशन, रायपुर
2. उद्यमिता, उद्यमिता विकास केन्द्र भोपाल
3. स्वरोजगार मार्गदर्शिका, उद्यमिता विकास केन्द्र भोपाल
4. छ.ग. का सांख्यिकीय संक्षेप, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छ.ग. 2010.
5. कुरूक्षेत्र – नई दिल्ली

6. योजना – नई दिल्ली
7. योजनायें – छत्तीसगढ़ महिला कोष रायपुर (2003)

प्रकाशित एवं अप्रकाशित शासकीय अभिलेख पुस्तिकाये एवं पत्रिकायें

1. आर्थिक सर्वेक्षण पत्रिका (2001–09)– आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय
2. आर्थिक सर्वेक्षण पत्रिका (2010–15)– आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय
3. प्रशासकीय प्रतिवेदन (2003–2015)– महिला एवं बाल विकास रायपुर (छ.ग)
4. निर्देशिका पत्रिका (2001–06)– खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, रायपुर
5. कर्मक्षेत्र में नारी पत्रिका (2005)– उद्यमिता विकास केन्द्र, भोपाल
6. वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (2012–13)– लघु उद्योग सेवा संस्थान, रायपुर
7. छत्तीसगढ़ औद्योगिकनीति (2014–19)– वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायपुर (छ.ग.)
8. हुनर से शिखर की ओर छ.ग. के युवा (2015)– जनसंपर्क संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

प्रकाशित शोध ग्रंथ

1. पटेल बसंत, पंचवर्षीय योजनाओं के अंर्तगत महिला विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं उपलब्धियां – 2006
2. देवांग विमल कुमार, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास और महिलायें – 1992.
3. जोयसी मथाई, म.प्र. में महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन– 1996.

Website

1. Coortesy fromo websites
2. www.gwgle.seruchh.com

3. www.cg.nic.in
4. www.ceneusindia.gov.in
5. www.cqecd.govt.in
6. www.dpreq.govt.in

प्रश्नावली

छ.ग. शासन की महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं की प्रगति एवं मूल्यांकन के संबंध में योजनाओं से लाभान्वित महिला उद्यमियों से प्रत्यक्ष जानकारी :

(अ) व्यक्तिगत परिचयः

1. महिला उद्यमी का नाम : .....
2. आयु : .....
3. शैक्षणिक योग्यता : .....
4. प्रेरणा स्त्रोत : .....
5. विकासखंड : .....
   तहसील : .....
   जिला : .....
6. जाति : सा./अ.वि.व./अ.जा./अ.ज.जा.

(ब) पारिवारिक परिचयः

1. वैवाहिक स्थिति – विवाहित/अविवाहित
   निवास स्थिति – .....
   शैक्षणिक योग्यता – .....
2. आय का प्रमुख साधन – .....
3. क्या आपको उद्यम स्थापना में परिवार से सहयोग प्राप्त हुआ – हां/नहीं

(स) उद्यम से संबंधित सूचनायेंः

1. उद्यम का नाम – .....
2. उद्यम का प्रकार – विनिर्माण/सेवा प्रदाता/अन्य
3. कितने वर्षो से उद्यम संचालन कर रहीं हैः .....

4. उद्यम स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या हैं:
आत्मनिर्भरता / पारिवारिक आय में सहयोग / दोनो / अन्य
5. उद्यम प्रारंभ करनें में प्रारंभिक पूंजी की मात्राः
100000 रू. तक / 100000 से 500000 / 500000 से 1000000 / 1000000 से अधिक
6. उद्यम स्थापना हेतु पूंजी स्त्रोत क्या रहा– केवल बैंक / बैंक एवं स्वयं की पूंजी / बैंक, स्वयं तथा अन्य स्त्रोत
7. आपके उद्यम में कार्यरत् कर्मचारियों की संख्या (सेविवर्गीय प्रबंध) – 1–3 / 4–6 / 7–9 / 10–12 / 12 से अधिक
8. उद्यम हेतु कच्चे माल की प्राप्ति का स्त्रोत – स्थानीय बाजार / अन्य प्रदेश / दोनो स्थान
9. कच्चे माल के क्रय की कीमत – 50000 तक / 50000 – 100000 / 100000 – 200000 / 200000 से अधिक
10. उत्पाद का विक्रय क्षेत्र एवं विपणन व्यवस्था– स्थानीय बाजार / अन्य बाजार / दोनो स्थान
11. क्या आपको अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से प्राप्त होता है – हाँ / नहीं
12. आपके उत्पाद के विपणन हेतु शासन द्वारा मेले या हाट बाजार, प्रर्दशनी आदि के माध्यम से सहायता दी जा रही है – हाँ / नहीं
13. आपनें शासन की किसी महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भागीदारी की है – हाँ / नहीं
14. यदि हाँ तो इन योजनाओं की सूचना का स्त्रोत क्या रहा – दैनिक समाचार पत्र / जिला उद्योग केंद्र एवं संबंधित विभाग / मित्र एवं परिवार के अन्य सदस्य।
15. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी से आप लाभान्वित हुये– हाँ / नहीं

16. शासन द्वारा जो महिला स्वरोजगार उन्मुखी योजनायें संचालित की जा रही हैं उनका लाभ महिलाओं को कैसा मिल रहा है – अति उत्तम/उत्तम /संतोषजनक/ असंतोषजनक।

17. क्या शासन द्वारा महिला उद्यमों को प्रशिक्षण/सुविधा देनें एवं उद्यम प्रारंभ करने के पश्चात् किसी प्रकार का निरीक्षण एवं परार्मश सुविधा दी जा रही है – हाँ/नहीं

18. वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त और किस प्रकार की योजनायें एवं सुविधायें शासन द्वारा प्रदान की जा सकती है –

.....

.....

.....

19. स्वरोजगार स्थापना पश्चात् महिला उद्यमियों के रूप में आपकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन – हाँ/नहीं

20. स्वरोजगार स्थापना पश्चात् आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन – हाँ/नहीं

21. उद्यम स्थापित करने के बाद आपने समाज की प्रगति हेतु किस रूप में सहयोग दिया – प्रशिक्षण शिविर आयोजन/ कार्यशाला आयोजन/ अन्य/ उक्त में से कुछ भी नहीं।

(द) अन्यः

1. उद्यमी होने के बाद आपका समय कार्यक्षेत्र में अधिक व्यतीत होता है, क्या इससे आपको परिवार में सामंजस्य रखने में कठिनाई होती है – हां/नहीं

2. आत्मनिर्भरता नें क्या आपके सामाजिक और व्यक्तिगत सोच को परिवर्तित किया – हाँ/नहीं, यदि हाँ, तो किस प्रकार स्पष्ट करें –

.....

.....

.....

3. आप सफल उद्यमी है तो अपनी सफलता का श्रेय किस–किस को देना चाहेंगी।

.....

.....

.....

4. ऐसी महिलायें जो आपका अनुसरण करते हुये आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उनके लिये आपकी भूमिका क्या होगी –
महत्वपूर्ण / संतोषजनक / असंतोषजनक

महिला उद्यमी

हस्ताक्षर

दिनांक .....

डॉ. पदमा सोमनाथे

डॉ. पदमा सोमनाथे, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, विगत १६ वर्षों से महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। इनका अध्ययन एम. कॉम. एवं एम. फिल. दुर्गा महाविद्यालय रायपुर से पूर्ण हुआ तथा पीएचडी की डिग्री पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त हुई है। लेखिका के १२ से भी अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रकाशित हुए हैं तथा ८ शोध पत्र राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सेमिनार में प्रस्तुत किए गये हैं।

9 789392 568060

₹ 350

ADITI PUBLICATION

Opp. New Panchjanya Vidya Mandir, Near Tiranga Chowk,
Kushalpur, Raipur, Dist.- Raipur, Chhattisgarh, INDIA
Pin - 492001 Phone : +91 9425210308
E-mail:shodhsamagam1@gmail.com, www.shodhsamagam.com